The Waqf (Amendment) Bill, 2025 and Mussalman Wakf (Repeal) Bill, 2024

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर, 12 और 13 को एक साथ सभा में लिया जा रहा है, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024।

माननीय मंत्री किरेन रिजिजू जी।

?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हां, आप बोलिए।

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, when you are bringing this type of Bill to the House, the Members have the right to give amendments. Yesterday, what happened is, this Bill was brought to the notice of the hon. Member only around the afternoon. Then the amendment time was given till 3:30 PM. How can the Members move amendments? ? (*Interruptions*) You are actually bulldozing the legislation. This type of bulldozing the legislation has not happened in this House. ? (*Interruptions*) You need to give time for amendments. There are several provisions on which amendments need to be given. ? (*Interruptions*) There is no time at all. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। अब मैं एक विषय कह दूं।

माननीय सदस्यगण, सभी माननीय सदस्यों के जो भी गैर-सरकारी संशोधन प्रस्ताव और सरकारी संशोधन प्रस्ताव थे, मैंने दोनों को बराबर समय दिया है। मैंने ऐसा नहीं किया है।

?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो।

मैंने जितना भी समय गैर-सरकारी संशोधन प्रस्तावों को दिया है, उतना ही समय सरकारी संशोधन प्रस्तावों को दिया है। दोनों में कोई अंतर नहीं किया गया है।

?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, आप बता दीजिए।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): My point of order is relating to Rule 80(i) and under Rule 376 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha and page 615 of Kaul and Shakdher. Now, this House is considering the Waqf (Amendment) Bill, 2025 as

reported by the Parliamentary Joint Committee. We are not discussing the original Bill. It is as reported by the Joint Parliamentary Committee.

Through you, my question to the hon. Minister is whether the Joint Parliamentary Committee has the power to incorporate new provisions in the Bill.

It is beyond the powers and ambit of the Joint Parliamentary Committee. They have incorporated so many new provisions. I have no objection in respect of those provisions. Even 2A is also appreciable. We do not have any objection. It is a very, very serious and technical matter. Kindly see, even the House does not have the authority to make ? (*Interruptions*) You can reply after me. Even the Parliament, even the Lok Sabha, this august House does not have the right to incorporate a new provision unless you suspend Rule 80 (i). Rule 80 (i) is very clear. Rule 80 (i) says, ?The following conditions shall govern the admissibility of amendments to clauses or schedules of a Bill: ? (i) An amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject-matter of the clause to which it relates.? There are so many provisions in the newly drafted Bill. Extraneous provisions are also incorporated that do not come within the purview. That is why I am saying that even this House does not have the right to make new provisions unless and until Rule 80 (i) is suspended. I do agree with you that the Government has the power, the Minister has the power to move amendments, and also they can recommend. The Joint Parliamentary Committee can recommend, but they cannot come with new provisions as a newly drafted Bill, for which there is no right. ? (*Interruptions*) Sir, I am quoting Kaul and Shakdher, which is very important. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: मैं व्यवस्था दे रहा हूं। अब माननीय गृह मंत्री जी बोलेंगे।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं व्यवस्था दूंगा लेकिन पहले माननीय गृह मंत्री जी बोलेंगे।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, पहले इनको पूरा पढ़ लेने दीजिए। माननीय सदस्य, आप इसे पूरा पढ़ लें।

? (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, kindly see page 615 of Kaul and Shakdher. It says:

?The motion for reference of a Bill to a Select or Joint Committee may include instructions to the Committee to consider matters other than those dealt with in the Bill but relating to the subject-matter of the Bill. Instructions to the Committee for amendment of such sections of the parent Act as are not covered by the amending Bill, whenever given, are to be specific and clear.?

That means, unless and until the House specifically directed to go into this, they have no right to make new provisions in the Bill. It is beyond the powers of the Joint Parliamentary Committee. They have acted, for which I am seeking a ruling. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, ऐसे नहीं चलेगा। मैंने सबको बोलने का मौका दिया है। अब आप बैठिए।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठिए। अब माननीय गृह मंत्री जी बोलेंगे।

? (व्यवधान)

गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) : मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है, मैं इसके अर्थ को सदन के सामने रखना चाहता हूं। भारत सरकार की कैबिनेट ने इस बारे में एक बिल एप्रूव करके सदन के सामने रखा था। आपके द्वारा यह बिल ज्वाइंट पॉर्लियामेंटरी कमेटी को दिया गया और विपक्ष भी इसका बड़ा आग्रह कर रहा था। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया, जो मत प्रकट हुआ, वह मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। भारत सरकर की कैबिनेट ने कमेटी के सुझाव स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में इसे किरेन रिजिजू लेकर आए हैं। यह तभी होता है जब ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट के अनुमोदन के बगैर आता है।

मान्यवर, मैं नहीं मानता कि इसमें कोई प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। आपका ही आग्रह था कि ज्वाइंट पॉर्लियामेंटरी कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करना है तो ये कांग्रेस जैसी कमेटी नहीं है, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है। ? (व्यवधान) जो दिमाग चलाती है। ? (व्यवधान) कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थीं, जो ठप्पा लगाती थीं। ? (व्यवधान) हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। ? (व्यवधान) अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी क्यों बनाई? ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: जब विधेयक पर चर्चा होगी तो मैं सबको मौका दूंगा।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं इस पर अपनी व्यवस्था देता हूं।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी ने वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 पर जो प्रश्न उठाया है, संयुक्त समिति द्वारा विधेयक में कुछ खंड जोड़ दिए गए, जो विधेयक के दायरे से बाहर हैं। इस विषय पर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान कौल एंड शकधर द्वारा रचित संसदीय पद्धति और प्रक्रिया की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। संयुक्त समिति की किसी भी विधेयक में संशोधन करने की शक्तियां बड़ी व्यापक और विस्तृत है। समिति किसी भी विधेयक में पूर्ण रूप से संशोधन कर सकती है या उसका पूर्णतया नया प्रारूप तैयार कर सकती है। विधेयक के सिद्धांत में परिवर्तन किए बिना उसका पूरा नाम और संक्षिप्त नाम भी बदल सकती है। इस प्रकार समिति किसी विधेयक में नए उपबंध सम्मिलित कर सकती है तथा विधेयक की व्याप्ति समिति कर सकती है। विगत में कई संयुक्त समितियों ने विधेयकों में ऐसे संशोधन किए हैं।

श्री किरेन रिजिजू जी।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Hon. Speaker, Sir, I beg to move:

?That the Bill further to amend the Waqf Act, 1995, as reported by the Joint Committee, be taken into consideration.?

and

?That the Bill to repeal the Mussalman Wakf Act, 1923, be taken into consideration.?

अध्यक्ष महोदय, आपने जो रूलिंग दी है, जेपीसी के बारे में जिक्र किया है, उसी के साथ-साथ जुड़ते हुए? (व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : सर, यह जेपीसी है या जेडब्ल्यूसी है, आप यह बता दीजिए। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट रुकिये।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री सौगत राय जी, संशोधन संख्या 108 को प्रस्तुत कीजिए। अभी आप बोल रहे थे।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Under Rule 77(2) of the Rules of Procedure, I propose that the Waqf (Amendment) Bill, 2025 be re-committed for the purpose of eliciting further opinion thereon.

I beg to move:

?That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 21st July, 2025.? (108)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप 12 और 13 पर अपना वक्तव्य दें।

श्री किरेन रिजिजू : सर, जब मैं अपनी ऑपिनियन दूंगा तब उसका भी जवाब आएगा और बाकी अमेंडमेंट्स तो आखिर में आते ही हैं। ? (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: The motion has to be disposed. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप तो विद्वान सदस्य हैं। उसे बाद में करेंगे।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री किरेन रिजिजू : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब को बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। कमेटी के बारे में जिक्र काफी हो चुका है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस बार लोक सभा और राज्य सभा दोनों सदनों के सदस्यों को मिलकार जॉइंट कमेटी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतनी व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं दिया है। इसलिए जॉइंट कमेटी में दोनों सदनों के जितने मैम्बर्स थे, लोक सभा और राज्य सभा के जो-जो सदस्य उस कमेटी में थे, मैं अपनी तरफ से, सरकार की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वैस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में आई हैं। सरकार ने उनको पूरी तरह से देखा है, चाहे वह जेपीसी के माध्यम से आई हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सबको देखा है। आज तक इतनी ज्यादा संख्या में किसी भी बिल के ऊपर लोगों की याचिकाएं नहीं आई हैं। कुल मिलाकर 284 डेलिगेशन्स ने अलग-अलग समुदाय के जो स्टेकहोल्डर्स हैं, उन्होंने कमेटी के सामने अपनी बात को रखा है और सुझाव भी दिया है। 25 स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के वक्फ बोर्ड ने अपनी सबमिशन भी पेश किया है। इसके अतिरिक्त कई लीगल लुमिनरीज़, हमारे समाज में विद्वान लोग हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, अलग-अलग धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, चेरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसायटी, एकेडमिशियन्स, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स आदि ने इस कमेटी के सामने पेशकश की है। उसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि आज मैं आपके सामने एक बात रखूंगा।

जब पिछली बार मैंने इस सदन में इस बिल को प्रस्तुत किया था, तब भी मैंने कई बातें बतायी थीं। आज उन बातों को न दोहराते हुए, मैं कुछ बातें जोड़ूँगा। अपनी बात रखने के बाद मुझे सिर्फ उम्मीद ही नहीं है, बल्कि यकीन है कि जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे थे, उनके हृदय में भी बदलाव होगा। इसलिए पॉजिटिव सोच के साथ सब इस बिल का समर्थन करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आगे अपनी बातें रखना चाहता हूँ।

चूंकि मैं पॉजिटिव नोट के साथ अपनी बात रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने एक मन की बात के साथ इसे शुरू करना चाहूँगा ताकि इससे अच्छा संदेश जाए।

?किसी के बाद कोई बदगुमा न समझेगा,
इस ज़मी का दर्द कभी आसमाँ न समझेगा।?

मैं यह दिल से कह रहा हूँ, क्योंकि अच्छी सोच के साथ, बड़े दिल के साथ, खुले मन से, मैं यह प्रस्ताव आपके सामने पेश कर रहा हूँ।

सर, कई लोगों ने अपने-अपने तरीके से बातें रखी हैं। किसी ने कहा कि यह प्रावधान अन-कांस्टिट्यूशनल है, गैर-संवैधानिक है। किसी ने कहा, यह इल्लीगल है, अन-लॉफुल है। यह बिल, जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं, यह कोई नया विषय नहीं है।

आज़ादी से पहले, जब पहली बार वर्ष 1913 में, मुसलमान वैलिडेटिंग एक्ट पास किया गया था, तब से इसका इतिहास शुरू होता है। उससे पहले प्रिवी काउंसिल ने वर्ष 1894 में, वक्फ़-अल-औलाद को इनवैलिडेट किया था। वर्ष 1913 के बाद, वर्ष 1923 में जब मुसलमान वक्फ़ एक्ट लाया गया था, जिसमें एकाउंटैबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पर जोर देते हुए यह एक्ट पास किया गया था। उसके बाद वर्ष 1930 में, The Mussalman Waqf Validating Act लाया गया, जो रिइनफोर्स करता है, legal validity of the family waqf को। परिवार में जो वक्फ़ होता है, उस पर जोर देते हुए, यह बिल लाया गया।

आज़ादी के बाद, वर्ष 1954 में, वक्फ़ एक्ट पहली बार आज़ाद भारत का एक्ट बना। उस समय, वर्ष 1954 के एक्ट में स्टेट वक्फ़ बोर्ड का भी प्रावधान किया गया था। उस समय से लेकर, कई संशोधनों के साथ वर्ष 1995 में व्यापक रूप से, यह वक्फ़ एक्ट बना है। उस समय किसी ने यह नहीं कहा था कि यह एक्ट अनकांस्टिट्यूशनल है, उस समय किसी ने नहीं कहा कि यह अन-लॉफुल है। आज जब हम उसी बिल को सुधारकर ला रहे हैं, तब आपको अनकांस्टिट्यूशनल और अन-लॉफुल जैसे शब्द इस्तेमाल करने की नौबत कैसे आई? यह सोच क्यों आई? अगर आप सच्चे दिल से सोचते और आपका मन साफ होता, तो आप तर्क पर जाते कि इस संशोधन बिल में जो-जो तर्क हैं, आप उन पर बात कीजिए। लेकिन आप उनको छोड़कर, जिसका बिल में कोई लेना-देना नहीं है, उन बातों को लेकर आपने लोगों को जो गुमराह करने का और बरगलाने का काम किया है, मैं उसको शुरू में ही साफ करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1995 में, पहली बार ट्राइब्यूनल की व्यवस्था की गई है ताकि वक्फ़ बोर्ड का कोई भी निर्णय अगर किसी को पसन्द नहीं है, अगर वह उसको चैलेंज करना चाहता है, तो वह वक्फ़ ट्राइब्यूनल में जा सकता है। उसका प्रावधान पहली बार हुआ था। उस समय यह भी फैसला हुआ था कि यदि 5 लाख रुपए से ज्यादा

आमदनी किसी वक्फ़ प्रॉपर्टी की है, तो उसके लिए सरकार की ओर से एक्जिक्युटिव ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। इसका प्रावधान भी वर्ष 1995 के एक्ट से शुरू हुआ था।

महोदय, आज यह ट्रिगर पॉइंट क्यों हुआ है? इस अमेंडमेंट बिल को लाने की आवश्यकता की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई? मैं उसके बारे में संक्षेप में बताता हूँ।

वर्ष 2014 में, हम लोग चुनाव में गये। चुनाव में जाने से पहले, वर्ष 2013 में कुछ ऐसे कदम उठाये गये, जिसे सुनकर, आप सदस्य के रूप में भी और इस देश के नागरिक होने के नाते भी आपके दिमाग में यह सवाल जरूर उठेगा कि ऐसा कदम क्यों उठाया गया था।

स्पीकर सर, वर्ष 2013 में पहला यह बदलाव हुआ कि इस देश में कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो या जैन हो, वक्फ क्रिएट कर सकता है। ? (व्यवधान) सबको यह मालूम है कि वक्फ एक मुसलमान का अल्लाह के प्रति एक पायस, चैरिटेबल और रिलीजियस परपज़ के लिए वक्फ क्रिएट किया जाता है। ? (व्यवधान) लेकिन, उसमें डायल्यूज़न करके वर्ष 2013 में, कोई भी वक्फ क्रिएट कर सकता है, यह प्रावधान सबसे पहले उस समय की यूपीए सरकार ने किया। ? (व्यवधान)

दूसरा, आपने सारे वक्फ को स्पेसिफिक कर दिया कि शिया बोर्ड में शिया ही रहेंगे, सुन्नी बोर्ड में सिर्फ सुन्नी ही रहेंगे और कोई भी बोर्ड हो, उसमें सिर्फ उनके लोग ही रहेंगे, बाकी कोई भी उसमें नहीं आ सकता है। ? (व्यवधान) ऐसा आपने प्रावधान किया था। ? (व्यवधान) आप मेरी बात शांति से सुनिए। ? (व्यवधान) आप जो भी पूछेंगे, उस पर हमारा रिप्लाई तो आएगा ही। ? (व्यवधान) डिबेट के आखिर में मेरा फिर से रिप्लाई होगा। ? (व्यवधान) इसलिए, अभी मैं जब शुरुआत में कुछ दृष्टिकोण रख रहा हूं, तो इसमें कोई हस्तक्षेप न करें और ध्यान से सुनें, ताकि हमारे डिबेट का स्तर भी ऊंचा रहे और तर्क भी सामने आ जाए। ? (व्यवधान)

स्पीकर सर, सैक्शन-108 में एक प्रावधान आया। ? (व्यवधान) उस सैक्शन-108 में यह लिखा गया है कि वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान है, वे इस देश में किसी भी मौजूदा कानून के ऊपर रहेंगे, उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा, ऐसा आपने कानून बनाया था। ? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इस देश में ऐसा कानून कैसे मंजूर कर सकते हैं? ? (व्यवधान) हर कानून अपने-अपने हिसाब से चलता है, लेकिन यदि एक कानून का दूसरे कानून के ऊपर ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, तो इसको कोई भी मान्यता नहीं दे सकता है। ? (व्यवधान)

सर, साथ में कुछ प्रपोगैन्डाज़ साथ में जुड़ें हैं, उनसे पहले वर्ष 2013 में, मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि यह कैसे जबरदस्ती पास करवाया? ? (व्यवधान) वर्ष 2013 में वक्फ-बाय-यूज़र का प्रावधान आपने डाला। ? (व्यवधान) दिल्ली के अंदर वर्ष 1970 से एक केस चल रहा था। दिल्ली के अंदर हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज़ हैं। ? (व्यवधान) दिल्ली वक्फ बोर्ड ने यह क्लेम किया ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं। ? (व्यवधान)

यह केस अदालत में चल रहा था । ? (व्यवधान) उस समय यूपीए सरकार ने सारी जमीन को डीनोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया । ? (व्यवधान) 123 प्रॉपर्टीज़ को डीनोटिफाई किया गया ।? (व्यवधान) अगर आज हम यह संशोधन लेकर नहीं आते, तो इस पार्लियामेंट बिल्डिंग के जिस सदन में हम बैठे हैं, इसको भी क्लेम किया जा रहा था । ? (व्यवधान) एयरपोर्ट, वसंत विहार, अगर श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार नहीं आती, अगर यूपीए की सरकार कन्टिन्यू रहती, तो किन-किन बिल्डिंग्स को डीनोटिफाई किया जाना था । ? (व्यवधान) 123 प्रॉपर्टीज़ को डीनोटिफाई किया गया । ? (व्यवधान) मैं रिकॉर्ड से कह रहा हूं, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं । ? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं । ? (व्यवधान) आप क्यों उछल रहे हो? ? (व्यवधान) मैं अपने आप थोड़ी न बोल रहा हूं, जो हकीकत है, मैं वह बात बता रहा हूं । ? (व्यवधान) आप आराम से बैठकर सुनिए । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपके दल को और आप सबको बोलने का मौका मिलेगा ।

माननीय मंत्री जी ? आप बोलिए ।

? (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : सर, मैं फिर से कह रहा हूं । ? (व्यवधान) मैं एक भी शब्द अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं । ? (व्यवधान) जो घटना है, जो हकीकत है, वही कह रहा हूं । ? (व्यवधान) इनका इसमें इतना उछलने और उत्तेजित होने का कोई मतलब ही नहीं है । ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूं कि जो संवैधानिक बात उठाकर लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर देश के सामने सही बात रखना बहुत ही जरूरी है । ? (व्यवधान) एक बात बार-बार इन लोगों ने कही है कि यह जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, यह आर्टिकल-25, आर्टिकल-26, आर्टिकल-30 का उल्लंघन करता है । ? (व्यवधान) यह कहकर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया । ? (व्यवधान)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, I want to raise a point of order? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैं फिर कह रहा हूं । मैं नियम-352 पढ़ चुका हूं । आप पढ़ लो कि कभी भी डिबेट के बीच में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है । यह व्यवस्था दे दी गई है, अब कभी इसे मत उठाना ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ? आप बोलिए ।

? (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : महोदय, इन्होंने दूसरा विषय समानता का उठाया ।? (व्यवधान) आर्टिकल 14, इक्वैलिटी को लेकर उन्होंने सवाल उठाया ।? (व्यवधान) मैं उसका भी जवाब देना चाहता हूँ ।? (व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं है ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था अन्तिम व्यवस्था होती है। मंत्री जी, आप बोलिए।

? (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : महोदय, चूँकि मेरा कान खुला है, इसलिए मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है ।? (व्यवधान) मैं हैडफोन पहनकर बात करता हूँ।? (व्यवधान)

महोदय, वक्फ बोर्ड का जो काम है, बेसिकली वक्फ प्रॉपर्टी को संभालने वाले जो मुतवल्ली होते हैं और जो वक्फ प्रॉपर्टी की व्यवस्था करते हैं, उसको संचालित करने के लिए गवर्नेंस के सुपरविजन का यह एक प्रावधान है ।? (व्यवधान) किसी भी तरीके से वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं करता है ।? (व्यवधान) वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में हस्तक्षेप नहीं करता है ।? (व्यवधान) आप साफ-साफ सुन लीजिए ।? (व्यवधान)

महोदय, अगर इनके पास तर्क नहीं है तो इस तरह से यहाँ डिस्टर्ब करके बहस के स्तर को गिराने से कोई फायदा नहीं है ।? (व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं है ।? (व्यवधान) वक्फ बोर्ड का क्लियर करना, एक जो वाकिफ होता है, जो अपना विलिंगली वक्फ क्लियर करता है ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है। जब आपका समय होगा तब आप बोलिए। नो, कृपया बैठ जाइए। आपका यह तरीका ठीक नहीं है। आप बैठिए, आप भी बैठिए।

माननीय मंत्री जी, आप बोलिए।

? (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : महोदय, सबको बोलने का मौका मिलने वाला है, तो कम से कम बात को शांति से सुनने के बाद आप अपनी बात रखिए ।? (व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं होता है ।? (व्यवधान)

महोदय, यह जो उन्हें गुमराह करने की कोशिश की गई है, मैं कुछ केसेज आपको बताना चाहता हूँ ।? (व्यवधान) आप देखिए कि आर्टिकल 25(1) क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 25(1) कहता है :

?Subject to public order, morality, health, and to the other provisions of this Part, all persons equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice, and propagate religion.?

महोदय, गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, किसी भी धार्मिक काम में कोई हस्तक्षेप करने नहीं जा रही है ।? (व्यवधान) न ही वक्फ बोर्ड से किसी धार्मिक स्थल की व्यवस्था में किसी भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है ।? (व्यवधान) ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ।? (व्यवधान)

सर, ये क्या झूठ-झूठ बोल रहे हैं? ? (व्यवधान) हम संविधान के प्रावधान पढ़ रहे हैं ।? (व्यवधान) फिर भी ये उसे झूठ बोल रहे हैं ।? (व्यवधान) ये संविधान को नहीं मानते हैं ।? (व्यवधान) किसी मस्जिद के मैनेजमेंट में हस्तक्षेप

करने का इसमें कोई प्रावधान नहीं लाया जा रहा है ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप एक मिनट रूकिए ।

माननीय सदस्य, आप भारत की संसद में बैठे हैं । आप गरिमा, मर्यादा बनाए रखिए । आप बैठे-बैठे टिप्पणी मत कीजिए ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जब आपको मौका मिलेगा तब आप अपनी बात कहना । आप बैठे-बैठे टिप्पणी नहीं कर सकते हैं । यह संसद की मर्यादा नहीं है । सदन इस तरह से नहीं चलेगा । सदन व्यवस्था, नियम से चलेगा । जब कोई भी माननीय सदस्य बोल रहा हो तो किसी भी व्यक्ति को बैठे-बैठे उसके बीच में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है ।

माननीय मंत्री जी, आप बोलिए ।

? (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : अध्यक्ष महोदय, वक्फ बोर्ड के प्रावधानों का किसी मस्ज़िद, किसी मन्दिर, किसी धार्मिक स्थल की व्यवस्था से कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि यह सिम्पली प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट से संबंधित एक विषय है ।? (व्यवधान) अगर कोई मुसलमान ज़कात देता है, फितरा देता है, तो इस बारे में हम उससे पूछने वाले कौन होते हैं? यह तो धार्मिक भावना से जुड़ी हुई चीज़ है । इससे सरकार का कोई लेना-देना नहीं है । लेकिन, यह वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है । वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट मुतवल्ली करता है । अगर आपको यह बेसिक फर्क समझ में नहीं आता है या फिर आप जान-बूझकर नहीं समझ पाते हैं, तो फिर मेरे पास इसका कोई इलाज़ नहीं है ।? (व्यवधान)

इस प्रकार से बहस नहीं होती है ।? (व्यवधान) आप जब अपने तर्क रखेंगे, उस समय आप अपनी बात बोलिएगा ।? (व्यवधान) बीच-बीच में कमेंट्स पास करने से हमारे प्वायंट्स का फ्लो बिगड़ता है और मेरी आवाज़ भी ठीक से नहीं जाएगी ।? (व्यवधान) फिर आप किस बात का जवाब देंगे? ? (व्यवधान)

सर, कई ऐसे केसेज़ हैं, जिनको मैं रेफर कर सकता हूं । लेकिन, सदन में मैं सिर्फ तीन केसेज़ को रेफर करूंगा तो ?दूध का दूध, पानी का पानी? हो जाएगा कि इसका किसी की धार्मिक व्यवस्था से कोई लेना-देना नहीं है । आपको मैं पहला एग्जाम्पल देना चाहता हूं ।

Syed Fazal Pookoya Thangal Vs. Union of India केस में केरल हाई कोर्ट का क्या फैसला है, उसे देखिए । केरल हाई कोर्ट ने कहा ? ?The Waqf Board is a statutory body, pure and simple. It is not a representative body of the Muslim community?. यह हाई कोर्ट का ऑर्डर है ।

उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी सुन लीजिए । Hafiz Mohammad Zafar Ahmad vs U.P. Sunni Central Board of Waqf केस का जजमेंट सुन लीजिए । इसमें कोर्ट ने कहा - ?A mutawalli?s right is

purely a right of management of property, and is not a propriety right. The duties of a mutawalli are purely of a secular character. His duties are not of a religious character?. यह इतनी क्लियर-कट रूलिंग है।

Tilkayat Govindlalji Maharaj Vs. The State of Rajasthan केस को देखिए। इसमें मन्दिर का भी एग्ज़ाम्पल दिया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा - ?Right to manage properties of a temple is purely a secular matter, and cannot be regarded as a religious practice?. इसमें मन्दिर नहीं, मन्दिर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कहा गया है। उसी प्रकार से, यह बार-बार कहना कि मुसलमानों के अधिकार में गैर-मुसलमान आ रहे हैं, यह तो तर्क ही नहीं बनता है। आज से आप यह बात बोलना बंद कीजिए।

सर, वर्ष 2013 में जो काम किया गया, उसके बारे में मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। उस समय इलेक्शन आने वाले थे, उसके बहुत ही कम दिन बचे हुए थे। इलेक्शन के लिए कोड-ऑफ-कंडक्ट लगने ही वाला था। हम सबको मालूम है कि अप्रैल-मई में चुनाव हुए थे। उस समय की यूपीए सरकार ने 5 मार्च, 2014 को 123 प्राइम प्रॉपर्टीज़ को, जो हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत आती थीं, उनको आपने दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया।? (व्यवधान) आप सोच कर देखिए। इसकी क्या जरूरत थी? चुनाव होने में कुछ दिन बाकी थे। आप इंतज़ार तो करते। पर, आपने सोचा कि ऐसा करके वोट्स मिलेंगे, लेकिन आप तो चुनाव हार गए। फिर इसका फायदा क्या हुआ? ? (व्यवधान) ऐसा काम करने से वोट नहीं मिलता है। हमारे देश के लोग समझदार हैं, इसलिए वोट बैंक की राजनीति के बिना हम अच्छी सोच के साथ आज इस सदन में फिर से आए हैं।? (व्यवधान)

महोदय, इस बिल में कुछ एनॉमिलीज़ हैं, इसलिए इसको बदलना जरूरी था। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था कि आपने कहा कि कोई भी हिन्दुस्तानी, कोई भी भारतीय वक्फ क्रिएट कर सकता है। वर्ष 1995 में ऐसा नहीं था, आपने वर्ष 2013 में इसमें बदलाव किया। हमने वर्ष 1995 के प्रावधानों को फिर से रिवाइव करते हुए यह जोड़ा है कि वक्फ वही क्रिएट कर सकता है, जो मिनिमम पाँच साल इस्लाम को प्रैक्टिस करता है। हमने बहुत साफ-साफ शब्दों में यह प्रावधान रखा है।

सर, जो वक्फ बोर्ड्स बने हैं, हम उसको बहुत ही सेक्युलर इनक्लूसिव बनाना चाहते हैं। आपके पुराने प्रावधान को हटा कर अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरा भी रहेंगे, आगाखानी भी रहेंगे। मुसलमानों में जो पिछड़े लोग हैं, वे भी रहेंगे और साथ में महिलाएं भी रहेंगी। इसके साथ ही एक्सपर्ट नॉन-मुस्लिम रहने का भी प्रावधान रखा गया है। इसका सभी को स्वागत करना चाहिए, इस पर किसी की आपत्ति करने की कोई ज़रूरत नहीं है।

सर, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसका विस्तार कर के बताना चाहता हूँ। मैं अपना ही खुद का उदाहरण देता हूँ कि मान लो कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन मैं माइनोरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हूँ। सेंट्रल वक्फ काउंसिल का चेयरमैन होता है, तो मेरे होने के बावजूद उसके बाद टोटल चार नॉन-मुस्लिम मेंबर्स वक्फ काउंसिल में मेंबर हो सकते हैं और उसमें मैक्सिमम चार नॉन-मुस्लिम के साथ में दो महिलाएं कंपलसरी हैं, यानी दो महिलाएं होनी ही चाहिए। ? (व्यवधान) अभी आप पूरा वक्फ बोर्ड देख लीजिए, उसमें महिला कहां है? ? (व्यवधान) महिला को कभी रखा ही नहीं गया है, वे सिर्फ बातें करते हैं। ? (व्यवधान)

सर, मैं स्पेसिफिक बताना चाहता हूँ कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में टोटल 22 मेंबर्स में से चार नॉन-मुस्लिम से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। एक्स-ऑफिशियो के पद को मिला कर के तीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी भी धर्म का हो सकता है। जब इलेक्शन होते हैं तो किसी भी धर्म के एमपी या एमएलए बन सकते हैं। सर, दस मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से होंगे, दो फॉर्मर जजिस होंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ओर एक एडवोकेट ऑफ नेशनल एमिनेंस मेंबर रहेंगे। There will be four persons of national eminence from various fields. कई कमिटियों ने इसकी सिफारिश की है और एडिशनल सैक्रेट्री या जॉइंट सैक्रट्री टू द गवर्मेंट ऑफ इंडिया उसमें रहेंगे। दस मुस्लिम सदस्यों में से दो महिलाएं अनिवार्य हैं, यह प्रावधान हमने रखा है। इसी तरह से स्टेट बोर्ड में आउट ऑफ 11 मेंबर्स में 3 से ज्यादा नॉन-मुस्लिम नहीं हो सकते हैं, एक्स-ऑफिशियो को मिला कर के एक चेयरपर्सन, एक एमपी, एक एमएलए, four members from Muslim community, two members with professional experience, one member of Bar Council, and a Joint Secretary to the State Government dealing with waqf matters. Out of four Muslim members, two shall be women. यह हमने रखा है, ताकि महिलाओं को किसी तरीके से दरकिनार नहीं किया जा सके।

सर, हमने जो नया प्रावधान रखा है, उसमें जितने भी आर्बिट्रेरी प्रोविजंस हैं, जो ज़रूरी नहीं थे, उनको हमने सामान्य रूप से, देश में और जितने कानून हैं, उनको मिलाते हुए मुख्य रूप से ट्रांसपेरेंसी इन वक्फ मैनेजमेंट, सर्वे को अपडेट करने के लिए, जो पहले इनसफिशिएंट प्रोविज़न था, इसमें वक्फ लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह में महिलाओं का इनहैरिटेंस राइट्स, बच्चों का राइट, और साथ में कई हज़ारों केसिज़ ट्राइबल और कोर्ट्स में पेंडिंग हैं। उनको सैटल करने के लिए, आज लगभग 10 हज़ार से भी ज्यादा केसेज़, जो पेंडिंग थे और कुछ सालों के अंदर 13 से 30 हज़ार केसेज़ पेंडिंग हो चुके हैं, उनको सरलता से सुलह करने के लिए हमने रास्ता खोजा है।

एक चीज़ बार-बार आप लोग कहते हैं, हमारे पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के लोग हों या जो सदन से बाहर हैं, वे एक वक्तव्य देते रहते हैं, मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। वे कहते हैं कि हमारे देश में वक्फ बोर्ड के पास थर्ड लार्जेस्ट लैंड

बैंक है। पहला इंडियन रेलवे है, फिर डिफेंस है और उसके बाद कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। इसको मैं सुधारना चाहता हूं।

सर, आप भी ट्रेन से चलते हैं और हम लोग भी ट्रेन से चलते हैं। हजारों किलोमीटर तक ट्रेन की पटरी लगी हुई है और स्टेशन बना है। ट्रेन की जो पटरी लगी है, वह रेलवे की प्रॉपर्टी थोड़े ही है, यह तो देश की प्रॉपर्टी है। हम सभी उसमें चलते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि रेलवे के पास इतनी जमीन है और वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है। ये सब देश की प्रॉपर्टीज हैं। हमारे डिफेंस के बारे में लोग कहते हैं कि उसके पास सेकेंड लार्जेस्ट जमीन है। डिफेंस के पास जो भी लैंड है, जहां हमारे सैनिक ट्रेनिंग करते हैं, जहां वे रहते हैं, बॉर्डर एरियाज में जितने भी डिफेंस मैन हैं, वे देश की रक्षा के लिए हैं। उनकी आप प्रॉपर्टी के साथ कैसे तुलना कर सकते हैं? वक्फ प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है।

दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिन्दुस्तान में है। सिर्फ हमारे देश की ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज हिन्दुस्तान में हैं। आप साठ साल तक सरकार में रहे हैं। हमारे देश के मुसलमान इतने गरीब क्यों हैं? जब दुनिया की सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है तो हमारे गरीब मुसलमानों की पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जेनरेशन के लिए आज तक क्यों काम नहीं हुआ, यह आप बताइए? अगर दुनिया की सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिन्दुस्तान में है और उस प्रॉपर्टी से गरीबों के उत्थान और लोगों की भलाई के लिए नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार मुसलमानों के लिए काम कर रही है तो इसमें क्यों आपत्ति होनी चाहिए, यह आप बताइए?

सर, इसमें धर्म एवं जाति से बाहर आकर आप अपने दिल से सीधे पूछकर और सोच कर देखिए। जो लोग भी आज इस बिल का विरोध कर रहे हैं, आज एक-दो साल नहीं, बल्कि सदियों तक हमारा देश उसको याद रखेगा कि कौन इस बिल का समर्थन कर रहा है और कौन इस बिल का विरोध कर रहा है।

चंद वोट्स के लिए, सत्ता के लिए हमारे मुसलमानों को आपने 70 सालों से ज्यादा समय तक वोट बैंक बनाकर उनको गुमराह किया है। आप उनको और कितना गुमराह करना चाहते हैं? अब हमारे देश में वोट बैंक की राजनीति नहीं चलेगी। इसलिए, मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारे देश में इतनी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, तो इसको बेकार में पड़े रहने नहीं दिया जा सकता है। गरीब मुसलमानों के लिए, आम मुसलमानों के लिए इसको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उसके लिए आज इस वक्फ संशोधन बिल की जरुरत है।

हमने अपने मंत्रालय के वामसी पोर्टल का रिकॉर्ड देखा है। वर्ष 2006 में आपने ही सच्चर कमेटी बनायी थी। उन्होंने भी इस बारे में काफी डिटेल में जिक्र किया है। वर्ष 2006 में 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज थीं और उसकी इनकम कितनी थी, अगर आप कहें तो मैं इसे बता देता हूं। 4.9 वक्फ प्रॉपर्टीज में टोटल इनकम 163 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2013 में इसमें बदलाव करने के बाद आज इनकम कितना बढ़ा है, यह भी मैं बता देता हूं। आज इनकम 166 करोड़

रुपये हो गया। सिर्फ तीन करोड़ रुपये बढ़ी है। हम लोग इस महान सदन में बैठ कर इसे कैसे मंजूर कर सकते हैं? अगर 10 सालों के बाद भी दुनिया की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी की टोटल इनकम जेनरेशन 3 करोड़ रुपये बढ़ती है तो इसे हम कभी भी मंजूर नहीं कर सकते हैं। उस समय कहा गया था, मैं आज का ही नहीं बता रहा हूं, सच्चर कमेटी के समय भी कहा गया था कि अगर थोड़ा सा भी एफिसिएन्ट्ली मैनेज करते तो 12 हजार करोड़ रुपये प्रति साल उस समय जेनरेट हो जाना चाहिए था। अगर वक्फ प्रॉपर्टीज से 12 हजार करोड़ रुपये रेवेन्यू जेनरेशन होता तो लाखों-करोड़ों मुसलमानों को फायदा होगा, यह आप सोच कर देखिए।

सर, मैं अनुरोध करता हूं कि अगर आप लोग भी वक्फ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग हमारे वामसी पोर्टल पर क्लिक करके देखिए। आज 4.9 लाख से बढ़ कर हमारे देश में टोटल वक्फ प्रॉपर्टीज 8.72 लाख हो गयी है।

आप कल्पना कीजिए कि 8.72 लाख प्रॉपर्टीज़ वक्फ की हैं, उनका अगर हम सही तरीके से मैनेजमेंट करते, तो मुसलमानों की ही नहीं, देश की भी तकदीर बदल जाएगी, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है। आप इस चीज को समझिए।? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैंने कई राज्यों का दौरा किया। मैं एक एग्जाम्पल आपको जरूर देना चाहूंगा। मैं बहुत इम्प्रेस हो गया, जब मैं पिछली बार जम्मू-कश्मीर गया। जम्मू-कश्मीर में वक्फ बोर्ड की नई चेयरपर्सन बनी। मैंने पूछा कि जब आप वक्फ बोर्ड की चेयरमैन बनी तो उस समय क्या हालत थी और आज क्या हालत है? उन्होंने बोला कि जब मैंने पद भार संभाला तो उस समय इनकम की व्यवस्था या रिकार्ड कुछ भी नहीं था। इसमें आने के बाद 40 करोड़ रुपये रेवेन्यू इनकम उन्होंने जेनरेट करना शुरू किया। मुझे उन्होंने यह बताया। इसकी वजह से वहां काफी अच्छा काम हो रहा है। मैं हजरत बल श्राइन गया। वहां अभी मरम्मत चल रही है। यह बहुत पुराना श्राइन है। यहां दुनिया भर से लोग आते हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से उसके आसपास की जगह के ब्यूटीफिकेशन का काम भी चल रहा है। अगर अच्छा काम करेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा तो सबका फायदा होगा। आप लोग आज बिल का समर्थन करने के बाद मेरे ऑफिस में आइए। एक साल के अंदर इसका ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट क्या होगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा।

सर, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाए हैं, उसमें जेपीसी की कई रिकमेंडेशन्स हैं, जिनका हमने समर्थन किया है, एक्सेप्ट किया है और इस बिल में लाए हैं। यह बोलना कि जेपीसी कमेटी की बात को माना ही नहीं है, कमेटी की बात नहीं सुनी गई, वह गलत बात है। पार्लियामेंट्री कमेटी जब बनती है तो उसकी अपनी एक सैंक्टिटी होती है। उस कमेटी में खुली बहस हुई। मैं उसमें अंदर नहीं जाना चाहता कि वहां क्या हुआ। उनके बीच में कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें सरकार समझती है कि इसमें बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। हमने उनको माना भी है। कुछ छोटे अमेंडमेंट्स हैं, जो बहुत जरूरी हैं और हम उन अमेंडमेंट्स को लेकर आए हैं। इस सारी व्यवस्था को देखने के बाद सबके मन में उम्मीद जागेगी। यह उम्मीद इसलिए जागेगी कि एक नया सवेरा आने वाला है। इसलिए नए एक्ट का नाम भी ?उम्मीद? हो गया है। ?

उम्मीद? नाम क्यों हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं। यूनीफाइड वक्फ मैनेजमेंट इम्पॉवरमेंट एफीशिएंसी एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म ?उम्मीद? है। इसको रखने के पीछे कारण है कि यह उम्मीद क्यों है? यूनीफाइड वक्फ मैनेजमेंट, रजिस्ट्रेशन से लेकर म्यूटेशन, एनक्रोचमेंट का विषय, सर्वे, कलेक्टर का रोल, सारे विषयों को मिलाकर मैनेजमेंट के पूरे सिस्टम को ही बदलने के लिए हमने काम शुरू किया है।

इससे कैसे इम्पॉवरमेंट होने वाला है? मैंने पहले भी जिक्र किया, मुसलमानों में भी जो शियाज़ हैं, सुन्नीज़ हैं, बोहराज़ हैं, आगाखानीज़, पसमांदा मुस्लिम्स हैं, जिनको बैकवर्ड माना जाता है, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए हमने जो प्रावधान रखे हैं, उसका मुसलमान कम्युनिटी के अन्दर बहुत जोरदार स्वागत हो रहा है। यहां कुछ मेम्बर्स विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन कुछ मेम्बर्स को मैं अपने घर में न्यौता देना चाहता हूं। जो मुस्लिम डेलीगेशन्स मेरे घर में आ रहे हैं, इस बिल का स्वागत कर रहे हैं, आप उसका भी नजारा देख लीजिए। आपकी सोच बदल जाएगी। आपको नहीं मालूम है कि मुसलमान लोग इस बिल को लेकर कितना भयंकर समर्थन कर रहे हैं। आप लोगों को यह मालूम ही नहीं है।? (व्यवधान) गरीब मुसलमानों का संदेश बार-बार आ रहा है कि इस बिल को जल्दी पास कीजिए। ? (व्यवधान) इसलिए आप लोग संदेह में मत रहिए। हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए एफीशिएंसी को बढ़ाने का काम किया है। सेंट्रलाइज्ड डेटा बेस होगा, डिजिटल पोर्टल होगा, कोई छिपकर, अंधेरी रातों में वक्फ क्रिएट नहीं कर सकता है। इसके पूरे रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है।

ट्रैकिंग होगा, निगरानी रखी जाएगी, कम्पलाएंस का भी प्रावधान है। मैन्युअल हाथों से जो गलत होगा, उसका भी करैक्शन का प्रावधान है। ब्यूरोक्रेटिक डील होती है, उसका भी समाधान इस बिल में बनाकर रखा हुआ है। आखिर में, इसका प्रॉपर आडिट होना चाहिए। ऑडिट का प्रावधान हम लोग राज्य सरकार के ऊपर छोड़ रहे हैं क्योंकि आखिर में सारी प्रॉपर्टीज की अथॉरिटी राज्य सरकार के है। बोर्ड का अप्वाइंटमेंट भी राज्य सरकार को करना है, केन्द्र सरकार का कोई रोल नहीं है, लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, सारा कुछ राज्य सरकार को ही करना है इसलिए राज्य सरकारों को फुल अथॉरिटी देने के साथ-साथ हमारा मंत्रालय ऑनलाइन हमेशा जुड़ा रहेगा। जो भी वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट की गई है, उसका स्टेट्स वामसी पोर्टल से मिलाकर लगातार टच में रहेंगे, यह नहीं सोचना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्सट्रा पॉवर हड़पने जा रही है, ऐसा बिल्कुल सोचना नहीं है। यह टोटली स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है, राज्य सरकार की निगरानी में ही आगे काम करना है।

जिस परपस के लिए वक्फ क्रिएट किया जाता है, बेसिकली तीन परपस होते हैं, रिलीजियस, चैरिटेबल एंड पायस। उसका उद्देश्य पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इनकम जनरेशन से खासकर वेलफेयर हो रहा है या नहीं। इसका भी इफेक्टिव गवर्नेंस का प्रावधान हमने रखा हुआ है। हम जो रिफार्म्स लाए हैं, कुछ बदलाव के बारे में हमने शर्ट में आपको बताया, क्योंकि मैं रिप्लाई डिटेल में दूंगा। इनकम जनरेशन करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टी के बेहतर इस्तेमाल

करने के लिए क्या करना चाहिए, जब सर्बोडिनेट लेजिस्लेशन के माध्यम से रूल बनाएंगे तो हम आपके सुझाव का खुल दिल से स्वागत करेंगे। आखिर यह प्रॉपर्टी देश की है। उसको अगर अच्छा से चलाना है, आप सुझाव देंगे तो हम उसका वेलकम करेंगे। आज मैं मेंबरों के साथ-साथ, कई दरगाह, मस्जिदों के कई इमाम मुझसे मिले और उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। उसके बारे में मैं डिटेल में यहां कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन हमने रिकार्ड में रखे हैं। कई अच्छे-अच्छे सुझाव हमारे पास आये हैं, उसको हमने नोट करके रखा है।

एक इम्पॉर्टेंट पाइंट को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हम डेफिनेशन में बदलाव लाये हैं। इसका मतलब यह है कि मुसलमानों में भी जो वक्फ के अंदर में अपनी प्रॉपर्टी इस वक्फ बोर्ड के प्रावधान से गवर्न करना चाहते हैं, उनका मोस्ट वेलकम है। अगर वह ट्रस्ट के माध्यम से अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को चलाना चाहता है, मैनेज करना चाहते हैं, उसके लिए भी छूट दी गई है।

आप लोग कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में गैर-मुसलमान कैसे आ रहा है। इसका मैं एक छोटा एग्जाम्ल देना चाहता हूं। अभी हम लोग किसी धर्म, किसी जाति के हिसाब से एमपी नहीं बने हैं। एज ए सिटीजन होकर एमपी बने हैं। अगर मेरी कस्टीट्यूएंसी वाले कहेंगे कि किरेन रिजीजू मेरे यहां नहीं आ सकता है, हमारा धर्म और तुम्हारा धर्म अलग है तो कैसे होगा। मेंबर के रूप में मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं जा सकता हूं। ट्रस्ट को चैरिटी कमिशनर चलाता है, ट्रस्ट वाला कैसे कहेगा कि चैरिटी कमिशनर इस जाति का ही होना चाहिए। चैरिटी कमिशनर गवर्नेंस को संभालने के लिए है। आप कैसे कह सकते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी को देखने के लिए गैर-मुसलमान नहीं हो सकते हैं। इस तर्क को आप गहराई से सोचिए, यह बार-बार कहा गया है कि मुस्लिम का अफेयर्स में नॉन-मुस्लिम क्यों आ रहा है। इसका धार्मिक व्यवस्था से कोई लेना-देना नहीं है। यह वक्फ प्रॉपर्टी है, आप लोग इसको समझिएगा। वर्ष 2013 के बाद कुछ बदलाव किए हैं, वक्फ वाई यूजर्स में कुछ लोगों ने शंकाएं व्यक्त की है। वक्फ वाई यूजर्स हटाने के बाद अब सरकार मस्जिद छीन लेंगी, दरगाह छीन लेंगी, मुसलमानों की प्रॉपर्टी छीन लेंगी।

13.00 hrs

वे ऐसा बोलते हैं, मैंने ऐसा सुना है। इस तरह की बातें कई जगहों पर बोली गई हैं। मैं इसमें साफ-साफ यह कहना चाहता हूं, हम सभी लोग किसी न किसी राज्य से आते हैं। We all belong to each and every part of our country. We are together. We may belong to different States and Union Territories. We all are Indians. हमने राज्य सरकार को यह अथॉरिटी कैसे दी है? हम लोगों ने वक्फ बाई यूजर को हटाने के बाद यह प्रावधान सुनिश्चित किया है, राज्य सरकार को ऑथराइज्ड किया है कि जो संपत्ति रजिस्टर्ड हो चुकी है, जहां आप नमाज पढ़ते हैं, अगर वह रजिस्टर्ड है, उसके दस्तावेज हैं, तो उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यह कानून प्रॉसपेक्टिव

है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। आप लोग बहुत ही क्लीयरली सुन लीजिए। यह कानून किसी की जमीन छीनने वाला नहीं है। यह कानून किसी का हक के हनन और उसकी संपत्ति को हड़प करने वाला नहीं है।

राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि जो संपत्ति ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उनमें तो कोई विवाद नहीं है, लेकिन जो विवादित है, जो कोर्ट में लंबित हैं, हम यहां पर कानून बनाकर उसको कैसे हटा सकते हैं? हम कोर्ट की शक्ति को नहीं ले सकते हैं। इसीलिए ये लोग माइक पर बार-बार बोलते हैं। अगर 100 बार भी झूठ बोलेंगे, तो भी कुछ नहीं होने वाला है। जब नागरिकता (संशोधन) विधेयक लाया गया था, ये वही लोग हैं, जिन्होंने कहा था कि जब नागरिकता (संशोधन) विधेयक पास होकर एक्ट बन जाएगा, तो मुसलमानों का हक छिन जाएगा, उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी।

आज सीएए लागू हो गया है। आप बताइए कि क्या किसी मुसलमान का अधिकार छीना गया है? क्या किसी मुसलमान की नागरिकता छीनी गई है? आप बताइए। क्या आप माफी मांगेंगे? आपने देश भर में घूम-घूमकर झूठी बातें फैलाई हैं। आज यह साबित हो गया है कि आपने झूठ बोला था, लेकिन आज आप माफी मांगने की हिम्मत नहीं रखते हैं। आप लोग जिगर थामकर सुनिए। आप आज दोबारा मिसलीड करेंगे, गलत बातें करेंगे, तो फिर आपको मुंह की खानी पड़ेगी। फिर हम कोई दूसरा बिल लेकर आएंगे, फिर से मैं आपका पर्दाफाश करूंगा। इसीलिए आप तर्क में जाइए, प्वाइंट में जाइए।

अध्यक्ष महोदय, एक परिवार में पुरुष और महिला सभी होते हैं। इसमें हमने एक सिंपल सा प्रावधान रखा है कि जब कोई भी मुसलमान वक्फ क्रिएट करता है, तो सबसे पहले उस परिवार की महिला का जो अधिकार है, उसको सुरक्षित करके ही आप वक्फ क्रिएट कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि वक्फ क्रिएट कर दिया गया, लेकिन आपके बच्चों का अधिकार खत्म हो गया, महिलाओं का अधिकार खत्म हो गया। अब आप उसी प्रॉपर्टी को वक्फ क्रिएट कर सकते हैं, जिसके आप हकदार हैं, जिसमें आपका 100 प्रतिशत हिस्सा है। आप उसी संपत्ति को ही वक्फ क्रिएट कर सकते हैं। कोई बच्चों और महिलाओं का अधिकार नहीं छीन सकता है। यह बहुत बड़ा रिफॉर्म है। अगर मुसलमान चाहते हैं कि महिलाएं आगे न बढ़ें, तो ये लोग उसका विरोध करेंगे, लेकिन जो थोड़ा प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, अगर आप थोड़ा बारीकी से सोचेंगे, तो यह कितनी गलत बात है कि ये समाज में महिलाओं को दबाने का काम करते हैं और यहां पर जोर-जोर से बोलते हैं।

अध्यक्ष महोदय, सारा मैनेजमेंट या जो सरकार या प्राइवेट जमीन है, इन्होंने कमेटी के माध्यम से सुझाव दिया है कि हर चीज के लिए कलेक्टर क्यों ऑथराइज्ड किया गया है। हमने कमेटी की बात को माना है। कलेक्टर रैंक से ऊपर का जो अधिकारी होगा, वह यह देखेगा कि सरकारी जमीन और वक्फ बोर्ड के साथ कोई विवाद है या किसी

मुतवल्ली के साथ कोई विवाद है, तो उसकी जांच कलेक्टर रैंक से ऊपर का अधिकारी करेगा। कमेटी ने यह सुझाव दिया था। आज उस सुझाव को मानकर, इस विधेयक को सदन में पेश किया जा रहा है।

महोदय, हम एक महत्वपूर्ण संशोधन लेकर आए हैं। मैं यह मानता हूं कि कोई इसका विरोध नहीं करेगा। यह शुरू में छूट गया था, मैं खुले दिल से यह कहना चाहता हूं, लेकिन हम बहुत सोच-समझकर इस प्रावधान को लेकर आए हैं। जब आप वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ट्राइबल एरिया में जाकर आदिवासियों की जमीन को वक्फ क्रिएट कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए।

हमारे देश के आदिवासियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में आप वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। मैं आपको वक्फ ट्रिब्यूनल के बारे में बताऊंगा। ? (व्यवधान) अभी फ्लोर खुलने वाला है और मैं आपके हाथ में फ्लोर छोड़ने वाला हूं। आप मेरा पॉइंट ध्यान से सुन लीजिए। जो ट्रिब्यूनल है, उसमें हमने दो मेंबर्स का प्रस्ताव रखा था, लेकिन कमेटी ने कहा कि दो मेंबर्स ठीक नहीं है, इसमें तीन मेंबर्स होने चाहिए तो यह प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। वक्फ ट्रिब्यूनल में तीन मेंबर्स फिक्स टेन्योर के साथ होंगे। आज टोटल लिटिगेशन के 14,417 केसेज़ हैं। आप सोचकर देखिए। ट्रिब्यूनल में जल्दी-जल्दी केसेज़ डिस्पोज हों, इसलिए तीन मेंबर्स का ट्रिब्यूनल बनाया गया है और उसके बाद उसके टेन्योर को फिक्स किया गया है। पहले एक बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजन था और ऑटोमैटिक अपील करने का राइट नहीं था, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के बाद स्पेशल रिव्यू पिटीशन ही कर सकते थे। आज हमने अच्छी सोच के साथ, खुले मन से यह कहा है कि अगर आप वक्फ बोर्ड के निर्णय से खुश नहीं है, वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णय से खुश नहीं है तो आप अदालत जा सकते हैं। हमने यह रास्ता भी खोल दिया है।

सर, उसके बाद एनुअल कंट्रीब्यूशन का कमेटी वालों का सुझाव था कि जो कंट्रीब्यूशन मुतवल्ली देते हैं, उसको घटाना चाहिए। उसको 7 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दिया है, ताकि आप चैरिटेबल परपज़ के लिए ज्यादा पैसा खर्च कर सकें। जो अच्छी प्रॉपर्टी मैनेज करते हैं, वह तो सरकार को शाबाशी देंगे। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान हमको रखना पड़ा। आपने लॉ ऑफ लिमिटेशन को इस वक्फ बोर्ड के प्रावधान से हटा दिया था। हमने इसको लगाया है। The Limitation Act of 1963 will now apply to the waqf property claims from the date of commencement of this Act, aiming to reduce prolonged litigation. मैं मानता हूं कि यह एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। सबसे ड्रेकोनियन प्रोविजन इस एक्ट में था तो सेक्शन 40 था। आप लोग बार-बार कहते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन सेक्शन 40 में ऐसा ही है। आप किसी भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देते थे। उस प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया है। किसी भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके, फिर किसी गरीब के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करना होता था। कुछ चंद लोग अपने के लिए और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। ? (व्यवधान) मैं तो नाम नहीं लूंगा। इस प्रावधान का मिसयूज़ हुआ, जिससे लाखों प्रॉपर्टीज की संख्या बढ़ गई। किसी प्रॉपर्टी को आप

कैसे क्लेम कर सकते हैं? इसलिए इस सेक्शन 40 की वजह से कई मुद्दे इस देश में आए हैं। आज पूरे देश की क्रिश्चियन कम्युनिटी, कैथलिक चर्च काउंसिल के लोग, भारत चर्च के लोग, केरल में हों या देश भर में आज पुकार-पुकारकर क्यों कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल जल्दी पारित होना चाहिए। यह इसलिए है कि इस सेक्शन 40 का मिसयूज होता था। केरल के एमपी, तमिलनाडु के एमपी सोचिए कि अगर आपने गलती से इस बिल का विरोध कर दिया तो बाहर क्या विरोध झेलना पड़ेगा? आप अभी से कल्पना कीजिए। मैंने पिछली बार भी बताया था। मैंने आपको सुंदरेश्वर टेम्पल के बारे में बताया था। जब बाकी कोई धर्म ही नहीं था, तब सुंदरेश्वर टेम्पल तिरुचेंथुरई विलेज, तमिलनाडु में था। उसके वक्फ डिक्लेयर करने के बाद कर्नाटक में तो हजारों एकड़ जमीन का इश्यू है। हरियाणा में जठलाना विलेज, यमुनानगर में सिख गुरुद्वारे की जमीन पर कभी मस्जिद नहीं थी, वहां मुस्लिम के सेटलमेंट का रिकॉर्ड नहीं था, उसको भी वक्फ डिक्लेयर कर दिया था।

उसी प्रकार से केरल का मुनंबम का जो इश्यू है, उसे सब जानते ही हैं कि 6 सौ क्रिश्चियन फैमिलीज की जमीन को वक्फ बोर्ड ने वक्फ डिक्लेयर कर दिया। आगे जाने का रास्ता भी बंद कर दिया था। ? (व्यवधान) अगर हम यह बिल पारित कर देंगे, तो उन गरीब, किसानों को अपनी जमीनें वापस मिल जाएंगी। ऐसी चीजों में आप लोगों को समर्थन करना चाहिए। ? (व्यवधान) मैं तो मानता हूं कि अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी जिद करके राजनीतिकरण पर अड़े हुए हैं। आप मुश्किल में फंसने वाले हैं, विशेषकर हमारे कांग्रेस दल के लोगों को मैं कहना चाहता हूं। ? (व्यवधान) हमारे जो बाकी साथी दल हैं, वे कांग्रेस के झांसे में न आएं। ये लोग आपको भी डुबो देंगे। इस बिल का विरोध करके इनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आप सभी यह ध्यान से सुन लें। ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अंत में, चूंकि मैंने कहा है कि मैं सबसे अंत में जवाब दूंगा, अत: हम आगे इस पार्लियामेंट को भी वक्फ डिक्लेयर न कर दें, हम लोग आराम से भविष्य के लिए और अच्छा काम करें। मैंने पॉजिटिव वे में अपनी बात को रखा है। अंत में, मैं इस लाइन के साथ अपील करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। ? (व्यवधान) देखिए मैं कितनी हिम्मत के साथ बोल रहा हूं-

??मेरी हिम्मत को तो सराहो, मेरे हमराही बनो।
मैंने एक शमा जलाई है हवाओं के खिलाफ॥??

आप सभी लोग इस बिल का समर्थन करें, ? (व्यवधान) सदन में बैठे हमारे वरिष्ठ नेता मुझे सुन रहे हैं, इसके लिए मैं अपने-आप को बहुत भाग्यवान मानता हूं, मैं भाग्यशाली हूं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे जैसे एक साधारण सदस्य को इतने पुण्य का कार्य करने का मौका दिया है, इस बिल को यहां रखने का मौका दिया है, करोड़ों-करोड़ गरीब मुसलमान दुआएं देने वाले हैं। उन दुआओं में मैं अकेला क्यों रहूं, आपको भी ये दुआएं लेनी चाहिए। अत: मेरा अनुरोध है कि आप भी इस बिल का समर्थन करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

?कि वक्फ अधिनियम, 1995 का और संशोधन करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित, पर विचार किया जाए ।?

?कि मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

और

?कि विधेयक पर राय जानने के लिए 21 जुलाई, 2025 तक के लिए परिचालित किया जाए ।? (108)

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री गौरव गोगोई जी ।

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । जब आदरणीय मंत्री महोदय बोल रहे थे, आपने विपक्ष से किसी को भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने का अवसर नहीं दिया । मंत्री महोदय ने बिना किसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के अपनी बात रखी । वही संरक्षण आप मुझे दें । मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूं । मंत्री महोदय ने अपनी पूरी बात रखी, आपने उनको कुछ नहीं कहा । उन्होंने राजनीतिक आरोप लगाए, उन्होंने हाउस को मिसलीड किया, आपने सुना ।

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट गौरव जी, आप सदन पर हमेशा यह आरोप कैसे लगा सकते हैं कि आपने उनको कुछ नहीं कहा? आप सभी पहले बैठिए । मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इस सदन में संसदीय व्यवस्था के अनुसार सबको समय आवंटित होता है । आवंटित दल का माननीय सदस्य अपनी बात रख सकता है । जब मैंने व्यवस्था दे दी कि जब कोई माननीय सदस्य बोलेगा, तो बीच में आज शून्य-काल, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, तो नहीं दिया जाएगा ।

माननीय गौरव गोगोई जी ।

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : अध्यक्ष महोदय, देखिए वे शुरू हो गए । आप अनुमति दे रहे हैं । ? (व्यवधान) क्या आपने हमें अनुमति दी?

माननीय अध्यक्ष : आप कृपया एक मिनट बैठिए ।

? (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ? (व्यवधान) हम शांति से सुन रहे हैं । ? (व्यवधान)

आप कृपया सुनें । ? (व्यवधान) अपना भाषण देने से पहले इन्होंने बोला कि मैंने मिसलीड किया । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी कृपया एक मिनट बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी कृपया एक मिनट बैठ जाइए। मैंने माननीय मंत्री जी को आपके भाषण के बीच टोकने के लिए अलाऊ नहीं किया है। आपने तो भाषण शुरू ही नहीं किया था।

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : अध्यक्ष महोदय, मैंने भाषण शुरू कर दिया था।

माननीय अध्यक्ष : नहीं, आप भाषण शुरू करने वाले थे, वे दूसरे विषय पर अपनी बात रखना चाह रहे हैं। वे आपके भाषण को नहीं काट रहे हैं। वे अपनी बात किसी दूसरे विषय पर रखना चाहते हैं।

? (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : अध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम लोग शांति से बैठकर इनकी बात सुनेंगे। चर्चा का पूरा समय तय हो चुका है। हम सबकी बातों को नोट भी करेंगे और सबकी बात भी सुनेंगे। मेरा सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि जैसे माननीय सदस्य कहेंगे कि मैंने मिसलीड किया तो मैंने कौन से पॉइंट पर मिसलीड किया, उसे भी आप बता दें। ऐसे ही आरोप न लगाएं। मेरा बस इतना ही कहना है। आप तर्क बताइएगा कि कहां पर मिसलीड किया गया, क्योंकि मुझे जवाब देना है। ? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने वर्ष 2013 में यूपीए गवर्नमेंट के संदर्भ में जो कहा, वह पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, झूठ है। हम डिमांड करते हैं कि वे उसे ऑथेंटिकेट करें। इसीलिए बार-बार इन्होंने आरोप लगाए, बार-बार इन्होंने भ्रम फैलाया और इसीलिए हम भी अपनी बात रखेंगे। कृपया आप भी सुनने का धैर्य रखिए।

अध्यक्ष महोदय, मेरा भी सौभाग्य है कि पिछले सदन में मैंने अयोध्या राम मंदिर पर अपनी पार्टी का पक्ष रखा था और आज वक्फ संशोधन, 2025 पर अपने दल का और विपक्ष की तरफ से अपना पक्ष रख रहा हूँ। अयोध्या राम मंदिर में भी और आज के वक्फ संशोधन में भी मेरा एक ही मार्गदर्शक है और वह ?भारत का संविधान? है।

?भारत का संविधान?, जो कहता है कि हमारे भारत में हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है और साथ-साथ में यह कहता है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता इसमें निहित है।

यह बिल, इस संविधान का, जो मूल ढांचा है, उस पर आक्रमण करता है और इनका पूरा भाषण हमारे संविधान के मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक तरह का आक्रमण था। आज इस सरकार के, इस बिल के द्वारा चार मूल उद्देश्य हैं। पहला मूल उद्देश्य संविधान को कमजोर करने का है to dilute the Constitution. इनका दूसरा उद्देश्य भ्रम फैलाना है to defame the minority communities of India. इनका तीसरा उद्देश्य to divide the Indian society का है। हमेशा हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, यह इनका उद्देश्य है।

इन तीनों उद्देश्यों, dilute, defame, divide के बाद इनका चौथा उद्देश्य यह है कि to disenfranchise the minority communities.

आज ये माइनोरिटी कम्यूनिटीज़ के प्रति अपनी संवेदना जता रहे हैं। सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों पर लोगों ने ईद की एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं और क्या आपको पता है कि कहां-कहां पर इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पर ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दी? क्या ये बात करेंगे?

आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि लोक सभा में आपके कितने अल्पसंख्यक एमपीज़ हैं? आप पहले उसका विवरण दीजिए और फिर हमें बताइए कि आपके दिल में कितनी संवेदना है?

सर, जिस दिन यह बिल इंट्रोड्यूस हुआ, उस दिन भी मैंने आदरणीय मंत्री जी को सुना और आज भी मैंने उनको सुना। जिस दिन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उस दिन भी अगर आप उनका स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा था कि इस बिल को लाने से पहले बहुत विस्तार रूप से इस बिल को लाने के लिए चर्चा हुई है।

सर, यह पूरा का पूरा मिसलीड करना है। वर्ष 2023 में, चूँकि सरकार वर्ष 2024 में आई। ये वर्ष 2024 के बीच में इस बिल को लेकर आए। वर्ष 2023 में चार बार माइनोरिटी अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई।

यह मुंबई में 13 जुलाई, दिल्ली में 21 जुलाई, लखनऊ में 24 जुलाई और दिल्ली में 30 सितम्बर और 7 नवम्बर को दो बार हुई। मैं आदरणीय सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की जो ये पांच मीटिंग्स हुई, उनकी मिनट्स को टेबल पर रखें। एक भी मीटिंग में नया वक्फ अमेंडमेंट बिल चाहिए, उसका जिक्र भी नहीं हुआ था। इनके मिनट्स हमारे पास हैं। हमने ये देखें हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की जितनी बार मीटिंग्स हुई, सबमें ?वामसी पोर्टल? को लेकर विचार-विमर्श हुआ, लेकिन एक भी मीटिंग की मिनट में एक भी स्टेटमेंट नहीं है कि हमें एक नया वक्फ अमेंडमेंट बिल चाहिए।

मैं यही पूछना चाहता हूं कि अगर नवम्बर, 2023 तक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने यह वाजिब ही नहीं समझा कि एक नए बिल की जरूरत है। मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूं कि यह बिल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बनाया है या किसी और दूसरे विभाग ने बनाया है। यह बिल कहां से आया है?? (व्यवधान)

सर, ये बात करते हैं कि ये संविधान के पक्ष में हैं, लेकिन ये किस प्रकार से संविधान के विरोध में हैं, मैं यह बताना चाहता हूं। इसमें क्लॉजेज 3r(a) and 3r(i) हैं। क्लॉज 3r(a) कहता है कि any person showing or demonstrating that he is practising Islam.

सर, आज देश में अल्पसंख्यकों की ऐसी दशा हो गई है कि आज उन्हें सरकार को अपने धर्म का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यह कितनी दु:ख की बात है? भारत सनातन धर्म का एक देश है, जो सात हजार वर्ष पुराना है और इससे

भी पुराना यह देश है, जिसमें हर धर्म, संस्कृति और परंपरा का हम सम्मान करते हैं। आज हमें सरकार को यह सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम इस धर्म में विश्वास रखते हैं। क्या ये दूसरे धर्म के लोगों से इस प्रकार सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आपका पांच साल हुआ है या नहीं हुआ है। यह सिर्फ इसी बिल में क्यों है? ये संविधान के विरोध में नहीं हैं, ये आर्टिकल 26 के विरोध में नहीं हैं? सरकार धर्म के मामले में क्यों दखलअंदाजी कर रही है कि आप इस धर्म में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, आप पहले मुझे उसका सर्टिफिकेट दीजिए। ये किस प्रकार का न्याय कर रहे हैं? हम किस प्रकार का कानून बना रहे हैं?

सर, क्लॉज 3r(1) क्या कहता है? आज इन्होंने क्लॉज 3r(1) हटा ही दिया है। 3r(1) कहता है कि a waqf by user but such waqf shall not cease to be a waqf by reason only of the user having ceased irrespective of the period of such cesser.

सर, इसे हटाने की क्या जरूरत थी? वक्फ बाई यूजर और इसके बारे में बार-बार विभिन्न जजमेंट्स आए हैं। सर, मैं जजमेंट पढ़ना चाहूंगा - एम सिद्दीक - राम जन्मभूमि केस :-

Muslim law does not require an express declaration of a waqf in every case. The dedication resulting in a waqf may also be reasonably inferred from the facts and circumstances of a case or from the conduct of the wakif.

इनकी पूरी परंपरा को विभिन्न जजमेन्ट्स ने ताकत दी है और आज विभिन्न क्लॉजेज के द्वारा जजमेंट्स और माननीय हाई कोर्ट की ताकत को भी यह कमजोर कर रही है।

सर, वक्फ क्या है, पहले हमें यह भी समझना चाहिए।

Waqf means the permanent dedication by any person of any movable or immovable property for any purpose recognised by the Muslim law as pious, religious and charitable.

सर, आज ये कहना चाहते हैं कि जो पांच सालों से इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहें है, वे हीं इसमें आ सकते हैं। जो इनका क्लॉज 3r(a) है। आज इन्होंने सेक्शन 104 को हटाने के पक्ष में कहा है, लेकिन सेक्शन 104 यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति वक्फ कर सकता है।

यही तो हमारा सेक्युलर नेचर है कि कोई भी व्यक्ति वक्फ कर सकता है। एक व्यक्ति का जो अधिकार है, आप उस अधिकार को क्यों छीन रहे हैं? सिर्फ ऑप्टिक्स, इनको बाहर दिखाना है कि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इन्होंने क्या कहा? क्लॉज़ 9सी में कहते हैं कि हम दो महिलाओं का इन्कलूजन कर रहे हैं। यह तो पहले भी था, आप 1995 एक्ट पढ़ें तो यह पहले भी था। उसमें यह भी था कि दो से ज्यादा सदस्य महिला हो सकती थीं, इन्होंने तो दो पर ही कैप कर दिया। यह तो पहले से ही था। यह सिर्फ एक दिखावा है। ये क्लॉज़ 3 और 4 में जो विशेष रूप से विडो,

डिवोर्स वूमेन और ऑर्फन की बात करते हैं, लेकिन यह तो पहले भी था। क्लॉज़ 3आर में वेलफेयर का उल्लेख है, वेलफेयर एंड अदर परपजेस में विडो, डिवोर्स वूमेन एंड ऑर्फन पहले से ही थे। लेकिन इनको भ्रम फैलाना है कि वर्तमान एक्ट महिलाओं के खिलाफ है। इनको भ्रम फैलाना है कि वर्तमान में महिलाओं को कोई भूमिका नहीं मिल रही है। यही इनका काम है। कानून में पहले से ही ये सारे प्रावधान हैं, चाहे किसी विधवा का संरक्षण हो या महिलाओं को और समर्थन देना हो।

सर, ये रिफार्म की बात करते हैं। क्लॉज़ 33 में जो रेवेन्यू आना चाहिए, उसे घटा दिया। पहले सात परसेंट रेवेन्यू वक्फ बोर्ड के लिए आता था, इन्होंने पांच प्रतिशत कर दिया। इसे गिरा दिया। क्यों गिरा दिया? क्या आप नहीं चाहते कि वक्फ बोर्ड और अच्छे तरीके से चले? आप नहीं चाहते कि इसमें नई टेक्नोलॉजी आए? अगर कहीं खामियां हुई भी हैं, माना कि देश का कोई भी कानून परफेक्ट नहीं है, माना कि कई प्रदेशों में खामियां हैं, चाहे केरल में हो, आंध्र प्रदेश में हो, कर्नाटक में हो, दिल्ली में हो या पंजाब में हो। क्या आप नहीं चाहते कि यह ट्रिब्यूनल और अच्छी तरीके से चले? ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड और कमजोर हो और इसीलिए जो रेवेन्यू वाला क्लॉज़ है, सात प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया। मेरा सुझाव है कि इसे सात प्रतिशत से पांच प्रतिशत घटाने के बजाय सात प्रतिशत से 11 प्रतिशत करें, इस रेवेन्यू को इनक्रीज करें।

सर, आज ये बात करते हैं कि यह रिफॉर्म्स ला रहे हैं। आप सैक्शन 52ए, क्लॉज़ 26 पढ़िए।

Clause 26, section 52A says:-

?26. In section 52A of the principal Act,?

(a) in sub-section (1),?

(i) for the words ?rigorous imprisonment?, the word ?imprisonment? shall be substituted;?

सर, ये डाइल्यूट कर रहे हैं। पेरेंट एक्ट कहता था कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो। आप बार-बार यह कह रहे हैं कि फलाना हो रहा है, ढमकाना हो रहा है, तो आप इस क्लॉज़ को क्यों कमजोर कर रहे हैं? ये सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं, मंशा इनकी कहीं और है। मंशा के बारे में मैं एक टिप्पणी देना चाहूंगा कि आज एक विशेष समाज की जमीन पर इनकी नजर है, कल समाज के दूसरे अल्पसंख्यकों की जमीन पर इनकी नजर जाएगी। आज इस बिल सिर्फ के जरिए एक विशेष समुदाय की जमीन पर इनकी नजर है, कल दूसरे समुदायों की जमीन पर इनकी नजर जाएगी। इस बिल में संशोधन की जरूरत है। मैं नहीं कहता कि संशोधन की जरूरत नहीं है। मंत्री महोदय ने बार-बार इसका जिक्र किया है कि बिल का कितनी बार संशोधन हुआ। इसकी शुरुआत आप जहां से भी करें, वर्ष 1810, वर्ष 1817, वर्ष 1954, वर्ष 1984, वर्ष

1995, सच्चर कमेटी और रहमान कमेटी, 2003। संशोधन होना चाहिए, मैं नहीं कहता कि हम संशोधन के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन संशोधन इस प्रकार का हो जिससे बिल और ताकतवर बने।

सर, ये ऐसे संशोधन लाए हैं जिससे इस देश में और समस्याएं बढ़ेंगी, और मसले बढ़ेंगे, और लिटिगेशन्स होंगे। आप क्लॉज़ 40ए सैक्शन107 पढ़िए।

Sir, please refer to Section 107. It says:

?On and from the commencement of the Waqf (Amendment) Act, 2025, the Limitation Act, 1963 shall apply to any proceedings.?

आप जितनी बार भी इतिहास में जाएं, क्योंकि यह जो प्रक्रिया है, जब से हमारे देश में इस्लाम आया है, तब से यह प्रक्रिया चल रही है। बहुत से ऐसे कब्रिस्तान हैं, जहां पर कोई पेपर नहीं है, कोई कागज नहीं है, लेकिन जजमेंट हैं। जजमेंट इनके पक्ष में हैं। आज बार-बार हमने कहा है कि लिमिटेशन एक्ट को बढ़ाया जाए, क्योंकि यह प्रेक्टिकल एक समस्या है। आज यह नहीं चाहते, क्योंकि ये चाहते हैं कि देश के अलग-अलग कोने में यहां केस लगे, वहां केस लगे। हमारे यहां पर भाई-चारे का जो भी वातावरण है, उस भाई-चारे के वातावरण को ये तोड़ना चाहते हैं। यही इनका राजनीतिक उद्देश्य है।

सर, इन्होंने किस तरह से बोर्ड का डाइल्यूशन किया है? क्लॉज 44 कहता है कि यह जो सेक्शन 110 है, वह पूरे तरीके से हटा दिया है। सेक्शन 110 क्या है? Section 110 is about powers to make regulations by the Board. यह पूरा हटाना चाहते हैं। पैरेंट एक्ट में क्या लिखा है?

?The Board may, with the previous sanction of the State Government.?

मतलब राज्य सरकार की अनमुति के द्वारा बोर्ड्स कुछ नियम बना सकते हैं। ये उसे पूरा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्लॉजेज ?एफ? और ?जी? को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये राज्य सरकार की पावर कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्लॉज 43 पढ़िये। इसका सेक्शन 109, जिसमें क्लॉज 1ए और क्लॉज 4 ओमिट करता है। सेक्शन 109 क्या है? Section 109 is about the power of the State Government to make rules. आप इसमें भी कटौती करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लॉज 1(*ia*) क्या कहता है? Section109(*1*)(*ia*) says:

?Other particulars which the report of the Survey Commissioner may contain under clause *(f)?*?

इसमें स्टेट गवर्नमेंट सर्वे कमिश्नर के पक्ष में कुछ नियम बना सकता है। आप उस पावर को हटा रहे हैं। Clause 4 speaks about the manner of election of members of the Board by means of a single vote. आप इसे हटा रहे हैं। आप इलैक्शन की प्रक्रिया हटाना चाहते हैं और आप रिफॉर्म की बात करते हैं।

सर, आप 83(9) को देखिये। आज बार-बार यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि हाई कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है। यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर आता है, वही है और उसके बाद हाई कोर्ट पावरलैस है। ऐसी बात नहीं है। आप पैरेंट एक्ट पढ़िये। आप पैरेंट एक्ट के सेक्शन 83 को पढिये। पैरेंट एक्ट के सेक्शन 83(9) के बाद क्या लिखा गया है? Section 83(9) in the parent Act says:

?Provided that a High Court may on its own motion or on the application of the board or any person aggrieved, call for and examine the records relating to any dispute and may confirm or reverse the decision.?

वर्ष 2013 के संशोधन के बाद यह पावर हाई कोर्ट में, पैरेंट एक्ट में है ही। आप बार-बार क्यों ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं है। अगर कहीं अन्याय हुआ है, चाहे दक्षिण में हो, उत्तर में हो, पूर्वांचल में हो, पश्चिम में हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अंडर सेक्शन 97 ऑफ द पेरेंट एक्ट, आपके पास पावर्स हैं कि कहीं अगर नाइंसाफी हो तो आप सेक्शन 97 के द्वारा स्टेट बोर्ड को डायरेक्शन दे सकते हैं। मैं सेक्शन 97 को पढ़ूंगा। ? (व्यवधान) Section 96 says:

?For the power of the Central Government to regulate secular activities of auqaf powers?..?

Then, Section 97, which is about directions by the State Government, says,

?Subject to any directions issued by the Central Government under Section 96, the State Government, from time to time, give to the Board such general or specific directions as the State Government thinks fit.?

मैं जानना चाहूंगा कि आपकी बहुत जगह डबल ईंजन की सरकार है। आपकी बहुत जगह डबल ईंजन की सरकार है और कहीं-कहीं आपके सहयोगी दल की भी सरकार है। आपने पिछले दस साल में कितनी बार सेक्शन 97 का इस्तेमाल किया?

अगर कहीं भी नाइंसाफी हुई, तो आपने कितनी बार सेक्शन 97 का इस्तेमाल किया? आप बताइए? उसके बाद आप कहिए कि यह पेरेंट एक्ट कमजोर एक्ट है। पूरी ताकत दी हुई है। अगर कहीं गलती हुई है, कहीं सुधार करना है, तो हमारी संवेदना है। चाहे केरल में मनम्बम की बात हो, उसके लिए हमारी संवेदना है। लेकिन आपके पास भी वह ताकत है, आपने कितनी बार इस ताकत का इस्तेमाल किया?

सर, आप देखें कि कितनी दुख की बात है कि सेक्शन 64, क्लॉज 29(L) में लिखा है: Clause 29(l) says: ??is a member of any association which has been declared unlawful under the Unlawful

Activities (Prevention) Act, 1967??.

आप यूएपीए लाये, ठीक है। आप कहीं रिग्रस इम्प्रिज़नमेंट को सिम्पलीफाई करके प्रिज़नमेंट लाना चाहते हैं और कहीं आप यूएपीए में संशोधन लाना चाहते हैं। यह आपका हक है। आप बस हमें इतना बताएं कि और कौन से स्टेट बोर्ड और कौन से धार्मिक बोर्ड में यह यूएपीए का प्रोविज़न लाने वाले हैं या यह सिर्फ इसी बिल में है? विभिन्न स्टेट्स के विभिन्न धर्मों के जो चैरिटेबल एक्ट्स हैं, क्या उनमें भी यूएपीए एक्ट आएगा या सिर्फ इसी में आएगा? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप किस कौम को भ्रमित करना चाहते हैं? जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उस कौम को जिसने 1857 में मंगल पांडे के साथ अपनी शहादत दी, आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं? जिसमें लगभग दो लाख उलेमा शहीद हुए, आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं? जिन्होंने भारत छोड़ो आन्दोलन में हमारा साथ दिया, आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं? जिन्होंने 6 अप्रैल, 1930 को दांडी मार्च का सपोर्ट किया, आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं? जिन्होंने वर्ष 1926 में, ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का खंडन किया, आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं? मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने वर्ष 1924 में कम्प्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की।? (व्यवधान)

जब आप लोग भारत छोड़ो आन्दोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, तब उस कौम ने भारत छोड़ो आन्दोलन का समर्थन किया था। जब आप लोग अंग्रेजों को मर्सी पेटिशन लिख रहे थे, तो उन्होंने मालटा और इजिप्ट में शहादत दी। आप किस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं, जिन्होंने वर्ष 1924 में जिन्ना के दो नेशन की थ्योरी को पूरी तरह से नकारा था, आप उस कौम पर दाग लगा रहे हो? सर, इनका यही है डिवाइड एंड रूल।

बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारा राष्ट्रवाद क्या है? Nationalism for us is being united in our shared love for our Bharat Mata and the mutual respect for her culture, language, dress, food, and religion. It is the love for our national flag, the *tiranga*, जिसका सम्मान आपने नहीं किया था। It is the sacrifice of the Indian freedom movement, जिसमें आपने भाग नहीं लिया। It is our thirst for knowledge to seek excellence with limited resources, to be creative, to have the courage, to acknowledge the injustice of the past, and have the wisdom to build new bridges. यह है हमारा राष्ट्रवाद। यह राष्ट्रवाद आज हमारे संविधान में उल्लिखित है।

सर, बार-बार यह सरकार कहती है कि यह माइनोरिटीज के पक्ष में है, लेकिन जब अमेरिका से माइनोरिटी कमीशन की रिपोर्ट आती है, जब माइनोरिटीज के साथ नाइंसाफी होती है, तो इनको दुख होता है।

जब यूएस के रिलीजियस कमीशन की रिपोर्ट आती है, तब इनको दुख होता है। ? (व्यवधान)

सर, ये बार-बार ऑप्टेक्स की बात कर रहे हैं। क्लॉज़-42, सैक्शन-108(ए) इन्होंने डिलीट कर दिया है। ये कहते हैं कि ओवरराइडिंग प्रिंसिपल कैसे आ सकता है? मंत्री महोदय को ओवरराइडिंग प्रिंसिपल से आपत्ति है। मैं पहले सबके लिए बता दूं कि सैक्शन-108 क्या है। ? (व्यवधान) मैं उसे पढ़ देता हूं। ? (व्यवधान) आपके लिए भी है, हम तो जेपीसी में थे। ? (व्यवधान)

सर, मैं जेपीसी के बारे में कहूंगा। ? (व्यवधान) दुख की बात करनी पड़ेगी। ? (व्यवधान)
जेपीसी के लिए ये कहते हैं कि इन्होंने सबकी राय सुनी, लेकिन आपको भी पता है कि विपक्ष के द्वारा एक भी संशोधन को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। ? (व्यवधान) हमने भी बहुत सी जेपीसी देखी हैं, लेकिन ऐसी जेपीसी नहीं देखी, जहां क्लॉज़-बाय-क्लॉज़ डिसक्शन भी नहीं हुआ। ? (व्यवधान) पूरे तरीके से वोटिंग हो गई। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इतना ध्यान रखें कि जेपीसी भी संसद का भाग होती है। इसलिए, आप इस बात का ध्यान रखें।

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : सर, इन्होंने जेपीसी की बात की थी। ? (व्यवधान) अगर ये नहीं कहते कि जेपीसी में बहुत विस्तृत रूप से चर्चा हुई, तो मैं भी उसकी बात नहीं करता। ? (व्यवधान) इन्होंने इसका उल्लेख किया, इसलिए, मैं इस बारे में कहना चाहता हूं। ? (व्यवधान) इन्होंने उल्लेख किया कि जेपीसी में बहुत से लोग आए। ? (व्यवधान) ऐसे भी लोग आए, जिनको वक्फ को लेकर कोई भी जानकारी नहीं थी। ? (व्यवधान) उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, ऐसे भी लोग आए। ? (व्यवधान) जेपीसी के मुद्दों के बारे में हमने बार-बार स्पीकर को चिट्ठी के द्वारा अवगत कराया है, इसलिए, हम यह विषय उठा रहे हैं। ? (व्यवधान) इसमें से सैक्शन 108(ए) ये हटाना चाहते हैं, जिसमें power to have overriding effect है। लेकिन, ओवरराइडिंग का यह जो प्रिंसिपल है, यह आज भी विभिन्न स्टेट एक्ट्स में है। तेलंगाना के एक्ट में आज भी ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है। तमिलनाडु के एक्ट में आज भी यह ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है। आज भी आरटीआई (राइट टू इनफॉर्मेशन) एक्ट, 2000 में नालासार जैसी यूनिवर्सिटी में यह ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है। आपको सिर्फ यहां पर ओवरराइडिंग प्रिंसिपल से मुश्किल है, लेकिन दूसरे एक्ट्स में जो ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है, सैक्शन-108(ए) के द्वारा सिमिलर प्रोविजन्स हैं, उनमें आपको तकलीफ नहीं है।

सर, जैसे इन्होंने हमारे कुछ दोस्तों को सलाह दी, वैसे ही मैं भी इनके कुछ दोस्तों को सलाह देना चाहता हूं। ? (व्यवधान) क्लॉज़-40(ए), सैक्शन-107 ? जो लिमिटेशन एक्ट हटाया गया है, आंध्र प्रदेश के एक्ट में यह लिमिटेशन एक्ट ऐसा ही एक लॉ है, जैसे पैरेन्ट एक्ट में है। अत: मैं भी इनके आंध्र प्रदेश के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जो प्रोविजन आपके आंध्र प्रदेश के एक्ट में हैं, आज वैसे प्रोविजन्स यह सरकार हटाने वाली है। ? (व्यवधान) आपको भी बाद में आंध्र प्रदेश में अपनी जनता को उत्तर देना पड़ेगा। ? (व्यवधान)

तेलंगाना और तमिलनाडु की हमने बात रखी है। ? (व्यवधान) इसलिए, मैं बार-बार कहना चाहूंगा कि हमें संशोधनों से कोई परहेज नहीं है। लेकिन, संशोधन ऐसे हों, जो हमारी मदद करें। आज ये डिजिटाइजेशन की बात करते हैं। ? (व्यवधान) आज से 15 वर्ष पहले हमने ?वामसी?, एक डिजिटल पोर्टल खोल दिया था। ? (व्यवधान) सर, अब देखिए कि इस सरकार के कैसे काम हैं। डिजिटाइजेशन फिलहाल अभी चल रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है। माना कि ?वामसी? में कुछ खामियां हैं, तो आप उनको ठीक कीजिए। ? (व्यवधान) आप दस सालों से क्या कर रहे थे? ? (व्यवधान) आप दस सालों से ?वामसी? को क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं? ? (व्यवधान) आप वह काम तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब आप एक दूसरा नियम बना रहे हैं कि दोबारा एक नए पोर्टल पर अपने रिकॉर्ड्स आप अपलोड कीजिए। ? (व्यवधान)

सर, कितनी बार हम इस सरकार को अपने कागज दिखाएं? ? (व्यवधान) अगर इनका ?वामसी? का काम अधूरा है, तो उसको वे संपूर्ण करें। लेकिन नहीं, इनका उद्देश्य यही है कि देश में मसला और बढ़े। ? (व्यवधान) इसीलिए, हम आज इस बिल के विरोध में हैं। ? (व्यवधान) यह बिल हमारे देश की अखंडता, यह बिल हमारे संवैधानिक मूल्य, यह बिल हमारे अल्पसंख्यकों के सम्मान, यह बिल हमारे अमन, शांति और सदन और जेपीसी में जिस प्रकार से विचार होना चाहिए था, उस सबके विरोध में है। ? (व्यवधान) इसीलिए, आज पूरा इंडी एलायंस इस बिल के विरोध में खड़ा हुआ है। ? (व्यवधान)

यही बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया।

श्री रवि शंकर प्रसाद (पटना साहिब) : महोदय, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया गया है।

<u>**13.45 hrs**</u> (Shri Dilip Saikia *in the Chair*)

सर, मैं विपक्ष की बात सुन रहा था। मुझे उनके तर्क को समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। वक्फ बिल में संशोधन होना चाहिए, लेकिन नहीं भी होना चाहिए, ये दोनों तर्क कैसे चलेंगे? सबसे पहले बात थोड़ी संविधान की ही कर लेते हैं। आजकल लाल किताब बहुत घूमती है। जब भी कोई विषय होता है, एक संविधान की लाल किताब दिखाते हैं।

सर, हम संविधान की हरी किताब लेकर आए हैं, जो संसद में रखी हुई है, तो मैं आज इसी को दिखाऊँगा। भारत के संविधान के मौलिक अधिकार में एक धारा 15 है। धारा 15 में लिखा हुआ है कि महिलाओं के साथ कोई विभेद नहीं होगा और सरकार महिलाओं के विकास के लिए कानून बना सकती है। अगर यह वक्फ बिल देश की खवातीनों के विकास के लिए, वक्फ में उनकी भूमिका के लिए लाया जा रहा है, तो यह कानून गैर संवैधानिक कैसे हो गया?

सर, संविधान की धारा 15 में यह भी लिखा हुआ है कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास के लिए सरकार कार्यवाही कर सकती है। यह सच्चाई है। मैं जिस प्रदेश से आता हूँ। ? (*Interruptions*) सर, जरा इन लोगों को बिठा दीजिए।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please be seated.

श्री रवि शंकर प्रसाद : आप जरा बैठ जाइए, मैं भी आपसे आग्रह करूँगा। वेणुगोपाल जी, जरा मैं बोल लूँ, आप भी सुन लीजिए। ? (*Interruptions*) Mr. Venugopal ji, I am speaking. Kindly pay some attention.

सर, मैं यह कह रहा हूँ कि मैं जिस बिहार प्रदेश से आता हूँ, वहाँ बहुत सारे पिछड़े मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश में भी हैं, हम उन्हें पसमांदा कहते हैं। वे कई कैटेगरी के हैं। उनको वक्फ के मैनेजमेंट में अवसर नहीं मिलता और अगर संविधान की धारा 15 के आलोक में इस बिल में इस बात का प्रावधान किया जा रहा है कि पिछड़े मुसलमानों को भी वक्फ बोर्ड में जगह दी जायेगी, तो इनको परेशानी क्यों है?? (व्यवधान)

सर, जहाँ तक सवाल है, मैं यह बताना चाहता हूँ कि संविधान की दुहाई का जवाब मैं संविधान से ही दे रहा हूँ। यह वक्फ में जो संशोधन हो रहा है, मौलिक अधिकारों की धारा 15 में उसकी अनुमति मिलती है।

सर, धारा 25 की बात की गई। हमारे विपक्ष के उपनेता का मैं सुन रहा था। आपने धारा 25 का जिक्र किया, तो आप मेरे साथ धारा 25 का क्लॉज 2 भी पढ़ लीजिए। सर, मैं इसे आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ: ?Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the State from making any law regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice?. अगर वक्फ की जमीन बर्बाद हो रही है, अगर वक्फ की जमीन लूटी जा रही है, अगर वक्फ की जमीन हड़पी जा रही है, तो संविधान की धारा 25 यह अधिकार देता है कि कानून बन सकता है। कृपया करके अगर आप संविधान की कोई धारा कोट करते हैं तो पूरी की पूरी कोट करें।

सर, मैं इसके प्रावधानों पर आने से पहले एक और बुनियादी बात उठाना चाहता हूँ। वक्फ के मायने क्या हैं? माननीय मंत्री जी ने इसे विस्तार से बताया है। Waqf is not a religious body. Waqf is just a statutory body. वह कोई धार्मिक संस्था नहीं है। वह सिर्फ एक वैधानिक संस्था है। सर, दूसरा सवाल आता है।? (व्यवधान) आप अपनी पारी का इंतजार कीजिए। You are a very eloquent speaker I know. Please wait for your turn.

सर, इसी से एक और सवाल उठता है कि मुतवल्ली की क्या भूमिका होती है। मैं चाहता हूं कि आज इस बात को सदन में रखूं और सदन के माध्यम से यह देश में जाए। मुतवल्ली को सिर्फ मैनेजर बोला जाता है। यह मैं नहीं बोल रहा हूं। ?मुल्लाज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मडन लॉ? - इस किताब के मैं तीन लाइन्स को क्वोट करूंगा। एम. हिदायतुल्ला, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने इसको रिवाइज़ किया था। वे बहुत बड़े ज्यूरिस्ट थे। मैं इसके

सिर्फ एक पैराग्राफ को पढ़ूंगा। इसमें मुतवल्ली से संबंधित पैरा 202 में लिखा है - Under the Mohammaden law, the moment a Waqf is created, all rights to property are passed on to the Waqif and vested in Almighty. The mutawalli has no right in the property. It belongs to the Waqf. The property is not vested in him. He is not a trustee. He is merely a superintendent or a manager.

मुतवल्ली साहब आठ लाख प्रॉपर्टीज़ के केवल मैनेजर हैं और क्या हो रहा है? क्या सरकार खामोश रहे? अगर वक्फ देने वाले की प्रॉपर्टीज़ लूटी जा रही है तो क्या खामोशी चलेगी? यह तो नहीं चलेगी।

सर, इस बहस में मैं कुछ और गहरे सवाल उठाना चाहता हूं, जो उठने चाहिए। आठ लाख सम्पत्ति हैं। इसमें कब्रिस्तान भी होंगे, इसमें मस्ज़िद भी होंगे। आज मैं यह सवाल संसद के सामने उठाना चाहता हूं कि कितने स्कूल बने वक्फ की सम्पत्ति पर, कितने अस्पताल बने वक्फ की सम्पत्ति पर, कितने स्किल सेन्टर्स खुले वक्फ की सम्पत्ति पर, कितने अनाथालय खुले वक्फ की सम्पत्ति पर, कितनी बेवा, विधवा, बेटियों, बहनों को सिलाई, कढ़ाई और जीने का तरीका सिखाया गया? यह गिनती पर आएगा। इसलिए ये जो बार-बार वक्फ की बात बोलते हैं, अगर आज इस कानून के द्वारा वक्फ की जमीन को रेगुलेट किया जाए, ताकि उस प्रॉपर्टी में अच्छी फंडिंग आए और उस जमात के लोगों में इसके लिए विश्वास बढ़े, तो इनको परेशानी क्यों होती है?

सर, इस परेशानी की वज़ह को मैं समझता हूं और अब मैं इस परेशानी की वज़ह पर आ रहा हूं। दिल से तो ये कहते हैं कि हम चाहते हैं संशोधन हो, लेकिन राजनीतिक मजबूरी इनके पैरों को पीछे खींचती है। बहुत सालों से राग वही है, सुर वही है, तीखापन वही है, भाषा वही है।

सर, मैं तीन उदाहरण देना चाहता हूं। याद कीजिए शाह बानो के केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि शाह बानो एक डेज़र्टेड वाइफ थी, उनको कुछ सौ रुपये मिले, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हो-हल्ला किया गया। उस समय राजीव गांधी जी इस देश के प्रधान मंत्री थे। उनके पास 400 का बहुमत था। बस एक बेवा मुस्लिम 75 साल की महिला को कुछ सौ रुपये दिए जाने की बात थी, तो उस समय क्या हंगामा खड़ा कर दिया गया? आज जब मैं शाह बानो पर बात कर रहा हूं तो मुझे अपने दोस्त आरिफ मोहम्मद खान के बारे में कुछ बोलना है। वे आपकी सरकार में मंत्री थे। इसी सदन में उनका दो दिन ऐतिहासिक भाषण हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है। एकाएक हंगामा हुआ, राजीव गांधी हिल गए, डोल गए और कहा कि तुम वापस हो जाओ, हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को उलटने के लिए कानून ला रहे हैं। यह भी हमने देखा है।

सर, शाह बानो के बाद वह यात्रा सायरा बानो तक आती है, तीन तलाक तक आती है। तीन तलाक को लेकर इतनी परेशानी थी। मुस्लिम महिलाएं कोर्ट में गयी थीं। मैं आज हाउस में यह कहना चाहता हूं कि दो सालों तक इनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब ही फाइल नहीं किया, ताकि यह मामला लटकता रहे। आज मैं यह बात बड़े गर्व के

साथ कहता हूं कि जब वर्ष 2014 में हमारी सरकार आयी तो उस समय माननीय प्रधान मंत्री जी ने मुझे कानून मंत्री बनाया था। मेरे पास फाइल आयी कि इसका जवाब फाइल करना है, सुप्रीम कोर्ट डांट लगा रहा है। मैं प्रधान मंत्री जी के पास गया। उन्होंने कहा - कोर्ट जाओ और वहां खड़े हो जाओ कि नरेन्द्र मोदी की सरकार ?तीन तलाक? से पीड़ित बहनों के साथ खड़ी है।

सर, आज मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक के मामले की सुनवाई चल रही थी, तब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि आप फैसला मत कीजिए, हम एक निकाहनामा बनाएंगे और पूरे देश में घुमाएंगे कि निकाह करते समय तीन तलाक नहीं दोगे, यह शर्त रखेंगे। सर, याद कीजिए कानून बना और इसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे देश में तीन तलाक के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन करने और उकसाने का काम किया। ये सभी लोग खड़े हो गए। सर, तीसरा मामला धारा 370 की समाप्ति का है। सर, यहीं बिल आया था न? माननीय गृह मंत्री बैठे हैं न? हिम्मत दिखाई थी न? सब लोग एक थे न? कहा गया देश टूट जाएगा, देश में आग लग जाएगी। आज 370 समाप्त हो गया, आज कश्मीर का विकास हो रहा है, जम्मू का विकास हो रहा है, पूंजी निवेश हो रहा है। सर, याद कीजिए अभी जो चुनाव हुआ है, एक भी बूथ पर रीपोल नहीं हुआ है, जो उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है। जहां पाकिस्तानी झंडे लहराते थे, आज वहां लाल चौक पर तिरंगा लहराता है और भारत माता की जय बोलते हैं। सर, यह बात मैं क्यों कह रहा हूँ? मैंने 86 से 20 तक की कहानी बताई। स्वर वही है, सुर वही है, तल्खी वही है, चाहे संशोधन लाओ वक्फ पर, चाहे संशोधन लाओ धारा 370 पर। अब हम यह भी कहना चाहते हैं कि यह नहीं चलेगा और बड़ी जिम्मेवारी से कहना चाहता हूँ कि सर एक स्वर उठाने की इच्छा होती है कि वोट बैंक के लिए देश कहां तक जाएगा? क्यों जाना चाहिए? सर, आप याद कीजिए, मैं कहना चाहता हूँ कि सीएए पर क्या-क्या तूफान खड़ा किया गया? जो हिंदू थे, सिख थे, क्रिश्चन थे, बाहर से उनको भारत लाया गया। उसका कोई असर हिंदुस्तान के मुस्लमानों पर नहीं था, फिर भी तूफान खड़ा किया गया। आज फिर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ? (व्यवधान) धर्मेंद्र जी, कभी तो हमको सुन लिया कीजिए, अखिलेश जी सुनते हैं, आप नहीं सुनते हैं, यही समस्या है। ? (व्यवधान)

सर, इससे जुड़ा एक और बड़ा सवाल है। वह सवाल मैं उठाना चाहता हूँ। मुस्लिम जमात इस देश के लोग हैं। जितना हिंदुओं का यह देश है, उतना आपका है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुस्लिम जमात के आदर्श कौन होंगे? क्या मुस्लिम जमात के आदर्श वोटों की दलाली करने वाले, सौदागरी करने वाले होंगे? अगर यह है तो यह देश को स्वीकार नहीं होगा। हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के आदर्श होंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉ. ए.पी.जे. कलाम, अब्दुल हमीद, अशफाख़उल्ला खान, रसखान, कबीर, मलिक मौहम्मद जायसी। जब मोहम्मद शमी फास्ट बोलिंग कर के आउट करता है, तब देश ताली बजाता है। जब सानिया मिर्ज़ा टेनिस में भारत का

नाम ऊंचा करती है, तो हम सभी खुश होते हैं। यह तय करना पड़ेगा। हमें लगा था कि 25-30 साल के बाद, वोटों की सौदागरी कुछ बंद होगी, लेकिन अभी तक बंद नहीं है। कभी तो आप लोग उससे बाहर निकलिए। यह देश बदल रहा है। उनकी संख्या देख रहे हैं? कांग्रेस कहां थी, कहां चली आई। अखिलेश जी, आप देखिए। सर, एक बात और बताना ज़रूरी है, सदन की स्मृति के लिए कि राजीव गांधी को 400 सीटें मिलीं, शाहबानों में वे इन लोगों के सामने झुके और उसके बाद आज तक कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। आप याद कीजिए। देश की हवा कहां बह रही है? अखिलेश बाबू समझिए। हमारी आप इतनी आलोचना करते हैं। नरेंद्र मोदी जी को एक बार पूर्ण बहुमत मिला, दूसरी बार पूर्ण बहुमत मिला। आप लोगों ने संविधान का कुछ मिसलीड कर के, धोखाधड़ी कर के यूपी में कुछ गड़बड़ की, जनता को समझ में आ गया तो हरियाणा जिता दिया, महाराष्ट्र जिता दिया, फिर दिल्ली जिता दिया और अब बिहार भी जिताने वाले हैं। आप निश्चिंत रहिए।

14.00 hrs

सर, आज इस बहस के क्रम में कुछ और बड़ी बातें कहने की जरुरत है। मुझे अच्छा लगा कि कांग्रेस के उपनेता ने कुछ कहा कि बदलाव पहले भी हुए हैं।

सर, मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद वर्ष 1954 में एक्ट आया, वर्ष 1959 में बदलाव हुआ, वर्ष 1964 में बदलाव हुआ, वर्ष 1969 में बदलाव हुआ, वर्ष 1984 में बदलाव हुआ और फिर वर्ष 1995 में बदलाव हुआ। ये सब रिकॉर्डेड हैं। अगर आप निर्देश देंगे तो हम इसे प्रस्तुत करेंगे। ये सारे बदलाव कुछ जमातों के दबाव में आए। वर्ष 1995 का बदलाव का कब आया, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था। इन लोगों ने कहा कि ठीक है, हमारे वक्फ में बदलाव कीजिए। वर्ष 2013 का बदलाव तब आया, जब इनके हारने का रास्ता खुल रहा था।

सर, जब इस तरह से आप कानून में बदलाव करते हैं तो आपकी मंशा अक्लियत की सेवा करना नहीं है, बल्कि आपकी मंशा अपने वोट की इजाफा करने की है। फिर भी आप हार जाते हैं। फिर भी आप समझते नहीं हैं।? (व्यवधान) मैं इनकी आवाज सुन रहा हूं। क्या वह अपने प्रदेश के हैं? ? (व्यवधान)

सर, अब मैं कुछ संपत्ति पर आता हूं। आज आठ लाख संपत्तियां हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है। उसे मुतवल्ली मैनेज करता है। मैंने दिखा दिया कि वह मैनेजर है। क्या मैनेजर की कोई एकाउन्टबिलिटी होती है या नहीं?

सर, मैं पटना साहिब का सांसद हूं। हमारे क्षेत्र के गर्दनीबाग में सरकारी जमीन पर एक तालाब है, जहां लोग छठ में अर्ध्य देते हैं। हाई कोर्ट में सरकार ने कहा कि यह सरकारी जमीन है। वहां से पाँच-सात किलोमीटर पर एक कब्रिस्तान है। यह वर्ष 1920 का रिकॉर्डेड है। कुछ लोग कहते हैं कि यह हमारा वक्फ है और हर बार छठ में खड़े हो जाते हैं। हथुआ में यही काम किया गया। अभी दिल्ली के 113 स्थानों की बात की गई। मैं सुन रहा था कि कोलकाता

में जो फोर्ट विलियम है, जहां सेना का कमांड है, वह भी हमारा वक्फ है। अब वे आगे कहेंगे कि पूरा हिन्दुस्तान ही वक्फ है, क्योंकि यहां हमारे सम्राट हुए थे। क्या देश इसी तरह से चलेगा?

सर, प्रयागराज के बारे में ऐसा बोला गया, भोपाल के बारे में बोला गया, कहां नहीं बोला गया। मुम्बई में बोला गया, जहां चले जाइए, वहां ऐसा बोला गया। यह देश ऐसे नहीं चलेगा। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह एक बार सदन को विस्तार से बताएं। जिस तरह से वक्फ का दावा किया गया, उसका दावा करने वाले कौन थे। आप थोड़ा गहराई में जाइए। हम लोग भी देश में घूमते हैं। मैनेजर साहब की बिल्डर से साठगांठ हो गई और वहां पर बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। क्या यह सच्चाई नहीं है? वक्फ इसके लिए नहीं होता है। इसलिए, यह पूरा बदलाव जरूरी है।

सर, मैं इस कानून के संदर्भ में एक और बात कहना चाहता हूं। लेकिन, इसके पहले मैं बिहार के एक बड़े नेता को कोट करना चाहूंगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा, उनका नाम मैं बाद में पढ़ूंगा। उनको कोट करना चाहता हूं। उनकी बड़ी विनम्रतापूर्ण टिप्पणी थी। वह सदन के सामने आनी चाहिए। यह बहुत जरूरी है। वह उस समय पार्लियामेंट थे। उन्होंने कहा था कि पूरा लूट लिया है, पटना में भी लूट लिया है। वक्फ का कानून एकदम होना चाहिए।

सर, जिस नेता ने यह बात कही थी, वह हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे। मेरे पास उनका कोट है। अगर आप कहेंगे तो मैं निकाल कर पढ़ दूंगा।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : इसे आप टेबल कर दीजिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद : अच्छा, इसे मैं ले कर दूंगा।

सर, किसने नहीं विरोध किया? आज मैं विपक्ष से एक ही बात कहना चाहता हूं कि कुछ तो आप अपने दिल में झाकिए। कुछ तो दिल में झांकिए आप कि अगर वक्फ की सम्पत्ति की लूट हो, क्या हम खामोश रहें? इसको सख्त करना बहुत जरूरी है। एक बात उन्होंने बार-बार कही कि पहले हाई कोर्ट को भी पॉवर थी। The High Court did not have any direct power. हाई कोर्ट चाहे तो कॉल फॉर कर सकता है या कोई कंप्लेंट कर सकता है। लॉ में कोर्ट जाना मना था और ट्रिब्यूनल ने कैसे-कैसे काम किए, यह भी आप जानते हैं। अब आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। मैं दो-तीन ट्रिब्यूनल्स की कहानी जानता हूं। कृपया करके ट्रिब्यूनल ठीक-ठाक चले, सिर्फ सेटिंग, गेटिंग नहीं हो, यह भी बहुत जरूरी है कि ट्रिब्यूनल में बहुत ईमानदारी से फैसला होना चाहिए। जो बार-बार ये कह रहे हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा और चाहूंगा कि कांग्रेस के मित्र इसका जवाब दें कि आज क्रिश्चियन समाज क्यों दु:खी है, वह क्यों चाहता है कि वक्फ में बदलाव हो? पूरे भारत का क्रिश्चियन समाज, केरल का क्रिश्चियन समाज, the Christian community and the churches are very, very disturbed by the encroachment of their property under the garb of waqf. उनको लगता है कि बदलाव जरूरी है। अखिलेश जी, आपको भी कभी सोचना ही पड़ेगा। ?(व्यवधान) जिस तरह चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत से क्रिश्चियन्स लखनऊ के आसपास हैं। आपको मालूम है न? ?(व्यवधान)

मैं दो-तीन बिंदुओं पर बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा। नंबर एक, आप इस बिल का विरोध करते हैं, तो क्यों करते हैं? इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस बात का जवाब दें कि आपको इस बिल से क्या परेशानी है? नंबर दो, क्या आप चाहते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी हड़पने, लूटने, दलाली, बिचौलियों के बीच में रहे या गरीबों के काम में आए, पसमांदा मुसलमानों के काम में आए, बेटियों के काम में आए? यह बिल उनके लिए रास्ता खोलता है। तीसरी बात, इस बिल में बड़े-बड़े नामी-गिरामी मेंबरान पार्लियामेंट, जूरिस्ट, रिटायर्ड जजेज़, महिलाएं, सिविल सोसाइटी, सब आकर देखने वाली हैं, तो आपको शर्मिन्दगी किस बात की है? मैं एक बात विनम्रता से कहूं, परेशानी किस बात की है? मैनेजर साहब के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, मुतवल्ली के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है। इसी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा कि हम आपके इफ्तार में नहीं जाएंगे। मैं नाम नहीं लूंगा। संजय जायसवाल जी समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इन लोगों ने कहा था न कि इफ्तार में नहीं जाएंगे, आपको बुलाएंगे भी नहीं, तो मैं उनसे बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि आपके वे दिन लद गए, जब आप वीटो लगाते थे। यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है, यह विकास के लिए हर काम करेगी।

सर, मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हमारे ऊपर इन्होंने बहुत से आरोप लगाए। ये हारते जा रहे हैं, फिर भी भाषा वही है। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार कहती है कि ?सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास?। अगर गैस दी तो क्या हिंदू-मुसलमान में कोई फर्क किया, अगर शौचालय बनाया तो क्या हिंदू-मुसलमान में फर्क किया, अगर सड़कें बनीं तो क्या यह कहा कि मुस्लिम गांव से सड़क नहीं जाएगी? वोट दो या न दो, जब हम सत्ता में हैं तो पूरे हिंदुस्तान को एक नजर से देखेंगे। हम जिस प्रदेश से आते हैं, जहां से गिरिराज जी भी आते हैं, वहां एक बहुत बड़ा मामला चलता है कि इनहे सड़क मत बनाहीं, यहां वोट न मिलहीं। यह हम नहीं करते। हम सबको एक नजर से देखते हैं, आप वोट दो या न दो। कभी-कभी आप कुछ तो हमसे सीखिए। यह देश के हित में है।

मैं मोदी जी का अभिनन्दन करता हूं, मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूं, गृह मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूं। हम यह बदलेंगे, देश के लिए, अकलियत के लिए, खवातीनों के लिए।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अखिलेश यादव (कन्नौज) : सभापति महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण, देश के लिए और बड़ी आबादी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक और बिल आया है।

<u>**14.10 hrs**</u> (Hon. Speaker *in the Chair*)

मेरे से पूर्व मेरे साथी बोले हैं, वे माननीय सदस्य अभी मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी बहुत सारी बातों से सहमत हूं। मैं देख रहा हूं कि जो एक्स-कांग्रेस के हैं वे ज्यादा बोल रहे हैं। आज जो बिल पेश हुआ है, मैं हिन्दी और अंग्रेजी में जो कुछ समझ सकता हूं, मैं यही कह सकता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह उम्मीद है, यह उम्मीद

कैसे बनाएं, अंग्रेजी में भी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उम्मीद है। हिन्दी में भी समझ नहीं आ रहा है कि उम्मीद है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, ? (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय, मैं वह बात छेड़ना नहीं चाहता था लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। अभी कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हमारे सदस्य नहीं हैं, जो हमारे साथी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो बिल लाया जा रहा है, अभी भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिन्दू कौन बड़ा है। यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, जो पार्टी यह कहती है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वह अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए, भारतीय जनता पार्टी क्या है।

श्री अमित शाह: अध्यक्ष महोदय, ,अखिलेश जी ने बहुत हंसते-हंसते कहा है, मैं इसका हंसते-हंसते जवाब दे दूं। सामने जितनी पार्टियां हैं, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन पांच लोगों के ही परिवार का चुनना है। हमें बारह-तेरह करोड़ों सदस्यों में से प्रक्रिया करके चुनना होता है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं कि आप 25 साल तक अध्यक्ष हो, नहीं बदल सकते।

श्री अखिलेश यादव : अध्यक्ष महोदय, जो बात निकल कर आई है, उसे आगे बढ़ा दूं। जो बात सोशल मीडिया या कई जगह गुपचुप-गुपचुप हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ दिन पहले जो यात्रा हुई है, वह कहीं 75 वर्ष की एक्सटेंशन वाली यात्रा तो नहीं थी। वक्फ बिल जो लाया है, वह नकामी का पर्दा है, नाकामी एक नहीं है कई बता सकता हूं। अभी मैं माननीय सदस्यों को सुन रहा था। पुराने कई बिल के बारे में चर्चा कर रहे थे कि कितने प्रोग्रेसिव बिल लेकर आए हैं। मुझे याद है, उस समय मैं उत्तर प्रदेश में था, मुझे लगा कि शायद इनकी बात ठीक होगी। ये बहुत तैयारी के साथ फैसला लेकर आए थे। फैसला यह लिया था कि आधी रात आज के बाद नोट नहीं चलेंगे, नोट बंद हो जाएंगे। उस नोटबंदी की नाकामी के बारे में भी तो चर्चा हो जाए। अभी भी न जाने कितनी जगहों पर कितना रुपये निकलता जा रहा है, कितना निकल कर आ रहा है।

नाकामी केवल नोटबंदी की नहीं है, नाकामी बेरोजगारी की भी है, नाकामी महंगाई की भी है, किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पाए, वह भी इनकी नाकामी है। मुझे याद है, एक माननीय मंत्री जी पूरे देश की नदियों की बीओडी के बारे में बता रहे थे, लेकिन माननीय मंत्री जी यह भूल गए कि उनके शहर या क्षेत्र में जो नदी है, उसकी बीओडी क्या है। क्या गंगा नदी साफ हो गई? क्या यमुना नदी साफ हो गई? क्या स्मार्ट सिटी बन गई? क्या गोद लिए गए गांवों को इन्होंने गोद से उतार दिए हैं? आज उनकी क्या दुर्दशा है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ (संशोधन) विधेयक बना है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसके लिए फैसला होना है, उसकी बात को अहमियत न देना भी नाइंसाफी है।

अध्यक्ष महोदय, नाकामी केवल यहां तक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी क्या है? मैं केवल एक पुरानी घटना को याद करता हूं। एक बार फैजाबाद, अयोध्या में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। उसमें बड़ी तैयारी की गई थी। उसके लिए मुंबई से कलाकार बुलाए गए थे। हो सकता है कि उसकी सहमति दिल्ली से न मिली हो, केवल वह कार्यक्रम लखनऊ की सहमति से हो रहा हो। जब उस कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो गई, भगवान श्रीराम बनकर कोई आ गया, लक्ष्मण बनकर कोई आ गया, मां सीता भी बनकर कोई आ गया, भगवान हनुमान भी बनकर कोई आ गया, लेकिन जब लखनऊ से हेलिकॉप्टर उड़ा और अयोध्या पहुंचा, तो उसमें सब लोग थे, लेकिन हनुमान नहीं थे।

अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहूंगा कि आप जानकारी करिए कि आखिरकार वहां भगवान श्रीराम थे, लक्ष्मण थे, सीता जी थीं, लेकिन वहां हनुमान क्यों नहीं थे? वहां हनुमान इसलिए नहीं थे, शायद उनकी जाति या धर्म कुछ और था। यह देश मिली-जुली संस्कृति से चलता है। कुछ हमने सीखा है, कुछ उन्होंने सिखाया है। जो लोग यह कहते हैं कि हम सबको बराबरी का हक देते हैं।

अभी कुछ दिन पहले ईद मनाई गई है। ऐसी परंपरा रही है, उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न केवल मैं जाता हूं, बल्कि ऐसे किसी दल का नेता नहीं है, जो उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न जाता हो। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी वहां जाते हैं। वहां सभी धर्मों के नेता जाते हैं। पता नहीं, इस बार क्या साजिश और षडयंत्र था, क्योंकि वहां पर कुछ पाबंदी लगी हुई थी? अगर किसी कारणवश पाबंदी लगी हुई थी, तो बात समझ में आती है। जब जानकारी की गई, तो किसी को नहीं पता था कि पाबंदी क्यों लगाई गई थी कि आप उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं जा सकते हैं। क्या यही भारत और यही संविधान हमें रास्ता दिखाता है?

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी हमें बताएं, क्योंकि वह खुद भी माइनोरिटी कम्युनिटी से हैं। भगवान बुद्ध के दिखाए रास्ते पर चलते हैं। भगवान बुद्ध का रास्ता दूसरा है। हम आपको अपना मानते हैं, जब आप हमारे बहुत सारे ग्रंथों को नहीं मानते हैं, तब भी हम आपको अपना मानते हैं। आप हमारे पुराणों को नहीं मानते हैं, आप हमारे उपनिषदों को नहीं मानते हैं, लेकिन सोचिए कि हम हिन्दू वे लोग हैं, जो आपको स्वीकार करते हैं और गले लगाकर चलते हैं। अब मैं दूसरे धर्म के लिए नहीं बोलूंगा, कोई नाराज हो सकता है। मैं दूसरे धर्म के बारे में नहीं बोल सकता हूं। मैं केवल यही बताता हूं।

अध्यक्ष जी, मैं उत्तर प्रदेश राज्य से आता हूं।?(व्यवधान) मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं। मैं सच बोल रहा हूं। आप कह रहे हैं कि दो महिलाओं को सदस्य बना दिया गया है, इस बार मैं भी देखूंगा कि बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितनी महिलाओं को टिकट्स देगी। भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई नया बिल लाती है, तब वह अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिह्नित करने की बात कर रहे हैं,

जिससे महाकुंभ में जो हिन्दू मारे गए हैं या खो गए हैं, उनको चिह्नित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा धर्म?(व्यवधान) नहीं-नहीं, ये कुछ कहना चाहते हैं।?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, मैंने उनको अलाऊ नहीं किया है।

श्री अखिलेश यादव : अध्यक्ष महोदय, कुंभ में सबकी आस्था है। ऐसा कोई नहीं, जिसकी आस्था न हो। कुंभ पहली बार नहीं हो रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रचार किया कि 144 वर्षों के बाद पहली बार महाकुंभ होने जा रहा है, इसलिए लोग निकल पड़े। सरकार ने कहा कि हमारी तैयारी सौ करोड़ लोगों की है, लेकिन तैयारी 100 करोड़ लोगों की भी नहीं थी। जिस तरह लोगों की वहां पर जानें गईं और सरकार ने खुद स्वीकार किया कि 30 लोगों की जानें गई हैं। आज मैं कहना चाहता हूं कि आप डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हम तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, हम जमीनों की मैपिंग करके डेटा और रिकॉर्ड ठीक करेंगे। ये बताएं कि वे 30 लोग कौन थे? उनके नाम क्या थे, जिनकी जान चली गई? न केवल जान जाने वालों के बारे में, बल्कि सरकार यह भी बताए कि जो लगभग एक हजार हिन्दू खो गए हैं, वे अभी तक नहीं मिले, उनको अभी तक ये खोज नहीं पाए हैं, उन एक हजार हिंदुओं की सूची कहां है? जहां तक धर्म, कारोबार की बात है? (व्यवधान)

महोदय, मैं कार सेवकों वाली बात इसलिए नहीं छेड़ना चाहता हूं, शायद माननीय सदस्य कुछ सच्चाई जानते ही नहीं हैं। संविधान की वजह से, संविधान को बचाने के लिए, हिंदू एकता को बचाने के लिए कुछ फैसले लिए गए, लेकिन एफआईआर हम लोगों पर नहीं लिखी गई थी, एफआईआर उन पर लिखी गई थी, जो बेचारे सुबह तैयार हो गए थे, लेकिन पता नहीं कहां से फोन आया था कि अब तैयार तो हो गए हो, लेकिन आप शिलान्यास में नहीं आ सकते। मैं बात को इधर से उधर नहीं ले जाना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : अखिलेश जी, आप थोड़ा वक्फ पर भी आ जाएं।

? (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं वक्फ पर आ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि वक्फ को समझने के लिए भाजपा की सोच क्या है? ये कह रहे हैं कि इससे कारोबार होगा। धर्म की चीजों से कारोबार नहीं हो सकता। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने भी कहा कि कारोबार होगा। वे 30 की गिनती में उलझे हुए हैं, जैसे कि वे तीस-मारखां हैं। उनसे पूछा गया कि जानें कितनी गईं, तो बताया कि 30, उनसे पूछा गया कि कारोबार कितने का होगा, तो उनका जवाब था कि 30 गुणा 10 हजार करोड़। आप सोचिए, क्या कुंभ कारोबार की जगह है? उसे कौन नापेगा? माननीय मंत्री जी कह रहे है कि जमीन चाहे वह रेलवे की हो, डिफेंस की हो, वह भारत की जमीन है। मैं भी स्वीकार करता हूं कि रेलवे की जमीन भी भारत की है, डिफेंस की जमीन भी भारत की है। क्या डिफेंस की जमीन नहीं बेची जा रही है?

महोदय, क्या रेलवे की जमीनें नहीं बेची जा रही हैं? केवल यहां तक ही नहीं, कितना हस्तक्षेप होता है। वक्फ भी भारत का है, इसलिए वक्फ की जमीन के संबंध में माननीय मंत्री जी बताएं और मुझे आशा है कि वे जब जवाब देंगे, तो बताएंगे कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वह जमीन है, जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन बाहरी खतरे पर कोई सवाल-जवाब न करे, इसलिए यह बिल लाया जा रहा है। माननीय मंत्री जी जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये बताएं कि वहां पर चीन ने कितने गांव बसा लिए हैं, घर बना लिए हैं?

महोदय, आपके माध्यम से सरकार गारंटी दे कि वक्फ की जमीन कभी भी, किसी भी पैंतरेबाजी से, किसी और मकसद के लिए किसी और को नहीं दी जाएगी। वक्फ की वर्तमान व्यवस्था में चाहे 5 साल के धर्म पालन की पाबंदी की बात हो, या कलेक्ट्रेट से सर्वेक्षण के हस्तक्षेप की बात हो या वक्फ बोर्ड या परिषद् में बाहरी लोगों को शामिल करने की बात हो, इन सबका उद्देश्य मुस्लिम भाइयों के सार्वजनिक अधिकार को छीनकर उनके महत्व और नियंत्रण को कम करना है। ट्रिब्यूनल के निर्णय को अंतिम न मानकर उच्च न्यायालय में ले जाने की अनुमति देना दरअसल जमीनी विवाद को लंबी न्यायिक प्रक्रिया में फंसाकर वक्फ भूमि पर कब्जों को बनाए रखने का रास्ता खोलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ बिल के पीछे न तो नीति सही है, न नीयत। ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर-दुकान छीनने की भी साजिश है। भाजपा एक अलोकतांत्रिक पार्टी है। वह असहमति को अपनी शक्ति मानती है। जब देश के अधिकांश राजनीतिक दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं, तो उसे लाने की क्या जरूरत है? सरकार क्यों जिद कर रही है? वक्फ बिल का लाना भाजपा की सियासी हठ है। वक्फ बिल भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है। ? (व्यवधान) वह तो आपको काटेगा और इसलिए काटेगा, क्योंकि बाहर ये लिखते हैं-?सत्यमेव जयते ।? भाजपाई अंदर असत्य बात कहते हैं। भाजपा वक्फ बिल लाकर अपने उन समर्थकों का तुष्टीकरण करना चाहती है, जो भाजपा की आर्थिक नीति, महंगाई, बेरोज़गारी, बेकारी और चौपट अर्थ-व्यवस्था से छटक गए हैं। जब से वोट में गिरावट आई है, खासकर उत्तर प्रदेश में भी, तब से भाजपा की कोशिश है कि अपना वोट कैसे संभाला जाए? वोट को संभालने के लिए यह बिल लाया गया है। भाजपा का लक्ष्य वक्फ की जमीनों पर नियंत्रण अपने हाथ में लेकर, इन जमीनों को पिछले दरवाजे से ये अपने लोगों को दे देना चाहती है। भाजपा चाहती है कि वक्फ बिल लाने पर मुस्लिम समुदाय को लगे कि उनके हक को मारा जा रहा है, वे उद्वेलित हों और भाजपा को ध्रुवीकरण की राजनीति करने का मौका मिल सके।

महोदय, भाजपा का लक्ष्य ही है कि ध्रुवीकरण हो, क्योंकि भाजपा जानती है कि जितना अधिक ध्रुवीकरण होगा, वे उतना ज्यादा लाभ उठाने में आगे रहेंगे। यह वक्फ बिल, जो लाया जा रहा है, वह अपने वोट बैंक को संभालने के लिए और समाज को बांटकर ध्रुवीकरण करके राजनीतिक लाभ हेतु लाया जा रहा है। इसके लिए यदि नहीं लाया गया होता, तो पहले से जितने फैसले सरकार ने लिए हैं, क्या उनसे प्रदेश या देश में कोई बड़ा बदलाव आ गया है? अगर स्मार्ट सिटीज़ की बात करें, तो कितनी स्मार्ट सिटीज़ बन गई हैं? आपकी नोटबंदी की वजह से न जाने कितना रुपया

कहां-कहां निकल रहा है? डर तो यह लगता है कि कहीं भाजपा वाले दूसरों का पैसा दूसरे के घर रखकर न पकड़वा दें। वक्फ बिल के आने से पूरी दुनिया में एक गलत संदेश भी जाएगा। इससे देश की सेक्युलर इमेज को बहुत धक्का लगेगा। यह बिल भाजपा की नफरत की राजनीति का एक और अध्याय है।

14.28 hrs (Shrimati Sandhya Ray *in the Chair*)

महोदया, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो आपने साथी संभाल लिए हैं। एक साथी तो मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है और जिनका हमने सम्मान किया, वे हमें कहां ले गए? आप हमें यहां छोड़ गए। राजनीति क्या है? हमने आपका हाथ पकड़ा और हम यहां आ गए। आप हमारा हाथ छुडाकर वहां चले गए। आप देखिएगा की कल हमारा और इनका हाथ न मिल जाए। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बिल भाजपा के लिए वाटर-लू साबित होगा, क्योंकि ये ऊपर से तो हां-हां कह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे साथी इनसे सहमत नहीं हैं। अंत में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यह वक्फ बिल कोई उम्मीद लेकर नहीं आ रहा है। यह एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका वोट बिखर गया है। ये मुस्लिमों में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम-इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नहीं नजर आता है। इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में बंटवारा कर दें।

बंटवारा तो अभी पीडीए करेगा। अभी आप देखिएगा।

सभापति महोदया, अभी हमारे एक सदस्य कह रहे थे कि चुनाव बहुत अच्छा होता है। इनसे बेहतर किसने चुनाव देखा होगा? वोट ही नहीं डालने दिया।

सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने दल और साथियों के साथ कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी इस बिल का विरोध करती है। अगर वोट डाले जाएंगे तो हम इसके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): On behalf of All India Trinamool Congress, under the leadership of Mamata Banerjee, I strongly oppose the Bill in its entirety.

Madam, the spirit of my speech is:

?तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा
इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा।?

This present Bill covers importantly two areas of waqf. One, manage religious affairs of the Waqf Board. One of the arenas is to manage, control, and supervision of the religious aspects of the Muslims. Two, providing power to the State Government to decide the disputes in respect of the waqf property, including land and building. Article 26 of the Constitution of

India provides that subject to public order, morality, and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right: (a) to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes; (b) to manage its own affairs in matters of religion; (c) to own and acquire movable and immovable property; (d) to administer such property in accordance with the law.

Madam, the waqf is an institution for religious and charitable purposes. The Muslims have the constitutional right to manage their own affairs in matters of religion because the waqf property belongs to Allah. They also have the right to administer such property. The purpose of the Bill is a clear breach of the right of Muslims to perform their religious duties and manage their religious affairs, and therefore it is completely in violation of Article 26 of the Constitution of India.

The Bill hits the basic structure of the Constitution. Under Article 246, sub-article 1, the Parliament has exclusive power to legislate a law under Schedule VII of List 1. Under Article 246, sub-article 3, the State Legislature has the power to legislate the law, which is an exclusive power. This means that land comes under List 2, under Entry 18 of the State List. Lands and buildings vested in or in the possession of the State come under Entry 35 of List 2 of the State List. In the proposed Waqf Bill, the Parliament has no power to legislate any law in respect of the land and buildings vested in the possession of the State in respect of the waqf property because the State only has the power to legislate such laws. Therefore, the Parliament is now encroaching upon the power of the States to legislate in deciding the question of the land and buildings of the waqf. Thus, it is completely unconstitutional and dehors Article 246, sub-article 3 of the Constitution of India. This also hits the basic structure of the Constitution. By exercising any power under List 1 or List 3, the power of States to legislate under List 2 cannot be encroached upon.

There is a difference between a waqf recognized by Muslim law and religious endowment and a waqf recognized by Hindu law on one hand and a public charitable trust as contemplated by English Law on the other. The question has been considered by the Privy

Council in Vidya Varuthi Thirtha vs. Balusami Ayyar long ago. Mr. Amir Ali, who delivered the judgment of the Board, observed: ?It is to be remembered that a trust in the sense in which the expression is used in English law is unknown in the Hindu system??.

> ?? When the gift is directly to an idol or a temple, the seisin to complete the gift is necessarily effected by human agency. Called by whatever name, he is only the manager and custodian of the idol or the institution? In no case was the property conveyed to or vested in him ??.

Similarly, there is a basic difference. The hon. Minister was speaking about the Hindu trust. The Muslim law relating to trust differs fundamentally from the English law. Hindu trust follows English law. Muslim law does not follow English law. This is the basic difference.

Mr. Ameer Ali said: ?The Mohammedan law owes its origin to a rule laid down by the Prophet of Islam; and means the tying up of property in the ownership of God the Almighty and the devotion of the profits for the benefit of human beings ? As the result of the creation of a wakf, the right of the wakif is extinguished and the ownership is transferred to the Almighty?. It is religious. If it is religious, it comes within the ambit and scope of Article 26 of the Constitution.

It further states: ?The manager of the wakf is the mutawalli, the governor, superintendent, or curator?. But in that capacity, he has no right in the property belonging to the wakf. The property is not vested in him and he is not a trustee in the legal sense. Therefore, there is no doubt that the waqf, to which the Act applies, is in essential features, different from the trust, as is known, to English law.

In Shayara Bano *versus* Union of India, 2017, Volume 9, SCC page 1, the Constitution Bench held that any legal provision should be made with the application of known principles of law. If any decision is taken without supporting principles of rule of law, it becomes unpredictable and such a decision is antithesis of a decision taken in accordance with the rule of law. This proposed Bill is just contrary to the well-settled principles of law, which is established in the country. Judgments have been pronounced not only by the Privy Council, but by the Supreme Court of India also.

Madam, the various provisions of the Waqf (Amendment) Bill, 2024 is manifestly arbitrary and therefore cannot be passed by the Parliament itself. The waqf system in Islamic tradition stands as a testament to the enduring values of charity, community welfare, spiritual dedication rooted in the principle of Sadaqah Jariyah.

Wakf properties in India form the backbone of the Muslim community?s social, cultural and religious life -- playing a pivotal role in maintaining their collective identity. These endowments sustain mosques, madarasas and cemeteries while providing essential resources to marginalized sections of society, especially in environment where minority communities often struggle for equitable access to public purposes. This is not there, namely equality and equitable access, in the case of the Muslim. This is the reason we are opposing it.

Over the years, excessive Government oversight has raised concerns about the erosion of autonomy and sanctity of waqf, which under Islamic law, is intended to function independently to serve its religious and charitable purposes. At the heart of the waqf system?s administration lies the State Waqf Board that acts as custodian of waqf properties, ensuring their proper management and alignment with the purposes defined by Islamic law. These boards have consistently worked to protect waqf properties from mismanagement.

Madam, the Waqf Act was centrally first introduced in 1953. Mr. Rijiju, the hon. Minister has also said this. Thereafter, so many Acts came including the 1995 Act, Amendment of 2013, and now this is coming. Now, by introducing clause 2, the title of the Act has been amended to Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency, and Development. There is no rational basis to make such amendment to the title of the Act. Every Act is intended to make the Act more efficient for development purpose.

For example, the Companies Act was enacted in 1956, thereafter re-enacted in 2013. The Act was brought to regulate the management, empowerment, efficiency, and development of the control of the companies. The Waqf Act, 1995, had various provisions for management, empowerment, efficiency, and development. Therefore, the proposed amendment to the title is

absolutely unwarranted. The title, which has been used for nearly 75 years, has no necessity to be amended unless the Government wants to have the satisfaction that something new has been done. The proposed amendment to the Waqf Act, which includes a tacit attempt to alter or dilute the historical and religious significance of the term ?Waqf?, is deeply concerning and warrants strong objection. The term ?Waqf? is not merely legal or administrative. It is a sacred concept deeply rooted in Islamic tradition and jurisprudence. Why are you taking this away?

The historical development of Waqf legislation in India is: the Bengal Waqf Act, 1934; the Uttar Pradesh Muslim Waqf Act, 1960; the Waqf Act, 1954; and the subsequent unification under the Waqf Act of 1995. They have always retained the sanctity of the term. These laws, while designed to provide statutory governance, have consistently respected the essence of Waqf as a concept grounded in the Islamic law.

Madam, the insertion of clause 2(a) tantamounts to nullifying all the earlier judgments, decrees, and orders of any court in respect of the Waqf and the Trust. This attempt is basically taking away the rights of the Muslims that they have accrued. Any attempt to nullify the Supreme Court judgment by legislative process is illegal and unconstitutional. Clause 3(IX) of the proposed Bill states that various sects and sub-sects have been created. This attempt to create sub-sects without having any rational object is not a good sign for any religion, caste, or creed. If the Constitutional provisions empower Parliament to create caste, sub-caste, or sub-class, only Parliament can do so like the Scheduled Castes were created in Hindus. But the Constitutional provision does not empower Parliament. Under the guise of the Waqf (Amendment) Bill 2024, they are creating Aga Khani Waqf, Bohra Waqf, etc. The intention to legislate such a classification of Waqf Board based on sub-sects shows that the Ruling Party has evil intentions. If the title speaks about unification, the creation of various Waqf Boards on the basis of sub-sects itself creates a de-unification between the sects and sub-sects of the Muslims.

Madam, Clause 3F(a) of the proposed Bill defines Government organizations, including municipalities, panchayats, and autonomous bodies of the Central Government under Part 9A

of the Constitution. Under the scheme of Part 9A, the municipalities and the panchayats are self-government and autonomous bodies. How can the properties of the self-government bodies be treated as Government properties? In a Constitutional provision, it does not make sense. By this law, the panchayat and municipality have been described as Government properties. It is not a Government property; they are local self-government bodies. There is a distinction. Therefore, this provision is bad.

Madam, the introduction of the definition of Government property seems to be mischievous. Why will Waqf be allowed to define Government property? This is an attempt to legalize illegal occupation or occupation of the Waqf property by Government organizations. There is another sin here. In the JPC, we said repeatedly, give us the data where the Government has occupied the Waqf property. Nothing is there. And in Rajasthan, there are extreme cases; 80 per cent of the Rajasthan Waqf properties have been occupied by the Rajasthan Government itself. Practising Islam for at least five years as a precondition for making Waqf is thoroughly unreasonable, irrational, and manifestly arbitrary.

Under the scheme of the Constitution of India, no person can be compelled to practice his own religion. If no person can be compelled to practice his own religion, then such person cannot be debarred from either offering his property to God or from being a Hindu or a Muslim or from any other religion. Practising religion means day-to-day performance of his religious duty. In a secular democratic country like ours, no one can compel anybody to perform any religious duty.

If such a provision cannot be made either in the Constitution or in any other statute, no mandatory provision can be made for practising Islam for at least five years for making waqf. Even if I discharge my religious duty on my own at any place, I cannot be compelled to say whether I am performing religious duty or not performing the same. How can anyone ask me whether I am performing religious duty or non-religious duty? Is it not a violation of the Constitution. What power has the Constitution given you to ask me whether I am discharging

religious duty or not. A man can believe in performance of religious duty at any point of time of his life, even before death.

Performing a religious duty cannot be the basis of belonging to that religion. Even in a Hindu Mandir, which is governed by an Act, like Puri Jagannath Temple or Kashi Vishwanath Temple, there is no such provision that a person has to practice Hindu religion for at least five years and then only he can donate anything to the deity. Madam, I cannot donate. If I want to donate, it is my choice. How can my choice be controlled? I donate everywhere. I donate in Hindu Mandir. I donate in Muslim property. I donate in the Christian property. I donate in the Buddhist property. I donate to vagrants. I donate everywhere. How can you control this act? By reason of insertion of this clause, no other person of a religion can make over any property to waqf. The proposed amendment is thoroughly misconceived, arbitrary and irrational, and therefore, violates Article 14 of the Constitution of India.

In this Bill, Clause 3(ix) omits the existing Clause 3R(i). That means waqf by user is being taken away. Waqf by user is a long-standing practice of Muslims. In our country, waqf by user has been a very common practice decades after decades, rather from time immemorial. Waqf by user is a practice. The concept of waqf by user was recognized in our country in the case of Court of Wards for the property of Makhdum Hassan Bakhsh vs. Ilahi Bakhsh & ors., 1912, HCC online, page 45. Madam, the hon. Supreme Court in the matter of Syed Mohd. Salie Labbai (Dead) by L.Rs. and others vs. Mohd. Hanifa (Dead) by L.Rs. and others,1976, in paragraph 34, 36 and paragraph 39, categorically accepted this waqf by user.

There is a necessity in case of prayers offered in congregation. A single Muslim can also offer his prayers with or without an imam, but the prayer is in a congregation of a Jamaat or offered only behind an Imam who leads the prayers. And Islam is an extremely modern and liberal religion. There is no question of any person being denied admission in a Mosque for the purpose of offering prayers. And that is why the law is so strict that the moment a person is allowed to offer his prayers in a Mosque, the Mosque becomes dedicated to the public, and therefore it's a waqf property.

Finally, it is not necessary for the dedication of public mosque. Madam, in that judgment, it has been said that when a person erects a building with the object of dedicating it as a mosque and permits people to offer prayers therein without declaring that he has constituted it into a mosque and prayers are offered and they build Jamaat, the mosque becomes irrevocably dedicated.

Madam, I will just give one instance. In the Raisina village, where the residence of the President of India is there, there was a big village long back. In the big village, there are so many Muslims. One Hindu dedicated his property for offering their namaz, and that property is the mosque in front of Parliament.

Who has not gone there? Shri Abdul Kalam had gone there. All important political leaders, including Bhutto and the Imam, who is sitting here as one of our colleagues, a Member of Parliament, have also gone there. If prayers are offered once in a mosque, it is sufficient to constitute a good dedication. Dedication has been clearly said. Paragraph 39 of the judgement reads. ?The founder must declare his intention to dedicate a property for the purpose of mosque. No particular form of declaration is necessary. The declaration can be presumed from the conduct of the founder, either expressed or implied.? If this is the principle of law, long-standing in our country, how can you say today, ?You have to register waqf by user. You have to give a declaration??? I do not need to do that. Therefore, through this Bill, you are trying to take away the basic reason of all the judgements of the Supreme Court. This is not correct and this is bad.

Madam, Shri B.K. Mukherjea said, ?Neither a document nor explicit expressed words are essential for dedicating property to religious or public purposes; such dedication can be implied from the permitted use of property for sufficient period of time. The conduct of those properties is presumed to indicate dedication.? It has been said by Shri B.K. Mukherjea on Hindu law of religious and charitable trusts. I do not think that there is anyone in India who understands Hindu law better than Shri B.K. Mukherjea. There is no one. He has said so in his book.

Anyway, new concepts and smart men have come like a smart phone. Therefore, everything is being done.

In the case of M. Siddiq through Lrs Mahant Suresh Das, 2021 SCC 1, `wakq by user? has been expressly mentioned. Our jurisprudence recognizes the principles of `Waqf by user? even absent and express deed of dedication. This is being taken away. It is a long judgment, I will not read it. Therefore, it hits the basic things.

Please refer to Clause 3, sub clause 5 of the proposed Bill. The right of verbal declaration of waqf has been taken away. This is contrary to the history of creating waqf by any individual. Several properties are dedicated waqf by a good number of persons to be made as waqf property.

Madam, there is deletion of the word `either verbally or in writing?. The right of the Muslim is protected under Articles 25 and 26 of the Constitution. Therefore, it hits the basic structure of the Constitution.

Now, I refer to the case of Commissioner of Police Vs. Acharya Jagadishwarananda Avadhuta (2004) 12 SSC 770. It pertains to our State. When CP(I)M was in power, they killed Ananda Margis. In that case, this judgment has come. The protection guaranteed under Articles 25 and 26 of the Constitution is not confined to matters of doctrine of belief, but extends to acts done in purpose of religion, and therefore contains a guarantee for rituals, observances, ceremonies, and modes of worship which are essential or integral part of religion. What is waqf then? It is an integral part of religion. Essential part of religion means the core beliefs upon which a religion is founded. The core belief of the Muslim is that Allah is there, I have dedicated my property to Allah, therefore it is a waqf property. It is upon the quintessential power that the superstructure of a religion is built without which religion will be no religion. Nobody can say that essential part or practice of one's religion has changed from a particular date or by an event.

The proposed amendment clause proceeds with the assumption that waqf properties are riddled with the issues of mismanagement. It appears that the primary basis of this assumption

is the quantum of pending litigation surrounding waqf. If this is the basis of identifying a body as mismanaged in terms of the pending litigation, it cannot be a rational basis of determining the standard of management of a body.

In fact, the hon. High Court of Delhi in one of the cases against Union of India has given the details of the pending cases. If pending cases are the ground for bringing the legislation, now I tell you the statistics. The number of pending civil cases in the Supreme Court is 64,687. The number of pending criminal cases in the Supreme Court is 18,235. The total number of pending cases is 82,922. In waqf, all over India, 14,000 to 15,000 cases are pending. It cannot be said to be the basis.

In Clause 4, there is insertion of section 3B which mandates that every waqf, prior to the commencement of this Act, shall file the details of the waqf and the property dedicated to the waqf. I have already dealt with that. The Waqf Board under this statute has declared a property to be waqf. In that case, the Government has challenged the same before the appropriate court of law. Madam, this is very important, I have missed it.

According to the Minister, the State Government officer above the District Magistrate will decide the issue. How it can be so? How can the State be a judge of its own cause? The State will decide: ?This is my property, and it will be binding.? The problem is this. The moment it will be claimed, it will not be treated as a waqf property. The title of the land can be decided only by the civil court, not by anybody else. The power which has been given to decide the title of this land whether it is a Government land or not, that is covered by the State List under Entry 35 of List II in the Seventh Schedule of the Indian Constitution. The Parliament has no power to legislate law in respect of that. If the Waqf Board under the main statute has declared a property to be waqf, and in case the Government has challenged the same before the appropriate court of law, by amending this law, it cannot be done. A person cannot be a judge of his own cause. It has to go to a civil court. It is a well-known principle. Everyone knows about it. If there is a dispute regarding a civil law, who will decide? It will be decided by a civil court. The proviso itself indicates the predetermined mind of the Government. The Waqf

Board itself is a statutory body. According to Section 3C (4), if there is any wrong writing in the records of the Waqf Board, that can be challenged by the Government in accordance with law. The Government cannot direct the Waqf Board to make the correction. This itself is hit by the doctrine of dictation.

The hon. Supreme Court time and again reiterated that revenue records are not documents of title and they do not vest the right of ownership as the property to the individuals named in the land records. So many references are there. These are elementary things. Any law student also knows about this bunch of laws. Unfortunately, this has not been taken care of by the Central Government. In Clause 5 (e), the proposed amendment amounts to creating sub-classes amongst the Muslims for the purpose of giving birth to disputes. Coming to Clause 9 of the proposed Bill, proviso to Clause 9 is totally unacceptable as it provides that two Members appointed under this sub-section shall be non-Muslim. The exclusion of Muslim community persons from holding the post of two Members in the Waqf Board is hit by Article 14 of the Constitution of India which provides equal opportunity to everyone.

In the case of Hindu temples, the non-inclusion of Hindus cannot be imagined. We cannot imagine it. For example, under Section 6(2) of the Uttar Pradesh Sri Kashi Vishwanath Temple Act, it has been specifically mentioned that there are three eminent Hindu scholars well-versed in Hindu theology. A line has been said, a point has been taken to see. This is the State law. But it is a Central law. A law is a law. Law means it is within the ambit of Article 246 of the Constitution of India. Law does not mean beyond Article 246. If a law is within the ambit of Article 246 of the Constitution of India, there cannot be discrimination between a State law and a Central law. An unthinkable stand has been taken. I cannot think about this. After 44 long years of practice, I cannot say, I cannot think that no, it is a State law; it cannot be compared with a Central law. What is this? A law is a law. Law is having its own force. Read Article 13 of the Constitution of India also. What is law?

15.00 hrs

Clause 11 of the proposed Bill is seeking amendment of Section 14. The amendment of the original Act suffers from same illegalities. Clause 14 of the proposed Bill whereby Section 20A of the original Act, that is removal of the Chairperson by vote of No-Confidence, has been deleted. Such deletion is also improper and illegal. It is because if the Chairperson does not enjoy the confidence of other Members, how can he sit there? It is a question of democracy. Madam, can you sit there if you do not enjoy the majority and the confidence. If you cannot enjoy the confidence of the majority, you have to leave. That is the democratic setup in our country.

Madam, amendment of Section 36 sub-section (iii) is effectively taking away the power of the Waqf Board regarding receiving of registration of waqf, and such an amendment has been envisaged to empower the Central Government in an indirect manner to control everything. All powers have been taken away. Why are you not making it? The Minister of Minority Affairs will decide everything. He will be the supreme person and nothing is required. It is finished. You can do it.

Clause 20 of the Bill is amending Section 40 of the original Act. If Section 40 is deleted, the Waqf Board itself will be a toothless doll. If Section 40 is amended and Section 40 is taken away, the Waqf Board will be a toothless doll only. If Section 40 is deleted, then there is no necessity to keep the Waqf Board itself. Do not keep it. Keep the power with the Minister in the Central Government. The Minister will decide. What is the necessity of a Waqf Board? Everything will be done by him. Clause 20 is taking away the power to regulate a statutory body like Waqf Board.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI KALYAN BANERJEE: Madam, I will take some time. I am reading very fast. I am going very fast.

The proposed Amendment Bill under Clause 21 seeking amendment of Section 46 of the original Act once again empowers the Central Government to make regulations with respect to so and so. Therefore, the power of the State Governments has been taken away. Does it not

violate the federal structure of this country? Every power of the State Governments has been taken away. Only the Centre will do it. Does it not violate the fundamental character of the Constitution?

Clause 22 of the Bill is seeking amendment of Section 47 of the Act. The proposed amendment empowers the Central Government to call for the audit of any waqf by the C&AG. How can the C&AG make an audit? The C&AG can make an audit in the case of the Consolidated Fund under the Constitution. How can the C&AG make an audit beyond the Consolidated Fund? This is absolutely illegal and improper.

Madam, as regards Section 50, under the existing provision of the Waqf Board, mutawalli is there.

Then, comes Section 83. By the proposed amendment, the number of members of the Tribunal has been reduced to two, and it removes one person having knowledge of Muslim law. This has been done and has been amended.

Now, the order of the Tribunal goes to High Court under appeal. Now, it is a statutory appeal. There is no provision for condonation of delay, if there is any delay. It is a direct and statutory appeal. You have not given any power to grant any interim relief to the persons. How can it be an adequate remedy? Earlier, it was there. One could have gone, as per Article 226 of the Constitution, for a judicial review. The High Court is having the power to condone delay and also to pass an interim order. You have also taken away this power. Therefore, this provision is not an adequate remedy so far as the waqf property is concerned. The High Courts have not been given any power.

Madam, now, I come to Sections 107 and 108. I am going very fast. I am not taking even water. The proposed amendment has an effect on the decision to replace the Survey Commissioner. Then, in Clause 41 of the proposed amendment, Section 107 of the Act is deleted, and thereby applicability of the Limitation Act is dehors. How will the Limitation Act be applied? If the Limitation Act will apply, so many disputes will come. This is the intention of the Government. It is open. सब ओपन, सब खुला है अभी, अभी खुल गया है रास्ता, इंडिया में ताला लगा दो, हिन्दू-

मुस्लिम, हिन्दू-मुस्लिम लगा दो, यही तो उन लोगों इंटेंशन है। इससे क्या होगा? This is not correct. This is completely bad.

The proposed Waqf Bill proposes significant things. In Hemaji Vs. Bhikabhai, the Supreme Court has criticised the concept of adverse possession as unjust, and it was urging reforms to protect rightful property. Therefore, this is a clear attempt on the part of the Government to curtail the rights of the Muslims in our country. यह ठीक नहीं है।

?हिन्दू या मुस्लिम के अहसासात को मत छेड़िए,
अपनी कुरसी के लिए जज्बात को मत छेड़िए,
छेड़िए एक जंग, मिल-जुलकर गरीबी के खिलाफ,
दोस्त मेरे, मज़हबी नग़मात को मत छेड़िए।?

?हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं,
मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिन्दुस्तान कहते हैं।?

?अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए,
जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए।?

Madam, thanks.

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Madam, Chairperson, thank you for giving me an opportunity to express my views on behalf of the DMK Party.

I have listened the courageous speech of hon. Minister with rapt attention and I wondered how he got such a courage to explore the entire cock and bull stories in the Parliament.

I dare to say, hon. Minister, please go through your speech tomorrow by text, compile the text and do tally with the JPC Report and the documents submitted with the JPC. If it tallies, I will resign from this House.

You recall your memory when you introduced this Bill. You said what prompted you to introduce the Bill. One of the classical examples that has been given by you is this. The reason for this Bill to be piloted when you introduced is, in Tamil Nadu, in Tiruchirapalli district,

an entire village running thousands and thousands of acres is described as waqf property. The JPC came to Tamil Nadu. The district collector came to depose evidence and the Secretary of the Revenue Department came to give evidence. The CEO of the Waqf Board came to give evidence. All the three officers came to the JPC. The Chairman is sitting here. They deposed the evidence. The cock and bull story that has been built by you and expressed by you has been demolished. In spite of the cock and bull story?.. ? (*Interruptions*)

Having said that as cock and bull story, now, you are coming with a new cock and bull story to say that the Parliament Building was given to Waqf Board.

Madam, the irony is this. The minority rights are going to be protected by way of this Bill whereas their party has no Members of Parliament from the Muslim community. There is no Muslim MP to introduce and pilot the Bill and support the Bill. They are not able to produce a single Member of Parliament and they are giving moral advice to us on how secularism can be protected.

Madam Chairperson, today, it is a remarkable day for the Indian Parliament to design our destiny, whether the secular country is going to travel in the path which was well-written by the forefathers or the freedom fighters in the Constitution or it is a negative way as decided by the communal forces in the country.

Madam, I want to start my speech by quoting the resolution passed by the Tamil Nadu Assembly. This resolution was moved by none other than the Chief Minister of Tamil Nadu Mr. M. K Stalin. The resolution was unanimously passed. I quote our stand.

> ?The Waqf Bill as introduced by the Parliament is against the minorities rights, against the religious freedom, Unconstitutional, contrary to the purpose of waqf, inconsistent with judicial findings, unnecessary and confusing. If passed, it will cripple waqf institutions and harm the Muslim community. Therefore, the Assembly urges the Union Government to completely withdraw Waqf (Amendment) Bill.

Madam Chairperson, is it not a paradoxical question that the political will, the sovereign will of the entire country, seems to be or is deemed to be reflected in this House, whereas the

political will of Tamil Nadu, reflected in the State Assembly, is not only inconsistent but completely diametrically opposite? If this difference and diametrically opposite component is not going to be accepted by you, then there will be a question regarding the integrity of this country; please note it.

Madam Chairperson, I want to take you back to the year 1949, soon after Independence, when the Constitution was being made. You will be happy that your favourite leader, the iron man of this country, Sardar Vallabhbhai Patel, is being celebrated despite the false claims. However, I want to put forth my views from the mouth of Sardar Vallabhbhai Patel who was the Chairman of the Advisory Committee for Minorities in the Constitution Assembly. He was the Chairman. Who were all the members? The President of India and the President of the Assembly, Dr. Rajendra Prasad, Pandit Jawaharlal Nehru, later the Prime Minister, Dr. Ambedkar, and Dr. Munshi. It was headed by Sardar Vallabhbhai Patel. The Committee took a decision, and a report was placed before the Constitution Assembly on 25th May 1949. He himself says, I quote:

?A sub-committee of five persons was appointed by the Advisory Committee in which our revered President was also one of the members, Pandit Jawaharlal Nehru, myself, Mr. Munshi, and Dr. Ambedkar were the members of the Committee. The Committee met and made its report in February.?

Finally, he placed the report and moved it in the Constitution Assembly. What was his plan when he was moving? I quote again:

?If they, (that is, Muslims) really have come honestly to the conclusion that in the changed conditions of this country, it is in the interest of all to lay down real and genuine foundations of a secular State, then nothing is better for the minorities than to trust the good-sense and sense of fairness of the majority, and to place confidence in them.?

The second part is very important; I quote again:

?So also it is for us who happen to be in a majority to think about what the minorities feel, and how we in their position would feel if we were treated in the manner in which they are

treated. But in the long run, it would be in the interest of all to forget that there is anything like majority or minority in this country and that in India there is only one community. With these considerations, Sir, I move that the Report of the Advisory Committee be taken into consideration?.

This is the voice of Sardar Vallabhbhai Patel in the Constitution Assembly. You are celebrating 75th year of our Constitution. We want to harvest the legacy of Sardar Patel. Those who wanted the legacy of Sardar Patel in Constitutional terms are opposing the Bill, while those who wanted to erect the statue of Vallabhbhai Patel and erase the concept of Vallabhbhai Patel are supporting this Bill. That is the problem.

Madam, I may be permitted to go to the genesis of the Waqf Act which was originally enacted in the year 1954. After that, the Act was amended frequently in 1959, 1964, and 1969. Thereafter, comprehensive amendments were made in the year 1984. My sincere question to the Treasury Benches and the hon. Minister is this. Right from 1984, whenever amendments were brought to this House, there was a basis; there were deliberations; there were consultations with stakeholders on the basis of approval by the Parliament or by the President of India or the Prime Minister of India.

The Waqf (Amendment) Act, 1984 came into existence on the basis of the report submitted by the Waqf Inquiry Committee which was appointed by the Parliament in 1970. So, a Committee was formed in the year 1970. Its report was placed after 14 years. The amendments were made. I was surprised when I went through the document of 1970. What a beautiful and sensible deliberation took place in 1970. In spite of that, the protests were made against the Waqf Act of 1970, and later, it came in 1984.

Madam, if at all so many recommendations were made in 1970, in 1984 the Parliament had taken up two amendments, one is for limitation, which was extended to 30 years for the wakf properties, and the second one is related to the Act applicable to the evacuee properties. No other provisions were implemented, not because of the protest of the Hindus, but because of the protest of the Muslims themselves. It was fairly accepted by the Nehruvian Government.

After that, the Waqf Act of 1995 came into existence. What I wanted to impress upon the Minister and the House is that whenever the amendment came into existence, on the reasonable basis, on the institutional outcome, the amendments were done. Take for example, the Waqf Act of 1995. How the Waqf Act of 1995 came into existence? As per the Waqf Act of 1995, it is mentioned in para 2 of the Statement of Objects and Reasons:

> ?Comprehensive amendments to the Wakf Act, were, made by the Wakf (Amendment) Act, 1984 which were based largely on the recommendations of the Wakf Inquiry Committee set up in December, 1970 to enquire in to administration of wakfs at all levels and in response to a demand made in Parliament by the Members during a discussion on the Wakf (Amendment) Bill.?

Only two amendments were there. Thereafter, the demand was made by the Muslim community to have a relook. Accordingly, it was placed in the Parliament, and the Waqf Act of 1995 came into existence.

Again, I want to take the Waqf (Amendment) Act, 2013. In 2013, what were the basis? Please read paragraph 2 of the reasons and objectives:

> ?A High-Level Committee was constituted for preparation of a comprehensive report on the social, economic and educational status of the Muslim community of India, submitted its Report to the Prime Minister on 17th November 2006, which is known as Sachar Committee Report.?

So, what I wanted to say, whether it is the Waqf Act of 1984, whether it is the Waqf Act of 1995, whether it is the Waqf Act of 2013, there were basis, there were consultations, there were consensus arrived, and then a White Paper was filed in the Parliament. Then, the Government brought the amendments. Please tell me, on what basis this Bill is being brought to the House. On what basis, can you say that so many stakeholders were consulted? How many stakeholders came to the JPC and substantiated their claims? There was nothing. The way in which the Bill is brought and piloted is something surreptitious.

Now, I am coming to the ?Statement of Objects and Reasons? of the present Bill. The present Bill says in paragraph 2 that:

?Based on the recommendations of the High-Level Committee under the chairmanship of Justice (Retired) Rajinder Sachar and the Report of the Joint Parliamentary Committee on Waqf and Central Waqf Council and after having detailed consultation with other stakeholders, comprehensive amendments were made in the Act in the year 2013.?

This is the admission of the Government.

Then, you start saying in the same paragraph like this. So, I quote, ?Despite the amendments, it has been observed that the Act still requires further improvement to effectively address issues related to the powers of the Waqf Board, registration, survey of the properties, removal of encroachments, including the definition of the Waqf. You mentioned these five components. In addition to the 2013 Act, and despite the Sachar Committee Report, you wanted to address five more components, which, according to you, were missing in the erstwhile Act.

Now, I come to these five pillars. I can easily demonstrate that the ?definition of the Waqf? has nothing to do but to artfully confuse people for the non-existence of waqf. ?Removal of the encroachment? is nothing but empowering the Government to grab the property. ?Survey of the property? is nothing but a mockery because the Government of India has already filed an affidavit before the Supreme Court that more than 90 per cent survey is already over. ?Registration of waqf? is not at all humanly possible, according to your text. I will come to that. Enhancement of ?powers of the State Boards? will make it a recreation club. I will demonstrate that as well.

As a student of law, I got anguished when I saw the amendments, and I challenged the Minister with due humility to show one improvement in terms of these five heads beyond the 2013 Act. If he did so, I would be ready to salute him. But you cannot do it.

Madam, I have been in the Parliament for more than 20 to 22 years, I know the legislative business. Being a lawyer, I am well-versed with all the nitty gritty of it. But have you

ever come across where a Bill is being brought to the Parliament cunningly and cleverly to remove the amendments, which were brought in 1995 and 2013 after due deliberation and by approval of the same Parliament? If you are really honest, you must repeal the 2013 Act, you must repeal the 1995 Act because most of the amendments brought in 1995, and then in 2013 were completely removed by way of these amendments. What does it mean?

I want to quote Shri V. R. Krishna Iyer, a known jurist. I quote, ?Parliament is a great inquest of the nation, the great auditor and ombudsman of the executive, the final arbiter, policy monitor, and destiny designer of the people?, I unquote. I dare to charge the Government that this Parliament is being used as a mere ventilating chamber, and it has been undermined. It is nothing but an unpardonable onslaught on the constitution of religion. One day, you will repent.

Now, I will turn to the provisions of the Bill. My learned friends, including Shri Kalyan Banerjee, Shri Akhilesh Yadav and everybody else mentioned about the provision ?any person practising Islam for at least five years?. If it is so, then nobody should be indulged in such Contrivance. Where have you got all this language? I am a Hindu. I may be a believer. I may not be a believer. But when I am entrusted a property, will you measure my honesty? If I am honest or not if I am a fraud, but following Hinduism is useless and nonsense? You never bother about honesty and transparency. You are concerned about only religion. That is the problem. I have never come across such a provision in any other country?s legislation. How can you measure the honesty of the people? *....(Interruptions)*

I still have time left. I can get the time from Congress also. They have accepted it. *....(Interruptions)*

THIRU DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Sir, there is too much of interruption. He even could not speak in the Joint Parliamentary Committee. *....(Interruptions)*

SHRI A. RAJA : I am coming only to the definition. The attempt that has been made by the Government, according to you, you were saying that you were not indulging in contrivance, but your entire attempt, I want to say, is nothing but a diabolical contrivance.

Then you have added new sentences. What are these sentences? There is Section 3A. What is happening in this country? Have you come across the Transfer of Property Act? Section 3A states that only the real and original owner can donate the property as waqf. What is this? Only the owner can transfer. If a non-owner is transferring the property, it is not alienated; it is invalid. I can spend my own money, but if I am taking money from my brother, it is stealthy. Why are you bringing such an Act? I am not able to understand it. Then there is Section 3B. ? (*Interruptions*)

Madam, it is a serious issue. All these things are newly introduced. Section 3C states: ? Any Government property identified or declared as waqf property, before or after the commencement of this Act, shall not be deemed to be a waqf property.? I do not know how many lawyers are in the House. How is the Government property identified and declared as waqf property? Who will identify? Who will decide? Who will investigate? You will declare. You will identify this property as mine, and you do not deem it as waqf property. Of course, all the Constitutional bodies have discretion. Justice Patanjali in 1960 said: ?Yes, we have judicial discretion, but judicial discretion should not be a caveman?s discretion?. Your discretion here is a caveman?s discretion. In the name of improvement, the Government attempts to defeat the concept of waqf, and they want to snatch the entire waqf property in the name of the Act for the Government.

Coming to the second point of survey of the waqf properties and removal of the encroachment, that itself is contradictory. The survey of the property is affirmative; encroachment of the waqf property is negative. You wanted to club it together. In Section 4, there is a provision for survey of the property for the waqf in the present Act. A Survey Commissioner has been designated and appointed by the Government, independent of the Government; he is not a Government officer. When a dispute comes to the Government and the Waqf Board, an independent officer must follow the civil procedure code to investigate the title and come to a conclusion. He is a civil court. Now, the Survey Commissioner has been replaced with a District Collector. My honest question is this. In any dispute between the Waqf

Board and the Government, how can a collector be a judge? You know the principle of natural justice. No one can be a judge in his own cause. The same Collector is sitting and deciding who is the owner of the property. It is unknown to the law, unknown to criminal jurisprudence, and unknown to the entire legal fraternity. How can a Collector investigate?

Then, this Bill wants to revisit encroachment. The survey is over; now next is encroachment. Please hear me. You mentioned that you wanted to revisit encroachment according to the Statement of Objects and Reasons. Section 54 deals with encroachment. Please see the Bill. Has there been any small attempt? Did you change a full stop or a comma? Did you change a single letter in Section 54? You did not change anything, but you are claiming in the Statement of Objects and Reasons that you wanted to revisit the Bill. On the contrary, as my friend put it, you wanted to make very stringent laws to protect the minorities of the country. The present Act talks about rigorous imprisonment and penalty. You are saying that it is simple imprisonment. The offence committed in the Act presently is cognizable and non-bailable; you are making it bailable. I want to recall the Bilkis Bano case. The same thing has happened here also.

Then, I would like to mention about Tribunals. As a student of law, again I am saying that with the creation of tribunals itself we want to segregate the lengthy process of the judicial process in the Civil Court, High Court and Supreme Court. Hence, we are having so many Tribunals. The Telecom Tribunal is there, Income Tax Tribunal is there. Why is it so? There were a lot of cases in the Civil Court, District Court, Subordinate Court, and High Court. So, such simple and peculiar matters should be referred to the specific court for which the Constitution permits to constitute a Tribunal.

You constituted a Tribunal and very clearly said that the Tribunal?s decision is final. Why is it final? Already the Survey Commissioner has been conferred with the powers of Civil Court. He is not an individual man. He is an institution under law. He is following the Civil Procedure Code (CPC) and the erstwhile Indian Evidence Act; he himself is the first court. The second court is the Tribunal. A third court, is permitted in the law. S*uo moto* or on application, it can go

to High Court. Where is your problem? ? (*Interruptions*) But you wanted to say that the Tribunal is not final; you will decide it. What type of jurisprudence are you having?

Now, I come to the issue of registration in 36(1). ? (*Interruptions*) Madam, I will take only five minutes. Please allow me. ? (*Interruptions*) Yes, the Minister is having patience. ? (*Interruptions*) Earlier, the waqf property could be declared by virtue of Section 36(1) as waqf property after the due process. What is the process? The Act itself says it. Now, you want to bring Section (7A). What does Section (7A) say? It is a peculiar provision, which will defeat entire waqf properties. Kindly permit me to read Section (7A). Now, the new provision Section (7A) states: ?? The property shall not be registered unless the dispute is decided by a competent court?. The power has been entrusted to the Collector. The Collector will hear the matter for registration and during the registration, if any dispute is found, then the final decision will not be taken. It will be decided by the court, up to the Supreme Court.

Thereafter, sub Section (10) states that no suit and no appeal will lie upon that. What does it mean? You wanted to say that this property is not waqf property; go for the dispute; it will go to Supreme Court; it will take 30 years; and till then this property will be deemed a Government property. What does it mean? Then, I come to the Register. The Register also is completely impossible in the way it has been drafted.

As regards the constitution of Boards, all Members have spoken about it. I do not want to take much time on it. Why are you injecting non-Muslims? The Hindu Religious Endowment Board Act is there in all States including Tamil Nadu. What happened in Tamil Nadu? In one temple, so many acres of land were available under HRCE. Out of its income, the HRCE Board decided to run an arts college. Recruitment was made for Professors. One Muslim came on merit.

Immediately, the RSS and Hindu Union gave a categorical statement: ?It is our property. Why are you accommodating a Muslim professor?? Now, you are saying that property is something different and religion is something different. Please do not teach lessons. Our prayer is, religion is something different and politics is something different. Do not mix it. That is our

prayer. If you want to save this country with integrity under the secular fabric, please segregate politics from religion.

Now, section 40 is very important. Section 40 states that any property of any trust or society registered in pursuance of the Indian Trusts Act or under the Societies Registration Act, or under any other Act, is Waqf property, the Board may notwithstanding anything contained in such Act, hold an inquiry in regard to such property by way of survey and come to a conclusion that it is a Waqf property? Why are you removing this provision? What is the reason given for this? It was not at all deliberated in the JPC.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI A. RAJA : Madam Chairperson, I am concluding my speech. Lastly, section 108(a) speaks about overriding power; the safeguard. Take the Protection of Civil Rights Act, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes
(Prevention of Atrocities) Act, or the Dowry Prohibition Act, whatever be the special legislation made either by an Assembly or by Parliament, such an overriding power must be there to protect the interests of a particular community. You are removing that.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI A. RAJA: Madam, soon after Independence, the then Prime Minister of India wrote to all the Chief Ministers of India. I am quoting from the official record, a letter to the Chief Ministers by the then Prime Minister:

> ?We have a great deal of evidence to show that an organisation which is in the nature of a private army and which is definitely proceeding on the strictest Nazi lines, even following the technique of organisation. The Nazi party brought Germany to ruins and they have little doubt if these tendencies are allowed to spread and increase in India, they would do enormous injury to India. No doubt, India would survive but she would be grievously wounded and would take a long time to recover.?

Who said it? It was Pandit Jawaharlal Nehru. Which was the organization? RSS! I warn this Government, do not go along with RSS. Thank you.

SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI (BAPATLA): Madam Chairperson, I rise today to talk about the Waqf (Amendment) Bill 2025. The Muslim community in our country needs to be provided with support for their upliftment. This minority community faces economic, educational, and social hardships. As per NSSO, nearly 31 per cent of urban Muslims live below the poverty line. Their average monthly per capita expenditure is among the lowest across all major religious groups. Despite constituting 14 per cent of the population, Muslims hold a mere four to five per cent of Government jobs and less than three per cent in corporate employment. Their high dropout rates in secondary and higher education add to their struggles, preventing their upward mobility. There is a need to take care of their welfare and uplift the lives of the minorities.

In light of these challenges, the presence of the vast waqf properties valued at over Rs. 1.2 lakh crore and covering approximately 36.18 lakh acres present an opportunity for economic and social transformation.

However, these properties have largely been underutilized due to administrative inefficiencies and mismanagement and several times with mala fide intentions. Our Party firmly believes that these resources must be used for the welfare of the Muslim community, particularly the women, the youth and the downtrodden.

Madam, there is a need to take care of welfare and upliftment of the lives of the minorities. In support of this vision, we are the first Party that advocated for the establishment of the Joint Parliamentary Committee. The functioning of the Joint Parliamentary Committee has been both extensive and transparent. The Committee's engagement was one of the most inclusive in the entire parliamentary history. The Committee engaged with 284 stakeholders, 25 State Waqf Boards, 15 State Governments and various ministries. A total of 97.27 lakh representations were received, considered and discussed. The deliberations spanned over 128 hours and 10 minutes. The result of this humongous exercise was the 944-page report and a revised Bill with 14 amendments. Among these, our Party, the Telugu Desam Party, suggested three important amendments to ensure the welfare of Muslims.

One crucial amendment ensured the prospective application of the Waqf-by-User Clause. This means that all existing waqf properties registered under this provision will remain protected even without a waqf deed. By ensuring this amendment, the TDP safeguarded the interests of the Muslim community and ensured that their properties shall remain intact.

Our Party also played a pivotal role in strengthening the State authority regarding disputes over wrongful claims by the Waqf Boards. We moved an amendment replacing the District Collector with a designated officer above the rank of the Collector to handle such disputes. This amendment empowered the State Governments to appoint a higher-ranking officer, ensuring a more robust, fairer, broader and larger resolution process because we feel there is a need to take care of the welfare and upliftment of the minorities.

The TDP also proposed an amendment to extend the timeline for uploading Waqf property documents on the Central Portal. Originally, the Bill required registration within six months, but recognizing practical challenges, we pushed for an extension. The JPC accepted our proposal, allowing the Waqf Tribunal to grant extensions in selected cases where valid reasons for delay exist. This ensures that all waqf properties have sufficient time for proper registration. We still feel that there is a need to take care of the welfare and upliftment of the lives of the minorities. The TDP has put in effort to safeguard the Muslim interest and ensure their welfare.

The YSRCP has merely played politics instead of working for the true development of the minorities in the State. Their representative on the JPC has attended just 18 of the 38 JPC meetings, whereas our Party has attended close to 90 per cent of the meetings to protect the rights of the minorities. They have treated Muslims as nothing more than a vote bank, while we see them as an integral community that deserves protection and upliftment. The TDP?s role in shaping this Bill shows our commitment to Muslim and minority welfare. Ensuring the welfare of minorities has always been the top priority since the formation of our Party. Under the leadership of our founder, Shri N. T. Rama Rao Garu, in 1985, TDP established the Minorities Finance Corporation, the first of its kind in India to provide financial assistance and business

opportunities for Muslims. Under the visionary leadership of Shri Chandrababu Naidu Garu, welfare, upliftment and empowerment for the minorities has always remained a priority for Telugu Desam Party.

On 25th July, 2002, Dr. APJ Abdul Kalam was sworn in as the 11th President of India. Please recall that our hon. Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu proposed his name.

In 1991, Shri Lal Jan Basha Ji was elected hon. Member of Parliament to this House.

In 1996, TDP declared Urdu as the second official language under the leadership of our Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu Ji, improving educational and administrative opportunities for Muslims.

In 1998, TDP established the Maulana Azad National Urdu University in Hyderabad and one more university in Kurnool.

In 2001, TDP established a Hajj House in Hyderabad, one more in Vijayawada and also launched air travel facilities. We introduced Ramzan Tohfa Scheme, providing financial assistance to 10 lakh Muslim families annually, spending Rs. 50 crore to Rs. 60 crore each year. We provided monthly salaries to Imams and Mouzams, ranging from Rs. 5,000 to Rs. 10,000. ? (*Interruptions*) We spent Rs. 4,000 crore on minority welfare programmes between 2014-19. ? (*Interruptions*); introduced "Dulhan Scheme", offering financial aid of Rs. 163 crore to 32,722 minority brides; started Foreign Education Scheme, providing Rs. 10 lakh each to 500 Muslim students annually; held job fairs, distributing Rs. 113 crore in scholarships to five lakh Muslim students; invested Rs. 31.64 crore in post-matric scholarships for more than 39000 Muslim students. Why did we do all this? It is because we strongly believe that there is a need to take care of the welfare and upliftment of the minorities.

In conclusion, the Telugu Desam Party has always stood by the welfare and upliftment of the Muslim community, ensuring their rights and development. In line with this commitment, I urge the Government to consider providing flexibility to the State Governments in deciding the composition of their Waqf Boards. Given that, Andhra Pradesh has already enacted the Andhra Pradesh Charitable and Hindu Religious Institutions and Endowments Act, 1987, permitting

religious autonomy. Providing States the power to determine composition of the Waqf Boards will ensure the welfare of the Muslim community. This step will ensure the TDP's dedication to the inclusive growth and welfare of the communities.

Madam, once again, in the interest of the Muslim women, in the interest of the Muslim youth, in the interest of the Muslim downtrodden, hoping that the earlier suggestion of giving flexibility to the State Governments should be considered and will be taken into consideration while framing the rules under the Act, we support the Waqf (Amendment) Bill, 2025.

Madam, thank you for giving me the opportunity to speak on the Bill.

पंचायती राज मंत्री; तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री (श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह): सभापति महोदया, सदन में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा हो रही है और चर्चा के प्रारंभ से ही ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे यह वक्फ (संशोधन) विधेयक मुस्लिम विरोधी है। यह आज से नहीं है। जब वक्फ संशोधन विधेयक इस सदन में पेश हुआ था, जेपीसी में जाने के पहले तब से पूरे देश में यह नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है और यह बता कर पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा है कि यह मुसलमान विरोधी है, लेकिन यह कहीं से भी मुसलमान विरोधी नहीं है।

वक्फ क्या है? क्या वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है? वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है, जो मुसलमानों के हक में काम करने के लिए बनाया जाता है। वक्फ कोई मुस्लिम धार्मिक संस्था नहीं है, लेकिन ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि यह कोई मुस्लिम संस्था है। हां, उस ट्रस्ट को यह अधिकार होना चाहिए कि वह मुसलमान समुदाय के हर वर्ग के साथ, चाहे वे महिला हों, पुरुष हों, गरीब हों, अमीर हों, पिछड़े हों या अति पिछड़े हों, सभी वर्ग के लोगों के साथ न्याय करें, जो नहीं हो रहा है। वक्फ क्या है? वक्फ एक धार्मिक संस्था नहीं है। यह विनियामक है और प्रशासनिक निकाय है, जो मुसलमानों के हक के लिए काम करती है। आज उसको नैरेटिव बनाया जा रहा है। उसे क्यों नैरेटिव बनाया जा रहा है? आप मोदी जी को कोस रहे है। अरे भाई! अगर आपको मोदी जी का चेहरा पसंद नहीं आता है, तो मोदी जी की तरफ मत देखिए, उनके अच्छे काम की प्रशंसा कीजिए। यह काम कीजिए। आज मोदी जी ने जो काम किया है, वर्ष 2013 में आपने जो पाप किया था, उस पाप को समाप्त करके मोदी जी ने पारदर्शिता लाने का काम किया है। आपको क्या दिक्कत हो रही है? हां, यह अलग बात है कि मोदी जी आपको पसंद नहीं हैं, नहीं है तो मत रहे, लेकिन देश की जनता मोदी जी को पसंद करती है और इसलिए मोदी जी पारदर्शिता के साथ समाज के हर तबके के लिए काम करते हैं। यह पाप आपका है और आपके उस पाप को आज मोदी जी ने आपके चंगुल से, उसे गिरोह से निकालकर, उसको काम करने के लिए आम मुसलमानों की तरफ फेंक दिया है, तो आपको यह खराब

लग रहा है। भाई, आपको क्यों खराब लग रहा है? यह खराब लगने की कोई चीज नहीं है। क्या आप मुसलमान ों के कल्याण के विरोधी है ं? अगर मुसलमान ों के कल्याण के लिए मोदी जी ने कोई काम किया है तो आपको उनकी प्रशंसा करनी चाहिए थी।

आज देश में दो तरह के लोग इस वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ हैं। एक वैसे लोग जो अपने वोट के लिए धार्मिक मामलों का इस्तेमाल करते हैं, व े इसके विरोध में हैं और इसके विरोध में माहौल खड़ा कर रहे हैं। दूसरे वैसे लोग हैं जिनका इस वक्फ पर कब्जा था। वह अपने कब्जे को चंगुल से जाते हुए देखकर, आज इसके विरोध में खड़े हैं। वे इसका क्यों विरोध कर रहे हैं? इस संशोधन के विरोध का क्या कारण है, कोई कारण नहीं है। वक्फ का जो पूरा कार्य कलाप है, वक्फ की जो पूर ी वर्किंग है, उस वर्किंग में तो कहीं से इस संशोधन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हम वक्फ के कार्य कलाप में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। वक्फ की जो आमदनी है, वह आमदनी सही मामलों में मुसलमान ों के लिए खर्च हो, इस पर नजर रखने के लिए हम इसमें संशोधन लेकर आए हैं, तो इसमें आपको क्या दिक्कत नजर आ रह ी है? आपको लग रहा है कि आप नजर में चढ़ जाएंगे। जो गिरोह आपके कब्जे में था, अब आपका नहीं होगा। मुसलमानो ं के हक में काम होगा, बेहतर प्रबंधन होगा, धन के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा और सिर्फ उसके कार्य कलाप पर निगरानी रखने के लिए तंत्र विकसित किया जा रहा है। इसमें आपके पास विरोध का कोई आधार नहीं है। अगर आप यह नैरेटिव पूरे देश में बना रहे हैं, तो अपने लाभ, राजनीतिक लाभ और अपने वोट के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।

सभापति जी, इस संशोधन से क्या होगा? इस संशोधन से सबसे बड़ा फायदा क्या है? आप यह नरेटिव तो नहीं बना रहे हैं। मुसलमान समुदाय में पसमांदा समाज के लोग हैं। आप पूरे देश का उदाहरण देकर बताएं कि क्या वक्फ में पसमांदा समाज का, उन बेचारों का कोई श्रेय है? पसमांदा समाज की कितनी बड़ी आबादी है, क्या उनका कोई श्रेय है? कांग्रेस पार्टी और आपके नेता पूरे देश में चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे हैं कि जातीय जनगणना कराइए। आप कराइए, लेकिन अगर उनको हक दिया जा रहा है, अधिकार दिया जा रहा है तो आप मुसलमान के पसमांदा समाज के खिलाफ क्यों हैं? ? (व्यवधान)

सभापति जी, सेक्युलरिज्म की कांग्रेस पार्टी के एक नेता का बयान अखबार में छपा कि जेडीयू सेक्युलर पार्टी है, उसको देखना है। ? (व्यवधान) अरे, जेडीयू और नीतीश कुमार को आपके सेक्युलरिज्म के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ? (व्यवधान) आपको हम एक बात बता देते हैं कि आपके सेक्युलरिज्म की परिभाषा है, समाज को वोट के लिए बांटो, भावना की राजनीति करो और वोट लेकर देश पर राज करो।? (व्यवधान) यह आपके सेक्युलरिज्म की परिभाषा है। ? (व्यवधान) नीतीश कुमार जी और जेडीयू के सेक्युलरिज्म की परिभाषा है कि बिना कोई विवाद किए काम करो और समाज के हर वर्ग के लिए काम करो। आपने तो इस देश में बहुत दिन शासन किया।?

(व्यवधान) जय प्रकाश जी, एक मिनट सुनिए, हम आपको बता देते हैं कि नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ? (व्यवधान) आजादी के बाद से आपने कब तक शासन किया? कांग्रेस पार्टी ने बिहार में कब तक शासन किया? आजादी के बाद से नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में जो काम किया है, आजादी के बाद से आज तक कहीं नहीं हुआ। ? (व्यवधान) क्या हुआ? मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार जी ने तालीमी मरकज़ बनाया, हुनर योजना चलाई। ? (व्यवधान) भागलपुर दंगा किसके राज में हुआ था? वेणुगोपाल जी, आपके राज में हुआ था।? (व्यवधान) क्या आपने मुसलमानों के साथ न्याय किया था? नीतीश कुमार जी ने एनडीए के राज में भागलपुर के दंगा पीड़ितों को न्याय देने का काम किया। यह काम नीतीश कुमार जी ने किया। ? (व्यवधान)

आपके सेक्युलरिज्म की क्या परिभाषा है? नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार के कब्रिस्तान की घेराबंदी करा दी। आपने तो आजादी के दिन से, इतने दिन शासन किया, लेकिन क्या कोई काम बिहार में मुसलमानों के हक में किया, आप यह बता दीजिए। नीतीश कुमार जी वोट के लिए राजनीति नहीं करते हैं।? (व्यवधान) नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के हक में बिहार में जितना काम किया है, भारतीय जनता पार्टी उसकी भागीदार रही और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से यह काम हुआ। ? (व्यवधान) जय प्रकाश जी, आप कहां खड़े हैं? ऐसे ही चिल्ल्पों करते रहिए, कुछ होना नहीं है।? (व्यवधान)

सभापति जी, आज वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से पसमांदा समाज के मुसलमानों, पिछड़े वर्ग और गरीब तबके के मुसलमानों, मुसलमानों में सबसे निम्न वर्ग के मुसलमानों को न्याय देने का काम हो रहा है, तो आप चिल्लपों मचा रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, नरेटिव सैट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस देश में कोई तूफान आने वाला है। अरे, कोई तूफान नहीं आने वाला, इस देश के पसमांदा समाज के मुसलमान कल नरेन्द्र मोदी जी के साथ खड़े होंगे कि इनके शासन काल में हमें न्याय मिला था। आप कहां नजर आएंगे? आप नरेटिव सैट करते रहिए। ? (व्यवधान)

सभापति जी, ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। ये महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत चिल्लाते हैं कि महिलाओं को सशक्त करना है। ? (व्यवधान) कांग्रेस पार्टी महिलाओं को सशक्त करती है। ? (व्यवधान) क्या मुसलमान समुदाय में महिलाएं नहीं हैं? आज अगर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को वक्फ के साथ जोड़ा जा रहा है तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं? मुस्लिम समाज की महिलाओं को सशक्तिकरण का हक है, उनके सशक्तिकरण का काम माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने इस वक्फ संशोधन विधेयक के माध्यम से किया। आप पूरे देश में जो नरेटिव सैट कर रहे हैं, उससे लगता है कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी मुस्लिम विरोधी हैं।

16.00 hrs

जिस तरह नीतीश कुमार जी ने बिहार में सेकुलरिज्म स्थापित किया, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी भी पूरे देश में सेकुलरिज्म को लेकर आगे चल रहे हैं। समाज के हर तबके के साथ, समाज के हर वर्ग के साथ, देश के हर राज्य के

साथ एक साथ काम करके उसको विकसित करने का काम कर रहे हैं। उनका विजन, उनकी सोच व्यापक है। वे विकसित देश बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनना चाहते हैं। आप देश को संकुचित रखना चाहते हैं। वोट के लिए देश को बांटकर, धर्म के आधार पर वोट को बांटना चाहते हैं, जो आपका चलने वाला नहीं है।

अभी चर्चा हो रही थी और बहुत लोगों ने कहा कि इस संशोधन के माध्यम से डीएम को अधिकार क्यों दे दिया गया? बहुत लोगों ने सिविल प्रोसीजर, कोर्ट तक की बात की। हमको हँसी आ रही थी। सीपीसी से क्या लेना-देना है? गाय का सींग भैंस में, भैंस का सींग गाय में लगा रहे हैं। अरे भाई, इस देश में रेवेन्यू के रिकॉर्ड का कस्टोडियन कौन होता है? इस देश में रेवेन्यू के रिकॉर्ड का कस्टोडियन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया था तो कोई गलत नहीं था। लेकिन फिर भी आपने उसका विरोध किया तो सरकार ने सोचा कि आपके विरोध को मान लेते हैं और उससे बड़े अधिकारी को यह अधिकार दे दिया। लेकिन रेवेन्यू के रिकॉर्ड का कस्टोडियन जिलाधिकारी होता है।

अगर आपका झगड़ा होगा, अगर मेरी सम्पत्ति का झगड़ा होगा, वेणुगोपाल जी, आपकी संपत्ति का अगर किसी से झगड़ा होगा तो आप कहां जाते हैं? खतियान देखने के बाद किसके पास जाते हैं, वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां जाते हैं। वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत में जाते हैं। आज की तारीख में एक आम मुसलमान भी, अगर आम नागरिक मुसलमान है और उसकी व्यक्तिगत संपत्ति पर कोई विवाद होता है तो वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां जाता है और वहीं से उसको न्याय मिलता है। आम मुसलमान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर में जाएंगे और उनको न्याय मिलेगा। वक्फ को नहीं जाना है, इसलिए कि वक्फ की जमींदारी पूरे वक्फ की संपत्ति पर है। उसको समाप्त करने का काम, पारदर्शिता लाने का काम नरेन्द्र मोदी जी सरकार ने किया है। इसका स्वागत करना चाहिए और इसका विरोध नहीं होना चाहिए।

आप ट्रिब्यूनल की बात कह रहे थे। ट्रिब्यूनल में क्या दिक्कत है? आज का क्या कानून है? आज का कानून यह है कि आपने जो पाप वर्ष 2013 में किया है, आज का कानून क्या है? मंत्री जी रिजिजू साहब सुबह में जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने धारा 40 को खत्म कर दिया। यह बहुत अच्छी बात है और वे धन्यवाद के पात्र हैं। किरेन रिजिजू साहब, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को, राष्ट्रपति भवन की बिल्डिंग को, लोक सभा की बिल्डिंग को बचा लेने का काम किया, वरना कल को कह देते कि यह भी मेरी वक्फ की सम्पत्ति है। इस देश में ऐसा कौन सा कानून है? इस देश में ऐसा कहीं कानून होता है? हम आज़ादी के बाद से इतने दिनों से इस देश को चला रहे हैं। इस देश में ऐसा कौन सा कानून है कि वक्फ ने जिस पर हाथ रख दिया, वह वक्फ की सम्पत्ति हो गई। सेकुलरिज्म के इनके सहयोगी हैं, आज कल वेणुगोपाल जी की जो पार्टी है, जिसकी वह पिछलग्गू बनी हुई है, लोक सभा में उनके द्वारा दिया गया भाषण वायरल हो रहा है। जिन्होंने कहा है कि पटना के पूरे डाक बंगला चौक को वक्फ वालों ने कब्जा करके रख लिया

है, सख्त काननू बनना चाहिए और उन लोगों को विदा करना चाहिए। यही तो भाषण है और वायरल है। वेणुगोपाल जी, आप जरा बाहर निकल कर देख लीजिए। अगर नहीं मिले तो मुझे बोलियेगा, मैं भेज दूंगा। वह मेरे पास भी है। हम भी आपको भेज देंगे। आप उसे देख लीजिएगा। अगर उस धारा को समाप्त कर दिया, तो बहुत बढ़िया काम किया है। हम रिजिजू साहब को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस देश को बचा लिया और इस देश के कई लोगों को इस शिकंजे में फंसने से बचा लेने का काम किया है। इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं।

अब ट्रिब्यूनल की बात आती है। ट्रिब्यूनल के तहत क्या प्रावधान था? इस कानून के तहत ट्रिब्यूनल में जाने की बात थी, उसमें जाकर आप साबित कीजिए कि वक्फ़ की सम्पत्ति नहीं है, यह मेरी सम्पत्ति है। उसको 5 साल तक, 10 साल तक ट्रिब्यूनल सुनता रहेगा। अगर एक बार ट्रिब्यूनल ने फैसला दे दिया कि वक्फ़ वाले सही हैं, तो फिर आप कहीं नहीं जाकर, उसी में रिवीज़न फाइल कीजिए। यही तो अब तक का कानून था, जिसको खत्म करके इस सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए सिर्फ इंडिविजुअल ही नहीं, बल्कि अगर वक्फ़ को भी कोई शिकायत है, तो वह भी अपील में जा सकता है, उसको भी आज़ादी मिल गई है। इसलिए यह मामला दोतरफा साफ है। चलिए, अब जो सही होगा, वही होगा। यही काम नरेन्द्र मोदी जी करते हैं। वे पारदर्शिता लाते हैं। आपको पारदर्शिता से चिढ़ है, आपको पारदर्शिता से नफरत है, तो इसमें मोदी जी क्या करेंगे। आपको उनका चेहरा खराब लगता है, तो मोदी जी क्या करेंगे? आपको वे पसन्द नहीं हैं। आप उनके काम की प्रशंसा किया करिए।

इसलिए आज जो संशोधन विधेयक लेकर यह सरकार आयी है, वह पूरे वक्फ़ के कार्यकलाप को, पूरे वक्फ़ के कामकाज पर, पूरे वक्फ़ की सम्पत्तियों पर, वक्फ़ की पूरी सम्पत्तियों का इस्तेमाल आम और गरीब मुसलमानों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के हित में हो, इस व्यवस्था के साथ यह संशोधन विधेयक आया है। हमारी पार्टी- जनता दल (यूनाइटेड) इसका पूर्ण समर्थन करती है। इसकी पारदर्शिता का समर्थन करती है और इस पारदर्शिता को लाने के लिए हम आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, हम अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू जी को धन्यवाद देते हैं और अपनी बात समाप्त करते हैं।

श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण) : माननीय सभापति महोदया, वक्फ़ अमेंडमेंट बिल, 2025 पर मैं अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

मैं सुबह से बहुत अच्छे भाषण सुन रहा हूँ। किरेन रिजिजू जी ने बहुत कुछ कहा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खुद भी जेपीसी में था। दुर्भाग्य की बात है कि जेपीसी में आखिरी समय तक क्लॉज़-बाई-क्लॉज चर्चा कभी नहीं हुई। यही कारण था, हमने जेपीसी में देखा कि उसमें नॉन-स्टेकहोल्डर्स को भी बुलाया जाता था। ऐसी स्थिति में, जब आप एकाध बिल लाते हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या चाहते हैं? यह देखने के बाद हमें हर वक्त महसूस हुआ है कि आप लोगों की कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। बिल लाने में, आपके मन में किसी को न्याय देने की बात नहीं

है। आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने ललकारा है कि शिव सेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पार्टी क्या बोलने वाली है, क्या वह हिन्दुत्व के साथ खड़ी रहेगी? आप हमें हिन्दुत्व सिखाने वाले हैं। अगर आप हिन्दुत्व की बात करते हैं, तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि हाल ही में, पद्मनाभ मन्दिर का खज़ाना निकाला गया था, उसका क्या हुआ? उस खज़ाने को क्यों निकाला, किसलिए निकाला? उसके बाद केदारनाथ मन्दिर के बारे में शंकराचार्य जी ने कहा कि 300 किलो सोना गायब हुआ, उसका क्या हुआ, वह किसलिए गायब हुआ, कैसे गायब हुआ? फिर आपका ध्यान तिरुपति पर है। अयोध्या में तो आपने देखा कि आपने जिस ढंग से प्रयोग किया, तो अयोध्या में आपको लोगों ने जगह दिखा दी। वहाँ के मन्दिर तोड़े गए, वहाँ की मूर्तियाँ तोड़ी गईं। ऐसा वाराणसी में भी हुआ। दोनों जगहों पर आपके वोट घट गये। दोनों जगहों पर मूर्तियाँ भी गायब हुईं। आप जो कुछ कर रहे हैं, आप यह मत समझना कि आप जो कुछ कर रहे हैं, वह सही कर रहे हैं। हमें तो डर लगता है। अभी हाल ही में चैत्र मास शुरू हुआ, इस समय महाराष्ट्र में नया साल शुरू हो जाता है। उस वक्त रमज़ान और ईद भी हुई। हमने देखा कि सौगात-ए-मोदी चल रहा है। आज सौगात-ए-वक्फ़ बिल आ गया। इस सौगात-ए-मोदी से मुझे याद आया कि आप कैसे भूल जाते हो कि इसी सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मंगलसूत्र छीना जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बंटेंगे तो कटेंगे। कौन बांटने वाला था, कौन काटने वाला था? आपको आज उन पर प्यार आया? यह प्यार देखकर हमें अचरज होता ? वाह! मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव नजर आ रहे हैं। मैं अपने पुराने मित्रों के भाषण देख रहा था। ? (व्यवधान)

चेयरपर्सन मैडम, इन्हें बिहार के चुनाव नजर आ रहे हैं। लेकिन यह न भूलना कि देश की आजादी के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनका भाग्य है कि आज वे सरकार चला रहे हैं। देश की आजादी के लिए मुसलमानों ने भी अपनी जान न्यौछावर की है। ? (व्यवधान) मुसलमान भी अंडमान में रहे हैं। ? (व्यवधान) लेकिन, न्याय की बात होनी चाहिए। जो गलत है, वह गलत है। अगर बिल में भी कुछ गलत है, तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। मैं तो मांग करता हूं कि जो गलत है, उसको सीधा करो। लेकिन, आप लोगों ने जो किया, वह इस तरह का है, जैसे आपने तय किया है कि वहां जो बोर्ड बनेगा, उसके बारे में सब लोग बोल रहे थे।

चेयरपर्सन मैडम, बोर्ड चुनाव होकर बनता था, अब आप नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। इसी से तो जनतंत्र मार खा रहा है। जब नॉमिनेशन करना है, मतलब सरकार जिसे चाहे, उसे रख देगी? बाकी, उसके ऊपर तो अधिकारी हैं, वे भी आएंगे, उसमें तो सरकारी अधिकारी रहेंगे। उल्टा ऐसा होने वाला है कि बोर्ड में, हमारी जो दो मुस्लिम भगिनी उसमें होंगी, वे माइनॉरिटी में होंगी। आप महिलाओं की बात करते हो? महिलाओं को आरक्षण वर्ष 1995 के एक्ट में दिया गया है। आपने नया नहीं किया है, आप उसका ढोल मत बजाओ। वह पहले से है, उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन, जो दो गैर-मुस्लिम लोग आप चाहते हो, उससे हमारे मन में यह शंका है कि क्या आपने सही दिल से यह बिल

लाया है? जबकि, आपको मालूम है कि बोर्ड पहले चुनाव से बनता था, अब आप नॉमिनेट कर रहे हो। नॉमिनेट करने के बाद आप क्या करने वाले हैं?

इसमें दो गैर-मुस्लिम लोग होंगे। मैं आपसे शांति से विनती करता हूं कि आप सोच लो कि आप क्या कर रहे हो। आप एक तरफ कह रहे हो, आप कॉमन सिविल कोड की बात करते हो और दूसरी तरफ दो गैर-मुस्लिम हमारे वक्फ बोर्ड में ला रहे हो? मुझे डर लगता है कि हम हिंदुओं के मंदिरों में भी कल आप गैर-हिंदुओं को लाना चाहेंगे। ? (व्यवधान) उन्होंने अभी मंदिर का उदाहरण बताया, आप याद रखना शिवसेना उसके खिलाफ खड़ी रहेगी। ? (व्यवधान) अगर हमारे मंदिरों के लिए कभी आपने सोचा भी किसी गैर-हिंदू को मंदिर के बोर्ड में लाने की आप कोशिश करोगे, तो याद रखना, हम उसका विरोध करेंगे। ? (व्यवधान)

आप याद रखना कि यह जो चल रहा है, वह आगे चलकर क्रिश्चियन्स पर हो सकता है, आगे चलकर जैन देरासर पर हो सकता है, आगे चलकर सिख धर्म के गुरुद्वारों पर हो सकता है। ? (व्यवधान) आप यह क्यों कर रहे हो? आपका उद्देश्य क्या है? आपका हेतु क्या है? आपको गैर-हिंदू सदस्य क्यों चाहिए हैं? ? (व्यवधान) यह धार्मिक नहीं है। वक्फ को रिलीजियस एंड पायस कहा जाता है और उसके लिए डोनेशन दी जाती है, for what purpose? It is a religious and pious thing. You are showing it as a Government functioning. वह गवर्नमेंट का कैसे हो सकता है? वह धार्मिक है और धार्मिकता के लिए दिया जाता है। ऐसी स्थिति में आप कहते हो कि उसमें धार्मिकता नहीं है?

आप आगे चलकर ऐसा देरासर के मंदिर और जो हमारे हिंदू देवस्थान हैं, उनमें भी कर सकते हो। मैंने अभी मंदिरों की बात की। आपने धारा-370 खत्म की, मैं आपके साथ में था। हमने आपका अभिनंदन किया था, मैं कैबिनेट में था, बहुत खुश था। ? (व्यवधान) कश्मीर में कितने हिंदू लोग आ गए? बताओ तो सही? ? (व्यवधान) कश्मीर में जमीन कौन खरीद रहा है, वह भी तो बताओ? ? (व्यवधान) तब पता चलेगा कि कश्मीर की जमीन कौन खरीद रहा है। ? (व्यवधान)

दूसरी बात, हमारे हिंदुस्तान में देवस्थान के मंदिरों की जगह होती है। वे हजारों एकड़ जमीनें बेची जा रही हैं। क्या आप इसी तरह का कानून, हिंदूओं के देवस्थान की जमीनें बेचने वालों के खिलाफ भी लाएंगे? वह भी तो बताओ, तब ही तो पता चलेगा कि आप सही में सिक्युलर की बात करते हो, हिंदुत्व की बात करते हो या मुस्लिमों की बात करते हो। आपके मैनिफेस्टो में क्या था? मैं आपका मैनिफेस्टो पढ़ता हूं। वर्ष 2009 और वर्ष 2014 में आपने मैनिफेस्टो लाया था। उस मैनिफेस्टो में आपने लिखा था ?

?The BJP will examine the recommendations of the Joint Parliamentary Committee regarding Waqf properties headed by Shri K. Rahman Khan, Deputy Chairman, Rajya

Sabha, and would, in consultation with Muslim religious leaders, take steps to remove encroachments from and unauthorised occupation of waqf properties.?

You were further saying:

?The ASI will be provided with appropriate resources for the maintenance of all national heritage sites and prevent their vandalisation in any form ?

Today, your own people are vandalising it in Maharashtra. Ask the ASI, what is happening in Sambhajinagar on the issue of Aurangzeb. You will come to know.

यह जो मैनिफेस्टो है, उसके ऊपर भी हमने आपके सामने कहा है।

दूसरी बात कलेक्टर की है, आपने उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया है, लेकिन क्या किया है, फिर भी दोबारा वही किया। आपने सुबह एक अच्छी बात की कि प्रोस्पेक्टिव करेंगे, उसमें तो नहीं है, लेकिन यह जो आप कर रहे हो, कलेक्टर की बात, जो अधिकारी आने वाला है, वह भी गवर्नमेंट ऑफिसर ही है। Everybody is judge for his own cause. That is not correct. You have to correct it right now.

16.16 hrs (Shri Dilip Saikia *in the Chair*)

हमने खुद कहा था कि ओरली इसके आगे कोई भी वक्फ नहीं करेगा। रजिस्टर करेगा, ओन्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पजेशन भी होना चाहिए। हमने जेपीसी में भी यह कहा। हम सुधार के लिए हैं, लेकिन आपका हेतु कभी सही नहीं लगता है। इसलिए मैं इतना ही कहता हूँ कि जिस ढंग से आप यह बिल लाये हैं, उस बिल को देखते हुए आपका हेतु स्पष्ट नहीं है। आपके मन में कुछ और ही है। जमीन आपको हड़प करनी है और किसके लिए करनी है, जैसे मैंने कश्मीर में नाम लिया, जहाँ-जहाँ भी है, मणिपुर में भी जो चल रहा है, उसी के लिए चल रहा है और किन-किन लोगों के लिए चलता है, किन उद्योगपति के लिए चलता है, सभी को पता है। आपका उद्देश्य जमीन हड़पने का है, बाकी कुछ नहीं है। आपका उद्देश्य न्याय देने का नहीं है।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री अरविंद गणपत सावंत : इसलिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ।

?होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है,

?हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है।।?

आप लोगों के होठों पर सच्चाई नहीं है, दिल में भी सफाई नहीं है और इसीलिए तो बाद में राजकपूर को कहना पड़ा ?राम तेरी गंगा मैली हुई, पापियों के पाप धोते-धोते।? उसमें हजार लोग मर गए। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूँ कि आपने नारा दिया ?बटेंगे तो कटेंगे? और आपने कल सौगात-ए-मोदी भेजा। बाँटोगे तो बचेंगे वाली बात आ गयी है

। आप बाँट रहे हो, बचने के लिए बाँट रहे हो। यह अच्छा नहीं है। आप अंतर्मन से पूछो कि सही में आपको किसी का भला करना है या नहीं करना है। आप भला करना नहीं चाहते हो ।? (व्यवधान) आप बाँटोगे तो बचोगे ।? (व्यवधान) जब आपने कहा कि मंगलसूत्र छीन लिया जायेगा ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप समाप्त कीजिए।

माननीय सदस्य, आप इधर देखकर बात कीजिए।

श्री अरविंद गणपत सावंत : आप भूल गए कि तब आप किसको बोल रहे थे ।? (व्यवधान) मैं अपना भाषण समाप्त करते हुए बस इतना ही कहता हूँ कि आपके दिल में जो नफरत है, उसे निकाल डालो। We need harmony, not hatred. अगर हारमनी चाहते हो तो फिर अंतर्मन से पूछो और सोचो कि क्या हम सही में मुस्लिम समाज को न्याय दे रहे हैं। धन्यवाद।

श्री किरेन रिजिजू : अरविंद सावंत जी, आपने समर्थन किया या नहीं किया, आपने वह नहीं बोला है। ? (व्यवधान) आप बिल का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, यह आपने क्लियर नहीं किया है ।? (व्यवधान) मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पहले अरविंद सावंत जी का शिव सैनिक होने का, शिव सेना का एमपी होने पर जैसी बोलचाल थी, वह क्यों बदल गए हैं? आप इंसान बदल गए हैं या कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया है, इसलिए आप बदल गए हैं ।? (व्यवधान) पहले तो बड़ा शिव सेना का एजेंडा लेकर अच्छा बोलते थे, हमें अच्छा लगता था ।? (व्यवधान)

श्री अरविंद गणपत सावंत : आप बदल गए हो ।? (व्यवधान) आप नफरत की भाषा बोल रहे हो ।? (व्यवधान) आप बदल गए हो, हम नहीं बदले हैं ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, कृपया आप बैठ जाइए।

? (व्यवधान)

SHRI NILESH DNYANDEV LANKE (AHMEDNAGAR): Hon. Chairman, I rise to speak on the Musalman Wakf (Repeal) Bill, 2024. Government is saying that it has been brought to empower them but, some doubtful and serious issues are there. If you look at it, it seems that Government is trying to seize the Wakf properties. In the name of empowerment they are trying to weaken it.

Sir, before coming to power, they were sloganeering in the name of Chhatrapati Shivaji Maharaj, but, after securing power, now they are refraining from the ideals of Chhatrapati Shivaji Maharaj. He was not only a great warrior, but he was a truly democratic and liberal king respecting all the religions. He did not care for religion, race, ethnicity, caste or language but

he valued only the talent and loyalty of the soldier. He was not a narrow minded person. He never care for this kind of divisions. He was above all the differences and totally against the social and religious hierarchy. His heart was filled with compassion and sympathy towards everybody.

You are talking about their empowerment but actually you are transferring their rights to the Government. Wakf Board possess around 9.4 lakh acre land worth Rs. 1.2 lakh crore. You want to seize their properties and not empowering them.

Sir, I have got few suggestions for you. First of all, you can make positive and appropriate changes for better coordination without reducing their rights. In the name of empowerment, you are trying to strip the autonomy. While considering and respecting the feelings of minority people, appropriate representation must be ensured in the Governing Board. Don?t consider the minorities such as Muslims, Christians, Sikhs, Parsis, Jains, Buddhists as cultural obligations but, they are the strong foundation in nation building. Mr. Cyrus Poonawala belongs to Parsi community. During Corona Pandemic he developed Corona Vaccine and saved the lives of crores of people. Ratan Tata, JRD Tata were also Parsi. But, Tata family has contributed a lot for social and philanthropic service through CSR funds.

APJ Abdul Kalam was a great scientist and President of India belonging to Muslim community. Mr. Azim Premji is a CEO of WIPRO company and he is the greatest philanthropist of our country. Mother Teresa was a Christian, but she dedicated her life for the treatment of leprosy patients. Bhagat Singh, a great martyr, was a sikh who spared his life for our country.

Anand Rishi Maharaj of Jain community has started a charity hospital and he has saved many lives.

Earlier a Wakf Committee Chairman was elected through democratic process but, now the Govt. will appoint him. All the decisions were taken by Wakf Committee but, hence after a Govt. officer would take all the decisions. It means, there will be a direct intervention by Govt. If an encroacher encroaches any Wakf property and it does not take any objection for 12 years,

then it will be declared as a property of encroacher. In this way, we are shielding the encroachers.

Sir, earlier all the economic transactions used to be scrutinized through State Audit Inspection. But, now this can be done by CAG. This has been done in cases of HajiAli Trust and Bodhgaya Temple Trust. It can be extended to other religious bodies too.

As per constitution, our country is secular and we must practice it in our daily life. If this is done in Wakf Board case, it can be replicated in the cases related to other religious communities too. India is a diverse community and we respect each others religions practices. You are trying to destroy it institutionally.

Chhatrapati Shivaji Maharaj taught us to fight for others. Don?t care for the power but, to secure and serve all the citizens. Gandhiji also advocated the unity in diversity.

?रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम,

ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान।?

Lastly, I request you to consider the feelings of muslim community and the principles enshrined in our constitution. You must keep in your mind the thoughts propagated by Chhatrapati Shivaji Maharaj about religious inclusion and religious diversity.

Jai Shivrai.

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आपने बहुत अच्छे से छत्रपति शिवाजी को ग्लोरीफाई किया है, लेकिन हम सबको यह भी पता है कि छत्रपति शिवाजी ने हिंदू साम्राज्य की भी स्थापना की है। यह जानकारी भी सदन के माध्यम से सबको होनी चाहिए ।

डॉ. श्रीकांत शिंदे जी।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण) : सभापति महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे इस बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया है। मैं अपनी पार्टी शिव सेना और हमारे नेता एकनाथ शिंदे की तरफ से इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ और आज एक ऐतिहासिक दिन है। ? (व्यवधान) आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है कि पहले धारा 370, फिर ट्रिपल तलाक, उसके बाद सीएए और आज गरीब मुस्लिम भाइयों के उद्धार के लिए यह वक्फ बिल इस सदन में लाया गया है। आज यहां पर कुछ साथी ? (व्यवधान) पुराने नहीं, अभी भी हो सकते हो। उनको तो पहला प्रश्न मुझे पूछना है कि आज हरी जैकेट बुधवार के लिए पहनी है या आज वक्फ के लिए खास कर के अरविंद सावंत जी

ड्रेसअप हो कर आए थे। यहां पर मुझे उनका भाषण सुनते वक्त बहुत वेदना हुई। ? (व्यवधान) अरे, बाबा वक्फ पर ही बोल रहा हूँ। ? (व्यवधान) मुझे यूबीटी वालों से प्रश्न पूछना है कि अपनी अंतरआत्मा से इनको प्रश्न पूछना चाहिए कि बाला साहेब आज होते तो ये क्या आज यहां पर यह भाषण कर पाते? आज इस सदन में एक बात साफ हो गई कि ये यूबीटी वाले किसकी विचारधारा को मान रहे हैं और ये बिल का विरोध कर रहे हैं। इनके पास एक सुनहरा अवसर था, अपनी गलतियों को सुधारने का, अपने इतिहास को संभालने का और विचारधारा को ज़िंदा रखने का, जिसके लिए कभी बाला साहेब ठाकरे जी ने आंदोलन किया था। लेकिन अफसोस यूबीटी वालों ने उस विचारधारा को तो पहले ही बुलडोज़र के तले तरोड़-मरोड़ दिया है। बाला साहेब की विचारधारा स्पष्ट थी। हिंदुत्व की रक्षा, देश की एकता और बाकी धर्मों के लोगों के लिए सम्मान। लेकिन आज अगर बाला साहेब यहां होते तो और यूबीटी का डिसेंट नोट यहां पर अगर पढ़ते तो उनकी आत्मा को बहुत वेदना होती। मैं यहां पर यूबीटी का एक डिसेंट नोट ले कर आया हूँ। इन्होंने यहां पर कहा है कि नॉन-मुस्लिम मेंबर वक्फ बोर्ड में नहीं होने चाहिए। उसके ऊपर वे वकालत वहां पर कर रहे थे। जो बाला साहेब हमेशा हिंदुत्व के लिए लड़ रहे थे, मुझे लगा कि इनको सिर्फ हिंदुत्व से एलर्जी थी। लेकिन आज हिंदुओं से भी एलर्जी यूबीटी को होने लगी है।

आज इन्होंने डिसेंट नोट में एक और प्वाइंट कहा : ?Protect and preserve the properties which are personal properties dedicated by various rulers, *Nawabs* and *zamindars*.? हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि ये लोग औरंगजेब और अफजल गुरू की विचारधारा पर चल रहे हैं। अभी उनकी प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए यूबीटी वालों ने खुलेआम पत्र लिखने का काम भी किया। अभी इन्होंने यहां पर कहा कि vandalization of the Aurangzeb Tomb. आप कौन-सी विचारधारा पर चल रहे हैं? औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए महाराष्ट्र में आया। उसने हमारे संभाजी महाराज को हलाल करके मारा। आज उनकी वकालत करने की नौबत इन यूबीटी वालों पर आयी है। जब पालघर में साधु हत्याकांड हुआ, तब इन्होंने पत्र नहीं लिखा। उस समय इनके मुंह से कुछ भी नहीं निकला और चुप बैठे रहे। आज जब औरंगजेब के बारे में बात निकली तो इनको तिलमिलाहट हो रही है। आप सुनने की आदत डालिए।? (व्यवधान)

महोदय, आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर में क्या हुआ? जब बाला साहेब ठाकरे जी थे, तब उन्होंने कहा था कि अगर मुझे एक दिन प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तो सबसे पहले मैं आर्टिकल 370 को हटाऊंगा। आज उस आर्टिकल 370 को क्यों हटाया गया, ऐसा प्रश्न पूछने का काम ये लोग कर रहे हैं। उसी के साथ इन्होंने राम मंदिर के बारे में भी कहा। बाला साहेब ने राम मंदिर के बारे में जो सपना देखा था, राम मंदिर बनाने के बाद क्या हुआ, यह प्रश्न पूछने की नौबत भी आज यूबीटी वालों की आ गई है।

महोदय, इस बिल का नाम बदल कर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिसिएन्सी एंड डेवलपमेंट (उम्मीद) रखा गया है। यह ?उम्मीद? सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि इस कानून का सार है। यह इस कानून का आधार है। यह मुस्लिम समुदाय के उन सभी गरीब लोगों को उम्मीद देता है, जिनका अधिकार वक्फ की आड़ में छीन लिया गया और उसको भ्रष्टाचार एवं लूट का साधन बना दिया गया। मैं विपक्ष के मित्रों का दर्द समझ सकता हूं। जब भी देश को उनसे उम्मीद दिखी, तब उन्होंने देश और मुस्लिम समुदाय को निराशा देने का काम किया। जिस समुदाय ने आंख बंद करके इनको वोट दिया, उनको सिर्फ वोट बैंक बना कर छोड़ देने का काम कांग्रेस और विपक्ष वालों ने किया। लोक सभा चुनाव के वक्त इन्होंने लोगों में एक भ्रम फैलाने का काम किया कि संविधान खतरे में है। आज भी ये लोग पब्लिक में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि वक्फ की जमीन सरकार ले लेगी। आज यहां पर वक्फ बाई यूजर के नाम से एक अमेंडमेंट लाया गया। इस बिल के आने के बाद और इसके पहले जो सभी अनडिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज हैं, वे वक्फ में ही रहेंगे। इसलिए, यहां पर कोई सवाल नहीं उठता है कि सरकार उस वक्फ की जमीन को लेने की कोशिश करेगी। लेकिन, कुछ लोग यहां पर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं।

महोदय, मैं इन लोगों को याद दिलाना चाहूंगा। शाहबानो जी ने कांग्रेस से न्याय पाने की उम्मीद की थी। कोर्ट ने शाहबानो को न्याय देने का काम किया। इस सदन में इन्होंने ही शाहबानो के न्याय को छीनने का काम किया। जम्मू-कश्मीर की जनता ने जब आर्टिकल 370 को हटाने की मांग की, तब कांग्रेस वाले सिर्फ मूकदर्शक बन कर रह गए। वहां आतंकवाद बढ़ता गया। वर्ष 2006 में मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाई गई, तो इन्होंने उस रिपोर्ट को आठ सालों तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। मुस्लिम महिलाओं ने ट्रिपल तलाक से हो रहे उत्पीड़न को रोकने के लिए इनसे गुहार लगाई, तब भी ये लोग वोटों की गिनती में रह गए। आज नरेन्द्र मोदी जी की एनडीए सरकार में आर्टिकल 370 भी हटाया गया और महिलाओं के आँसू पोछने का काम भी किया गया। आज यह ऐतिहासिक बिल इस सदन में लाकर मुस्लिम समाज के लोगों को न्याय देने का काम किया जा रहा है।

आज मुस्लिम समाज के लोगों को न्याय देने का काम यहां पर किया है। यह अपीजमेंट नहीं, बल्कि अपलिफ्टमेंट की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। यह काम वोट के लिए नहीं, वतन के लिए है। यह विधेयक किसी के साथ धोखा नहीं, बल्कि हर वर्ग के साथ न्याय का माध्यम है। यह विधेयक मजहब की दीवार नहीं, बल्कि विकास का द्वार बनाता है और शायद इसलिए विपक्ष के साथी इसको रोकने के लिए इतना जोर लगा रहे हैं।

वक्फ की 36 लाख एकड़ जमीन है। मैं इनको एक भी उदाहरण देने के लिए चैलेंज करता हूं कि जहां पर अच्छा स्कूल बना हो, अस्पताल बना हो, स्किल सेंटर बना हो या कॉलेज बना हो, जिससे मुस्लिम बहनों या स्टूडेंट्स को वहां पर मार्गदर्शन मिला हो या नौकरी हो, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। बीते पांच सालों में वक्फ की जमीनें बढ़ती गईं, डबल हो गईं, लेकिन इनकम कम होती गई। जैसे किरेन रिजिजू जी ने यहां पर कहा कि इतने सालों में सिर्फ 163

करोड़ रुपये रेवेन्यू इतनी लाखों एकड़ जमीन से आया। इन जमीनों पर इतने सालों से जो भ्रष्टाचार चला आ रहा था, उस भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आज यह बिल आया है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है।? (व्यवधान)

इंडी एलायंस के सभी साथी इसका विरोध कर रहे हैं। इंडी एलायंस का एक भी मुख्यमंत्री नहीं होगा, जिन्होंने अपने कार्यकाल में वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार पर इंक्वायरी नहीं की हो। हमेशा ये अनकांस्टीट्यूशनल, अनकांस्टीट्यूशनल यहां पर बोलते रहते हैं। मैं कुछ उदाहरण यहां पर देना चाहूंगा। वर्ष 2011 में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंगाल में थी और कांग्रेस केन्द्र सरकार में थी। ममता बनर्जी जी ने बंगाल में एक हजार करोड़ रुपये के वक्फ घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की थी। दिल्ली में वर्ष 2019 में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मेमोरेंडम दिया था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार हो रहा है। उसके अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान थे, जो जेल भेजे गए। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान अखिलेश यादव जी की सरकार में मंत्री रहे आजम खान ने वक्फ का मंत्री होते हुए ? (व्यवधान) यह सही है। मैंने बाहर आपसे बात करके आपको बताया। ? (व्यवधान) वक्फ का मंत्री होते हुए उन्होंने खुल्लमखुल्ला लूट मचाई। उन्होंने सत्ता के संरक्षण में जबरन जमीनों को वक्फ सम्पत्ति घोषित करके अपनी निजी जागीर बनाने की कोशिश की। आज 50 से ज्यादा मामले उन पर दर्ज हैं और आज वे जेल में सलाखों के पीछे हैं। कांग्रेस ने भी उनका विरोध किया था। ? (व्यवधान) ऐसा ही एक और उदाहरण दिल्ली में सामने आया है, जब कांग्रेस सरकार ने रातों-रात 123 कीमती और प्राइम लोकेशन पर स्थित सम्पत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को इलेक्शन के पहले सौंप दिया। तेलंगाना में भी ऐसा ही उदाहरण है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सबसे पहले मैंने विरोध किया, लेकिन आज उसी तेलंगाना में सबसे ज्यादा लिटिगेशन्स हैं। वक्फ के पास 77 हजार एकड़ से ज्यादा जमीन है, लेकिन सिर्फ 22 हजार एकड़ जमीन विवाद मुक्त है, बाकी 55 हजार एकड़ जमीन के ऊपर विवाद है, क्योंकि उन जमीनों पर सरकारी सम्पत्तियां हैं और गवर्नमेंट के वास्तु वहां पर बने हैं। केरल में भी ऐसे ही उदाहरण हैं। विपक्ष जो इसका घड़ी-घड़ी विरोध कर रहा है, वह विरोध सिर्फ अपने पाप छिपाने के लिए यहां पर कर रहा है, क्योंकि उनके पाप अब उजाले में आ जाएंगे। उन्हें डर है कि वक्फ के नाम पर की गई लूट, अवैध कब्जे और राजनीतिक सौदेबाजी अब दस्तावेजों में दर्ज हो जाएगी और जनता की अदालत में उनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए वे पूरे जोर-शोर से विरोध करने का काम यहां पर कर रहे हैं।

यहां पर और भी उदाहरण हैं। मैं यहां पर कुछ लोगों का भाषण सुन रहा था। गौरव गगोई जी कह रहे थे कि ये लोग रिफार्म्स ला रहे हैं, बिल से समस्या बढ़ेगी। बिल से जरूर समस्या बढ़ेगी लेकिन किसकी बढ़ेगी, जिन्होंने यहां लूट मचायी और भ्रष्टाचार किया, उनके लिए बिल से दिक्कतें बढ़ने वाली है। यहां पर कहा गया कि अंग्रेजों के लिए मर्सी पटीशन लिखा था। मैं यहां यूबीटी वालों से पूछना चाहूंगा कि बाजू में बैठकर जिन्होंने सावरकर जी को गाली देने का

काम किया, उनसे प्रश्न पूछने का हिम्मत नहीं है, लेकिन ये लोग भूल गए कि अफजल गुरू के लिए किसने मर्सी पटीशन दायर की थी। ? (व्यवधान)

वर्ष 2011-12 में 25 प्रतिशत मुसलमान गरीबी की रेखा से नीचे थे। ये आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि एक कड़वा सच है, जो दशकों से चली आ रही उपेक्षा और तुष्टीकरण की नीति का परिणाम है। वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह बिल न किसी समुदाय के खिलाफ है न ही किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए है। यह बिल पारदर्शिता लाने का वादा करता है, यह वक्फ सम्पत्तियों के अवैध कब्जे से मुक्त करने का संकल्प लेकर आया है।

सबसे बढ़कर यह उन मुसलमानों को सशक्त बनाने का रास्ता खोलता है जिन्हें सालों तक कमजोर रखा गया। वक्फ की संपत्तियां, जो मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए थी, लंबे समय से भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और अतिक्रमण की भेंट चढ़ती रही। इस बिल के जरिए सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि इन सम्पत्तियों का सही इस्तेमाल हो। शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, गरीबी से जूझ रहे मुस्लिम भाई-बहनों के उत्थान के लिए, यह बिल मुसलमानों को मजबूत करने का औजार है, न कि उनका हक छीनने का हमारा विचार है। मैं एक शेर कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

देश की उन्नति के लिए नये वक्त के साथ चलना होगा,
मुसलमान भाई-बहनों के लिए नये वक्फ के साथ आगे बढ़ना होगा।

श्री इमरान मसूद (सहारनपुर) : माननीय सभापति महोदय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखे हुए इस संविधान में हमारे संरक्षण, देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक के संरक्षण का वादा किया। बाबा साहब ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है, एक ऐसी जीवनशैली जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जीवन सिद्धांतों के रूप में मान्यता देती है।

मान्यवर, जिन्होंने इस वक्फ बिल को ड्राफ्ट किया, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, वक्फ के बारे में क्या उनको जानकारी है? वक्फ क्या है, वक्फ एक फरीजा है। हर मुसलमान के लिए जिसकी जैसी हैसियत है, अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी या किसी भी चीज को अल्लाह की राह में वक्फ करता है। इस वक्फ को ड्राफ्ट करने वाले लोग, जिन्होंने बिल ड्राफ्ट किया, उसमें से अधिकांश ऐसे लोग थे, जिन्हें वक्फ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं इस बात को बहुत दावे के साथ कहता हूं, मुसलमान के अलावा 90 परसेंट लोग नहीं बता पाएंगे कि पाकी या नापाकी क्या होती है? आप वक्फ को क्या जानेंगे। बार-बार कह रहे हैं कि गैर-मुस्लिम सदस्य शामिल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। वक्फ को मुसलमान समझता है, जानता है, उसकी जरूरत को पहचानता है। इसलिए इस बात को कहा जा

रहा है, वरना वक्फ बोर्ड का जो सारा प्रबंधन है, वह तो सरकारों के ही हाथ में है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, बार-बार यह शोर मच रहा है, जेडीयू भी कहती है, टीडीपी भी कहती है और अन्य सहयोगी दल भी कहते हैं कि हमने वक्फ बाई यूजर को खत्म कराने का काम किया है।

माननीय सभापति जी, इसकी धारा 3(आर)(एक) में वक्फ बाई यूजर था, उसको हटा दिया गया है। इसमें क्या शामिल किया गया है? मैं इसको पढ़कर बता रहा हूं। इस बिल में लिखा है कि ?परंतु वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के प्रारंभ पर या उसके पूर्व उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के रूप में रजिस्ट्रियांकृत संपत्तियों को उपयोगकर्ता द्वारा विद्यमान वक्फ इसके वक्फ संपत्ति के रूप में बना रहेगा, सिवाय संपत्ति पूर्णतया या भागतया विवादाग्रस्त है या कोई सरकारी संपत्ति है?।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2005-06 में विभिन्न राज्यों के बोर्ड्स द्वारा सच्चर कमेटी के समक्ष यह कहा गया था कि दिल्ली में 316, राजस्थान में 60, कर्नाटक में 42, मध्य प्रदेश में 53, उत्तर प्रदेश में 60 और ओडिशा में 53 ऐसी संपत्तियां हैं, जिनके ऊपर सरकार ने कब्जा किया हुआ है। इसके बाद जब यह विधेयक लागू हो जाएगा, तो इसके ऊपर वक्फ का अधिकार खत्म हो जाएगा।

महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जब आपने सिवाय संपूर्ण या पूर्णतया या भागतया लिखा है, तो आपने पूरी तैयारी के साथ लिखा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में वक्फ की 14,500 हेक्टेयर जमीन में से 11,500 हेक्टेयर जमीन सरकारी घोषित कर दी गई है। 78 प्रतिशत जमीन को सरकारी बता दिया गया है। सरकारी जमीन कौन-सी हैं? उसमें इमामबाड़ा है, उसमें प्राचीन मस्जिदें हैं, उसमें 500-500 साल पुराने कब्रिस्तान हैं, उसमें ईदगाहें हैं और गांव-गांव में बनी हुई मस्जिदें हैं। आप कह रहे हैं कि आपने वक्फ बाई यूजर खत्म कर दिया है। आपने इतना बड़ा हथियार दे दिया है कि आप जाइए और लड़ते रहिए।

महोदय, इन्होंने कहा है कि अब जब कोई विवाद पैदा होगा, तो उस विवाद की स्थिति में डेजिग्नेटेड ऑफिसर उसको सुनने का काम करेगा और वह तय करेगा कि यह संपत्ति किसकी है, लेकिन वह तय कब करेगा, इसकी कोई समय-सीमा नहीं है। जब तक वह तय नहीं करेगा, तब तक उस संपत्ति का मालिक सरकार होगी। उत्तर प्रदेश में 11,500 हेक्टेयर जमीन है और कर्नाटक का विवाद सबके सामने हैं। कर्नाटक में बड़ा शोर मचा था। मैं कर्नाटक गया था। कर्नाटक में वक्फ की 1,12,000 एकड़ जमीन थी, जिसमें से 71,000 एकड़ जमीन का अलॉटमेंट सरकार ने कर दिया था। वहां के दरगाहों के जो मुतवल्ली थे, उन्होंने अपने परिवारों के बीच 19,000 से 20,000 एकड़ जमीन को बांट लिया था।

सन् 1999 में एक आदेश आया था कि ?वक्फ इज ऑलवेज वक्फ?, इसलिए पुराना आदेश नल एंड वाइड हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें रही हैं और कांग्रेस पार्टी की भी सरकारें रही हैं, दोनों सरकरों ने नोटिसेज़

इश्यू किए हैं। मैं उन नोटिसेज़ की कॉपी भी लेकर आया हूं। दोनों सरकारों ने नोटिसेज़ इश्यू किए हैं, लेकिन जेपीसी में हंगामा हुआ, तब हमारी कमेटी के सभापति महोदय भी हवाई जहाज से गए थे, लेकिन ?खोदा पहाड़, निकली चुहिया? । वहां कुछ भी नहीं मिला । इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो विवाद वाली स्थिति में आपने डेजिग्नेटेड ऑफिसर का प्रावधान किया है, लेकिन उसके सामने यह नहीं लिखा है कि वह कब तक तय करेगा।

आप बार-बार यह कहते हैं कि इसकी जो संरचना होगी, वक्फ काउंसिल में 22 सदस्य होंगे। 22 सदस्यों में 10 सदस्य मुसलमान होंगे, यह सही है । उसमें दो महिलाएं भी सदस्य होंगी, यह सही है, लेकिन उस काउंसिल में 12 सदस्य नॉन मुस्लिम होंगे । वक्फ बोर्ड के अंदर पूरा का पूरा बहुमत गैर मुस्लिम भाइयों का हो जाएगा । मुझे इससे मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने अभी कहा है कि जो दूसरे धर्म के ट्रस्ट हैं, क्या आप उनके अंदर दूसरे धर्म के लोगों को शामिल करने की अनुमति देंगे, ऐसा नहीं है । उत्तर प्रदेश के अंदर काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है । उसका पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है, लेकिन उसमें एक क्लॉज लिखा है कि अगर किसी समय कोई जिलाधिकारी मुसलमान होगा तो उससे नीचे या उससे ऊपर का अधिकारी उसका पदेन चेयरमैन होगा। आप मुसलमान के ऊपर यह शर्त लागू करते हैं । इसमें लिमिटेशन एक्ट है । विधेयक के खंड 40 ए की धारा 107 में संशोधन कर दिया है, जो वक्फ संपत्तियों की समय-सीमा को अधीन करती थी, लिमिटेशन एक्ट लागू करती थी। आपने खंड 41 में से धारा 108 और 108 ए को हटा दिया है। वर्ष 1995 का जो वक्फ अधिनियम है, उसकी प्रायोजकता पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण कानूनी दावों के समय पाबंदी के बिना आगे बढ़ाया जा सकता है। अब आपने वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर मुकदमों के लिए रास्ता खोल दिया है। वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा किए हुए जो लोग हैं, अब वे कब्ज़ाधारक एडवर्स पजेशन का दावा कर सकते हैं और मालिकाना हक हासिल करने की बात कर सकते हैं। जो अपराध करने वाले लोग हैं, कब्जा करने वाले लोग हैं, वह पहले गैर जमानती हुआ करते थे, लेकिन आपने उन्हें जमानती कर दिया है, आपने उन्हें अधिकार दे दिया है कि तुम कुछ भी करो, तुम्हें जमानत कराने की जरूरत नहीं है। आपने पूरा खुला मैदान उनके सामने खड़ा कर दिया है।

महोदय, आपने बार-बार कहा कि हम लोग मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं। आप मुझे कोई दूसरा एक ट्रस्ट बता दीजिए, कोई एक वक्फ संस्था बता दीजिए, जो धार्मिक नाम पर हो और उसके अंदर लिमिटेशन एक्ट न हो। हमारे ऊपर से हटा रहे हैं, बाकी सबको छूट मिलेगी। यह छूट भी टेंपरेरी है, क्योंकि कानून के जरिए आपकी नजर सब समुदायों की जमीनों और ट्रस्टों के पैसे के ऊपर लगी हुई है। यहां बार-बार वामसी पोर्टल का जिक्र हो रहा था। वामसी पोर्टल पर प्रॉपर्टीज़ 4 लाख 90 हजार से एकदम बढ़ीं और मंत्री जी नहीं मान रहे हैं तथा उन्होंने कहा कि 7 लाख कुछ हो गई हैं। किसी ने कोई प्रॉपर्टी वक्फ नहीं की है। वामसी पोर्टल के ऊपर दर्ज हुई संपत्ति कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के अंदर वज़ू गाह है। एक प्रॉपर्टी वज़ू गाह, एक प्रॉपर्टी मस्जिद, एक प्रॉपर्टी में कब्र है, यानी एक ही प्रॉपर्टी की तीन-तीन, चार-चार बना दी गई हैं और आपने बता दिया है कि ऐसा वामसी पोर्टल पर है।

माननीय मंत्री जी, दस साल का समय बहुत होता है। आप दस सालों में सभी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके। ? (व्यवधान) वामसी पोर्टल पर आप दस सालों में काम नहीं कर सके और अब आप कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर सारी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करा लेना। अगर सारी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वे संपत्तियां वक्फ की नहीं बचेंगी। रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, रजिस्ट्रेशन आपके अधिकारी करेंगे। जब दस सालों में नहीं कर सके तो 6 महीने में कैसे करेंगे? यह पूरे तरीके से संविधान विरोधी कानून है। यह अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 25 का सीधे-सीधे ओवरलैपिंग का काम करता है।

मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि आप मुझे दो मिनट का समय और दे दीजिए। ये बार-बार कहते हैं ? प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। आप एक बात बता दीजिए कि आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आप किस तरह तय करेंगे कि हम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है? यह कौन बताएगा कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की क्या परिभाषा है? सारे मुसलमान पांच वक्त नमाज नहीं पढ़ते हैं, सारे मुसलमान रोजा भी नहीं रखते। इसका पैमाना क्या होगा कि वह मुसलमान है या नहीं है? आपने इस तरह से रास्ते खोलकर सीधे-सीधे संविधान के अंदर जो धारा 14 में अधिकार है, उसके ऊपर आपने अतिक्रमण करने का काम कर दिया है। मैं माननीय चिन्नप्पा रेड्डी के एक कथन को जरूर कहना चाहूंगा:-

?हमारी परंपरा में हमें सहिष्णुता सिखाती है,
हमारा यह संविधान हमें सहिष्णुता का अभ्यास करता है,
हमें इसे कमजोर नहीं करना चाहिए।
हमें यही संरक्षण दे रहा है।?

यह बाबा साहब के सपनों का संविधान है। उन्होंने देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को, जो गरीब से गरीब नागरिक है, उसे वे अधिकार दिए, जो सामने बैठे हमारे प्रधान मंत्री जी को भी हैं। वही अधिकार सड़क पर बैठे एक मजदूर का भी होगा। यह बाबा साहब का संविधान है। इसे कमजोर करने का काम आप न करें। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। अभी हमें सौगात-ए-मोदी मिली। हमें सौगात-ए-मोदी में ईद की सेंवइयां नहीं चाहिए। सौगात-ए-मोदी में शिक्षा, रोजगार दे दीजिए। हमें सौगात-ए-मोदी में मोहब्बत दे दीजिए। ये जो गोलियां छातियों पर लगती हैं, इनको चलवाना बंद करा दीजिए। हमें सौगात-ए-मोदी में यह कानून देने का काम कर दीजिए।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : धन्यवाद सभापति जी, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी व अपनी पार्टी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे वक्फ संशोधन विधेयक, यानी कि उम्मीद Unified Waqf Management Empowerment, Efficiency and Development (UMEED) Bill के समर्थन में बोलने का मौका दिया है। यह विधेयक नहीं, एक उम्मीद है। इस उम्मीद में इम्पावरमेंट, एफिशिएंसी, डेवलपमेंट है। कहीं न कहीं इसी को देखकर

आज जहां देश भर के लोग इसके समर्थन में हैं, वहीं Catholic Bishop Conference of India, Church of Bharat and Kerala Council of Churches, Kerala Catholic Bishop?s Council, and All India Sufi Sajjadanashin Council, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जैसी अनेक संस्थाओं और चर्च से लेकर मुस्लिम की अन्य सभाओं ने इसका समर्थन किया है, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति जी, वक्फ को बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि यह अत्याचार और भ्रष्टाचार का ऐसा अड्डा बन गया है, जिसको खत्म करने और बदलने का समय आया है। भारत को वक्फ के खौफ से आजादी चाहिए। कांग्रेस के जमाने में बने वक्फ कानून का मतलब तो यही था कि ??खाता न बही, जो वक्फ कहे, वही सही ।? यानी जहां कह दिया कि वक्फ की जमीन है, वह फिर वक्फ की जमीन हो गई। यह बताने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है कि यह जमीन उनकी किस प्रकार है, लेकिन जिस बेचारे की जमीन चली गई, वह दर-दर भटकता है और उसे इंसाफ भी नहीं मिलता है। मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। आज एक बार फिर कांग्रेस देश को और देश में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। एक ओर तो वे हाथ में एक लाल किताब लेकर चलते हैं, जो कहने के लिए संविधान है, लेकिन संविधान नहीं है। अगर संविधान की इस कॉपी को आप देखेंगे, तो आपको अहसास होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना था कि एक देश में तो एक ही संविधान रहेगा। आपने एक देश में दो विधान बनाने का काम किया है। आपको तय करना है कि संविधान के साथ रहना है या वक्फ के साथ रहना है।

माननीय सभापति जी, यही नहीं, जो लोग बड़ी-बड़ी बातें यहां पर कर रहे थे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह हिन्दुस्तान है, पाकिस्तान या तालिबान नहीं, यहां बाबा साहब का संविधान चलेगा, कबीले का फरमान नहीं। मुगलिया फरमान यहां पर नहीं चलने वाला। एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे। आज हम केवल संविधान संशोधन पर चर्चा नहीं कर रहे, बल्कि एक समानान्तर सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, जो दशकों से अनियंत्रित रूप से अस्तित्व में है। वक्फ संशोधन बिल 2025 केवल कानून में बदलाव नहीं, बल्कि एक संदेश है। संदेश स्पष्ट है कि देश में एक ही कानून चलेगा-भारत का संविधान और भारत के संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। वक्फ बोर्ड का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए संपत्तियों का प्रबंधन करना था, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने इस भूमि को अपारदर्शी और गैर-जिम्मेदाराना तरीके से राजनीतिक संरक्षण देते हुए एक ऐसा साम्राज्य बनाया, जहां इसे इन्होंने वोट बैंक का एटीएम बनाकर रख दिया ।

17.00 hrs

इन्होंने 70 सालों से यही किया है। सन् 1947 में भारत ने एक विभाजन देखा था। वह विभाजन एक परिवार और एक पार्टी के कारण हुआ था। आज हम ?जमीन जिहाद? के नाम पर दूसरा विभाजन नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे।

हम यहां पर एक स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि मोदी जी के राज में भारत में ?एक कानून, एक संविधान और एक भारत? रहेगा। इसके लिए एक स्पष्ट संदेश भी है कि ?एक हैं तो सेफ हैं।?

हम यह कह रहे हैं कि इस बिल के माध्यम से हम पारदर्शिता लाएंगे। अगर हम पारदर्शिता लाएंगे तो जवाबदेही भी तय करेंगे, लेकिन ये लोग, जिनके पास वोट बैंक का एटीएम है, जिनके अपने नेता भ्रष्टाचार के कई मामलों में फंसे हुए हैं, जिनके राज्यों में हजारों करोड़ रुपये के घोटाले हुए हैं, जिनका मैं आगे उल्लेख करने वाला हूँ और उस पर मैं आपके सामने प्रकाश भी डालूंगा, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि 70 सालों से यह प्रक्रिया जो चल रही है, चाहे 1964 की बात हो, चाहे 1969 की बात हो, एक के बाद एक संशोधन आए। वर्ष 1995 से लेकर 2013 तक इन्होंने इस कानून को ऐसा बना दिया कि इसको चुनौती देने तक का भी हक कहीं पर भी नजर नहीं आता था। इस पर न कोई ऑडिट होता था, न कोई निरीक्षण होता था। सिर्फ भूमि अधिग्रहण की बात होती थी। शहर दर शहर, गली दर गली एक के बाद दूसरा कब्जा करने का काम किया गया। यह धर्मनिरपेक्षता नहीं थी, बल्कि यह नरम विभाजन की ओर ले जाने का काम था, लेकिन हमने अब इस कानून में बदलाव किया है, ताकि मुस्लिम समुदाय के गरीब से गरीब व्यक्ति का भी भला हो सके।

सभापति महोदय, मुझसे पहले मुस्लिम समुदाय के एक सदस्य, जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, वे अपना भाषण दे रहे थे। मैं उनको यह कहना चाहता हूँ कि क्या ?अशरफ, अज़लफ और अरजल? में भी कोई अंतर है? मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ और यहां पर अखिलेश जी थोड़ा ज्ञान बांट रहे थे, तो मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि क्या मुस्लिम समुदाय में भी जातियां हैं? क्या भेदभाव है? क्या छुआछूत है? ? (व्यवधान) लाल टोपी वालों का मैं बताऊंगा, 2017 में आपकी सरकार आने से पहले घोटाले कितने थे? ? (व्यवधान) एक नहीं अनेक घोटाले थे, लेकिन आज इनके काले कारनामे खत्म हो जाएंगे। ? (व्यवधान) यह विधेयक कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति का अंतिम संस्कार करने वाला है, इसका मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। This will be the final nail in the coffin of the appeasement politics of the Congress Party.

सभापति महोदय, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहले तो देश का विभाजन करने का काम किया। उसके बाद धारा 370 और 35ए देकर ऐसे जख्म दिए कि हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार थी, जिसने धारा 370 और 35ए को सदा-सदा के लिए खत्म करने का काम किया। यह हमारी मुस्लिम समुदाय की बहनों के लिए प्रतिबद्धता थी, जो ट्रिपल तलाक से उनको निजात दिलाने का काम किया गया और यह काम किसी ने किया है तो वह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है।

आपने तो वायदा किया था कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह गए हैं, उनको वहीं पर पूरा न्याय मिलेगा, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। अगर उनको भारत में भी नागरिकता देने की बात थी तो वह काम

आपकी सरकार से 60 सालों में भी नहीं हुआ और सीएए कानून बनाकर वह काम नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने कहीं न कहीं और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने वोट बैंक के लिए संविधान का सौदा कर लिया और यह सौदा ही किया है, तभी तो हमने एक के बाद दूसरा उदाहरण देकर कहा कि आपने उसको कैसे अपना वोट बैंक का एटीएम बनाकर रखा, लेकिन यह बिल अन्याय की जड़ पर प्रहार है और इस प्रहार के बाद सबको न्याय, न्याय और न्याय ही मिलने वाला है।

हमने कहा है कि प्रत्येक वक्फ संपत्ति रजिस्टर्ड हो। उसके आँकड़े होने चाहिए और हर झगड़ा कानून के अंतर्गत हल हो, किसी डर और भय के अंतर्गत न हो। आपको इस बात का क्यों डर है? अगर किसी को न्याय मिलता है, ट्रिब्यूनल के बाद अगर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है तो आप उसे क्यों रोकते हैं? देश में हर एक कानून के अंतर्गत, चाहे इनकम टैक्स का हो या कोई भी हो, आप एक कोर्ट के बाद दूसरे कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन वक्फ में यह कानूनी रोक क्यों लगाकर रखी थी? यह कहा गया कि यह बिल किसी धर्म के खिलाफ है, लेकिन यह बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। यह बिल भ्रष्टाचार, धोखा और धार्मिक सामंतवाद के खिलाफ है और हम इसके खिलाफ रहेंगे। यह बात स्पष्ट है कि आस्था का विषय नहीं है।

As long as Modi ji is the Prime Minister, the shops of appeasement will remain shut. This Bill is not about Hindu versus Muslim; this Bill is about law versus lawlessness; Constitution versus corruption; and Bharat versus internal partition. यह पार्टीशन एक बार हो गया है, अब आपके कारनामों के कारण बार-बार नहीं होने देंगे।

सर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या परिस्थितियां हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। तुर्की में वर्ष 1923 के बाद वर्ष 1924 में मिनिस्ट्री ऑफ वक्फ को एबॉलिश कर दिया गया और वहां पर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फाउंडेशन बना, जो वक्फ प्रॉपर्टीज का रेस्टोरेशन, मेन्टेनेन्स और यूटिलाइजेशन करता है। इसके बाद यह लोगों की भलाई के काम के लिए पैसा लगता है। कुवैत में भी मिनिस्ट्री आफ वक्फ एंड इस्लामिक अफेयर्स है। यह एसेट्स, मस्जिद, स्कूल्स और अस्पताल, सभी की देख-रेख करता है और मॉर्डनाइजेशन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका फायदा उठाया जाता है। इसका डिजिटलाइजेशन किया गया है। लेबनान में मिनिस्ट्री आफ एंडोमेंट एंड इस्लामिक अफेयर्स है, जो इसकी मैनेजमेंट, चैरिटेबल कम्युनिटी और अन्य सारे काम को देखता है। सीरिया में भी मिनिस्ट्री आफ वक्फ है, जहां पर इसका एप्रोप्रिएट यूज हो, रेवेन्यू और चैरिटेबल परपस के लिए काम किया जाता है। इराक में भी सुन्नी एंडोमेंट और शिया एंडोमेंट ऑफिस है। यह भी सीधा सेंट्रलाइज्ड फ्रेमवर्क के माध्यम से काम करता है। सऊदी अरब में जनरल अथॉरिटी ऑफ वक्फ है, जो इंडिपेंडेंट पब्लिक बॉडी है। सिंगापुर में एमयूआईएस है, जो

स्टैट्यूटरी बॉडी है, वह मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत है। यह वक्फ मैनेजमेंट के डिजिटल सिस्टम के माध्यम से काम करता है। इंडोनेशिया में भी इंडोनेशियन वक्फ बोर्ड है, जो अच्छे काम करने के लिए, उनकी भलाई के काम को एन्श्योर करता है। ट्यूनीशिया, इजिप्ट, रूस और फ्रांस में इसी तरह से काम किया गया है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं किया गया। यहां पर इसके खिलाफ ही काम किया जाता रहा।

राहुल गांधी जी कहते हैं कि चंद लोगों के हाथ में देश की संपत्ति है। राहुल गांधी जी सदन में नहीं हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि मात्र 200 लोगों के हाथ में आपने वक्फ बोर्ड दे रखा है और देश की लाखों-करोड़ों रुपए की संपत्ति उनको दे रखी है, क्या उनसे छुटकारा दिलाना चाहिए या नहीं दिलाना चाहिए? क्या आम मुस्लिम को उसका लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्या मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्या विधवाओं को लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप महिला विरोधी क्यों हैं, मुस्लिम विरोधी क्यों हैं, आप बदलाव विरोधी क्यों है? आपको इन सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा।

सर एक कहावत है जो यहां पर बाहर कही जाती है

?पता है यहां से बहुत दूर और गलत और सही के पर एक मैदान है,

मैं वहां मिलूंगा तुझे और अगर वक्फ का बस चला तो वक्फ की संपत्ति बन जाएगा।?

यानी कि जिस पर भी नजर रखोगे, वह वक्फ की संपत्ति बन जाएगी और उसमें से आपको इंसाफ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सर, ऐसी हालत कर दी गई है।

वक्फ की सच्चाई क्या है? भारत में ऐसा कौन सा कानून है, जिसने आपका घर, आपका मंदिर, यहां तक कि आपके पूरे गांव छीन लिए? ऐसा कौन सा कानून है जिसके खिलाफ आप कोर्ट भी नहीं जा सकते? यह कौन सा ऐसा कानून है, जो संविधान से भी ऊपर है?

सर, इसका नाम वक्फ है, जो कांग्रेस के समय बना है। इसने गुरुद्वारे, मंदिर, घर, गांव, सब पर कब्जा करने का काम किया है। इसका सेक्शन 40 एक तुगलकी फरमान है। इसमें दान देने वाला किसी भी धर्म का हो सकता है, लेकिन देखभाल करने वाला मुसलमान ही होना चाहिए। मंदिर में तो ऐसा नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। आप साल में साढे चार सौ करोड़ रुपए इकट्ठा करते हैं, कहां खर्च करते हैं, उसका कौन जवाब देता है? आपको एक-एक रुपए का हिसाब देना चाहिए था। क्या आपने किसी मस्जिद का पैसा लिया? क्या आपने किसी वक्फ बोर्ड का पैसा लिया? लेकिन कर्नाटक में जो घोटाले हुए उनमें इनके ? का नाम भी आता है।? (व्यवधान)

माननीय सभापति: नाम हटा दीजिए।

?(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please remove the name as he is the Member of the other House.

? (*Interruptions*)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मैं सबूत के रूप में सब कुछ लाया हूं।?(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I have given the decision.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: As he is the Member of another House, I directed to expunge his name. Hon. Members, please be seated.

? (*Interruptions*)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: सभापति जी, मैं नाम वापस ले लेता हूं। मैं इसे टेबल कर देता हूं।? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I have already expunged his name.

....(Interruptions)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: सर,आपकी अनुमति हो तो मैं आंथेटिकेट करके टेबल कर देता हूं? ? (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : नाम वापस ले लिया है। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप सब लोग बैठिए। वेणुगोपाल जी, आप बोलिए।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति: हमने नाम एक्सपंज कर दिया है और उन्होंने नाम वापस ले लिया है। इसके बाद क्या बोलना है?

? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I request all the hon. Members to take their seats.

....(Interruptions)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, while speaking, he totally misled the House. He not only misled the House but he also took the name of the ... Sir, we are really proud of him. We are having a Congress President who has come from the grassroot level of this country. *....(Interruptions)* He does not like ... He is leading by his casteism. *....(Interruptions)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: सभापति जी, आखिरकार कांग्रेस अपनी जातिवादी सोच को सामने ले ही आई। ये कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर और कभी धर्म के नाम पर बांटने का काम करते हैं। ? (व्यवधान) क्या मैंने किसी जाति का नाम लिया, लेकिन आप जाति को लेकर आए हैं। ? (व्यवधान) यही नहीं, यह रिपोर्ट देखिए, कर्नाटक की विधान सभा में कांग्रेस के एक नहीं, अनेक नेताओं के नाम आए हैं जिन्होंने वक्फ की प्रापर्टी खाने का काम किया है

। ? (व्यवधान) हजारों करोड़ के घोटाले करने का काम किया है । ? (व्यवधान) इसीलिए आप लोग पादर्शिता नहीं चाहते, इसीलिए आप लोग ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते, इसीलिए आप लोग जवाबदेही नहीं चाहते । ? (व्यवधान)

सर, मैं आंथेटिकेट करके रिपोर्ट सभा पटल पर रखना चाहता हूं। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप इसे ले कर दीजिए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: जी, सर, मैं इसे ले कर देता हूं। ? (व्यवधान)

सर, अगर किसी की संपत्ति जिसके ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया हो, ? (व्यवधान) इसे वक्फ को साबित नहीं करना है। यह जिसकी प्रापर्टी है, उस बेचारे को एक जगह से दूसरी जगह धक्के खाने पड़ते हैं। यह आम व्यक्ति के लिए एक अभिशाप है। अगर सरकारी जमीन छीनी जा सकती है, गांव के गांव छीने जा सकते हैं तो आप कैलकुलेट कीजिए कि आम इंसान की प्रापर्टी का क्या किया जाएगा? ? (व्यवधान) नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ता है। वक्फ का साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया है। नौ लाख एकड़ जमीन, जो लाखों करोड़ रुपये की है। ? (व्यवधान) सच्चर कमेटी कब बनी? यह आपकी सरकार के समय में बनी। वर्ष 2006 में इसकी रिपोर्ट आई। आप क्यों हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे? उन्होंने कहा था कि साल की 12 हजार करोड़ रुपये की आमदनी हो सकती है। पिछले 20 सालों में ढाई लाख करोड़ रुपये की आमदनी हो गई होती तो मुस्लिम महिलाओं, बच्चों और मुस्लिम समुदाय का भला हो जाता, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम समुदाय का भला कभी चाहा ही नहीं, केवल वोट की राजनीति की। ? (व्यवधान)

सर, इसकी जमीन कितनी है? मॉरिशस जैसे दो देश के बराबर वक्फ बोर्ड की जमीन है। मालदीव जैसे 12 देशों के बराबर वक्फ बोर्ड की जमीन है। लालू प्रसाद यादव जी, इस सदन के सदस्य नहीं हैं, आपकी सरकार में मंत्री थे। तब उन्होंने कहा था कि पटना के डाकबंगले की जमीन भी वक्फ बोर्ड खा गया। ? (व्यवधान) सरकारी और गैर-सरकारी जमीनें वक्फ बोर्ड खा गया। यह किसी और ने नहीं लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? यह ऑन रिकॉर्ड कहा था। ? (व्यवधान)

सर, गरीब मुसलमान इस कानून का शिकार रहे हैं। राजस्थान में रामगंज में वक्फ बोर्ड द्वारा मुसलमानों की जमीनें खाली करा दी गई, मुस्लिम महिला मर गई। उत्तर प्रदेश में लाल टोपी वालों की सरकार थी। ? (व्यवधान) लाल टोपी के काले कारनामे उत्तर प्रदेश ने देखे हैं। ? (व्यवधान)

इनके उस समय के मंत्री सैकड़ों एकड़ जमीन खा गए। ? (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : आप साबित करें। ? (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: सर, यही नहीं, इनके काले कारनामे और भी हैं। मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि ये मुस्लिम विरोधी भी हैं, महिला विरोधी भी हैं, पसमांदा विरोधी भी हैं और अहमदिया विरोधी भी हैं।? (व्यवधान)

माननीय सभापति: धर्मेन्द जी, आप प्लीज बैठिये। जब आपकी बारी आएगी तब आप बोलियेगा।

? (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: सर, ये गरीबों के उत्थान के लिए तब भी कुछ नहीं कर पाएं। इन्होंने ठीक रिकॉर्ड रखने के लिए कुछ नहीं किया।? (व्यवधान) हम कहते हैं कि शिया हो, अहमदिया हो, महिला हो, पिछड़े वर्ग के मुस्लिम समुदाय के लोग हों, उनको इसका सदस्य बनाइये। आप उनको इसका सदस्य क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? ? (व्यवधान) आप मुस्लिम समुदाय में भी जातिवाद करते हो। उसमें पिछड़े मुसलमानों को नहीं रखना चाहते हैं।? (व्यवधान) Waqf is a State within State. मुसलमानों का हक मारने का काम किया गया। यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड की जीरो एकाउंटबिलिटी है। ऐसा क्यों है? ? (व्यवधान) मनमोहन सिंह जी ने कहा था। वेणु जी, मै कह सकता हूं या नहीं कह सकता? मैं कह देता हूं कि पूर्व प्रधान मंत्री ने कहा था, आप सोच लेना कि किसने कहा था? पूर्व प्रधान मंत्री ने कहा था? Muslims must have first claim on our resources. ये सदा हिन्दू विरोधी रहे हैं। केवल मुसलमानों के पक्ष में किया, लेकिन आपने मुसलमानों के लिए भी कुछ नहीं किया। अगर मुसलमानों को पक्के मकान, पीने का पानी, अच्छी शिक्षा, भोजन ? अगर ये सब किसी ने दिया है तो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने दिया है।? (व्यवधान) सर, मैं तीन मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं।

माननीय सभापति : आप एक मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, एक मिनट में बात खत्म नहीं हो पायेगी। सर, यह देखिये, मैं रिपोर्ट लाया हूं, इन्होंने कहां से कहां तक, राज्य दर राज्य कैसे हिन्दुस्तान की जमीनों पर कब्जा किया है।? (व्यवधान) सर, आपको आंकड़े दिखाते हैं कि एक राज्य नहीं, केरल में ये कहते तो हैं कि ये वायनाड के बेटे हैं, बेटी हैं। लेकिन वहां पर भी वक्फ का कहर जारी है। पापी वोट बैंक का सवाल है। आप वायनाड में भी चुप रहते हो, कुछ करते नहीं हो। वायनाड की रहनुमा कहने वाली आज गायब हैं। वहां पर भी उनकी संपत्तियों पर कब्जा हो रहा है। ? (व्यवधान) केरल में तो रोज ऐसे हो रहा है। बेलगाम हो चुका वक्फ बोर्ड किसानों, मजदूरों, हिन्दुओं की जमीनों को एविक्शन नोटिस दे रहा है। एर्नाकुलम में 404 एकड़ जमीन पर दावा ठोक दिया है। 604 पिछड़े ईसाइयों और हिन्दू परिवारों के घर छीन लिए। त्रावणकोर में राजपरिवार की जमीन खा गए। केरल में कांग्रेस और वामपंथी ने मिलकर बिल पास कर दिया। कर्नाटक में 15 हजार एकड़ की कहानी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। इन्होंने एक गांव में 1500 साल पुराने प्राचीन मंदिर के साथ लगती जमीन पर कब्जा करने की बात कही? (व्यवधान) इस पर कब्जा करने की बात कही।

माननीय सभापति : आप प्लीज अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, सूरत के नगर निगम ने मुगलों की संपत्ति बचाने का काम किया।? (व्यवधान) बेट द्वारका के दो द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था? ? (व्यवधान) यही

नहीं, कल क्या आनंद भवन और नेशनल हेराल्ड पर आकर, मैंने अभी बाहर सुना था कि आनंद भवन और नेशनल हेराल्ड पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोकने वाला है। क्या आप दे दोगे? ? (व्यवधान)

सर, यही नहीं, एएसआई संरक्षित स्मारकों पर भी? (व्यवधान) कर्नाटक में 53 ऐतिहासिक स्मारकों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : मणिक्कम टैगोर जी, आप बैठिये।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, यही नहीं, एएसआई के 120 प्राचीन स्थानों पर भी इन्होंने कब्जा किया है। राहुल जी, किसान कल्याण की बात तो करते हैं, लेकिन कर्नाटक में इनकी सरकार ने किसानों की 15 हजार एकड़ जमीन छीनने का काम किया है। ? (व्यवधान)

सर, ये किसान विरोधी हैं। ये महिला विरोधी हैं। मैं इन सबसे कहना चाहता हूं कि ऐसे काम नहीं चलेगा। ये कहते हैं कि पुराने कानून के तहत न्याय मिल जाएगा। न्याय नहीं मिलता है।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप प्लीज कनक्लूड कीजिए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, मैं एक मिनट में अपनी समाप्त करता हूं। आप देखिये, वक्फ की आय, जो 12 हजार करोड़ रुपये सालाना होनी चाहिए थी, आज 1 करोड़ 30 लाख रुपये रह गई है। वक्फ बोर्ड का पैसा कौन खा रहा है? कांग्रेस के नेताओं के नाम आते हैं।? (व्यवधान) सर, यही नहीं, पश्चिम बंगाल में 1100 करोड़ रुपये का, तमिलनाडु में 2 हजार करोड़ रुपये का, महाराष्ट्र में हजारों-करोड़ रुपये के घोटाले हुए हैं। इन सब की सरकारों में किए गए और मैं सारे सबूत लाया हूं। मैं सारी रिपोर्ट्स लाया हूं।? (व्यवधान) मैं अनुरोध करता हूं कि सारे के सारे पेपर्स ऑथेंटिकेट करके मुझे रखने का मौका दिया जाए। ये विपक्षी दल, जो भ्रष्टाचार में जुड़े हुए हैं, हम वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं।

माननीय सभापति : माननीय अनुराग जी, अब आप बैठ जाइए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : यह मेरी आखिरी लाइन है।

सर, नैशनल हेराल्ड में छपा है कि महाराष्ट्र में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। नैशनल हेराल्ड के घोटाले के रूप में कांग्रेस के एक नेता बेल पर हैं, जो यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसी नैशनल हेराल्ड में लिखा गया है कि कांग्रेस पंचतंत्र का वह बन्दर है, जो रोटी के बंटवारे के नाम पर ये सारी रोटियाँ खा जाते हैं। मन्दिरों की जमीन सम्पत्तियों के नाम, यह विशेष कानून इसके लिए क्यों नहीं है? यह वक्फ के लिए क्यों है? इनका विचार साफ नज़र आता है कि ये मन्दिरों का सोना पिघलाकर तब तो ले जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर जमीनों पर कब्जा करने के लिए वक्फ बोर्ड बना देते हैं। हमारी सरकार वक्फ को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना चाहती है।

माननीय सभापति : हमारे पास काफी वक्ताओं की लिस्ट है। सभी को बोलने का मौका देना है। आप केवल 30 सेकेंड में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, आपने कहा था कि कोई भी बीच में टोका-टोकी नहीं करेगा। लेकिन इन्होंने तो एक ऐसा जमींदार खड़ा कर दिया है, जो एक नहीं, हजारों करोड़ रुपए की ऐसी अनेक सम्पत्तियों को खा गये। सर, क्या मैं कर्नाटक के कुछ कांग्रेस नेताओं के नाम ले सकता हूँ, जिनके नाम रिपोर्ट में आए हैं। विधान सभा में रिपोर्ट आयी है। सीटिंग विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, राज्य सभा के प्रतिपक्ष के नेता हैं। ये वक्फ की प्रॉपर्टीज पर कब्जा करने वाले और पैसे खाने वाले हैं। यहाँ तक कि एक फाइव स्टार होटल का भी? (व्यवधान) सर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह बिल मुस्लिमों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। हर वर्ष हजारों करोड़ रुपए कमाने का प्रावधान करके दिखाएगा। अच्छी शिक्षा, अच्छी सुविधाएं, अच्छे मकान, अच्छा इलाज और अच्छा भविष्य देने का काम नरेन्द्र मोदी की सरकार में, वक्फ बोर्ड का यह संशोधन बिल उम्मीद के माध्यम से एक नयी उम्मीद बांधकर दिखाएगा।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अरुण भारती (जमुई) : माननीय सभापति महोदय, वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 पर लोक जन शक्ति (रामविलास) का पक्ष रखने का मौका देने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ।

माननीय सभापति जी, जब यह विधेयक अगस्त, 2024 में आया था, तो उस वक्त सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने ही मंत्रिमंडल में रहते हुए कहा था कि इस पर व्यापाक चर्चा होनी चाहिए। इसलिए इस बिल को किसी समिति को भेजा जाए ताकि इस पर सभी प्रभावित पक्षों की राय और विचार को जाना जा सके।

इस विधेयक का मूल उद्देश्य वक्फ सम्पत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और न्यायसंगत व्यवस्था को स्थापित करना है। आपने देखा होगा कि वक्फ करने के जो तीन कंडिशन्स हैं, उनमें रिलीजियस और पायस, परमानेंट डेडिकेशन और लेजिटिमेट ओनरशिप होना जरूरी है। लेकिन जब वक्फ पर विपक्ष की तरफ से विरोध किया जाता है, तो सिर्फ धार्मिक पक्ष को लेकर ही विरोध किया जाता है। धार्मिक पक्ष के अलावा भी, वक्फ प्रबंधन का एक आर्थिक पक्ष है, एक सामाजिक पक्ष है, एक विधिक पक्ष है और एक प्राशासनिक पक्ष है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस विधेयक के विरोध में विपक्ष की ओर से हमेशा धार्मिक पक्ष को ही उठाकर, डराकर, लोगों को यह बताकर कि आपके दरगाह चले जाएंगे, आपकी मस्जिदें चली जाएंगी, इन्हीं बातों को उठाता है ताकि वोट बैंक हमेशा उनके पास बना रहे।

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यह कहती है कि मुस्लिम समुदाय सामाजिक और आर्थिक स्तर पर चुनौतियों से जूझ रहा है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि विपक्ष इन वास्तविक मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहता है क्योंकि इससे उनके राजनीतिक षडयंत्र और उनके प्रायोजित नरेटिव पर प्रश्नचिह्न खड़े हो जाते हैं। महोदय, मुझे यह बताया जाए कि क्या

बात है कि सिंगापुर जैसा एक छोटा-सा राष्ट्र, जहाँ महज दो सौ वक्फ की सम्पत्तियाँ हैं, वहाँ पर एक साल में, इन सम्पत्तियों से 42 करोड़ रुपए से ज्यादा आय होती है। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए, तो सच्चर कमेटी के हिसाब से जहाँ 5 लाख वक्फ की सम्पत्तियाँ हैं, जहाँ 6 लाख एकड़ से ज्यादा जमीनें हैं, कुल मिलाकर 1 करोड़ 20 लाख एकड़ से ज्यादा सम्पत्तियाँ होने के बावजूद सिर्फ 163 करोड़ रुपए की आय होती है। आखिर कहीं तो कुछ न कुछ कमी है।

सभापति महोदय, मैं इस सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि विश्व के कई देशों ने समय रहते वक्फ की व्यवस्था में आवश्यक प्रशासनिक सुधार किए हैं। इसे समझने के लिए अगर हम 19वीं और 20वीं सदी में कुछ देशों के उदाहरण को देखेंगे, तो हमें समझ में आएगा। तुर्की में वर्ष 1925 में लगभग तीन-चौथाई खेती की जमीन वक्फ के नाम थी। अल्जीरिया में लगभग आधी से अधिक खेती योग्य भूमि वक्फ के नाम थी। ट्यूनेशिया में भी लगभग एक-तिहाई और मिस्र में एक-आठवां भाग वक्फ के नाम था।

इन्हीं शासन व्यवस्थाओं ने जब इस बात का गहन मूल्यांकन किया और इस बारे में गहन छानबीन की, तो उनको पता चला कि ये अचल संपत्तियां ऐसी प्रकृति की बन चुकी हैं, जहां उनकी किसी भी प्रकार की सामाजिक और आर्थिक उत्पादक भागीदारी बिलकुल खत्म हो चुकी है। ये संपत्तियां उस देश के आर्थिक विकास में अवरोधक रही हैं और उन वंचित वर्गों को भी लाभ नहीं दे रही हैं, जिनके लिए इनका संगठन किया गया था।

इसीलिए, इसका समाधान निकालने के लिए तुर्की ने वर्ष 1925 में सामाजिक, प्रशासनिक और संवैधानिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वक्फ मंत्रालय का पुनर्गठन किया था। मिस्र में भी समय की आवश्यकतानुसार वक्फ की संपत्तियों को राज्य प्रशासन के अंतर्गत लाया गया था। इन निर्णयों को संबंधित देशों ने उस समय राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को जनहित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक और उपयुक्त माना था।

सभापति महोदय, यही सवाल आज हमें भी जानना है, हमें भी पूछना है कि क्या भारत जैसे उदयमान होते हुए राष्ट्र को ऐसी समस्याओं के बारे में नीतिगत रूप से चर्चा नहीं करनी चाहिए। ? (व्यवधान) चर्चा करके उन समस्याओं के बारे में कैसे हम आगे बढ़ें, इसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उन मुस्लिम देशों की तरह हमें कोई कठोर या क्रांतिकारी कदम उठाने चाहिए। लेकिन, ईमानदार प्रयास हमारी तरफ से बहुत जरूरी है, ताकि मुस्लिम समाज, जिसको हमारे अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी आगे लेकर जाना चाहते हैं, मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं, चाहे वह दलित मुसलमान हो, अंसारी मुसलमान हो, राई मुसलमान हो, जुलाहा मुसलमान या पसमांदा मुसलमान हो, जो मुख्य धारा में पीछे छूट जाते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ अल्लाह की रहमत ही नहीं, बल्कि सरकार के योगदान की मदद की भी जरूरत है।

सभापति महोदय, कांग्रेस के शासनकाल में भी अलग-अलग समय पर वक्फ के बिल लाए गए हैं, लेकिन यथार्थ यह है कि उनके शासनकाल में जिस तरह से पारदर्शिता, जवाबदेही में लगातार कमी हुई है, इसके चलते भ्रष्टाचार के

अनेक उदाहरण पहले भी माननीय सदस्यों ने बताए हैं, इसलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन, मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती है, तो प्रशासनिक सुधारों को व्यवहारिक तरीके से लागू करने का प्रयास करती है। लेकिन, जब विपक्ष में होती है, तो यही पार्टी संवेदनशील मुद्दों को, जन-भावनाओं को उभारने का और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करती है।

सभापति महोदय, आज मैं इस बिल पर बोलते हुए भारत रत्न डा. भीमराव अंबेडकर जी की उस संवैधानिक सोच की भी याद दिलाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने भारत की एक धर्म निरपेक्ष और सम्मानित राष्ट्र के रूप में परिकल्पना की थी। उन्होंने यह कहा था कि राज्य का कोई धर्म नहीं हो सकता है, मगर धर्म की आड़ में कोई भी संस्था कानून के ऊपर नहीं हो सकती है। ? (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं अति-सम्मानपूर्वक यह कहना चाहता हूं कि वक्फ के मुद्दे पर जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के विरोध में फतवा लाया गया, आपने भी समाचार पत्रों के माध्यम से सुना होगा। उन लोगों को मैं यह जवाब देना चाहूंगा कि आप लोगों को उस पुत्र से शिकायत है, जिसके पिता ने बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया था। ? (व्यवधान) लेकिन, आज जब यह वक्फ का बिल आया है, आपके समाज के लिए बिल आया है, तब आप उनके साथ खड़े हैं, जिन्होंने उस वक्त मुस्लिम मुख्यमंत्री का विरोध किया था। ? (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं अपनी बात को यह कहकर समाप्त करना चाहूंगा, जैसा कि पहले भी कहा गया था कि बिहार में इस वक्त पिता-पुत्र में गजब विडंबना बनी हुई है। पिता ने इसी लोक सभा के सदन में वर्ष 2010 में कहा था कि हमें भी पता है कि पटना में कितनी सारी संपत्तियां वक्फ के पास हैं, लेकिन पुत्र कह रहा है कि हम वक्फ का बिल आने नहीं देंगे, हम इसको बिहार में लागू नहीं होने देंगे और मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले हुए हैं।

अंत में, मैं यह बताना चाहूँगा कि यह बिल किसी धर्म और धार्मिक समुदाय के विरूद्ध नहीं है, यह उसमें संपत्तियों के प्रबंधन के लिए है, समाज सेवा के लिए है, परोपकार के लिए है, जनकल्याण के लिए है। मैं इस सम्माननीय सदन में विनम्रतापूर्वक अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की तरफ से इस विधेयक के प्रति समर्थन व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रहित, समाजहित और धर्म की वास्तविक गरिमा की रक्षा के लिए अपनी भागीदारी अपनी पार्टी की तरफ से सुरक्षित करता हूँ। धन्यवाद।

श्री मोहिब्बुल्लाह (रामपुर) : बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

जनाब सदर-ए-मोहतरम, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस मसले पर गुफ्तगू का मौका दिया और मुझे जॉइंट पार्लियामेंटरी कमेटी का भी हिस्सा बनाया।

सदर-ए-मोहतरम, जब हमारा मुल्क आजाद हुआ था तो हमारे कायदीन के सामने दो रास्ते थे। वे रास्ते क्या थे और किसने पेश किए थे, यह अब गैर-अहम है। असल बात यह है कि हमारे रहनुमाओं की दूरंदेशी और अक्लमंदी की बदौलत मुल्क में हर मजहब को परवान चढ़ने, फलने-फूलने और अपने इदारे चलाने की आजादी दी गई, जो कि हमारे आईन के आर्टिकल 25 और 26 में मौजूद है। यह हक महज एक आईनी हक नहीं, बल्कि बुनियादी हुकूक का हिस्सा है। आज हमारे ऐवान के सामने जो वक्फ तरमीम बिल पेश किया गया है, यह न सिर्फ हमारे बुनियादी हुकूक के खिलाफ वरजी है, बल्कि राइट टू इक्वैलिटी के भी साफ खिलाफ है।? (व्यवधान)

सदर-ए-मोहतरम, इसको मुल्क की दूसरी मेजोरिटी कभी कुबूल नहीं करेगी।? (व्यवधान) इस बिल में सबसे पहली तरमीम ब्यूरोक्रेट के नाम तब्दील करने की है।? (व्यवधान) मैं कहता हूँ कि नाम बदलना तो एक मामूली बात है, क्योंकि असल में जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं, उनका वक्फ के बुनियादी उसूलों और फिकही कवाइद से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इस तरमीमी कानून का मकसद वक्फ के इदारे को कमजोर करना और उसे बेअसर करना है। तारीखी तौर पर वक्फ के जितने भी खवानीन बने हैं, वे इस उसूल पर कायम थे कि मजहब में दिए गए वक्फ के उसूलों और शरायत को खत्म न किया जाए। सन् 1913 का मुस्लिम वक्फ एक्ट, जिसका माननीय मंत्री जी हवाला दे रहे थे, इसी नीयत से लाया गया था कि वक्फ के उसूलों को कानूनी तौर पर तसलीम किया जाए, न कि उन्हें तब्दील किया जाए। सन् 1923 में, सन् 1954 में, सन् 1995 और सन् 2013 के तमाम तरामीम वक्फ के तहफ्फुज की नीयत से लाये गए थे और इसको कुव्वत देने के लिए लाये गए थे, न कि उसको कमजोर करने के लिए लाये गए थे। वजीरे मोहतरम को यह ऐतराज था कि हमारी लायी हुई तरमीम पर मुस्लिम कम्युनिटी शक कर रही है, बेशक वे कह रहे हैं कि शक कर रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने वक्फ के उसूलों को और फिकही कवानीन को मद्देनजर नहीं रखा।

सदर-ए-मोहतरम, आप खुद जेपीसी में थे। मैंने सवाल किया था कि इस वक्फ को ड्रॉफ्ट करने में कितने मुस्लिम स्कॉलर्स थे, तो वाहिद 12 लोगों की कमेटी में एक आदमी था।? (व्यवधान)

सदर-ए-मोहतरम, मैं अब चंद चीजों की निशानदेही करना चाहता हूँ, जो वक्फ की असल हैसियत और बुनियाद को खत्म करने की दर पर है। पहली तरमीम यह है कि वक्फ को अब सिर्फ मुसलमानों तक महफूज किया गया है। मैं दिल पर हाथ रखकर कह सकता हूँ।

सदर-ए-मोहतरम, मैं एक वाकया बयान करता हूँ। मैं पार्लियामेंट की मस्जिद के सामने रहकर सारे देशवासियों के लिए दुआ करता हूँ। मैं अब दुआ कैसे करूँगा, जब यह तादूद कर दिया जायेगा। मैं एक वाकया आपको बयान कर रहा हूँ। मैं अभी राजस्थान गया। तिजारा के पास एक गाँव हसनपुर है, मैं वहाँ शादी में गया। अजान की आवाज आयी, मैंने कहा कि यहाँ मस्जिद कहाँ है। जब मैंने मस्जिद देखी, वह बड़ी सुन्दर मस्जिद थी। मैंने पूछा कि यह मस्जिद कैसी है? उन्होंने बताया कि यहाँ 400 साल पहले कोई दरवेश थे, वह पेड़ भी अभी बाकी है। वे यहाँ बैठते थे और यहाँ से

हमारे हिन्दू महाराजा जी गुजर रहे थे। उनको बीमारी थी, वे ठीक नहीं हो रहे थे। किसी ने कहा कि उनसे दुआ करा लीजिए। उन्होंने दुआ की, वे ठीक हो गए। बाद में जब गए तो महारानी ने कहा कि अपने लिए दुआ कराकर आये, तुम्हारा वारिस कोई नहीं है। वे फिर दोबारा गए और अल्लाह ने उनकी दुआ कुबूल की। हमारा देश सूफी, ऋषि, मुनियों का देश है। यह बलियों का देश है। यह तमाम धर्मों की रूहानी शख्सियतों का देश है। सर, आप दुआ करने से रोक रहे हैं। आप गैर मुस्लिम को वक्फ करने से रोक रहे हैं।? (व्यवधान)

सर, इसके अलावा, मुसलमानों को अपनी ईमान का सबूत देना होगा। मैं इमाम हूं। इमाम-ए-हरम, मक्के का हरम भी किसी शख्स को यह सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि वह एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। जब कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा ही नहीं तो फिर वक्फ कैसे होगा? वक्फ तो खत्म हो जाएगा।

सर, वक्फ-बाई-यूजर के मुताबिक अगर वक्फ के दस्तावेज न हों, डॉक्यूमेंट्स न हों, वक्फ करने वाले की शिनाख्त न हो तो लम्बे अर्से से जारी इस्तेमाल को वक्फ माना जाता है। यह उसूल हमने नहीं बनाया। प्रिवी काउंसिल के फैसलों से बाज़ाब्ता तौर पर यह उसूल माना गया। 100 साल पुरानी मस्ज़िद तो बाकी रहेगी, लेकिन 600-700 साल पुरानी मस्ज़िद का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो आप कहेंगे कि यह वक्फ-बाई-यूजर नहीं है। हम लोग कितना यकीन करें?

सर, तीसरी तरमीम यह है कि बोर्ड के इंतेखाबात को खत्म करके उसे मुकम्मल सरकारी इदारा बनाया जा रहा है। दिल्ली का मामला उसकी मिसाल है। दिल्ली वक्फ बोर्ड को तहलील करके उसका इंतज़ाम एक एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर के हवाले किया गया, जो एक तरफ रिलिजियस कमेटी का चेयरमैन था और दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर था। जिस मस्ज़िद की रिपेयर के लिए बहादुरशाह ज़फर ने बोला था, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, महरौली में उस अखूंदजी मस्ज़िद को रातों-रात शहीद कर दिया गया। इससे कैसा मैसेज जाएगा? बहुत-से लोग तो पता नहीं क्या-क्या कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है -

?शायद उनका आखिरी हो यह सितम,
हर सितम यह सोच कर हम सह गए,
हम वफ़ा करके भी तन्हा रह गए।?

सर, आज़ादी दिलाने में हमारा नाम क्यों नहीं लिया जाता, हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं? मैं और क्या कहूं? कुछ लोग तो इतने माहिर हैं -

?न दामन पे कोई दाग, न खंजर पे कोई धब्बा,
तुम नष्ट करो हो या करामात करो हो।?

?न दामन पे कोई दाग, न खंजर पे कोई धब्बा,

तुम नष्ट करो हो या करामात करो हो ।?

?हम उनसे वक्फ की उम्मीद कैसे कर सकते हैं,

जो नहीं जानते वक्फ क्या है ।?

सर, मेरे प्यारे वतन में एक कल्चर को परवान चढ़ाया जा रहा है, जो कल्चर मेरे मुल्क का नहीं है । मैं अपने दिल की आवाज़ से कहता हूं । हमारे देश की हजारों साला तहज़ीब का जो कल्चर रहा है, मैं अपने इस्लाम धर्म, ईसाई और ज्यूस धर्म के हिसाब से भी कह सकता हूं कि मैं एक स्कॉलर हूं, आप सबका सम्मान करते हुए कह रहा हूं कि सबसे पहला इंसान और सबसे पहले इंसान के साथ जो हम सबकी माँ है, जिसे हम जिस नाम से भी कहें, चाहे उसे भारत माँ कहें या ग्रांड मदर कहें, वे हिन्दुस्तान आए थे ।

?तुम्हारी तहज़ीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी,

जो शाख़-ए-नाजुक पे आशियाना बनेगा, ना पायदार होगा ।?

[جناب محب اللہ (رامپور): سب سے پہلے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم مسئلے پر گفتگو کا موقع دیا اور مجھے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کا حصہ بنایا۔

صدرِ محترم، جب ہمارا ملک آزاد ہوا تھا تو ہمارے قائدین کے سامنےدو راستے تھے، وہ راستے کیا تھے اور کس نے پیش کئے تھے، یہ غیر اہم ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے رہنماؤں کی دور اندیش اور عقل مندی کی بدولت ملک میں ہر مذہب کو پروان چڑھنے، پھلنے پھولنے اور اپنے ادارے چلانے کی آزادی دی گئی، جو کہ ہمارے آئین کی آرٹیکل 25 اور 26 میں موجود ہے۔ یہ محض ایک آئینی حق نہیں بلکہ بنیادی حقوق کا حصہ ہے۔

آج ہمارے ایوان کے سامنے جو وقف (ترمیمی) بل پیش کیا جا رہا ہے، یہ نہ صرف ہمارے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ یہ مساوات کے حق کے بھی سراسر منافی ہے۔

صدرِ محترم، اس کو ملک کی دوسری میجوریٹی بھی قبول نہیں کرے گی (مداخلت) اس بِل میں سب سے پہلی ترمیم ہی بیوروکیٹ کے نام کو تبدیل کرنے کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نام بدلنا تو ایک معمولی بات ہے، کیونکہ اصل میں جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں ان کا وقف کے بنیادی اصولوں اور فقہی قوائد سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس ترمیمی قانون کا مقصد وقف کے ادارے کو کمزور کرنا اور اسے بے اثر کرنا ہےتاریخی طور پر وقف کے جتنے بھی

قوانین بنے ہیں وہ اس اصول پر قائم تھے کہ مذہب میں دئے گئے وقف کے اصولوں اور شرائط کو ختم نہ کیا جائے۔ سال 1913 کا مسلم وقف ایکٹ، جس کا ماننئے منتری جی حوالہ دے رہے تھے، اسی نیت سے لایا گیا تھا کہ وقف کے اصولوں کو قانونی طور پر تسلیم کیا جائے نہ کہ انہیں تبدیل کیا جائے۔ سال 1923 میں سال 1954، 1995 اور 2013 کے تمام ترامیم وقف کے تحفظات کی نیت سے لائے گئے تھے۔ اور اس کو قوت دینے کے لئے لائے گئے تھے نہ کہ اس کو کمزور کرنے کے لئے لائے گئے تھے۔ وزیرِ محترم کو یہ اعتراض تھا کہ ہماری لائی ہوئی ترمیم پر مسلم کمیونیٹی شک کر رہی ہے، بے شک وہ کہہ رہے ہیں کہ شک کر رہے ہیں، اس لئے کہ انہوں نے وقف کے اصولوں کو اور فقہی قوانین کو مدِ نظر نہیں رکھا۔

صدرِ محترم، آپ خود جے۔پی۔سی۔ میں تھے، میں نے سوال کیا تھا کہ وقف کو ڈرافٹ کرنے میں کتنے مسلم اسکالرز تھے، تو واحد 12 لوگوں کی کمیٹی میں ایک آدمی تھا (مداخلت)

صدرِ محترم، میں اب چند چیزوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جو وقف کی اصل حیثیت اور بنیاد کو ختم کرنے کی در پر ہے۔ پہلی ترمیم یہ ہے کہ وقف اب صرف مسلمانوں تک محفوظ کیا گیا ہے۔ میں دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا ہوں۔

صدرِ محترم، میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ میں پارلیمینٹ کی مسجد کے سامنے رہ کر سارے دیش واسیوں کے لئے دعا کرتا ہوں۔ میں اب دعا کیسے کروں گا، جب یہ تادود کر دیا جائے گا، میں ایک واقعہ آپ کہ بیان کر رہا ہوں، میں ابھی راجستھان گیا، تجارہ کے پاس ایک گاؤں حسن پور ہے میں وہاں شادی میں گیا۔ اذان کی آواز آئی، میں نے کہا کہ یہاں مسجد کہاں ہے۔ جب میں نے مسجد دیکھی وہ بڑی خوبصورت مسجد تھی میں نے پوچھا کہ یہ مسجد کیسی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہاں 400 سال پہلے کوئی درویش تھے، وہ پیڑ بھی ابھی باقی ہے۔ وہ یہاں بیٹھتے تھے اور یہاں سے ہمارے ہندو مہاراجہ بھی گُزر رہے تھے، ان کوئی کوئی بیماری، وہ ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، کسی نے کہا کہ ان سے دعا کرا لیجئے۔ انہوں نے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گئے، بعد میں جب گئے تو مہارانی نے کہا کہ اپنے لئے دعا کرا کر آئے، تمہارا وارث کوئی نہیں ہے وہ پھر دوبارہ گئے اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ ہمارا ملک صوفی، رشی منیوں کا دیش ہے، یہ ولیوں کا دیش ہے۔ یہ تمام مذاہب کی روحانی شخصیتوں کا

ملک ہے۔ سر، آپ دعا کرنے سے روک رہے ہیں۔ آپ غیر مسلم کو وقف کرنے سے روک رہے ہیں (مداخلت)

سر، اس کے علاوہ مسلمانوں کو اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہوگا، میں امام ہوں۔ امامِ حرم، مکہ کا حرم بھی کسی شخص کو یہ سرٹیفیکیٹ نہیں دے سکتا کہ وہ ایک پریکٹیسنگ مسلم ہے جب کوئی پریکٹیسنگ مسلم ہوگا ہی نہیں تو پھر وقف کیسے ہوگا۔ وقف تو ختم ہو جائےگا۔

سر، وقف بائی یوزر کے مطابق اگر وقف کے دستاویز نہ ہوں ڈاکیومینٹس نہ ہوں، وقف کرنے والے کی شناخت نہ ہو تو لمبے عرصے سے جاری استعمال کو وقف مانا جاتا ہے، یہ اصول ہم نے نہیں بنایا۔ پریوی کاؤنسل کے فیصلوں سے باضابطہ طور پر یہ اصول مانا گیا۔ 100 سال پرانی مسجد تو باقی رہے گی لیکن 700/600 سال پرانی مسجد کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ وقف بائی یوزر نہیں ہے۔ ہم لوگ کتنا یقین کریں؟

سر، تیسری ترمیم یہ ہے کہ بورڈ کے انتخابات کو ختم کرکے اسے مکمل سرکاری ادارہ بنایا جا رہا ہے۔ دہلی کا معاملہ اس کی مثال ہے۔ دہلی وقف بورڈ کو تحلیل کرکے اس کا انتظام ایک ایڈمنسٹریٹیو افسر کے حوالے کیا گیا جو ایک طرف ریلیجیس کمیٹی کا چیرمین تھا اور دوسری طرف وقف بورڈ کا ایڈمنسٹریٹر تھا۔ جس مسجد کی ریپیئر کے لئے بہادر شاہ ظفر نے بولا تھا، میرے پاس ڈاکیومینٹس ہیں، مہرولی میں اس اکھوندجی مسجد کو راتو رات شہید کردیا گیا۔ اس سے کیسا میسج جائے گا؟ بہت سے لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ

شاید ان کا آخری ہو یہ ستم
ہر ستم یہ سوچ کر ہم سہہ گئے
ہم وفا کرکے بھی تنہا رہ گئے

سر، آزادی دلانے میں ہمارا نام کیوں نہیں لیا جاتا، ہم نے کتنی قربانیاں دیں ہیں۔ میں اور کیا کہوں۔ کچھ تو اتنے ماہر ہیں۔

نہ دامن پر کوئی داغ، نہ خنجر پہ کوئی دھبہ

تم نشٹ کروہو یا کرامات کرو ہو

ہم ان سے وقف کی امید کیسے کر سکتے ہیں
جو نہیں جانتے وقف کیا ہے۔

سر، میرے پیارے وطن میں ایک کلچر کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، جو کچر میرے ملک کا نہیں ہے، میں اپنے دل کی آواز سے کہتا ہوں ۔ ہمارے ملک کی ہزاروں سالہ تہذیب کا جو کلچر رہا ہے، میں اپنے اسلام مذہب، عیسائی اور جیوز دھرم کے حساب سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک اسکالر ہوں، آپ سب کا سمّان کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلے انسان کے ساتھ جو ہم سب کی ماں ہے، جسے ہم جس نام سے بھی کہیں چاہے اسے بھارت ماں کہیں یا گرانڈ مدر کہیں وہ ہندوستان آئے تھے۔

تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی
جو شاخِ نازک پہ آشیانہ بنے گا، نہ پائے دار ہوگا]

SHRI P. V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Sir, thank you. In spite of the Waqf (Amendment) Bill being referred to the JPC, the minority community have raised concerns. A lot of organizations like the All India Muslim Personal Law Board, *Jamiat*-e-*Ulama, Jamiat Ulama*-i-Hind and various other Muslim organizations have raised their objections. And even our Party has raised objections in the JPC. All our objections were in line with what Owaisi Ji has also raised. So, most of them were not considered.

In a country where we have almost 14.6 per cent Muslims, which translates to 20 crore people, I think their concerns should be taken very seriously.

Sir, we have concerns regarding this Bill and I would like to give out the reasons why we are going to oppose this Bill. This Bill is unconstitutional as it violates Articles 14, 25, and 26 read with Article 13 of the Constitution. Article 13 of the Constitution says that laws inconsistent with or in derogation of the Fundamental Rights shall be void.

Even Article 14 mentions equality before law and equal protection of the law. Even Article 25 guarantees all citizens the right to freely profess, practice, and propagate their religion. Article 26 says that subject to public order, morality and health, every religion, denomination, or any section thereof shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes and to manage its own affairs in the matters of religion.

This also violates Article 26 of the Constitution. There have been unnecessary changes like changing the name and inclusion of non-Muslim Members under Sections 9 and 14 of the Bill, which is unnecessary. Also, the Bill weakens the Waqf Board financially. The amendment to Section 72 (1) reduces the annual contribution payable to the Board from seven per cent to five per cent. This provision has the potential to bankrupt the Board.

There are various other concerns also. So, we oppose this Bill. I would like to mention that the Telugu Desam Party took our name. So, I would like to say that what they have spoken today and what they have done today, not even one minority of State will approve of that. Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy has given a word that he will stand by the Muslim community for the Waqf Bill, and we have stood our ground. I would like the people of Andhra Pradesh to note that Shri Chandrababu has ditched the minority community.

Thank you very much, Sir.

श्री सुधाकर सिंह (बक्सर) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं आज इस सदन में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का पुरज़ोर विरोध करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री लालू प्रसाद जी को धन्यवाद कि इस बिल पर बोलने का मुझे अवसर दिया।

महोदय, यह विधेयक केवल एक कानून का मसौदा नहीं है, बल्कि हमारे संविधान की मूल भावना, लोकतांत्रिक सिद्धांतों, धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों और भारत की बहुलतावादी संस्कृति पर एक खुला आक्रमण है। वक्फ की संस्था न सिर्फ़ कानूनी प्रावधानों में दर्ज शब्दों की लड़ी है, बल्कि यह इस्लाम धर्म में आस्था रखने वाले समुदाय की गहराइयों से जुड़ी मान्यताओं, परंपराओं और सामाजिक ज़िम्मेदारियों का प्रतिबिंब है। वक्फ बोर्ड, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत एक संवैधानिक और वैधानिक निकाय है, सरकारी विभाग की तरह काम करता है। वक्फ परिषद राज्य के दायरे में है और इसके सदस्यों की नियुक्ति राज्य द्वारा की जाती है। यह न तो एक निजी निकाय है और न ही इसकी भूमि निजी प्रकृति की है। यह अनुच्छेद 12 द्वारा शासित है। इस समिति में कलेक्टर की नियुक्ति करके इसे

कमजोर किया जा रहा है। यह कनफ्लिक्ट ऑफ इंट्रेस्ट का भी मामला बनता है और यह भारत सरकार द्वारा भूमि हड़पने का बड़ा षडयंत्र भी है।

पिछले 10 वर्षों में, जब से भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सत्ता में आई है, वे अल्पसंख्यक संस्थानों पर लगातार हमला कर रही है। इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने बार-बार कहा है कि इस शासन के तहत संवैधानिक मूल्यों को कमजोर किया जा रहा है। एक तरफ भाजपा खुद को अल्पसंख्यक हितैषी बताती है, लेकिन भारत की संसद के भीतर एक भी मुस्लिम प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं हैं। इससे जाहिर है कि ये कितने बड़े हितैषी हैं। आज इनकी नज़र समाज के एक अल्पसंख्यक समुदाय की ज़मीन पर है, कल इनकी नज़र अन्य अल्पसंख्यकों की ज़मीनों पर जाएगी। आप देखेंगे कि बोधगया के बौद्ध मंदिर के जो ट्रस्ट हैं, उसमें बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, उसमें दूसरे धर्म के लोगों का बहुमत है। उसी तरह से इसमें भी ये लोग लागू करना चाहते हैं। एक समय आएगा कि मंदिरों की भी ज़मीन और उनके धन को भी कब्ज़ा करने का प्रयास किया जाएगा। ? (व्यवधान)

इस विधेयक के द्वारा राज्य को मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों पर अधिक विवेकाधीन शक्ति मिल जाएगी। पहले से ही मुस्लिम धार्मिक संपत्तियाँ अन्य किसी भी धर्म की संपत्ति की तुलना में कहीं अधिक विनियमित हैं, किसी भी हिंदू, ईसाई आदि की संपत्ति से कहीं ज़्यादा। यह विधेयक मुतवल्लियों को कुशल नहीं बनाएगा, क्योंकि इस विधेयक ने मुतवल्लियों की शक्तियों को कम कर दिया है। यह विधेयक वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3(ए), 3(बी) और 3(सी) को सम्मिलित करके वक्फ निर्माण के लिए अचानक से नई शर्तें लेकर आया है। विधेयक का खंड 15 सीईओ की नियुक्ति या उनके कार्यकाल से संबंधित धारा 23 में भी संशोधन की बात करता है। संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करने का यह अगला कदम है। संस्थानों और तटस्थ नौकरशाही को प्रतिबद्ध नौकरशाही में बदलकर और संविधान को बुलडोज किया जा रहा है। यह विधेयक संवैधानिक मूल्यों के बिल्कुल खिलाफ है। भाजपा सब कुछ अपने अधीन करना चाहती है। इसलिए इनकी कथनी और करनी में भारी अंतर है। लोकतंत्र में भाजपा को कोई विश्वास नहीं है। इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने बार-बार कहा है कि संविधान खतरे में है और इस सरकार के हर नए विधेयक से यह बात सच होती चली जा रही है।

महोदय, आजादी के बाद से ही हमारा देश धर्मनिरपेक्षता के मार्ग पर चलने की कोशिश करता रहा है, जहाँ सभी धर्मों को समान अधिकार और सम्मान मिले। लेकिन हाल के वर्षों में हम देख रहे हैं कि बहुसंख्यकवादी राजनीति और जनमानस को विभाजित करने वाली शक्तियाँ इस संतुलन को तोड़ने में लगी हैं। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 इसी कड़ी का नवीनतम उदाहरण है, जिसमें न सिर्फ़ अल्पसंख्यकों की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को आहत करने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि संविधान के मौलिक सिद्धांतों को भी चुनौती दी जा रही है।

महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। भाजपा के एक सांसद रवि शंकर प्रसाद जी के द्वारा कहा गया कि वक्फ की जो कमेटियां बनेंगी, उनमें महिलाओं के लिए भी आरक्षण होगा, पिछड़ों के लिए भी आरक्षण होगा। मैं इस सदन के माध्यम से जानना चाहता हूं कि जब राम मंदिर के ट्रस्ट का निर्माण हो रहा था, तो उस समय महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? उसमें पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया?

महोदय, ऐसे बहुत सारे मेरे सवाल हैं। बहुसंख्यक समाज जब अपने लिए कानून बनाता है तो उसके नियम अलग बना दिए जाते हैं और अल्पसंख्यकों के हिसाब से जब कानून बनाए जाते हैं तो उसके लिए अलग नियम बना दिए जाते हैं। इस देश में 6.5 लाख गांव हैं। इस देश में 8.5 वक्फ प्रॉपर्टीज की बात की जा रही है। हर बहुसंख्यक गांव में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। जिन्होंने मदरसे के लिए अपनी जमीन छोड़ी है, जिन्होंने अपने कब्रिस्तान के लिए जमीन छोड़ी है, क्या वे इन 8.5 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज के बाहर के हैं? इसीलिए, मैं कहना चाहता हूं।? (व्यवधान)

महोदय, आज आमदनी की बात भी कही जा रही है। क्या अब ये कब्रिस्तान आमदनी के जरिया बनेंगे, क्या मदरसे आमदनी के जरिया बनेंगे, क्या अनाथालय आमदनी के जरिया बनेंगे? ऐसी उम्मीद भारत का संविधान और कानून नहीं करता है।? (व्यवधान)

SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR): Hon. Chairperson, Sir, thank you for allowing me to speak on the Wakf Amendment Bill 2025. I oppose this Bill on behalf of the Communist Party of India (Marxist).

While moving this Bill, the honorable Minister for Minority Affairs said that it is for the poor, children and women of the minority community. However, the government that brought the Bill knows very well that this Bill is not for them. Instead of solving the problems faced by the majority of the population, the government is trying to divide the people.

The government wants to make the Hindu majority think that the Muslims are the enemies of the nation and thereby cause a division among the people. That is their aim behind this move. That being a reality, they claim this Bill is being brought to protect the interests of the poor, children, and women among Muslims. If they genuinely want to protect the interests of the poor and children among Muslims, they should take steps to reinstate the scholarships for minorities. But in reality, we see that, every year, scholarships for minorities are decreasing. So, the real aim is not the progress of the minorities but their regression. That is why, the Communist Party of India (Marxist) opposes this Bill.

Sir, this Bill is an attack on the autonomy of religious institutions. Many leaders have already pointed out this aspect here. And this Act is a violation of the Constitution and against the Articles that protect fundamental rights.

The purpose of the Bill is to control the Waqf properties, and to weaken the rights of Muslims, and to intrude into their religious faith. Sir, here, Article 26 of the Constitution, which gives protection to all to practise their religious beliefs, is being violated. Sir, Muslims should have the right to perform their religious affairs, and that right should not be denied. We must examine why such an approach is being taken. Sir, the appointment of non-Muslims to the Waqf board is a direct attack on the religious autonomy of the Muslim community. Will you be ready to have such an approach with other religions? Sir, let me point out one thing. There are Devaswom Boards in Kerala. Once a member of a Devaswam Board got a Christian name. Honorable Minister Shri Suresh Gopi is listening to this. Just because of a Christian name and wrongly thinking that this person is a Christian, there was a big uproar in Kerala. In 1987, there arose a protest saying that the Hindu temple should be returned to Hindus. ? (*Interruptions*) Let me complete.*

HON. CHAIRPERSON : Please conclude your speech. You must complete it in 30 seconds.

SHRI K. RADHAKRISHNAN: We should provide opportunities to each religion to protect their religious interests. People should make themselves aware and act against isolating the Muslim community. Here, I have to point out one thing that the people who support this Bill should be aware of. We know how Hitler led Germany into fascism. At that time, a poet, Martin Leon Muller, who initially supported the fascism, later said in his poem: "They came first in search of communists, and I did not oppose that because I was not a communist. Secondly, they came in search of socialists. At that time, I did not react because I was not a socialist. After that, they came for the trade union leaders. At that time also, I did not react, since I was not a trade unionist. Later, they came in search of Jews. That time too, I kept silent since I was not a Jew. At last, when they came in search of me, nobody was left behind there to speak on behalf of me." This is what he had said.

Similarly, those who support this Bill now should not be left behind in the future, and we have to take measures to prevent such a situation. With these words, I conclude my speech. Thank you, Sir.

माननीय सभापति: माननीय सुरेश गोपी जी, आपका नाम लिया है। क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं? Hon. Minister, he mentioned your name. Do you want to speak?

***m43 THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SURESH GOPI):** Sir, I definitely do want to keep the decorum of the House and also the position that I am in here. But unnecessarily, my name was taken to rake up a certain situation which is warming in the State of Kerala. I will tell you, these people in the Assembly of Kerala have passed a resolution. Tomorrow, after the Rajya Sabha decision, that resolution is going to be drowned in the Arabian Sea. You just wait for this episode. It is happening to the people of Kerala. ? (*Interruptions*) I will not yield. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Okay, thank you.

Hon. Member Shri K. C. Venugopal Ji.

? (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Thank you, hon. Chairman for giving me an opportunity to speak on one of the important piece of legislations brought by the Government. Before speaking on the Bill, I would like to put on record the allegation made by Shri Anurag Singh Thakur against the ... the top most leader of this country, who came from a painful grassroots level and suffered a lot as a person belonging to a marginalised society. Therefore, the way in which he has been attacked is not at all acceptable.

Sir, Shri Anurag Singh Thakur has quoted some records. I challenge him to show that the ...* has possession of any such illegal land from waqf. He was completely misleading and trying to malign the topmost personality, who comes from a painful grassroots background.

HON. CHAIRPERSON: Venugopal ji, those words have already been deleted.

SHRI K. C. VENUGOPAL: Every time, these people attack ...* They do not like him. Anurag ji, you may have your own mindsets run by your Party, but do not insult and make allegations only for narrow political motives? (Interruptions)

<u>17.56 hrs</u> (Hon. Speaker *in the Chair*)

Sir, you have to protect me. I spoke on the introduction of this Bill. In this House, we all have come as representatives of the people of this great country. As Members of Parliament of our great country, we are representing our people to debate on issues related to them. So many legislations have come during this period. For the last so many years, our farmers have been in the streets, asking for a legal guarantee of doubling the MSP. But the Bill related to this is not coming. The youngsters of this country are unemployed and in despair. Therefore, the country is expecting some legislation for the youth of this country, but it is not coming. If you see this piece of legislation, you can see that this Government has only one agenda: to divide our own Bharat Mata in the name of religion. That is their one agenda.

While speaking, Shri Kiren Rijiju was repeatedly saying that this is not against the minorities. Why is there this type of guilty conscience in your mind? Just now, Shri Radhakrishnan was saying that in this Bill, you are bringing in non-Muslims in the Central Waqf Board and State Waqf Board. I will show you what the Jammu and Kashmir Shri Mata Vaishno Devi Shrine Act is saying.

<u>18.00 hrs</u>

No, temple is not different. ? (*Interruptions*) Let me complete. The hon. Minister told that in his speech.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने वालों की सूची लंबी है। अगर सभा की सहमति हो, तो सदन का समय आठ बजे तक बढ़ा दिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

SH.RI K. C. VENUGOPAL: Sir, please see the Shri Mata Vaishno Devi Shrine Act, 1988. Here, in clause 5A, it is mentioned: -

?The Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir shall be the ex-officio Chairman of the Board, and if 2 [the Lieutenant Governor] be not a Hindu, then he may nominate an eminent person professing Hindu religion and qualified to be a member;?

Here, I agree, this should be the provision. I am totally supporting this provision. Then, why are you discriminating in the Waqf Board? The Waqf Board is also based on religion.? (*Interruptions*)

Hon. Member Radhakrishnanji talked about the Devaswom Board in Kerala where the member has to be selected by elected Hindu MLAs. A Muslim MLA cannot vote for Devaswom Board member. The Devaswom Board is also looking after the property of the temples. ? (*Interruptions*) Rijuji, the Devaswom Board is also looking after the administration of the temples and properties of the temples. ? (*Interruptions*) Neither the Muslim MLA nor the Christian MLA has the voting power for selecting a Devaswom Board member. Now, you are telling us: ?Here, it is different.? This is direct attack on the Constitution. You are clearly exhibiting discrimination in relation to the equality of the law. Then, you are telling us that it is not anti-Constitution. How can you say like this?

Hon. Minister Shri Rijijuji and hon. Member Anuragji have quoted the CBCI?s statement. I am very much glad to see that. Now, Kiren Rijijuji was very much aware of CBCI and KCBC. I would like to tell him how the Vishva Hindu Parishad, the so-called Sangh Parivar organisation, was formed against the ?Papal visit?. At that point in time, they told: ?Pope is coming for conversion. We need to form an organisation, the Vishva Hindu Parishad.?

I would like to quote the CBCI statement. What are the final words of the statement Rijiju ji? The final words are: ?At the same time, the rights of religious minorities, as guaranteed by the Constitution, must be safeguarded.? This is also their statement. How many churches have been attacked? How many times the CBCI told that the Government has to take action against these attacks on churches? About 753 churches have been attacked in your period. They have given memorandum. There are many churches in Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and in

Manipur, which have been attacked. That is why, Radhakrishnan said: ?Today, you are targeting Muslims. Yesterday, you have abolished the Anglo-Indian representation in the Parliament.?

माननीय अध्यक्ष : वेणुगोपाल जी, क्या आजकल केरल में राधाकृष्णन जी और आप एक हो गए हैं?

? (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, these Anglo-Indians are minute minority of this country. They believed in Christianity. There used to be two Anglo-Indians in this Parliament. What harm have they done to you? What is the reason to withdraw their nomination? What is the reason to withdraw that? What is the intention behind the conversion law in Karnataka by the BJP Government? Mr. Prahlad Joshi ji, please tell me, what the intention behind the conversion law in Karnataka is. Whom did you target? In Jharkhand, they attack against Christians. In Madhya Pradesh, they attack against Christians. In Chhattisgarh, they attack against Christians. My point is that today you are against Muslims. Tomorrow it will be against Christians. Day after tomorrow, it will be against Sikhs. Then, it will be against Jains. Therefore, your target is to establish Sangh Parivar?s agenda to destroy minorities of this country. This is the hidden agenda to attack the freedom of religion in this country. This is the clear agenda.

You have decided something to win the elections. We saw that. *....(Interruptions)* What was that, Sir? We saw the famous Banswara speech of the hon. Prime Minister. I do not want to repeat it here. *....(Interruptions)* You have to understand that you have a great responsibility. You are ruling this great democratic country. The entire world is looking for you. The way in which you are legislating, the world is looking for you. You are going abroad. You are going everywhere. You are trying to be a world leader. But here, in the name of religion, you are trying to divide the people of this country. The world is looking for that. *....(Interruptions)* You are trying to divide the country for political benefit. That is what is exactly happening.

Sir, there is one provision in the proposed Bill. My colleague, Shri Gaurav Gogoi and some other friends spoke about that provision. I also want to know who will identify the person who has professed Islam for five years.? Kiran Rijiju ji, are you going to start a separate

portfolio for finding out five-year professing Muslims? *....(Interruptions)* Are you going to start a separate Department for that? Is it going to stand in the Rule of Law? How can you identify that? That is the beauty of this country. Anybody, who believes in any religion, at any point of time, has the freedom. Now, you are totally restricting that freedom. You are asking, if you are a believer for five years, then only you can do waqf. What is it?

Sir, there is one famous temple known as Attingal temple in Kerala. There lakhs of women do puja. We call it Pongala. It is going on this time also. Mr. Suresh Gopi was also there. When that Pongala happens, lakhs of women worship the God without food. They do sacrifice for three or four days. On the way to temple, there is Christian Church on the one side of the temple and Muslim Mosque on the other side of the temple. The priest from the Mosque comes and gives water to these devotees. People from the Church also come and give water to these devotees going to temple. This is the atmosphere of this country.

Take another example of Sabarimala temple. I used to go there every year. Last year was my 35th year going to Sabarimala. I go to Guruvayur temple every month. I am a believer in the Hindu religion. But my religion teaches me, *?Lokah Samastah Sukhino Bhavantu*,? ?May everyone, in the whole world, be happy.? We do not hate people for mere votes. You want to divide this country in the name of religion.

Then, you did not believe the people on delivery because you did not deliver at all. You did not give employment. You did not give anything to the people. You only believe in dividing the people on the basis of religion. Therefore, I think you should be a little bit broad-minded. The Ruling Party should show a little bit of broad-mindedness. *....(Interruptions)* You are talking about the Munambam temple. That has also been mentioned. There are concerns raised about the Christian churches. We are wholeheartedly supporting these issues. We are with the people. These people should get justice.. *....(Interruptions)*

There is no doubt about it. ? (*Interruptions*) Everybody knows that. That is why, I mentioned about the origin of the Vishwa Hindu Parishad; that is why, I mentioned about the Manipur incident; and that is why, I mentioned about the church attack. Now you are going for

bishops. They will understand who you are and your real figure. They will understand it. We are 100 per cent with the tenants of Munambam. They want a legal remedy. We will stand for that. But in the name of all these things, targeting religious freedom is going to have consequences. The Government is not bothered about these consequences. This country wants peace, harmony, and togetherness. This Bill is going to shatter that.

With these words, I am concluding, Sir.

गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) : माननीय अध्यक्ष जी, आज मेरे साथी मंत्री जी जो बिल लेकर आए हैं, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। सुबह 12 बजे से जो चर्चा चल रही है, उसको मैंने बारीकी से सुना है। ?(व्यवधान) मुझे लगता है कि या तो निर्दोष भाव से या तो राजनीतिक कारणों से ढेर सारी भ्रांतियां कई सदस्यों के मन में भी हैं। कई सारी भ्रांतियां सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरे देश में फैलाने का प्रयास भी हो रहा है। बिल पर चर्चा का जवाब तो मंत्री रिजीजू साहब देंगे। कुछ बातें, जो यहां पर रखी गई हैं, उनको मेरी समझ से हिसाब से मैं जरूर क्लैरिफाई करने का जरूर प्रयास करूंगा। वक्फ एक अरबी शब्द है। इसका इतिहास कुछ हदीसों से जुड़ा हुआ मिलता है। आज-कल जिस अर्थ में वक्फ शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसका मतलब है अल्लाह के नाम पर सम्पत्ति का दान, पवित्र धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का दान।

मान्यवर, वक्फ का समकालीन अर्थ अभी जो हम समझ रहे हैं, वह इस्लाम के दूसरे खलीफा श्री उमर के समय में अस्तित्व में आया। एक प्रकार से आज की भाषा में इसकी व्याख्या करें, तो वक्फ एक प्रकार का चैरिटेबल एनडोवमेंट है, जहां एक व्यक्ति संपत्ति, भूमि या मूल्यवान संपत्ति धार्मिक या सामाजिक भलाई के लिए बिना उसे वापस लेने के उद्देश्य से दान करता है, वहां वक्फ की रचना होती है। इसमें ?दान देता है? का बड़ा महत्व है। दान उस चीज का ही किया जा सकता है, जो हमारी है। सरकारी संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता। किसी और की संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता। दान उसी चीज का किया जाता है, जो हमारी है।

मान्यवर, इसी विषय पर यह सारी बहस चल रही है। जहां तक भारत का सवाल है, दिल्ली में सल्तनत काल के प्रारंभ में मोहम्मद गोरी के समय पर वक्फ पहली बार अस्तित्व में आया। यह अंग्रेजों के जमाने में 1863 के धार्मिक दान अधिनियम से चलता था। बाद में यह चैरिटेबल प्रॉपर्टीज़ एक्ट, 1890 से चला। उसके बाद 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेंटिग एक्ट अस्तित्व में आया और तब तक ये सारी प्रक्रियाएं चैरिटेबल एक्ट के तहत चलती थीं।

मान्यवर, आजादी के बाद 1954 में उसी एक्ट को वक्फ के केन्द्रीकरण के लिए बदला गया। 1995 में वक्फ न्याय अधिकरण और वक्फ बोर्डों की स्थापना की गई। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड, ये 1995 में आए। यह पूरा झगड़ा जो चल रहा है कि आपने गैर-मुस्लिम को रखा और वह झगड़ा वक्फ में दखल करने

का है। मैं बताना चाहता हूँ कि पहले तो वक्फ में कोई भी गैर-इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं। यह स्पष्टत: आप समझ लीजिए कि न तो मुतवल्ली गैर-इस्लामिक होगा और न वाकिफ गैर-इस्लामिक होगा।

मान्यवर, वहां पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। धार्मिक संस्थाओं का जो संचालन करते हैं, उसमें कोई गैर-मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान हमने किया भी नहीं है और हम करना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए जो लोग बड़े-बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया है, दो धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस दृष्टि से देखें तो 1995 तक वक्फ की काउंसिल और वक्फ बोर्ड था ही नहीं। वह तो 1995 से आया है।

मान्यवर, यह जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि यह एक्ट मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनकी दान की हुई सम्पत्ति के अंदर दखल करने का है, यह बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर, माइनोरिटी को डराकर अपना वोट बैंक खड़ा करने के लिए किया जा रहा है।

मान्यवर, कहां पर गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि वक्फ परिषद में और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे। उनका काम क्या है? उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों को चलाने का नहीं है। वे शुद्ध रूप से वक्फ का जो कानून है, दान के लिए किसी के द्वारा दी गई सम्पत्ति, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है, कानून के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है या फिर दान जिस चीज के लिए दिया गया है जैसे इस्लाम धर्म के लिए दिया गया है, गरीबों के भोजन के लिए दिया गया है, गरीबों के उद्धार के लिए दिया गया है, उस उद्देश्य के लिए इसका उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका नियमन करने का काम करेंगे।

मान्यवर, ये इसे बाकी सारे धर्मों के साथ कम्पेयर करते हैं और कहते हैं कि इसमें दखल की गई है। मैं उसे स्पष्ट करना चाहता हूँ। जैसे वक्फ है, वैसे ही हमारे यहां पर ट्रस्ट एक्ट है। ट्रस्ट के अंतर्गत जो ट्रस्ट को बनाते हैं, वे ट्रस्टी होते हैं और एक मैनेजिंग ट्रस्टी होता है। वक्फ में वाकिफ होता है, वक्फ होता है और मुतवल्ली होता है। ये सब इस्लाम के अनुयायी हैं। ऐसा आप कह रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं, क्योंकि वक्फ शब्द ही इस्लाम से आया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि वक्फ वही कर सकता है, जो इस्लाम का अनुयायी हो। अब आप उसका विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप तो वक्फ में भी नॉन-इस्लामिक आदमी चाहते हैं।

मान्यवर, ये क्या कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि वक्फ वही कर सकता है, जो इस्लाम को प्रैक्टिस करता हो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही इस्लाम के सिद्धांतों से हुई है। ? (व्यवधान) वक्फ धार्मिक हुआ, वक्फ बोर्ड नहीं हुआ, वक्फ परिषद भी नहीं हुई।?(व्यवधान)

मान्यवर, ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टीज वे होते हैं, जो चर्च होगा तो क्रिश्चियंस होंगे, अगर वह ट्रस्ट पारसी के लिए होगा, तो पारसी भी होंगे, हिन्दू के लिए ट्रस्ट होगा, तो हिन्दू होंगे। अब हम कहेंगे कि चैरिटी कमिश्नर मुस्लिम क्यों आया? मुझे

बताओ कि चैरिटी कमिश्नर एक्ट में मुसलमान चैरिटी कमिश्नर बन सकता है या नहीं बन सकता है? उसको ट्रस्ट नहीं चलाना है। चैरिटी के कानून के हिसाब से वह ट्रस्ट चले, उसको उसकी देखरेख करनी है। यह धार्मिक नहीं है। यह धर्म का काम नहीं है।

मान्यवर, यह एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। इसलिए फिर चैरिटी कमिश्नर हिन्दू होगा तो वह किश्चिनों के ट्रस्ट की कैसे देखरेख करेगा? चैरिटी कमिश्नर क्रिश्चियन होगा तो जैनियों के और हिन्दुओं के ट्रस्ट की देखरेख कैसे करेगा? अब बताओ कि ये सारे ट्रस्ट के चैरिटी कमिश्नर अलग-अलग बने, आप लोग देश तोड़ दोगे।

मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों-बहनों को कहना चाहता हूं कि आपके वक्फ में एक भी नॉन-मुस्लिम नहीं आएगा। यह एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मगर जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है - मान्यवर, वक्फ की संपत्तियों को बेच खाने वाले लोगों को पकड़ कर इसके बाहर निकालना। वक्फ के नाम पर औने-पौने दाम में संपत्तियों को 100-100 सालों तक किराए पर देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। यह पैसा जो चोरी होता है, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद करेगा।

मान्यवर, वे चाहते हैं कि इनके राज्य में जो मिली-भगत चली, वह चलती रहे, यह नहीं चलेगी। मान्यवर, मैं आज आपको बताना चाहता हूं क्या स्थिति हुई है? मान्यवर, सब ने कहा, रिपीटेशन भी होगा, परंतु मैं कहना चाहता हूं कि वक्फ के वर्ष 2013 में अमेंडमेंट्स आएं। अब बिल किरेन भाई का है। मगर मैं कह सकता हूं कि अगर वक्फ का वर्ष 2013 का अमेंडमेंट ना किया गया होता तो यह बिल लाने की शायद जरूरत ना पड़ती। सब कुछ अच्छा चल रहा था। वर्ष 2014 में चुनाव होने वाला था। वर्ष 2013 में रातों-रात तुष्टीकरण करने के लिए वक्फ कानून को एक्सट्रीम बना दिया गया। मान्यवर, इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण दिल्ली लुटियंस की 123 वीवीआईपी संपत्ति कांग्रेस सरकार ने जब चुनाव मुहाने पर थे, वह 25 दिन दूर था तो उसे वक्फ को देने का काम कर दिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उत्तरी रेलवे की भूमि वक्फ के नाम घोषित कर दी। हिमाचल में वक्फ की संपत्ति बताकर उस पर अवैध मस्जिद बनाने का काम किया। 250 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले 12 गांवों पर वक्फ का स्वामित्व हो गया, तब तमिलनाडु में और मान्यवर तमिलनाडु के 1500 साल पुराने तिरुचेंदुरई मंदिर की 400 एकड़ भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया।? (व्यवधान) ये जब मंदिर? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जब आपको मौका मिलेगा तो अपनी बात कह दीजिएगा। प्लीज बैठ जाइए।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जब आपको मौका मिलेगा तो अपनी बात कह देना। आप भी बहुत मिसलीड करते हैं। आप बैठ जाइए।

गृह मंत्री जी।

? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मान्यवर, मैं कनार्टक की मनीपट्टी समिति की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। इसमें मेरा कुछ नहीं है, आप खड़े मत हो जाना। यह मनी पट्टी समिति की रिपोर्ट है। वक्फ की 29000 एकड़ भूमि बिजनेस के उपयोग के लिए किराए पर दे दी।

वर्ष 2001 से 2012 के बीच दो लाख करोड़ रुपये की वक्फ संपत्ति निजी संस्थानों को सौ साल की लीज़ पर हस्तांतरित कर दी गई। ? (व्यवधान) बंगलुरु में उच्च न्यायालय को बीच में पड़ना पड़ा और 602 एकड़ भूमि का जब्त करने से रोकना पड़ा। विजयपुर, कर्नाटक के होनवाड़ गांव की 1500 एकड़ भूमि पर दावा करके उसे विवाद में डाला। जिस भूमि का मूल्य 500 करोड़ रुपये है, फाइव स्टार होटल को 12,000 महीने किराये पर दे दी। विजयपुर, कर्नाटक के होनवाड़ गांव की 1500 एकड़ भूमि पर दावा करके इसे विवाद में डाला।

मान्यवर, ये कहते हैं कि इसका हिसाब-किताब न करो, इसकी देखरेख न करो। यह पैसा देश के गरीब मुसलमानों का है, धन्ना सेठों की चोरी के लिए नहीं है। ? (व्यवधान) इसे रोकने के लिए है। इनके जो ठेकेदार बैठे हैं, जो यहां गरज-गरज कर बोलते हैं, कुछ तो समझे बगैर बोलते हैं और कुछ समझकर बोलते हैं, उनको लगता है कि इससे वे जीत जाएंगे। कर्नाटक में दत्तापीठ के मंदिर पर क्लेम किया, तलिपरम्बा में 75 साल पुराने दावे के आधार पर 600 एकड़ जमीन का दावा किया और ईसाई समुदाय की भी ढेर सारी जमीनों पर कब्जा किया।

महोदय, आज देश के कई गणमान्य चर्च और चर्च के समूह वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं। उनको लगता है कि इसका विरोध करके मुस्लिम भाइयों की सिम्पेथी जीतकर अपना वोट बैंक पक्का करेंगे। अखिलेश जी, इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि चार सालों में मुस्लिम भाइयों को मालूम पड़ जाएगा कि कानून तो उनके फायदे में है। दक्षिण के सारे सांसद जो बोल रहे हैं, अपनी कांस्टीटुएंसी में सारे चर्चों को नाराज कर रहे हैं, यह उनको पता नहीं है। सारे चर्चों ने रिज़ॉल्व किया है कि हम इसका समर्थन करते हैं।

मान्यवर, तेलंगाना में 66 हजार करोड़ रुपये की 1700 एकड़ जमीन पर दावा कर दिया। असम में मुर्री गांव जिले की 134 एकड़ भूमि पर दावा हुआ। मैं बिहार के बारे में लालू जी की बात कोट के साथ बाद में बताऊंगा। गुरुद्वारे से संबंधित हरियाणा की 14 मरला भूमि वक्फ को सौंप दी। प्रयागराज में चन्द्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ घोषित कर दिया। महाराष्ट्र के वडानागे गांव में महादेव के मंदिर पर दावा किया। बीड में कंकलेश्वर मंदिर की 12 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने जबरन ले ली।

महोदय, यह सब जो चल रहा है, मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि वक्फ, जो मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलाप और दान से बना ट्रस्ट है, उसमें सरकार कोई दखल करना नहीं चाहती है। मुतवल्ली भी उनका होगा, वाकिफ भी उनका होगा और वक्फ भी उनका होगा। क्या वक्फ की संपत्ति का रखरखाव ठीक से हो रहा है या नहीं? वक्फ का संचालन कानून के हिसाब से हो रहा है या निजी उपयोग के हिसाब से हो रहा है? सैंकड़ों साल पहले किसी बादशाह ने दान किया, हमारी भाषा में कहते हैं कि धर्मादा किया तो क्या इस संपत्ति को आप 12,000 रुपये में पांच सितारा होटल के लिए दे देंगे? क्या यह उचित है? इस पैसे से गरीब मुसलमानों का कल्याण कीजिए, इस पैसे से तलाकशुदा महिलाओं का कल्याण कीजिए, इस पैसे से अनाथ बच्चों का कल्याण कीजिए और बेरोजगार मुसलमान युवाओं के लिए स्किलिंग का काम कीजिए। ये लाखों करोड़ रुपये की भूमि है और इनकम 126 करोड़ रुपये है। रेलवे की जितनी जमीन है, जिसमें हजारों-करोड़, लाखों-करोड़ रुपये का रेलवे का कारोबार चलता है, इतनी भूमि वक्फ के पास है और इनकम 126 करोड़ रुपये है। मान्यवर, ये कहते हैं कि इनकम का क्या उद्देश्य है? ? (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दम दम) : मुसलमानों ने आपके पास आकर बोला है? ? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : आप बैठ जाओ। मान्यवर, मैं दादा की टेंशन समझ रहा हूं। यह बात बंगाल के मुसलमान भी सुन रहे हैं तो उनको टेंशन होना स्वाभाविक है। आज आरजेडी के सारे सदस्य बोले हैं। जब वर्ष 2013 में अमेंडमेंट आया था, तो मैं लालू जी का भाषण पूरा पढ़ना चाहता हूं, बाकी सदस्यों का सिर्फ टोकन पढ़ूंगा। लालू जी ने क्या कहा?

?मैडम, सरकार ने जो यह संशोधन विधेयक पेश किया है, सरकार की पहल का हम स्वागत करते हैं। शाहनवाज हुसैन जी और अन्य माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को यहां रखा। मैं उसका समर्थन करता हूं। आप देखिये कि सारी जमीनें हड़प ली गई हैं, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी। वक्फ बोर्ड में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा सारी प्राइम लैंड को बेच दिया गया है। पटना में ही डाक बंगले की जितनी प्रॉपर्टीज़ थी, सब पर अपार्टमेंट्स बन गए। इस तरह की काफी लूट-खसोट हुई है। आप संशोधन विधेयक अंत में लाए हैं, हम संशोधन विधेयक का समर्थन करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भविष्य में आप कड़ा कानून लाइये और जो चोरी करने वाले लोग हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे डालिये। ?

लालू प्रसाद जी की इच्छा इन्होंने पूरी नहीं की, नरेन्द्र मोदी जी ने पूरी कर दी। यह लालू जी ने कहा था कि एक कड़ा कानून लाइये।

मान्यवर, सरीफुद्दीन शरीफ ने कहा? मंत्री जी समझते हैं कि शायद इससे मुसलमानों का वोट मिल जाएगा, लिहाजा मुसलमान लोगों ने भी खुद ही तबाही मचाई है इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि इसके लिए आप सख्त कानून बनाइये। उनके हाथों में हथकड़ियां पहनाइये और उन्होंने जो कब्जे किए हैं, उन जमीनों को बेचकर गरीब और

तलाकशुदा मुस्लिम बहनों का कल्याण करिये। इसके बाद श्री हमीदुल्लाह सैयद लक्ष्यद्वीप से थे, उनका भी इसी टोन का भाषण है।

मान्यवर, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। वर्ष 2013 में जो बिल कांग्रेस पार्टी लेकर आई, इसके विरोध में इनके समर्थकों ने जो कहा था, वह है। इससे क्या होगा? पारदर्शी ऑडिट होगी, आज ऑडिट ही नहीं हो रही है। ऑनलाइन रिपोर्ट जमा करने का सिस्टम ही नहीं है। वह होगी और रिपोर्ट देनी पड़ेगी। बैलेंसशीट जमा करनी पड़ेगी। ऑडिट होगी, कैग के रिटायर्ड ऑफिसर ऑडिट करेंगे। इससे पारदर्शिता आएगी। इससे क्यों डरना चाहिए? पारदर्शिता से क्यों डरे? वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद का कोई ऑर्डर, हम ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आपने तो कर दिया था कि ऑर्डर को कोई कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकता है। वहां पूरा संविधान समाप्त कर दिया। हम तो कहते हैं कि कायदे की अदालत में कोई भी चैलेंज कर सकता है। इस देश में संविधान का राज है। जिसका भी ग्रीवेंस हो, वह कोर्ट में जा सकता है। वर्ष 2013 में, जिसकी भूमि हड़पी, उसके ग्रीवेंस को भी कोर्ट के फोरम से बाहर करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया था।

मान्यवर, ये एक अफवाह और फैला रहे हैं कि यह रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आ रहा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस सदन में बोलते वक्त जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर इस कानून का पहला पेज और तीसरी तक धाराएं भी पढ़ी होती तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि यह कानून का अमल, जिस दिन पारित होने के बाद भारत सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी, उस दिन के बाद वह लागू होगा, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। मगर मुस्लिम भाइयों को डराया जा रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आएगा।

मान्यवर, ये कह रहे हैं कि कलेक्टर क्यों रखा है? मुझे एक बात बताओ, जो बता सकते हैं कि अगर किसी मंदिर के लिए जमीन खरीदनी है तो जमीन की मालिकी किसकी है, वह हमारे देश में कौन तय करता है?

यह सबको मालूम है कि यह कलेक्टर करता है। रेवेन्यू ऑफिसर वही होता है। अगर वक्फ की भूमि जो वक्फ कर रहा है, वह उसकी है या नहीं, इसकी जाँच कलेक्टर करे, तो इसमें क्या आपत्ति है? वक्फ तो दान है और दान अपनी सम्पत्ति का किया जा सकता है, यह किसी और की सम्पत्ति का नहीं किया जा सकता है। गांव से कोई अमेरिका चार महीने के लिए घूमने जाता है और वापस आता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी सम्पत्ति वक्फ घोषित हो गई। कोई कारोबार करने के लिए दिल्ली आया, जब वह वापस जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी सम्पत्ति वक्फ घोषित हो गई। ऐसा नहीं होता है। कलेक्टर से पूछना पड़ेगा। यह सरकारी सम्पत्ति है या नहीं है, इसकी जाँच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ढेर सारे मन्दिर बनते हैं, बने भी हैं और बनेंगे भी, ढेर सारे चर्च बने हैं, गुरुद्वारे बने हैं, क्या ये सरकारी सम्पत्तियों पर बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। जहाँ वक्फ की घोषणा होती है, वह भूमि सरकारी है या नहीं है, उसे सत्यापित करना ही चाहिए और इसे कलेक्टर के अलावा और कोई सत्यापति नहीं कर सकता है।

मान्यवर, मैंने पहले भी बताया कि इन्होंने कोर्ट को भी रास्ते से निकाल दिया। मैं इसके बारे में बाद में बात करूँगा।

मान्यवर, उपयोग के आधार पर वक्फ की समाप्ति हुई। ये कह रहे हैं कि सैंकड़ों सालों से वहाँ प्रैक्टिस है, वह तो वक्फ रजिस्टर हो गया, आपने वक्फ घोषित कर दिया और वक्फ में रजिस्टर भी हो गया। अब इसका सवाल नहीं है। मगर सैंकड़ों साल की प्रैक्टिस, मुगलों के समय की प्रैक्टिस क्या आज घोषित की जा सकती है? अगर वहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो लोग देखते होंगे, अगर वहाँ कब्रिस्तान होगा, तो लोग देखते होंगे, दरगाह होगी, तो लोग देखते हैं। वह घोषित भी हो चुका होगा, रजिस्टर भी हो चुका होगा। अगर अब वक्फ घोषित करना है, तो उसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, उसे अधिकृत करना होगा।

मान्यवर, किरेन जी जो इसमें दूसरा सुधार लेकर आये हैं, वह यह है कि धारा 36 में वक्फ की सम्पत्तियों को बिना किसी स्पष्ट प्रक्रिया से, मालिकी की प्रक्रिया से पंजीकृत नहीं किया जा सकता है।

मान्यवर, वर्तमान के अधिनियम में अपील का प्रावधान, ट्रिब्यूनल के निर्णय के खिलाफ अपील करने का कोई प्रावधान नहीं है। गोगोई जी यह दृष्टि-भ्रम खड़ा कर रहे थे कि हाई कोई में जा सकते हैं। हाई कोर्ट में सिविल सूट नहीं जा सकता है। रिट के अधिकारों का उपयोग करके आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सिविल सूट में मूल मालिक को ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। आपने सिविल सूट को खत्म कर दिया था। रिट के जुरिस्डिक्शन बहुत ही सीमित हैं। यह सब जानते हैं कि इसे सीमित कर दिया गया था। यह आप भी जानते हैं। मगर आपको वोट बैंक चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार का यह स्पष्ट सिद्धांत है कि वोट बैंक के लिए हम कोई कानून नहीं लाएंगे। कानून न्याय के लिए होता है, कानून लोगों के कल्याण के लिए होता है। इन्होंने कहा कि कैसे-कैसे कानून आए हैं। मैं बता देता हूँ, अभी कांग्रेस के महासचिव और माननीय सदस्य कह रहे थे कि ये सब क्या कानून आ रहे हैं, किस प्रकार के कानून आ रहे हैं।

मान्यवर, इसी सदन में मोदी सरकार ही महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का कानून लायी। इसी सरकार में, पिछड़ों को संवैधानिक अधिकार दिया गया। इसी सरकार में, जो बजट आए, उसमें गरीबों के लिए गैस, शौचालय, पानी, पाँच लाख रुपए तक का बीमा, पाँच किलो अनाज, बिजली और घर दिये गये।

मान्यवर, ये कंवर्ज़न कानून की बात करते थे और हँसते-हँसते कहते थे, कर्नाटक सरकार कंवर्ज़न कानून लेकर आयी है। सबसे पहला कंवर्ज़न कानून ओडिशा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लेकर आयी थी। मगर उस समय कांग्रेस सरकार तुष्टिकरण की नीति पर नहीं चलती थी, वह महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलती थी। मध्य प्रदेश और ओडिशा में कंवर्ज़न के खिलाफ कानून कोई लाया, तो वह कांग्रेस पार्टी लायी।

मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी की सरकारें कन्वर्जन पर कानून लाती हैं। ? (व्यवधान)

मान्यवर, सबको अपने धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है । ? (व्यवधान) वे शौक से करें, मगर लोभ, लालच, भय से धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता । ? (व्यवधान) किसी गरीब के पास खाना नहीं है, तो क्या खाना देकर उसका धर्म बदलवा दोगे? ? (व्यवधान) कोई थोड़ा कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति है, उसका धर्म बदलवा दोगे? ? (व्यवधान) ऐसा नहीं होगा । ? (व्यवधान)

आपने भी कानून पास किए हैं । ? (व्यवधान) आप नए-नए आए हो, आपको मालूम नहीं है । ? (व्यवधान) मान्यवर, इनको मालूम नहीं है, ये अभी-अभी, पांच-सात साल से आए हैं । ? (व्यवधान) ये कानून कांग्रेस पार्टी ने पास किए थे । ? (व्यवधान)

मान्यवर, हमने अपील का प्रावधान भी आगे बढ़ाया और गैर-मुसलमानों के द्वारा की गई संपत्तियों पर वक्फ अधिनियम को भी लगने से मना कर दिया । ? (व्यवधान) उनके लिए चैरिटी कमिश्नर का कायदा है । ? (व्यवधान) प्रैक्टिसिंग इस्लाम, जो इस्लाम की प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए है । ? (व्यवधान)

मान्यवर, हमने ओवरराइडिंग इफेक्ट को भी समाप्त कर दिया है । ? (व्यवधान) ट्रस्ट का नियमन करने का जो कानून होता है, चैरिटी कमिश्नर के कानून में कोई ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं है । जहां क्लैशेज़ आते हैं, वहां ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है । ? (व्यवधान) यहां ओवरराइडिंग इफेक्ट इसलिए दिया गया, ताकि जिसकी संपत्ति हड़पी जाएगी, आप उसको कोर्ट में जाने से रोकना चाहते थे, इसलिए ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया था । ? (व्यवधान) मान्यवर, हमने उसे निकाल दिया है । ? (व्यवधान)

मान्यवर, एक ऐसी चर्चा लेकर आए कि बिल पर चर्चा नहीं हुई । मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2013 में जो अमेंडमेंट बिल आया था, जिसके कारण यह बिल लाना पड़ा, उस बिल में कुल मिलाकर 5.4 घंटे चर्चा हुई थी । ? (व्यवधान) दोनों सदनों को मिलाकर साढ़े-पांच घंटे चर्चा हुई थी । ? (व्यवधान) इस बिल में, दोनों सदन को मिलाकर, 16 घंटे चर्चा हो रही है । ? (व्यवधान)

इसके अलावा डिमांड की गई कि समिति बनाओ । समिति भी बनाई, 38 मीटिंग्स हुईं, 113 घंटे चर्चा हुई, 284 हितधारक बनाए गए, वक्फ बोर्ड्स की संख्या, 25 राज्यों के वक्फ बोर्ड उपस्थित हुए, 15 राज्य सरकारों के प्रतिनिधि आए, आठ सांसद हुए, विधायक-विधान परिषद सात हुए, तीन अध्ययन दौरे किए गए और पांच अल्पसंख्यक आयोगों को बुलाया गया । ? (व्यवधान)

इस सबसे 92.68 लाख, करीब-करीब एक करोड़ सुझाव देश भर से ऑनलाइन आए । ? (व्यवधान) इसकी मिमांसा करके यह कानून बना है । ? (व्यवधान) आप ऐसे पूरी प्रक्रिया को खारिज नहीं कर सकते हो । ? (व्यवधान) आप साढ़े-पांच घंटे की जो प्रक्रिया कर रहे थे, वह बहुत लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी? हम 16 घंटे चर्चा करते हैं। आपके अनुरूप चर्चा नहीं हो सकती । इस सदन में हर सदस्य बोलने के लिए स्वतंत्र है । ? (व्यवधान) किसी परिवार की यहां

नहीं चलती है। ? (व्यवधान) ये तो जनता के नुमाइंदे हैं, ये किसी की कृपा से नहीं आए हैं। ? (व्यवधान) जो दिल में है, जो जनता की आवाज है, वह रखेंगे। ? (व्यवधान)

मान्यवर, एक सदस्य द्वारा कहा गया कि यह मिसलीडिंग है कि पुराने कानून में, वर्ष 2013 के जो अमेंडमेंट्स थे, उनमें अपील का प्रोविजन था। ? (व्यवधान) अब मैं कहना चाहता हूं कि 83(9) में है कि ?अधिकरण द्वारा किए गए किसी भी विनिश्चय के आदेश के विरुद्ध, चाहे वह अंतरिम हो या फाइनल, इस पर अपील नहीं हो सकती ।? इसका मतलब आपने अपील का प्रोविजन रखा ही नहीं था। सिविल न्यायालय, राजस्व कोर्ट और अन्य प्राधिकरण, उसके अधिकार क्षेत्र पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। सरकारी अधिसूचना, जो बाद में वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद की एडवाइस से होगी, इसको भी कोई चुनौती नहीं दे सकता। ? (व्यवधान)

मान्यवर, मुझे यह बताइए कि अभी फैशन संविधान की किताब लहराने का है। ? (व्यवधान) इस संविधान के हिसाब से सरकार का या किसी भी निजी संस्था का कोई भी फैसला कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? ? (व्यवधान)

कोई भी फैसला हो, देश की अदालत उस फैसले तक रीच ही नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवांसेज लेकर कहाँ जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई, वह कहाँ जायेगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने यह किया था, हम खारिज कर रहे हैं। हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवांसेज है, आइदर ऑल साइड से और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए ही तो अदालतें बनी हैं।

मान्यवर, यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया कि माइनोरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है? ऐसा कोई कैसे बोल सकते हैं कि हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। यह कानून भारत सरकार का है, हरेक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा।

मान्यवर, हमने तो खैर वक्फ से छेड़खानी नहीं की है। वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद के अंदर बदलाव किया है। मगर वक्फ के लिए भी क्या-क्या जजमेंट आये हैं? सैयद फजल फुकोया थंगल बनाम भारत संघ 10-11-28 को केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि वक्फ बोर्ड एक स्टैट्युटरी बॉडी है। यह मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधि निकाय नहीं है। इसकी फंक्शनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव है। धार्मिक क्रिया कलापों को तो वक्फ को करना है, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे दरगाह हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चैरिटी का काम हो। वह वक्फ बोर्ड को नहीं करना है। यह केरल हाई कोर्ट ने कहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो मुतवल्ली तक भी कहा है, मगर हम मुतवल्ली तो जो धर्म का है, वही रखेंगे।? (व्यवधान)

मान्यवर, इन्होंने कहा कि एक मुतवल्ली के कर्तव्य, वह विशुद्ध रूप से धर्म निरपेक्ष कैरेक्टर है, मगर हम मुतवल्ली को छू नहीं रहे हैं।? (व्यवधान) ये कह रहे थे कि कोई गड़बड़ियाँ नहीं हुई।? (व्यवधान) वर्ष 2013 में

अन्यायी कानून आया ।? (व्यवधान) आप करने दीजिए ।? (व्यवधान) शांत हो जाएंगे ।? (व्यवधान) ये 2026 के कारण डरे हुए हैं ।? (व्यवधान) इसका और कुछ कारण नहीं है। ? (व्यवधान) अक्टूबर में चुनाव है ।? (व्यवधान) वर्ष 2025 में जो चुनाव है, इसके कारण डरे हुए हैं। ? (व्यवधान) बैठ जाओ ।? (व्यवधान) भाई, बैठ जाओ ।? (व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी : अमित शाह जी, आप कह दीजिए कि पिछली बार से ज्यादा सीटें आएंगी ।? (व्यवधान) 77 से ज्यादा सीटें ला सकते हैं ।? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : आप बैठ जाइए ।? (व्यवधान) बंगाल में आकर कहूँगा, यह राजनीतिक हिसाब-किताब का अखाड़ा नहीं है ।? (व्यवधान) छाती ठोक कर कहूँगा कि ज्यादा सीटें आएंगी ।? (व्यवधान) वकील साहब, बैठ जाइए ।? (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव : हमारे योगी जी के बारे में भी बता दीजिए ।? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : वे भी रिपीट होने वाले हैं ।? (व्यवधान)

आप बैठ जाइए ।? (व्यवधान)

मान्यवर, वर्ष 1913 से लेकर वर्ष 2013 तक वक्फ बोर्ड की कुल एकड़ में भूमि, सब वक्फ का मिलाकर 18 लाख एकड़ थी। मेरी विनती है कि सभी सदस्य इसको ध्यान से सुनें। वर्ष 1913 से वर्ष 2013 तक 18 लाख एकड़ थी और वर्ष 2013 से वर्ष 2025 तक, यह कानून बनने का परिणाम यह आया कि और नई 21 लाख एकड़ भूमि बढ़ गई है ।

मान्यवर, 39 लाख एकड़ जो भूमि है, उसमें 21 लाख एकड़ भूमि वर्ष 2013 के बाद हुई। अब ये कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है। लीज़ पर दी गयी सम्पत्तियां 20,000 थीं और वर्ष 2025 में रिकॉर्ड के हिसाब से, यह गलत भी हो सकता है, यह शून्य हो गयी। फिर ये सम्पत्तियां कहां गयीं? वे बेच दी गयीं। किसकी परमिशन से ये बेची गयीं?

मान्यवर, मैंने पहले ही कह दिया कि केरल के और देश भर के कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया; कैथोलिक काँग्रेस, केरल; भारतीय कैथोलिक धर्मगुरुओं की महासभा; केरल चर्चों की संयुक्त परिषद; सभी ने इस बिल का समर्थन किया है और कहा कि वर्ष 2013 का संशोधन अन्यायी है, यह हम अकेले नहीं कह रहे हैं।

मान्यवर, इसी एक्ट में हमने एक बात कही है कि वक्फ बोर्ड का जो योगदान था, उसे 7 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। अब ये जो कह रहे हैं, क्या वे मुसलमान भाइयों के हित में कह रहे हैं, जिसका विरोध कर रहे हैं या अहित में कर रहे हैं? अगर हमने इसे कम करके 7 प्रतिशत से 5 प्रतिशत किया तो यह कहां जाएगा? वह वक्फ में ही रहेगा। हमने वक्फ बोर्ड का कम किया है, जो मस्ज़िद चल रही है, उसको हमने 2 प्रतिशत बढ़ाया है। ये उल्टा समझ रहे हैं।

मान्यवर, यह बिल जमीनों को सुरक्षा प्रदान करेगी। किसी की जमीन अब घोषणा मात्र से वक्फ नहीं बनेगी, उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। पुरातत्व विभाग और ए.एस.आई. की जमीन को हम सुरक्षा देंगे। आदिवासी भाइयों की शिड्यूल-5 और शिड्युल-6 की जो जमीन है, वह सुरक्षित हो जाएगी। निजी सम्पत्ति, जो आम नागरिकों की है, वह भी सुरक्षित हो जाएगी। वक्फ करने के लिए उसका स्वामित्व जरूरी है। अपनी सम्पत्ति का ही दान कर सकते हैं, गांव की सम्पत्ति का दान नहीं कर सकते हैं। वक्फ निजी सम्पत्ति से ही होगा और स्वामित्व के बगैर नहीं हो पाएगा। इसमें पारदर्शिता लाने के लिए सूचना की प्रक्रिया को दाखिल किया गया है। वक्फ बोर्ड के पास वक्फ की सम्पत्ति घोषित करने के जो अधिकार थे, उसको समाप्त कर दिया गया है। अब कलेक्टर से सर्टिफाइड कराना पड़ेगा। नए वक्फ को पारदर्शी तरीके से पंजीकृत भी करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बगैर कोई संस्था नहीं चल सकती। कई सारे ऐसे मुसलमान भाई हैं, जो वक्फ के कानून के दायरे के अन्तर्गत नहीं आना चाहते हैं। मुझे बोहरा समाज के लोग मिले थे। बोहरा समाज, अहमदिया समाज, कई सारे ऐसे समुदाय हैं, उनमें शिया भी हैं, पसमांदा समाज के भी कुछ ट्रस्ट्स हैं, उन सभी को मैं आनन्द का एक समाचार देना चाहता हूं कि अब मुसलमान भी ट्रस्ट्स एक्ट के अण्डर अपना ट्रस्ट रजिस्टर करा सकता है। इसके लिए कम्पलसरी नहीं है कि वह वक्फ के कानून में जाए, चैरिटी कमिश्नर एक्ट के तहत वह कर सकता है।

मान्यवर, भूमि के रिकॉर्ड का कार्यालय होगा। समाचार-पत्रों में और क्षेत्रीय भाषाओं में इसकी एडवर्टाइज़मेंट दी जाएगी। इसके अन्दर हमने ढेर सारे प्रावधान किए हैं। महिला, शिया, पसमांदा, बोहरा, अहमदिया का हमने इसमें समावेश किया है।

मान्यवर, उन्होंने कहा, मैं सुन रहा था। यह एक फैशन हो गया है। राम जन्मभूमि पर मन्दिर बनाने की बात आयी तो यह कहा गया कि देश के अन्दर खून की नदियां बह जाएंगी, मुसलमान रोड पर आ जाएगा, मुसलमानों का यह हो जाएगा, वह हो जाएगा। ट्रिपल तलाक से संबंधित बिल आया, तो फिर से डर वाली बात कही गयी। सीएए आया तो फिर कहा गया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। जिन-जिन ने ऐसा भाषण किया है, अगर एक मुसलमान की भी नागरिकता गयी है, तो आप बता दीजिए।? (व्यवधान)

मान्यवर, मुसलमान भी जानता है और मैं तो आपके माध्यम से देश के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ। मान्यवर, मैंने बहुत झेला है। ये कहते थे कि सीएए कानून मुसलमानों की नागरिकता लेने के लिए है। दो साल हो गए हैं, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है तो सदन के पटल पर रखें। इन्होंने कितना झूठ बोला है। मान्यवर, धारा 370 हटाई, ये कह रहे थे कि मुसलमानों का यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, फिर से उमर अब्दुल्ला जीत कर आज शासन कर रहे हैं। आतंकवाद समाप्त हो गया, विकास शुरू हो गया, पर्यटन बढ़ गया। मान्यवर, एक कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने मुसलमान भाइयों को डरा-डरा कर अपना वोट बैंक खड़ा करने का काम किया है। मुसलमानों को हम नहीं

डरा रहे हैं, आप डरा रहे हो। आप कह रहे हैं कि यह हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि इस देश के नागरिक को, किसी भी धर्म का हो, कोई आँच नहीं आएगी। मान्यवर, यह नरेंद्र मोदी सरकार का संकल्प है।

मान्यवर, इनको न पिछड़ों की चिंता है, न मुसलमानों की चिंता है। ये सालों से जातिवाद और तुष्टीकरण के आधार पर काम करते हुए आए हैं। जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति कर के अपने परिवार की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया है। मगर वर्ष 2014 से जातिवाद, तुष्टीकरण और परिवारवाद को एक साथ नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर के विकास की राजनीति इस देश में प्रस्थापित की है। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्म कीजिए और चुन कर आइए, तीन टर्म मोदी जी को चुना है, तीन और टर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है, मेरी बात लिख कर रख लो।

मान्यवर, मैं अंत में किरेन रिजिजू जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अभ्यास कर के सारे दूषणों को निकाल कर वक्फ कानून को शुद्ध, पारदर्शी, और उद्देश्यों को समर्पित बनाने का का काम किया है। मैं इसका समर्थन करता हूँ।

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): Sir, hon. Home Minister has completed his lengthy speech claiming he is the saviour of the minorities. He was announcing certain things and pretending himself as the champion of the minorities. I would like to say that that is the biggest ... of 2025. There is no iota of truth in it. It is his Government that ...* the minorities in India physically, mentally, socially, and economically. They did so much injustice to the minorities. If he claims that his Government is doing goodness for the Government, it is false. They are planning to do further injustice to the Muslims. That is a classic example as far as this legislation is concerned.

<u>18.59 hrs</u> (Shri Krishna Prasad Tenneti *in the Chair*)

Now, I am coming to the crux of the Bill. I do not want to take much of your time. We have seen the JPC and after that Bill of 2024. Previously, we have seen other JPCs. In 2013, a report had come. What exactly was that? There was a threadbare deliberation. There were very effective kind of discussions. Finally, in 2013, some amendments were unanimously passed. That is on record. But, what happened in that case? Some dramatic kind of things took place in that.

<u>19.00 hrs</u>

Now, all the powers of the Waqf Board, as I said, are vested with the Government. What is the idea behind it? They want to make it as a low-hanging fruit so that they can take and eat it away whenever they wish. That is the thing which is going to happen.

Sir, this is a regressive legislation. There is no doubt about that. As I said, the Bill removes the power of the Waqf Board to inquire and determine whether the property is that of *auqaf* or not. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON : I request all the Members to kindly be seated.

....(Interruptions)

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER : How can we speak, Sir? Please let the House be in order. *....(Interruptions)*

Sir, all the powers, be it related to Waqf Board, be it related to survey and be it related to tribunal, have now been transferred to the Government offices. So, they are going to reign. It means that they are undermining all these statutory bodies and things like that. *....(Interruptions)* This shows that the Government wants to ruin its identity.

Sir, now I come to Muslim representation. There are different laws, different institutions and different trusts to run the activities of different religious entities. What exactly is this? This kind of provision is not anywhere. All these institutions are governed through their respective rules. That is a fact. Mr. K. C. Venugopal has explained all these developments in his speech. Now what is happening? There are many examples. I do not want to speak much about that.

In the parent Act, there was a provision. What was that provision? You have to hear it. Section 104 of the parent Act specifically meant for secularism and communal harmony because that allowed persons from any community to donate for the waqf. That was a beautiful culture. That was a signal of communal harmony in this country. That is a fact.

What are you doing now? You are having two types of legislations. One is religious-based legislation. The other one is religiously-biased legislation. This amendment falls under the second category of the legislation. *....(Interruptions)*

Sir, the House was not in order. It was noisy here, and our time was lost. Please allow me some more time to speak.

They are now insisting that the Chief Executive Officer of the institution need not be a Muslim. What is this? If he is holding the position, does he know what exactly the subject is? Not only that, do you see these kinds of changes in all the other institutions? We very well know that this kind of thing is not done.

I will give you some examples like Kashi temple in Uttar Pradesh. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER: No, Sir, I have just started. *....(Interruptions)* It was noisy here. *....(Interruptions)*

Section 3 of the Uttar Pradesh Sri Kashi Vishwanath Temple Act specifies that only Hindus can be members of the Board or Executive Committee, or hold positions as Chief Executive Officer or as temple employees, and that any person who ceases to be a Hindu will lose their position and powers. So, what is special about that? So, you want to take control of all things. *....(Interruptions)* This shows that this Government is having ulterior motives in bringing this legislation. That is why, we are opposing this. ? (*Interruptions*) Sir, I will complete.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude in 15 seconds.

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER : The Minister for Minority Affairs has mentioned this morning that waqf property is of nation. He mentioned about the place of worship. Of course, we agree. To whom the other place belongs? There has to be a threadbare discussion. He mentioned that the other property is of the nation. That is their agenda. It has to be taken up very seriously. ? (*Interruptions*)

डॉ. राजकुमार सांगवान (बागपत) : महोदय, मैं वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करते हुए, आपके माध्यम से सम्मानित सदन के समक्ष अपने विचार रख रहा हूं।

महोदय, यह बिल धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता है, बल्कि इस बिल के माध्यम से वक्फ सम्पत्तियों में मुस्लिम महिलाओं को शामिल कर धार्मिक स्वतंत्रता का विस्तार किया जा रहा है। इस प्रकार यह बिल नकारात्मक

नहीं है, बल्कि सकारात्मक कदम है। इस बिल के द्वारा उन लोगों को अधिकार मिलेगा, जिन्हें वक्फ संबंधी अपने मामलों में अधिकार नहीं मिल पाता था।

महोदय, इस बिल के द्वारा वक्फ-अल-औलाद के संबंध में सुनिश्चित किया गया है कि मुस्लिम महिला के विरासत का अधिकार समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार की दान की हुई सम्पत्ति यदि सरकार के स्वामित्व में आती है तो जिले का जिलाधिकारी उसे विधवा महिलाओं या अनाथों के कल्याण में उपयोग कर सकेगा। इस प्रकार यह बिल वक्फ सम्पत्तियों का कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त करने में सहायक सिद्ध होगा।

महोदय, सरकार का उद्देश्य इस बिल के माध्यम से वक्फ की सम्पत्तियों पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि यह वक्फ की सम्पत्तियों का न्यायपूर्ण तरीके से बेहतर एवं कुशल प्रबन्धन को सुनिश्चित करेगा। आंकड़ों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास अभी पूरे भारत में 8.7 लाख सम्पत्तियां हैं, जो करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई हैं। एक अनुमान के अनुसार, इनकी कुल कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपये बताई जाती है। अत: इस विशाल राशि का न्यायपूर्ण तरीके से कुशल प्रबंधन आवश्यक हो जाता है, जिसकी व्यवस्था इस बिल के माध्यम से की गई है।

अध्यक्ष महोदय, यह बिल सेंट्रल वक्फ काउंसिल को अधिक समावेशी स्वरूप प्रदान करता है। इसके द्वारा सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मुस्लिम सदस्यों में दो मुस्लिम महिला सदस्यों का होना अनिवार्य किया गया है। यह प्रावधान हमारी मुस्लिम बहनों के प्रति हमारी सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है। हमारी बहनें अब वक्फ सम्पत्तियों के कुशल प्रबन्धन में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगी। इसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। इस प्रकार दान की हुई सम्पत्ति यदि सरकार के स्वामित्व में आ जाती है, तो जिले का जिलाधिकारी उसे विधवा महिलाओं या अनाथों के कल्याण में उपयोग कर सकेगा। इस प्रकार यह बिल वक्फ सम्पत्तियों का कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त करता है।

महोदय, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां सभी समुदायों को समान अधिकार प्राप्त हैं। वक्फ सम्पत्तियां वर्षों से मुस्लिम समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी कार्यों के लिए मजबूत आधार रही हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि कुछ दशकों से वक्फ सम्पत्तियों के दुरुपयोग, अनाधिकृत कब्जे और भ्रष्टाचार की कई शिकायतें आई हैं। यह विधेयक इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर आया है।

महोदय, कुछ लोग वक्फ विधेयक पर चर्चा करते हुए इसका विरोध कर रहे हैं। वक्फ मुस्लिम समाज के उत्थान और तरक्की के लिए बनाया गया एक बेहतरीन इदारा है। विडम्बना यह है कि वहां बड़े औहदों पर बैठे और इसको चलाने वाले इसी समाज के लोग वक्फ के उत्थान और तरक्की के लिए काम न करके अपने व्यक्तिगत तथा अपने परिवार के लिए हित साधने में लगे हुए हैं। अगर समीक्षा की जाए तो जिन वक्फ पर सरकारी कंट्रोलर हैं, वे वक्फ बहुत ही सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। इसके विपरीत जिन वक्फ पर इसी समाज के लोग जैसे चेयरमैन, मुतवल्ली तथा

अन्य पदों पर आसीन हैं, वहां वक्फ में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि चेयरमैन, वक्फ का मुतवल्ली मोटी रकम वसूल कर बनाता है।

वक्फ की बहुत सारी कीमती जमीनों को अध्यक्ष व मुतवल्ली द्वारा घूस लेकर बहुत कम किराये और लीज पर दिया जाता है। मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूं कि बड़े-बड़े शहरों में जहां बड़े-बड़े कब्रिस्तान थे, आज वहां पर आलीशान बिल्डिंग बन गई है। मुतवल्ली और अध्यक्ष ने भूमाफिया के साथ मिलकर बड़ी-बड़ी कॉलोनियां विकसित कर दीं, उससे जो धन अर्जित किया है, वह पैसा कहां गया। गरीब मुस्लिम समाज में गरीब बेटियां हैं, जिनकी शादियों में पैसा लगना चाहिए था, गरीब बच्चों की शिक्षा में पैसा लगना चाहिए था लेकिन नहीं लगा। मैं सदन के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, मुतवल्ली और चेयरमैन ने कब्रिस्तान को बड़ी-बड़ी इमारतों में तब्दील कर दिया है और अकूत सम्पत्ति अर्जित की है। उनके भ्रष्टाचार की जांच कराकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।

अंत में, सरकार का उद्देश्य इस बिल के माध्यम से वक्फ की सम्पत्तियों पर कब्जा करना नहीं है बल्कि वक्फ की सम्पत्तियों का न्यायपूर्ण तरीके से, बेहतर कुशल प्रशासन सुनिश्चित करना है। मैं सदन से आग्रह करता हूं कि सभी सदस्य दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस बिल का समर्थन करें। धन्यवाद।

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज) : आदरणीय सभापति महोदय, I stand to oppose the Waqf (Amendment) Bill, 2025. यह एक प्लॉन्ड, सिस्टेमेटिक अटैक है, जिसका मकसद वक्फ इंस्टीट्यूशन्स को सरकारी कंट्रोल में लाना, मुसलमानों पर सामाजिक, धार्मिक और पॉलीटिकल कब्जा जमाना और हमारी विरासत को तोड़ना है। हम सब जानते हैं कि वक्फ गरीब से गरीब मुसलमान कम्युनिटी के लोगों के लिए होता है। खासकर जो बेवा, अनाथ और बीमार होते हैं, जो एक्सप्लायटेड कम्युनिटी है, उनको कैटर करने के लिए होता है।

मुझे अफसोस है कि सरकार हमसे जमीन कब्जा लेना चाहती है। अफसोस की बात है कि टीडीपी, जदयू और एलजेपी जैसी पार्टियां उनका साथ दे रही हैं। ये वक्फ प्रॉपर्टीज को हमसे छीनना चाहते हैं, ऐसे-ऐसे क्लॉज का बदलाव कर रही है जिससे लगातार कनफलिक्ट होगा और जहां चाहेंगे वहां फसाद करवाएंगे। इसके अलावा, लीगल केसेज इतने लंबे-लंबे चलेंगे कि हिन्दुस्तान की आधी आबादी कोर्ट में मिलेंगी।

ये वक्फ रिलीजियएस एक्ट अंडर इस्लामिक लॉ है, which is protected by the Constitution, particularly Articles 25 and 26. The JPC?s failure to conduct a proper clause-by-clause discussion and its refusal to provide essential documents raise serious concern. मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस बिल को स्क्रैप कर दिया जाए। यदि इसे सुधार करने की सही नीयत है, सभी मुसलमान साथियों के साथ विचार करें।

सभापति महोदय, जेपीसी एक मॉकरी था, इसमें 25 मीटिंग्स हुई, जिसमें लगभग 300 आर्गेनाइजेशन्स और 3 हजार लोगों को बुलाया गया। 120 घंटे की चर्चा हुई, अगर आप लोगों में बांटे तो दस से पन्द्रह सेंकड मिला। बहुत लोगों को बुलाया गया, जिनसे बात तक नहीं हो पायी। 22 तारीख को आखिरी मीटिंग लखनऊ में थी। वहां पर चर्चा हुई और चर्चा में कहा गया कि आप दस-पन्द्रह दिन में जवाब दीजिए। लेकिन दो दिन के बाद यहां आखिरी मीटिंग हुई। क्लॉज बाइ क्लॉज चर्चा करनी थी, लेकिन क्लॉज बाइ क्लॉज चर्चा नहीं हुई। यह गवर्नमेंट जब से आयी है तब से मुसलमानों को टारगेट कर रही है। चाहे सीएए कानून हो, चाहे the Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 के खिलाफ जाना हो, ट्रिपल तलाक हो, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को डिसकन्टीन्यू किया हो, नयी ?उड़ान? स्कीम को डिसकन्टीन्यू किया हो, मैट्रिक, प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप 72 परसेंट से घटा दिया हो। Scheme for providing modern education को डिस्कंटिन्यू कर दिया हो। हम लोग एएमयू, किशनगंज के लिए 12-15 सालों से लड़ रहे हैं। कई मर्तबा नीतीश जी, कई मर्तबा यहां के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, वित्त मंत्री, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, प्रधानमंत्री जी तथा जितने भी अधिकारीगण हैं, मैं सबसे मिला हूं, लेकिन आज तक फंड नहीं मिला है। ये मुसलमानों के खिलाफ राजनीति करते हैं। जो हमारा हक है, उसको नहीं देते हैं।

Sir, this Bill will keep the society in the state of polarisation. Dilution of Waqf bodies, Waqf Council, Waqf Board, Waqf Tribunal, and Limitation Act will result in extended legal conflicts anywhere and anytime.

महोदय, ये मुसलमान कौम का हक छीनकर उनको डराना चाहते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है। मैं उसको पढ़ना चाहता हूं ? Fear is dangerous. It sparks violence much faster than anger. मेरी दर्ख्वास्त है कि आप हिन्दुस्तान के लोगों को आपस में लड़ाना छोड दें। आप लोगों ने अंग्रेजों से जो सबक लिया है, आप उसको भूल जाएं। हिन्दुस्तान बदल चुका है। अब हम आपस में नहीं लड़ने वाले हैं।

महोदय, मेरी पार्टी के नेता राहुल जी और हमारे पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी ने लगातार सवाल उठाए हैं कि संविधान पर हमला हो रहा है। यह जो बिल है, यह संविधान पर हमला है। Right to Equality, Article 14; Right to Freedom of Religion, Article 25; and Right to establish and manage religious institutions, Article 26; यह इन सबका वाइलेशन है और ये ऐसा कर रहे हैं। इसको रोकना हमारा फर्ज है। आज ये मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। कल हमारे ईसाई भाइयों, बुद्धिस्ट, जैनियों और सिखों की बारी आएगी। आखिर में क्या होगा? जब ये इनकी जमीन लूट लेंगे, तब हमारे हिन्दू भाइयों तक आएंगे। इससे पहले ये आगे तक जाएं, हमारा फर्ज इनको रोकना है।

आदरणीय मंत्री जी, यहां पर गलत नरेटिव फैला रहे हैं। इन्होंने गुमराह करने की कोशिश की है। ... सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को यह बताया जा रहा है कोई भी किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ बता देता है। इन्हीं की सरकार की जानकारी के मुताबिक वर्ष 2024 में 909 waqf properties are illegally encroached. लेकिन वर्ष 2020 में ये आंकड़ा 16,931 था। यह 16,000 का आंकड़ा कैसे घट गया? ये जमीनें कहा चली गईं? माननीय मंत्री जी को इसका जवाब देना होगा।

महोदय, ये कहते हैं कि कोई भी वक्फ की जमीन घोषित कर देगा, संसद को भी वक्फ घोषित कर देगा। जब-जब यहां पर अध्यक्ष महोदय आते हैं, तो मैं उनको सलाम करता हूं, लेकिन मैंने तो कभी कोई क्लेम नहीं किया है। इसमें लिखा हुआ है कि ?to declare a waqf property, a survey by Survey Commissioner is a must?. ज्यादातर केसेज़ में सर्वे कमिश्नर नॉन मुस्लिम होता है। उसके बाद वक्फ बोर्ड के द्वारा रिव्यू किया जाता है। फिर सरकार के द्वारा गजट नोटिफिकेशन निकाला जाता है। पिछले 10-11 सालों में हिन्दुस्तान में 75 प्रतिशत सरकार बीजेपी या उसकी गठबंधन पार्टियों की हैं। उसके बाद अगर किसी को कोई परेशानी है, तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है।

ये क्या कहते हैं कि हम लोग यहां पर इसको फॉलो नहीं करते हैं। अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? वे खुद जिम्मेदार हैं। मंत्री साहब ने दो लाइनों की कविता पढ़ी थी। मैंने ठीक से नहीं सुना था। उन्होंने हवा के रुख के बारे में कहा था। मैं यह कहना चाहता हूं-

?मैं आज ज़द पर अगर हूं, तो ख़ुश-गुमान न हो,
चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं?।

मैं इनको यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आज हवा इनके साथ है, तो कल इनके खिलाफ भी होगी। मुझे अफसोस है कि जब यहां पर आदरणीय गृह मंत्री जी तकरीर कर रहे थे, उनसे जो ...* दिख रहा था, वह भूल जाते हैं कि जो आज साहिब-ए-मसनद है, वे कल न होंगे। वह कल जल्दी ही आने वाला है, जब उनसे उनकी मसनद छिन जाएगी।

महोदय, मंत्री साहब से आज सुबह ही कहा था कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व देंगे। सन् 1995 के बिल में यह है। मैंने इंटरनेट में देखा है कि सेन्ट्रल वक्फ काउंसिल में दो महिला मेंबर्स हैं। एक दरख्शां अंद्राबी और दूसरी मुनवरी बेगम है। उसके बाद हमने यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड में हमने देखा तो वहां भी मिसेज साहिबा अहमद थी और तब्बसुम खान साहिबा थीं। जो मोस्ट डेंजरस है और इससे इसकी साफ नीयत सीईओ को लेकर पता चलती है कि अब इनकी मंशा है कि सीईओ नॉन मुस्लिम होगा। As per Clause 14 Section 220A of the Waqf Act, the Chairman

of Waqf Board could be removed through a vote of non-confidence to ensure the democratic process. उसको हटाया जा सकता था, लेकिन हटाने का प्रोविज़न हटा दिया है।

As per Clause 15 Section 23, the CEO is appointed by the Government. सर, आप यूपी के काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट, तमिलनाडु हिन्दू रिलीजियस चैरिटेबल एंडावमेंट, ओडिशा हिन्दू रिलीजियस एंडावमेंट का जो भी मेंबर होगा, जो भी सीईओ होगा, वह हिन्दू समाज से होगा तो हम से भेदभाव क्यों किया जा रहा है? सबसे खतरनाक यह है कि क्लॉज नंबर 38, सेक्शन 100 में, there shall be no suit or legal proceedings against the Board or the CEO. इसका मतलब यह है कि आप गड़बड़ी कीजिए, आपको कोई नहीं हटा सकता है। आपका लीगल प्रोटेक्शन है। आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। क्लॉज 26, सेक्शन 52ए में एन्क्रोचेस के लिए पनिशमेंट था।

I have got another three minutes. सर, मुझे दो मिनट और दीजिए। इसमें पनिशमेंट नॉन बेलेबल रिगरस इम्प्रिजनमेंट था। अब प्लेन इम्प्रिजनमेंट कर दिया है और दो साल तक सजा कर दी है। आप जानते हैं कि अगर सजा दो साल या तीन साल से कम हो तो बेलेबल है, व्यक्ति उसी वक्त निकल जाता है। आदरणीय होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि प्रोटेक्शन देंगे ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज, कन्क्लूड।

डॉ. मोहम्मद जावेद : सर, मुझे दो मिनट और दीजिए।

HON. CHAIRPERSON: You have already spoken for 11 minutes.

डॉ. मोहम्मद जावेद : सर, क्लॉज 40, सेक्शन 104 में नॉन मुस्लिम को डोनेशन देने की इजाजत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्हीं एक-दो सालों के अंदर two Muslims have donated land to a 500-year-old temple in Kashmir. A Muslim family in Bihar donated land worth Rs.2.5 crore for Virat Hanuman Mandir. उसी तरह से उत्तराखण्ड की दो हिन्दू बहनों ने डेढ़ करोड़ रुपये का दान ईदगाह में दिया। The Hindus in Ayodhya donated land to graveyard. ? (व्यवधान) यह सरकार हिन्दू विरोधी नहीं, यह पूअर विरोधी है। यह हिन्दुस्तान के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह आप लिख लीजिए।

सुश्री इकरा चौधरी (कैराना) : सभापति जी, धन्यवाद। मैं सबसे पहले इस बिल की टाइमिंग की दाद देना चाहती हूं। अभी ईद की रौनक बुझी भी नहीं थी और हमारी जड़ों पर एक नया फरमान लाया गया। पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ने पर रोक लगाई और फिर सौगात में यह बिल लाया गया।

?निसार मैं तेरी गलियों पर ऐ वतन,
जहां चली है रिवाजो गैर कि कोई न सिर उठाकर चल सके।?

सभापति जी, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ईद के मौके पर एक विधवा महिला अपनी लड़की के साथ मेरे पास आई और उसने बताया कि वह एक वक्फ की प्रॉपर्टी में रहती है। वही उसके सिर पर छत का काम करती है और उसकी रोजी रोटी भी वहीं से आती है। वह इस बिल को लेकर इतनी फिक्रमंद थी कि कहीं उससे उसकी सम्पत्ति न छीन ली जाए। वह अकेली ऐसी महिला नहीं है, ऐसे लाखों गरीब लोग और महिलाएं हैं, जो वक्फ की सम्पत्ति से अपना रोजगार चला रहे हैं। वक्फ बाई यूजर क्लॉज के हटाने से लाखों वक्फ की जायदाद अपना स्टेटस खो देंगी और इसी तरीके के लाखों लोग सड़कों पर आ जाएंगे। वक्फ क्या है, वक्फ बाई यूजर क्या है, इसका यह मतलब है कि कोई जायदाद सालों से दीन और भलाई के कामों के लिए इस्तेमाल हो रही हो तो वह खुद ब खुद वक्फ मानी जाएगी। हिन्दुस्तान की अदालतों ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि वक्फ बाई यूजर सिर्फ वक्फ बोर्ड को ही मिली कोई खास सौगात नहीं है। बल्कि सभी अन्य धार्मिक ट्रस्टों को परंपरा और यूज़ के आधार पर बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के धार्मिक चरित्र को डिक्लेयर करने का राइट मिला हुआ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद-13 क्लॉज 3 में कस्टम और यूजेज़ को कानूनी वैधानिकता प्रदान करता है। इसी आर्टिकल से वक्फ बाय यूज़र भी निकाला गया है। इस बिल के कानून बनने पर वक्फ बोर्ड तो इस प्रॉविजन से हाथ धो बैठेगा, लेकिन अन्य धार्मिक ट्रस्टों को यह सुविधा जारी रहेगी। इससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 15 का सीधा उल्लंघन होगा, जो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव और कानून के सामने सभी की बराबरी पर ज़ोर देता है। मैं इसके साथ यह भी कहना चाहती हूं कि सत्ता के लोग एक-दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं कि वक्फ बाय यूज़र का अमेंडमेंट, जो इन्होंने दिया, उसे स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन इनकी शरारत यह है कि उसके साथ ही एक ऐसा प्रोवाइज़ो इसमें शामिल किया गया, जिसके आधार पर यह कहा गया है कि अगर कोई भी वक्फ की संपत्ति विवादित हो, तो वह अपना वक्फ स्टेटस खो देगी। अत: इनके द्वारा जो अमेंडमेंट दिया गया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है, उसका कोई मतलब नहीं है। यह इनकी नीयत है, जो साफ जाहिर हो रही है। सरकार ने वक्फ कानून के सैक्शन 107 को हटाकर सोने पर सुहागा वाला एक और काम किया है। लिमिटेशन एक्ट में 12 साल तक ही किसी के खिलाफ अदालत में जाने का प्रॉविजन है। सैक्शन 107 में बोर्ड को लिमिटेशन एक्ट से राहत मिली हुई थी। वक्फ बोर्ड कभी भी अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ अदालत जा सकता था। अगर ये सैक्शन न हो, तो अवैध कब्जा करने वाले लोग कानूनी प्रक्रिया का फायदा उठाकर वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प सकते हैं। अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर भी यह लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता, तो फिर वक्फ बोर्ड के साथ यह सौतेला रवैया क्यों किया जा रहा है? धर्म को लेकर दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है? सैक्शन 107 और वक्फ बाय यूजर को अगर एक साथ पढ़ा जाए, तो इससे वक्फ की लाखों की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जाएगा। अत: यह बिल मुसलमानों की भलाई का नहीं, बल्कि उनके वजूद और विरासत को मिटाने वाला बिल है। हिंदुस्तान में बहुत सारे धार्मिक ट्रस्ट हैं, जिनमें उस खास मज़हब के लोग शामिल होते हैं और उसका इंतजाम करते हैं। यह बात समझ में आने

वाली भी है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मज़हब के रीति-रिवाज़ को जितनी अच्छी तरह से समझ सकता है, किसी अन्य मज़हब का व्यक्ति नहीं समझ सकता। अनुच्छेद-26 क्लॉज 2 के तहत धार्मिक संप्रदाय को अपने मज़हबी इदारों के एडमिनिस्ट्रेशन का हक देता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के बारे में इसको उल्टा किया जा रहा है। ? (व्यवधान)

सर, सरकार इसे एक सेक्युलर बॉडी मान रही है और इसमें गैर-मुस्लिमों को शामिल करने की बात कह रही है। आपके मुंह से सेक्युलिरज्म की बात सुनकर अच्छा लगा, लेकिन अगले ही पल यह भ्रम टूट जाता है, क्योंकि आपने केवल दान देने के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का क्लॉज डाला है, लेकिन मुस्लिम को बोर्ड में बैठने के लिए आपका कोई क्लॉज नहीं है। इससे आपकी दोहरी नीति साफ जाहिर होती है। यह वही सरकार है, जिसने राम जन्मभूमि ट्रस्ट में यह लिख दिया कि जिलाधिकारी यदि होगा, तो हिंदू होना चाहिए। मुझे यह बताएं कि वहां पर सेक्युलरिज्म का रस क्यों नहीं घोला गया?

सर, अंत में, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले महिलाओं के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। महिलाओं का मुद्दा बार-बार उठाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देंगे, इस कानून से पहले भी मुस्लिम महिलाएं बोर्ड की मेंबर रह चुकी हैं। कम से कम दो सदस्यों का प्रॉविजन था, उससे ज्यादा भी हो सकती थीं। मैं यह कहना चाहती हूं कि सरकार ने महिलाओं के लिए ऐसा कौन-सा नया काम किया, जिसका ढिंढोरा सरकार का हर सदस्य पीट रहा है? इस बात की ताइद अगर आपकी तरफ से कोई मुस्लिम महिला करती, तो आप उसका यकीन भी करते, लेकिन अफसोस आपकी इतनी लंबी कतार में एक भी मुस्लिम महिला नज़र नहीं आती है। ? (व्यवधान)

सर, मैं खुद एक मुस्लिम महिला हूं। इस सदन में हम केवल दो महिलाएं हैं। उस नाते से मैं यह बात कहना चाहती हूं कि इस बिल के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा है। ये हमें कुछ नहीं देना चाहते। केवल टोकनिज्म हमारे नाम पर बनाकर एक नैरेटिव मीडिया में फैलाया जा रहा है। ? (व्यवधान) यह बिल मुसलमानों की भलाई का नहीं, बल्कि उनकी पहचान को मिटाने का है।

अंत में, मैं केवल यही कहना चाहती हूं-

?कागज़ों की कैद में बस नाम रह जाएंगे, वे जो हमारे थे, सिर्फ दावे में रह जाएंगे।?

इस बिल के द्वारा मीठी ईद के ज़ायके को कड़वा करना, यही असली सौगात-ए-मोदी था॥

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[محترمہ اِقرا چودھری (کیرانہ): محترم چیرمین صاحب، شکریہ۔ میں سب سے پہلے اس بِل کی ٹائمنگ کی داد دینا چاہوں گی۔ ابھی عید کی رونق بُجھی بھی نہیں تھی اور ہماری جڑوں پر ایک

نیا فرمان لایا گایا۔ پہلے اتر پردیش میں مسلمانوں کے لئے نماز پڑھنے پر روک لگائی اور پھر سوغات میں یہ بِل لایا گیا۔

نثار میں تری گلیوں کے اے وطن کہ جہاں

چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے

چیرمین صاحب، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ عید کے موقع پر ایک وِدھوا خاتون اپنی لڑکی کے ساتھ میرے پاس آئی اور اس نے بتایا کہ وہ ایک وقف کی پروپرٹی میں رہتی ہے۔ وہی اس کے سر پر چھت کا کام کرتی ہے، اور اس کی روزی روٹی بھی وہی سے آتی ہے۔ وہ اس بِل کو لیکر اتنی فکر مند تھی کہ کہیں اس سے اسکی پروپرٹی نہ چھِن جائے۔ وہ اکیلی ایسی عورت نہیں ہے، ایسے لاکھوں غریب لوگ اور خواتین ہیں جو وقف کی پروپرٹی سے اپنا روزگار چلا رہے ہیں۔ وقف بائی یوزر کے کلاز کے ہٹانے سے لاکھوں وقف کی جائیداد اپنا اسٹیٹس کھو دیں گی۔ اور اسی طریقے کے لاکھوں لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے۔ وقف کیا ہے؟ وقف بائی یوزر کیا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی جائیداد سالوں سے دین اور بھلائی کے کاموں کے لئے استعمال ہو رہی ہو تو وہ خود بہ خود وقف مانی جائے گی۔ ہندوستان کی عدالتوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وقف بائی یوزر صرف وقف بورڈ کو ہی ملی کوئی خاص سوغات نہیں ہے بلکہ سبھی دوسرے مذاہب کو پرمپرا اور یوز کی بنیاد پر بنا کسی ڈاکیومینٹیشن کے دھارمِک چرتر کو ڈیکلئر کرنےکا رائٹ ملا ہوا ہے۔ بھارت کے آئین کے آرٹیکل 13 کلاز 3 میں کسٹم اور یوزز کو قانونی ویدھانِکتا پردان کرتا ہے۔ اسی آرٹیکل سے وقف بائی یوزر بھی نکالا گایا ہے۔ اس بل کے قانون بننے پر وقف بورڈ تو اس پرووِیزن سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، لیکن دوسرے مذاہب کے ٹرسٹوں کو یہ سہولیات جاری رہے گی۔ اس سے بھارتیہ آئین کے آرٹیکل 14 اور 15 کا سیدھا اُلنگھن ہوگا، جو مذہب اور ذات کی بنیاد پر بھید بھاؤ اور قانون کے سامنے سبھی کی برابری پر زور دیتا ہے۔ میں اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ستّا کے لوگ ایک دوسرے کی پیٹھ تھپتپا رہے ہیں کہ وقف بائی یوزر کا امینڈمینٹ، جو انہوں نے دیا، اسے منظور کر لیا گیا، لیکن ان کی شرارت یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی ایسا پرووایزوں کو اس میں شامل کیا گیا، جس کی بنیاد پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی

بھی وقف کی پروپرٹی وِوادِت ہو تو، وہ اپنا وقف اسٹیٹس کھو دیگی۔ اس لئے ان کے ذریعہ جو امینڈمینٹ کیا گیا ہے جسے منظور کر لیا گیا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ ان کی نیت ہے جو صاف ظاہر ہو رہی ہے۔ سرکار نے وقف قانون کے سیکشن 107 کو ہٹا کر سونے پر سہاگہ والا ایک اور کام کیا ہے۔ لِمیٹیشن ایکٹ میں 12 سال تک ہی کسی کے خلاف عدالت میں جانے کا پرووِیزن ہے۔ سیکشن 107 میں بورڈ کو لِمیٹیشن ایکٹ سے راحت ملی ہوئی تھی، وقف بورڈ کبھی بھی اویدھ قبضہ دھاریوں کے خلاف عدالت جا سکتا تھا۔ اگر یہ سیکشن نہ ہو، تو غیر قانونی قبضہ کرنے والے لوگ قانونی پرکریا کا فائدہ اُٹھا کر وقف کی پروپرٹی کو ہڑپ سکتے ہیں۔ دوسرے مذاہب کے ٹرسٹوں پر بھی یہ لِمیٹیشن لاگو نہیں ہوتا، تو پھر وقف بورڈ کے ساتھ یہ سوتیلہ رویہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ مذہب کو لیکر دوہری نیتی کیوں اپنائی جا رہی ہے؟ سیکشن 107 اور وقف بائی یوزر کو اگر ایک ساتھ پڑھا جائے تو اس سے وقف کی لاکھوں کی پروپرٹی پر قبضہ کیا جائے گا۔ اس لئے یہ مسلمانوں کی بھلائی کا نہیں، بلکہ ان کے وجود اور وراثت کو مٹانے والا بِل ہے۔ ہندوستان کے بہت سارے دھارمِک ٹرسٹ ہیں، جن میں ان خاص مذہب کے لوگ شامل ہوتے ہیں اور اس کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی بھی ہے کیونکہ جو انسان اپنے مذہب کے ریتی رِواج کو جتنی اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے، کسی دوسرے مذہب کا انسان نہیں سمجھ سکتا۔ آرٹیکل 26 کلاز 2 کے تحت دھارمِک سمپدائے کو اپنے مذہبی اداروں کے ایڈمنسٹریشن کا حق دیتا ہے، لیکن وقف بورڈ کے بارے میں اس کو اُلٹا کیا جا رہا ہے (مداخلت)۔۔

سر، سرکار اسے ایک سیکولر بوڈی مان رہی ہے اور اسے غیر مسلموں کو شامل کرنے کی بات کہہ رہی ہے، آپ کے مُنہہ سے سیکولرزم کی بات سُن کر اچھا لگا۔ لیکن اگلے ہی پل یہ بھرم ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ آپ نے صرف دان دینے کے لئے پریکٹیسنگ مسلم کا کلاز ڈالا ہے، لیکن مسلم کو بورڈ میں بیٹھنے کے لئے آپ کا کوئی کلاز نہیں ہے، اس سے آپ کی دوہری نیتی صاف ظاہر ہوتی ہے۔ یہ وہی سرکار ہے، جس نے رام جنم بھومی ٹرسٹ میں یہ لکھ دیا کہ ضلع ادھیکاری اگر ہوگا تو ہندو ہونا چاہئیے، مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر سیکولرزم کا رس کیوں نہیں گھولا گیا؟

سر، آخر میں، میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے عورتوں کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گی، عورتوں کا مُدعہ بار بار اُٹھایا جار ہا ہے، سرکار کا کہنا ہے کہ بورڈ میں مسلم خواتین کو ریپریزینٹیشن دیں گے، اس قانون سے پہلے بھی مسلم خواتین بورڈ کی ممبر رہ چکی ہیں، کم سے کم دو ممبر کا پروویزن تھا، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی تھیں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سرکار نے خواتین کے لئے ایسا کونسا نیا کام کیا، جس کا ڈھِنڈورا سرکار کا ہر ممبر پیٹ رہا ہے؟ اس بات کی تائید اگر آپ کی طرف کوئی مسلم خاتون کرتی تو آپ اس کا یقین بھی کرتے، لیکن افسوس آپ کی اتنی لمبی قطار میں ایک بھی مسلم عورت نظر نہیں آتی ہے۔ (مداخلت) سر، میں خود ایک مسلم عورت ہوں۔ اس ایوان میں ہم صرف دو خواتین ہیں۔ اس ناطے سےمیں یہ بات کہناچاہتی ہوں کہ اس بِل کے ذریعہ سے مسلم خواتین کو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ یہ ہمیں کچھ نہیں دینا چاہتے۔ صرف ٹوکنزم ہمارے نام پر بنا کر ایک نیریٹیو میڈیا میں پھیلا جا رہا ہے (مداخلت)۔۔ یہ بالکل مسلمانوں کی بھلائی کا نہیں بلکہ ان کی پہچان کو مِٹانے کا ہے، آخر میں، میں صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ

کاغذوں کی قید میں بس نام رہ جائیں گے
وہ جو ہمارے تھے صرف دعوے میں رہ جائیں گی

اس بِل کے ذریعہ میٹھی عید کے ذائقے کو کڑوا کرنا، یہی اصلی سوغاتِ مودی تھا۔۔۔

آپ کا بہت بہت شکریہ]

SHRI GURMEET SINGH MEET HAYER (SANGRUR): Thank you, hon. Chairman Sir. I rise to oppose the Waqf Amendment Bill.

Hon. Home Minister, Sir spoke at length about the Bill. He claimed that the NDA Govt. is a well-wisher of Muslims. But, Sir, actions speak louder than words. Empty words fail to provide seriousness to an important issue. The entire country knows what has been the attitude of BJP towards Muslims. Many Hon. Members have pointed out that although BJP claims to be a well-wisher of Muslims, it does not have even a single Muslim MP. In UP too, not a single MLA of BJP is Muslim.

Sir, this Bill is an attack not only on the Muslim community but also on the Constitution of India. Article 26 says that any minority can form an institute and administer that institute. It is an attack on minority institutes. Today, you have done it regarding Waqf Board. Tomorrow, you can do the same thing regarding SGPC of Sikhs. You can interfere in internal religious matters of all religions. The Constitution of India is at stake.

There is a provision in this Bill that only that person can donate a piece of land to Waqf who is practicing Islam for the last 5 years. What kind of definition is this? Will you install cameras in the houses of Muslims? How will you come to know whether they are practicing Islam or not? Article 14 is being violated here. It is being said that this Bill has been brought keeping in view the recommendations of the Sachhar Committee. Sachhar Committee also says that 70 per cent land of Waqf has been encroached upon by others. The Govt. has done absolutely nothing regarding this point.

Sir, this Bill furthers the divisive politics and agenda of BJP. Muslims have mosques and historical monuments that are many centuries old. How will they bring a legal document regarding those monuments? If someone lodges a complaint regarding any monument seeking documents regarding its ownership, what will the District Collector do? The D.C. knows about the agenda of this Government. He will just say that this property does not belong to Waqf. This Bill aims to encroach upon and control the properties of Waqf.

Sir, I am a Sikh and an elected MP from Sangrur Parliamentary Constituency. Malerkotla town is known after Nawab Sher Mohammad Khan. The younger Sahibzadas of Shri Guru Gobind Singh were walled alive in Sirhind. I hail from that area. Although BJP has tried to divide people, Malerkotla is an example of peaceful co-existence and brotherhood among Muslims, Sikhs, Hindus and Christians. I promised to the people of Malerkotla that I will oppose this Bill tooth and nail.

Sir, the BJP divides people on religious lines. It pulls the country backwards. This ? divide and rule? policy was devised by the British. Please leave this policy. The country can

only progress if all religions of the country live together amicably. Malerkotla town teaches us ? Unity in Diversity?. With these words, I strongly oppose this Bill.

Thank you.

श्री विजय कुमार हाँसदाक (राजमहल) : सभापति महोदय, आपने मुझे अपनी पार्टी, जेएमएम की तरफ से बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यहां सभी सदस्यों ने कानूनी दावपेंच पर बिन्दूवार अपनी-अपनी बातों को रखा है । मैं उनको वापस नहीं दोहराऊंगा, लेकिन सरकार जो कह रही है और उसकी क्या मंशा है, उसके बारे में मैं यहां पर बताना चाहता हूँ। किसी समाज के लोग किस तरीके से अपनी जमीन का दान करे, किस तरीके से धर्म का काम करे, अब उस पर भी इस देश में डायरेक्शन दिया जाएगा।

अगर लैंड इश्यू सेक्युलर है और जो भी लैंड है, वह इंडिया की है। यह बात हमें भी समझ में आती है कि चाहे सरकारी जमीन हो, गैर-सरकारी जमीन हो या किसी की भी जमीन हो, सभी भारत देश के अंदर ही आती हैं। लेकिन भारत देश में चाइना इतना अंदर घुसे चला जा रहा है, वहां पर बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, वे लोग आर्टिलरी ला रहे हैं, उस पर ये लोग कहीं बोलने नहीं जाएंगे। यूएसए में जाकर हमारे नेता ने, हमारे देश के सम्मान को एक तरह से वहां पर ? करके आ गए, जो सीना ठोक कर बात हो रही थी, तो सीना ठोक कर वहां बात होनी चाहिए थी। जिस तरह से आप अपने देश के माइनॉरिटीज के ऊपर दबाव और दबिश दिखाना चाहते हैं कि आप हमारे सनम नहीं तो आप किसी के भी सनम रहने लायक नहीं रहेंगे। जहां पर इन्हें बोलना चाहिए था, वहां पर ये बोल कर नहीं आए। उन्होंने वहां पर जो देश की स्थिति दिखाई, हम बहुत कमजोर दिखे। जिस तरह से लगातार कोशिश हो रही है, आज ये एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर प्रयास कर रहे हैं, आगे किसी और पर भी यह होगा और बाद में बाकी लोगों पर भी यह होगा। जितने भी देश के विजिट्स हुए और इनके उद्योगपति दोस्तों को जितने भी ठेक-पट्टे मिले, इस पर एक ही बात कही जा सकती है कि इनका एजेंडा कभी नेशन फर्स्ट नहीं रहा है, फ्रेंड फर्स्ट रहा है। चाहे वह रेलवे हो या आर्मी की जमीन हो और आज वक्फ बोर्ड के कानून में जो बदलाव हो रहा है, वह भी उसी दिशा में जा रहा है। कांस्टीट्यूशन अपहोल्ड करने की बात, महिलाओं की बात और बच्चों की बात की जा रही थी। देश में मणिपुर की जो स्थिति महीनों-महीनों रही, वहां पर ये कहां बच्चों और महिलाओं को बचाने गए? सिर्फ यहां पर घंटों-घंटों भाषण देने से थोड़े न कुछ हो जाता है। वह देश के अंदर की स्थिति थी और वहां की स्थिति को हम लोगों ने भली-भांति देखा है कि वहां पर किस तरह से लोगों को तकलीफ झेलनी पड़ी। शुगर कोटिंग करने से, कांस्टीट्यूशन, वूमेन अपलिफ्टमेंट, बच्चों की सुरक्षा, अनाथों की सुरक्षा, इन सब बातों से इनका कोई सरोकार नहीं है।

मैं यह कह सकता हूं कि कोई भी धर्म इस देश में फॉलो कराइए, हमारे संविधान की तरफ से यह अधिकार मिला हुआ है कि हम कोई भी धर्म मानें, कर्म करें और डोनेट करें, लेकिन आज उसमें भी इन्हें दिक्कत होने लगी है। ये जिस तरह से कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं, वही सबसे सही है। हम इतने सालों के बाद जो संशोधन लाए हैं, हमारी जो सोच है, वह बहुत अच्छी है। मैं उस सोच के ऊपर अंगुली उठाना चाहता हूं। क्योंकि इनकी सोच है कि इन्होंने कहा है कि लैंड का इश्यू स्टेट का इश्यू होता है। स्टेट्स की तरफ से भी सजेशंस लिए जाने चाहिए थे और उनको इसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए था। जेपीसी कमेटी की रिपोर्ट को भी यहां इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया।? (व्यवधान)

सर, आप हमें थोड़ा समय दीजिए। जेपीसी की बातों को भी इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। दस सालों से बहुत सारे मुद्दों पर इनकी नजर नहीं गई। बेरोजगारी, रोजगार और महंगाई पर इनकी नजर नहीं गई, लेकिन लैंड के इश्यू पर इनकी नजर जरूर गई। मैं यह भी कहूंगा कि रेलवे की सबसे ज्यादा जमीन, आर्मी की सबसे ज्यादा जमीन और इसके बाद वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा जमीन है, लेकिन दस सालों में इस देश में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा जमीन बनाई, यह इस सदन के सभी लोग और सदन के बाहर के लोग भी जानते हैं।

सर, मैं लास्ट में चार पंक्ति कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। आज ये लोग उसके ऊपर दर्शा रहे हैं।

?गाली को प्रणाम समझना पड़ता है
मधुशाला को धाम समझना पड़ता है
आधुनिक कहलाने की अंधी जिद्द में
रावण को भी राम समझना पड़ता है।?

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती कमलजीत सहरावत (पश्चिम दिल्ली) : माननीय सभापति जी, आज वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर आपने मुझे अपनी पार्टी का पक्ष रखने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूं। मैं इस बिल को लाने के लिए यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सोच और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजीजू जी का धन्यवाद करती हूं कि आज सदन में वक्फ का वास्तविक उद्देश्य पूरा करने के लिए संशोधन बिल सदन में पेश किया गया।

महोदय, वक्फ की जब बात आती है तो परिभाषा समझनी बहुत जरूरी हो जाती है। इस्लाम में ज़कात और सदका से आगे बढ़कर सदक-ए-ज़रिया को ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। सदक-ए-ज़रिया अर्थात प्रॉपर्टी का ऐसा दाम जिसमें प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट करके मुस्लिम समाज के सभी वर्गों का सामाजिक और आर्थिक कल्याण किया जा सके। आज दान की परिभाषा क्या है? कुरान शरीफ के चैप्टर 2, सूरह अल-बक़रा और सूरह अल-अम्मारा के वर्ष 215 और 134 में इसकी इसी भावना को प्रदर्शित किया गया है।

महोदय, आजादी से पहले भी कानून बने, आजादी के बाद वर्ष 1954 में वक्फ एक्ट बनाया गया और समय-समय पर अमेंडमेंट्स किए गए, परिवर्तन किए गए। मेरे विपक्ष के साथियों ने बहुत लंबी बातें रखी हैं और अनेक तकरीरें दी हैं, लेकिन इन तकरीरों में इस कानून में संशोधन क्यों न किया जाए, इस पर कोई भी जस्टिफिकेशन उनकी तरफ से नहीं आया। आज विश्व की सबसे अधिक संपत्ति भारत के वक्फ बोर्ड के पास है। सारी संपत्ति का उपयोग भारत के मुस्लिम समाज के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए होना चाहिए। सच्चर कमेटी ने वर्ष 2006 में अपनी रिपोर्ट दी और इसके अनुसार उस समय 4.9 लाख रुपये की संपत्ति भारत के वक्फ बोर्ड के पास थी, लेकिन आय होती है मात्र 126 करोड़ रुपये, जबकि सच्चर कमेटी उसी समय पर कहती है कि यह आय 12 हजार करोड़ रुपये होनी चाहिए।

महोदय, वक्फ संशोधन बिल को सदन में लाया गया है, यहां स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष के साथियों ने आज इसे भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। मुझे बहुत हैरानी हुई कि कांग्रेस के उपनेता ने कहा कि इस बिल के आने से, वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल के आने से इस्लाम खतरे में है। इससे भी बड़ी बात उन्होंने मजाक की कही कि अगर वह न होते, उनकी पार्टी के पूर्वज न होते तो आजादी नहीं मिलती। उनके पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी और उन्होंने हमारे पूर्वजों पर सवाल उठाया। मैं आदरणीय साथी को यह बात याद दिलाना चाहती हूं कि अगर उस समय नेहरू जी की कैबिनेट में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी नहीं होते तो आज इनके नेता राहुल गांधी जी अपनी यात्रा शुरू करने से पहले किसी परमिट की लाइन में लगे होते और वहां उनको जाने की आज्ञा नहीं मिलती। आज ये भ्रम फैला रहे हैं। इस देश के अंदर इस्लाम के आधार पर फर्क करने वाले लोग तो वर्ष 1947 में देश छोड़कर चले गए। आज इस देश के अंदर जिस भी धर्म के व्यक्ति रहते हों, चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों या ईसाई हों, इस देश को अपना देश मानते हैं और इस देश के प्रति आस्था और भावना रखते हैं :-

महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने देश के बारे में कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूं :-

'मंदिर' में दाना चुगकर चिड़िया 'मस्जिद' में पानी पीती है,
मेरे भारत में तो 'राधा' की चुनरी, कोई 'सलमा' बेगम सीती है।
एक 'रफ़ी' था महफ़िल महफ़िल 'रघुपति राघव' गाता था,
एक 'प्रेमचंद' बच्चों को 'ईदगाह' सुनाता था।
कभी 'कन्हैया' की महिमा गाता 'रसखान' सुनाई देता है,
किसी को दिखते होंगे 'हिन्दू' और 'मुसलमान',
मोदी जी को तो हर शख़्स के भीतर 'इंसान' दिखाई देता है।

सभापति जी, अपना-अपना नजरिया है। आज मैं ज्यादा बातें न करते हुए दो मिनट में अपनी बात यह कहकर समाप्त करूंगी कि एक बार भी वहां से विषय नहीं आया कि इतना बड़ा लैंड बैग फिर भी वर्ष 2024 में घटते-घटते आय 1 करोड़ 26 लाख रुपये हो गई। मेरे साथियों के पास क्या इस बात का कोई जवाब है? वक्फ बोर्ड की हिमायत में ये लोग बोले, लेकिन एक भी सवाल उनकी तरफ से नहीं उठा। वर्ष 2006 में 4 करोड़ 9 लाख रुपये की संपत्ति वर्ष 2024 में बढ़कर 8 करोड़ 72 लाख रुपये हो गई। लेकिन वर्ष 2019-20 में 150 करोड़ रुपये की आय वर्ष 2024 तक आते-आते मात्र 1 करोड़ 26 लाख रुपये हो गई। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, जिसकी मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। मंत्री जी ने सेक्शन 40 को हटाया, इसके लिए मैं उनको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूं। मैं इस सेक्शन की पीड़ित हूं, आप कहेंगे कैसे? मैं दिल्ली के अम्बारी गांव से हूं और मेरा गांव द्वारका के बीच में आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल कुछ लोग वहां पर आ गए। उन्होंने हमारे पूजा के स्थान को, जहां हम अपने बाबा की पूजा सैकड़ों सालों से करते हैं, आकर कहा कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है। ऐसा सिर्फ मेरे अम्बारी गांव में ही नहीं, बल्कि पोचनपुर गांव में, गोयला गांव में ? (व्यवधान) मैं इस बात की प्रत्यक्ष गवाह हूं।

माननीय सभापति : आप बैठिये।

श्रीमती कमलजीत सहरावत : मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगी। आप इतना तो मौका दीजिए। आप कहेंगे कि चिराग के नीचे अंधेरा है। आप दिल्ली वक्फ बोर्ड के पोर्टल को उठा कर देख लीजिए। ? (व्यवधान) मैं आपसे बात कर लूंगी। अभी मेरा समय कट जाएगा, मैं बेकार में खराब नहीं करूंगी।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्रीमती कमलजीत सहरावत : दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास 1047 प्रॉपर्टीज़ हैं। आप उनका किराया देखिये कि एक रुपये से लेकर 11 रुपये तक है। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी।

श्री किरेन रिजिजू : आप इनको वाइंड-अप करने दीजिए। ? (व्यवधान)

श्रीमती कमलजीत सहरावत : दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ एक रुपये से 11 रुपये के किराये पर है। मैं सरकार के इस अभूतपूर्व फैसले का स्वागत करते हुए कहना चाहती हूं, मेरी बहन ने वहां से बहनों के बारे में बोला। अरे, कभी नहीं सोच पाएं कि क्या कोई अकेली महिला हज पर जा सकती है। कभी तीन तलाक के बारे में नहीं सोचा।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप प्लीज बैठिये।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी।

श्री किरेन रिजिजू : आप टेंशन में मत आइये, मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूं। मैं सूचना देने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज सदन देर तक चलाने के लिए हम सब ने एग्री किया है और सदन बहुत देर रात तक चलेगा। सब सदस्य बैठ कर मेहनत से चर्चा में भाग ले रहे हैं, इसलिए उनके लिए डिनर का अरेंजमेंट किया गया है। एमपी के लिए डाइनिंग हॉल, फर्स्ट फ्लोर पर है। मैम्बर्स के लिए डिनर का बंदोबस्त किया गया है। आप 8 बजे के बाद, जो-जो माननीय सदस्य भोजन लेना चाहते हैं, आप जाकर भोजन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा भोजन बना है, आप उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। धन्यवाद।

SHRI SUBBARAYAN K. (TIRUPPUR): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. There are several issues in this country which needs proper legislation. But you can very well understand the concern and necessity for making this legislation leaving all those problems aside. We can understand why the rulers of the day are bringing this Bill with utmost importance on the basis of the lessons taught to them by R.S.S. This has been proved in a candid manner in their 100 year old history. I do not want to list them. Because I have paucity of time. You should not minimise the time allotted to Opposition parties if you want to pass any legislation. Hon. Ministers and MPs belonging to the Treasury Benches are again and again speaking on this Bill. This is improper in a democratic set-up. I will conclude my speech after placing my views in this august House. I therefore do not want you to ring the bell to make me conclude my speech. I oppose this Amendment Bill for two reasons. I oppose on behalf of the Communist Party of India. On one hand, this Bill is categorically rejecting the Constitutional provisions. On the other hand, since the conception of this Bill till the recent intervention made by Hon Minister of Home Affairs in this House, their approach has been undemocratic and dictatorial. There is not even a little presence of democratic ideals. While considering these two aspects, I strongly oppose this Bill in the real sense. Similarly, Golwalkar, the leader of RSS while teaching political lessons, taught them about three enemies. First one being Muslims, second the Christians, and third group is the Communists. He taught them about these three enemies of India in their perspective. Out of which they have targeted their first enemy the Muslims through this Amendment Bill. You can understand how technically they are making their efforts in their target of affecting Muslim community. They are creating divisions among minorities. How

crooked is their intention. This includes their actions of making divisions among minorities in the name of Christians, Sikhs, Jains etc. This shows their sadistic attitude of getting happiness by harassing the minorities. I want to say more. Our hon. Minister also spoke here. He spoke in an agitated manner. He challenged us. Time is revolving. You should not wait 30 years, the people of India will teach you a befitting lesson in the next Election itself. They will give a suitable judgement. Just wait for that to happen. We need not worry about that. I want to say something as my reply to what Hon. Minister of Home Affairs said in this House. Why the temple lands are not considered? These are lands belonging to Waqf boards. If the land is given to Waqf Board by the government, then they have a right to take them back. There is no issue. But lakhs of acres of land are attached with Hindu temples. Poor people are ploughing these lands as slaves for decades together. They do not have the rights on these lands. I urge that this Union Cabinet should bring a legislation for providing land to these landless labourers so that they have their own homes to live. They talk about vote-bank politics. I do not understand. I strongly oppose this Waqf Amendment Bill. Thank you.

SHRI TANGELLA UDAY SRINIVAS (KAKINADA): Sir, I rise to stand in support of the Waqf (Amendment) Bill 2025, a reform aimed at ensuring efficient management of waqf properties across India.

Sir, India's Waqf Board collectively managed land spanning over 36.18 lakh acres. These assets valued at over lakhs, over crores, hold immense potential for public welfare, yet they are plagued by corruption, mismanagement and encroachments.

I would like to thank our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modiji, and the Minister of Minority Affairs, Shri Kiren Rijijuji, for bringing this crucial Bill and referring it to the Joint Parliamentary Committee for detailed discussions. I also appreciate the efforts of the Joint Parliamentary Committee in refining this Bill through extensive deliberations and expert consultations.

Sir, one of the key amendments in this Bill addresses the Waqf Tribunal structure. Previously, Tribunal decisions were final, leaving no redressal mechanism for aggrieved

parties, resulting in prolonged disputes and a backlog of cases. To remedy this, the Bill initially proposed restructuring the Tribunals to consist of a District Judge as the Chairman and an officer of Joint Secretary rank in the State Government.

However, after extensive review, the JPC has suggested that an officer above the rank of Collector be designated by the State Government to conduct inquiries into disputes over waqf property claims. This ensures that wrongful claims on the Government land are handled objectively, free from local administrative biases. I must acknowledge the constructive role played by the Telugu Desam Party in advocating for this amendment.

Sir, one of the key challenges in Waqf property management has been the lack of transparency and accessibility in land records. In many cases, outdated or missing records have led to manipulation of land ownership details, leading to widespread encroachments and legal ambiguities.

As per the original amendment, the State Government was required to upload the notified list of waqf properties on a centralized portal within 15 days of its publication in the Official Gazette. However, recognizing the logistical challenges, the JPC has now recommended extending this timeframe to 90 days. This extension strikes a balance between the need for prompt publication and the practical challenges involved in compiling and verifying extensive land records.

The digitization of waqf records will also empower community stakeholders to monitor the status of waqf assets and hold authorities accountable.

Under the leadership of Shri Pawan Kalyan Garu, the Jana Sena Party have always stood for fairness, inclusivity and the protection of marginalized communities. Our commitment is clear. This Bill will not hamper the rights of our Muslim brothers and sisters. Rather, it will strengthen their legal safeguards and ensure that waqf properties will truly serve the purpose for which they were established.

I firmly believe that with the passage of this Bill, we will lay the foundation for a more accountable, efficient, and transparent waqf administration. Therefore, I firmly stand in support

of this Bill. Thank you. Jai Hind!

श्री मियां अल्ताफ अहमद (अनन्तनाग-राजौरी) : सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

सर, मैं इस बिल की मुख़ालिफ़त में खड़ा हुआ हूं। यह बिल गैर-आईनी है, गैर-कानूनी है। हिंदुस्तान के आईन की सबसे अहम बात यह है कि इस मुल्क में हर एक को बराबर का हक है, वह चाहे किसी भी मज़हब का हो, किसी भी ज़ात का हो या कहीं का भी रहने वाला हो।

सर, खासतौर पर इस आईन में माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया गया है। लेकिन, यहां पर जो कुछ किया जा रहा है, जो कानून लाया जा रहा है, वह माइनॉरिटीज के खिलाफ है। यह जितनी भी एक्सर्साइज़ हो रही है, वह हम लोगों के खिलाफ है। यह जो कानून है, इसे स्टेट गवर्नमेंट्स को लाना था। आपने स्टेट गवर्नमेंट के अख्तियारात पर भी हमला किया, आपने उनको भी छीना और यहां मुश्तरका तौर पर यह कानून लेकर आ गए।

जिस तरीके से जेपीसी बनाई गई या जिस जल्दी में जेपीसी ने जो कुछ किया, वह भी पूरी दुनिया जानती है। मैं इस बिल की मुख़ालिफ़त इसलिए भी करता हूं, क्योंकि हमें अपने मुल्क भारत पर फर्क है। इसका दानिश्वर, इसका मुफ़क्किर और अच्छी सोच रखने वाला आदमी, चाहे वह किसी भी मज़हब से ताल्लुक रखता हो, चाहे वह किसी भी ज़ात से ताल्लुक रखता हो, चाहे वह किसी भी ख़ित्ते से ताल्लुक रखतो हो, वह समझता है कि यह बिल एक खास तबके के लिए लाया गया है। इस बिल में उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ लेने की कोशिश की गई है। यह बात हिंदुस्तान का हर एक आदमी समझता है।

<u>20.00 hrs</u>

माननीय सभापति : अहमद साहब, एक सेकेंड रूकिए।

माननीय सदस्यगण, हमारे पास इस विषय पर बोलने वाले माननीय सदस्यों की बहुत लंबी सूची है। अगर सभा की सहमति हो, अगर सभा हाँ कहे तो तो 10 बजे तक सभा चलेगी।

अनेक माननीय सदस्य : हाँ।

माननीय सभापति : धन्यवाद।

अल्ताफ अहमद जी, आप बोलिए।

श्री मियां अल्ताफ अहमद : सर, यह बिल सोसायटी को डिवाइड करेगा। हमारा मुल्क हिन्दुस्तान पूरी दुनिया में सेक्युलरिज्म के लिए मशहूर है। यह बिल लाने से और इस किस्म के कानून बनाने से पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का जो सेक्युलरिज्म का कैरेक्टर है, उस पर क्वेश्चन मार्क लगता है। हमें इस बात का दुख है कि हिन्दुस्तान का जो सेक्युलरिज्म है, उस पर किसी किस्म की कोई आँच आये। इसके साथ-साथ इतना कुछ कहा जा रहा है, इतना इस मुल्क में इस बिल पर पिछले तीन महीने से लोगों के जज्बात को भड़काया जा रहा है, क्योंकि आज की यह हुकूमत

बेरोजगारी के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, महँगाई के लिए कुछ भी नहीं कर रही है और लोगों की अटेंशन को डायवर्ट करने के लिए इस किस्म की चीजें की जा रही हैं ताकि बुनियादी मसलों की तरफ लोग आवाज बुलन्द न करें । इसी तरह हम मुसलमानों का यह खदशा ठीक है कि हमारी जमीनें जो हैं, वक्फ की जो जमीनें हैं, जो मुसलमानों की जमीनें हैं, किसी न किसी तरीके से उनको लेने की कोशिश की जा रही है । इसमें जो हमारे खदशात हैं, जो हम कह रहे हैं, उसके बारे में कोई भी ऐसी ठोस चीज नहीं बतायी गयी है, जिससे हमारे खदशात दूर हों ।? (व्यवधान) सर, मुझे दो मिनट का समय और दे दीजिए ।

सर, यह मुल्क एक गुलदस्ता है । यह मुल्क फूलों का गुलदस्ता है । अगर इसमें एक फूल या कुछ फूल खराब हो जाएं तो फिर इस गुलदस्ते की कोई इज्जत नहीं रहती है । इस मुल्क की इज्जत पूरी दुनिया में तभी होगी जब इसमें हर आदमी, इस गुलदस्ते का हर फूल मुतमइन हो और उसकी इज्जत हो । सर, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूँ ।

अगर यहाँ पर वक्फ की मैनेजमेंट के मसलों के लिए, जिनका बार-बार यहाँ जिक्र किया गया, अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम्स थीं, कुछ उसमें कमजोरियाँ थीं, उनको दूर किया जा सकता था । लेकिन इस तरीके से पूरे कानून को बदलने का कोई मकसद नहीं है । इसी तरह जो बार-बार यहाँ पर कहा गया कि हम इसमें बैकवर्ड मुस्लिम्स को कंसेशंस दे रहे हैं ।? (व्यवधान) सर, मैं पूछता हूँ कि यह कहाँ लिखा हुआ है कि बैकवर्ड मुस्लिम को यह दिया जा रहा है, गरीब मुस्लिम को यह दिया जा रहा है ।? (व्यवधान) सर, मैं एक मिनट में कंप्लीट कर रहा हूँ ।? (व्यवधान) यह कहाँ लिखा हुआ है?? (व्यवधान) हम इनसे पूछते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है, जो बार-बार ये बैकवर्ड मुस्लिम, बैकवर्ड मुस्लिम कह रहे हैं ।? (व्यवधान) आप मुस्लिम्स को यूनाइट रहने दीजिए ।? (व्यवधान) आप तोड़ने की कोशिश मत कीजिए ।? (व्यवधान) इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है ।? (व्यवधान) बार-बार यह जिक्र किया जा रहा है ।? (व्यवधान)

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Hon. Chairperson, Sir, thank you for the opportunity.

I rise to oppose the Waqf (Amendment) Bill, 2025. It is a direct assault on the principles of justice, fairness, and religious autonomy enshrined in the Constitution. Today, the ideals of equality and fairness are being challenged by the forces seeking to divide and marginalize.

The Waqf Bill is not just a legislative proposal. It is a test of our commitment to justice -- a contest between fairness and discrimination, the principle of our Constitution, and the politics of exclusion.

The proposed amendments directly violate the Articles 14, 25 and 26 of the Constitution. My colleagues have elaborately discussed about it. So, I do not want to get into the details. I

would like to mention a few points. One issue, which deeply concerns me, is about allowing non-Muslim members into the Waqf Board and Council. As the Minister said, this is not like a Defence Ministry, which is a Government property. This is a Waqf Bill and not a Government property and governed by a Muslim law. How can you go and appoint non-Muslim members in this Waqf Board?

My concern is this. You are saying that the Government can appoint people. What is the guarantee that you will not appoint RSS/BJP people in the Waqf Board, which can create permanent tension? What is the guarantee that you will not appoint non-Hindu members into the Hindi Endowment Board; non-Sikh members into the Gurudwara Committees; and non-Christian members into the Church management? I am warning you that you are sowing poisonous seeds in this country, the harmonious land, which will hurt us very badly.

You do not want this country to move forward. You do not want to talk about education, employment, economic growth, social justice, and harmony. You do not want to talk about science, technology, and Artificial Intelligence, the very engines that drive modern nations. Instead, you focus on Hindu-Muslim. How long are you going to talk about this? Be it a Hindu, Muslim or Sikh, we all want one thing -- we all want peace; we all want prosperity; we all want happiness; and we all want harmony. But this Government is not providing it. This Government is going opposite to this thinking.

You are stuck in the past. You are living in the era of Babar and Aurangzeb. This is not enough for you. Now, you have started digging the 300-year-old graves. You are not ready to acknowledge the present. You are not ready to acknowledge the Indian Independence movement ? the world?s biggest and successful movement. Why is it so? You did not take part in this and that is why you are not acknowledging the Indian Independence movement. But the Muslim brothers and sisters are not like that. They have fought shoulder-to-shoulder with other Indian brothers ? Hindus, Muslims, Sikhs. Everybody fought together for the freedom struggle. When our heroes were sacrificing their life, your ancestors were writing mercy petitions to the British.

Every time, your people are saying, ?go to Pakistan?, you should recollect that when the Indian Muslims had a choice and when India-Pakistan was being divided, they chose this country as their land. If they have a choice, they will still choose this country. This should be respected because it is their country also. You cannot discriminate them.

I have one more issue. You are saying ? (*Interruptions*) I have got time to speak. ? (*Interruptions*) Section 3 (ix)(a) of this Bill introduced an arbitrary restriction by saying that non-Muslim cannot donate to waqfs. How can you say this? Further, you are saying about ?five-year practising Muslim?. How will you find out if somebody is practising Muslim or not? Are you going to put a geotag or are you going to put a chip in their brain or you are going to put ? Pegasus? on their phone? What is the guarantee that tomorrow you would not ask me to prove that I am a practicing Hindu? Dr. Amar Singh ji is a practicing Sikh. Is this what you want to do to this country? Is this important for this country? This is what I want to ask from you.

Now, technically, you are preventing us from what we wanted to do. You want to dictate what we want to study, what we want to eat, and how many languages we want to learn. This is what you are imposing on us. This imposition is not acceptable to us.

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): Thank you, Sir, for this opportunity to support this historic Bill to undo the Constitutional fraud that was imposed on this country by the Congress Party over the last seven decades. ? (*Interruptions*)

Through the Waqf (Amendment) Bill from 1954, 1995 to 2013 Amendment, the Congress Party created a parallel Government system, an extra Constitutional apparatus wholly Unconstitutional in nature that was more powerful, more draconian, a Frankenstein monster more powerful than an elected Government and the judiciary combined. ? (*Interruptions*)

I will take a minute to explain to you the Constitutional fraud that was played on this country. ? (*Interruptions*) The draconian provision of Section 40 was introduced in the 2013 Amendment. This Section 40 gave the Waqf Board the powers to declare any land it ? believed? and that is the word. I will read it: ?Section 40 gave the power to the Waqf Board to declare any land it believed to be waqf land?. No documentation was required. No evidence

was required. Any land it believed, it could declare it as waqf property. After such declaration under section 40, sections 6 and 5 mandated the revenue authorities to compulsorily change revenue records and mutation register without even affording an opportunity to be heard for the affected parties.

Sir, the concept of section 40, ?Waqf by User? and ?Oral Waqf? was a potent cocktail that enabled the Waqf Board to usurp any land that it wished. And those who had a problem with this were forced to go before the Waqf Tribunal and this Waqf Tribunal was a kangaroo court. The Waqf Tribunal's orders were final and you could not even go and appeal. On top of this, you had the Limitation Act. If you were an aggrieved party, you had only one year to go before the Waqf Tribunal whose order was final. But if you were the Waqf Board, you had no Limitation Act applied on you. Even after 500 years or 1000 years, you could go and start a claim. ? (*Interruptions*) This was the Frankenstein monster that was created by the Waqf Act of 2013, where the Waqf Board was judiciary, legislature, and executive; all rolled in one. There was no concept of separation of powers.

सर, देश तो छोड़िए, विश्व में ऐसी कोई बॉडी नहीं है, जिसमें वकील भी आप हैं, जज भी आप हैं, जूरी भी आप हैं, एग्ज़िक्यूशनर भी आप हैं। ऐसा एक फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर को कांग्रेस पार्टी ने वक्फ, 2013 अमेंडमेंट के माध्यम से इस देश में लागू किया था। Due to this, what happened in this country? मैं कर्नाटक से आता हूँ और लिंगायत वीरशैव परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण जो वहां के मठ हैं, अनुभव मंडप बसवन्ना के ऊपर वक्फ बोर्ड ने क्लेम लगा दिया है। विजयपुरा जिले में 15000 एकड़ ज़मीन का कब्ज़ा वक्फ बोर्ड ने किया है। In one district, 15,000 acres! सर, आप सोचिए कि जिस ज़मीन पर आप, हज़ारों सालों से आपके पिता जी, आपके बुज़ुर्ग लोगों ने वहां खेती की है, वहां उनका देहांत हुआ है, जहां सब कुछ आपके परिवार का है, उसी ज़मीन पर आपको वक्फ बोर्ड ने रातों-रात एनक्रोचर डिक्लेयर कर दिया है। सर, कर्नाटक में चार-पांच ऐसे जिले हैं, जहां सीरीज़ में किसानों की आत्महत्या हो चुकी है। This is the result of this 2013 draconian amendment.

हम आज यहां बैठे हुए सभी को सुन रहे थे, सभी इक्वैलिटी की बात कर रहे थे। सर, मैं आज विपक्ष से पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि वक्फ बोर्ड जैसी बॉडी क्रिश्चिन के लिए इस देश में क्यों नहीं है, बुद्ध धर्म के लिए क्यों नहीं है, जैन के लिए क्यों नहीं है?? (व्यवधान) हिंदू के लिए भी नहीं है। ओवैसी साहब, आप गलत बोल रहे हैं। Do not mislead the country. ? (*Interruptions*) You cannot compare HRC with Waqf Board. These

are two different things. आज हम इस वक्फ बिल के माध्यम से we have removed section 40 and we have put a full stop to this draconian 2013 Act. We have also brought in the Limitation Act that will apply on the Waqf Board.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

SHRI TEJASVI SURYA : Sir, there are questions that are being asked. Why are non-Muslims added in Waqf Board and Waqf Council? A detailed explanation has been given that waqf is different, the nature of the work of the Waqf Board is different, and the Waqf Board and Waqf Council are secular in nature. I also want to add something. सर, वर्ष 2013 से पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का जो ज्यूरिस्डिक्शन था, वह सिर्फ मुसलमान के ऊपर लागू होता था। वर्ष 2013 में कांग्रेस सरकार के संशोधन लाने के बाद वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल का ज्यूरिस्डिक्शन नॉन-मुस्लिम्स के ऊपर भी लागू हुआ।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI TEJASVI SURYA : In 2013, they expanded the jurisdiction of the Waqf Tribunal to include non-Muslims. If you can include the non-Muslims under the jurisdiction of the Waqf Tribunal, why cannot non-Muslims have representation in the Waqf Council and Waqf Board? यह बहुत नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है। ये लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं।

सर, आज मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के सेकुलरिज्म का डबल स्टैंडर्ड्स क्या है। In 1991, the Congress Party introduced in this very august House the Places of Worship Act. In this Act, they created a legal bar on the Hindu community to even approach the court to legitimately claim any place of worship even though the Hindu community did not have any claim. For the Muslims in 1995, they gave the Waqf Act under which they could take any action. ? (*Interruptions*)

सर, मैं आज ओवैसी साहब को बताना चाहता हूं।? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Please speak to the Chair.

? (*Interruptions*)

श्री तेजस्वी सूर्या : ओवैसी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं।? (व्यवधान) सर, मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं। हिन्दू को आपके एक इंच जमीन की भी जरुरत नहीं है, जो आपके खुद का रियल जमीन है। The Hindu has never aspired this.

सर, वाजपेयी जी ने उल्लेख किया था कि हिन्दू के इथोज क्या हैं, सिविलाइजेशन मैसेज क्या है । मैं अपने भाषण को वाजपेयी जी के इस कविता के साथ समाप्त करता हूं:

होकर स्वतन्त्र मैंने कब चाहा है कर लूँ सब को गुलाम?
मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम ।
गोपाल?राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया?
कब दुनिया को हिन्दू करने घर?घर मे नरसंहार किया?
कोई बतलाए काबुल मे जाकर कितनी मस्जिद तोडी?
भूभाग नहीं, शत?शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय ।
हिन्दू तन?मन, हिन्दू जीवन, रग?रग हिन्दू मेरा परिचय!

HON. CHAIRPERSON: Mr. A. Raja, what is your point of order?

? (*Interruptions*)

SHRI A. RAJA : Sir, as per Section 352, the hon. Member misled the House. Section 40 says, if the Board reliably learnt that there is a Waqf property, it cannot take that on its own. An inquiry must be initiated under the Act by exhausting Sections 4, 5 and 6. A person cannot grab the property.

HON. CHAIRPERSON: I have heard you.

Shri Asaduddin Owaisi.

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, the hon. Member has named me. What I am going to say will decrease his ignorance and decrease his arrogance also. In Article 25, the definition of Hindu includes Jain, Sikh, and Buddhist. He should also know, coming from a Brahmin community, that the *prasad* in Tirupati Devasthanam ? (*Interruptions*) Let me complete. ? (*Interruptions*) You know very well that the *prasad* in TTD is only made by Brahmins, not only for a particular sect. ? (*Interruptions*) Does he disagree with what Mr. Advani and Ms. Sushwa Swaraj did by supporting the 2013 Act? ? (*Interruptions*) You are opposing your own leadership. You are making a fun of yourself over here.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Dr. Thol Thirumaavalavan.

DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. I strongly oppose this Waqf Amendment Bill. This Bill is not only against Muslims but also against the country. This is against the Constitution of our country. This Bill is against the Unity and Integrity of our country. On behalf of Viduthalai Chiruthaigal Katchi, I strongly condemn this Bill.

This Bill is like a conspiracy to acquire all the properties of Muslims. This will be justified only if the property created by Muslims for their welfare, was governed by them. But in the Management Committee created for this purpose, out of 11 members, 7 non-Muslims are included in the Board. At the National level Central Council, out of 22 persons, 12 are from non-Muslim communities. You have, through this Bill, made such provisions of nomination of non-Muslims to Management Committee. How this could be justice? Your politics of hatred against Muslims is increasing day after day. This is fascist attack on Muslims.

You already brought CAA. You demolished Babri Masjid. You already destroyed Jammu and Kashmir. Today, by bringing this Bill, you are expressing your politics of hatred against Muslims. I want to say that this is right-wing majoritarian fascist attack. In order to destroy the unity among Muslims, you have aimed to create separate Waqf Boards for Aghakhani Muslims, Shia Muslims and Bohra Muslims. This is the worst fascist attack.

You have already been dividing Hindus in the name of castes. You have divided the Scheduled castes people as separate groups. You are upholding separatism by creating multiple splits among various Muslim communities. I want to strongly condemn on behalf of my party, VCK.

You are using Rijiju a Minister, belonging to a Buddhist minority which is a religious minority, to target Muslims. You take hold of a democratic tool to dig a grave for democracy itself. Similarly, you are using a Minister belonging to a minority group to target another minority community, the Muslims. This is an attack against the unity of Muslims. I strongly condemn this.

In Bodhgaya, in Mahabodhi temple, you have included non-Buddhists in the Temple Management Committee. Buddhist monks are taking part in agitations against the move of this

government. But this government is viewing this as a mute spectator. Hon. Minister of Home Affairs was making fun while delivering his speech in this House. He tried to act as a more judicious person terming the Congress party and their Allied parties said to be threatening the Muslims on the basis of vote-bank politics. I on behalf of Viduthalai Chiruthaigal Katchi, VCK strongly condemn this attitude of Hon Minister and the government.

In order to make the dreams of Savarkar into a reality, the staunch followers of Savarkar who are in the ruling dispensation are disappointing Muslims; suppressing Christians; and threatening Jains and Sikhs of the country. Therefore, this Bill is against the Unity of India. This is against religious harmony. This is against the Constitution framed by our revolutionary leader Dr B. R. Ambedkar. I therefore strongly condemn this legislation.

Thank you for this opportunity. Thank you. Vanakkam.

श्री राजा राम सिंह (काराकाट) : सभापति महोदय, आज 2 अप्रैल है, एक ऐतिहासिक दिन है और अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है, वह आज से ही लागू होने वाला है। यह ऐतिहासिक इस मामले में भी है कि हम उस पर चर्चा नहीं करके, माननीय मंत्री जी ने जो बिल पेश किया है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका ने कृषि उत्पादों पर भारत को धमकी दी है कि वह टैरिफ कम करे। उस जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, जो मैनचेस्टर के कपड़ा मिलों को थोपने के लिए ढाका के मलमल के कारीगरों के हाथ तक कटवाती थी। इतिहास फिर दोहरा रहा है।

<u>20.24 hrs</u> (Shri Dilip Saikia *in the Chair*)

उस समय भी कुछ ताकतें फांसी पर चढ़ रही थीं, गोली खा रही थीं, आजादी की लड़ाई लड़ रही थीं। हमें लगा था कि इस बार, जिन लोगों को मौका उस समय नहीं मिला था, शायद अपनी भूल सुधारेंगे। लेकिन नहीं, हम देख रहे हैं कि फिर इतिहास दोहरा रहा है और फिर वे एजेंडा को डॉयवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आज का एजेंडा था, उस एजेंडा पर चर्चा नहीं कराके दूसरे एजेंडे पर चर्चा को ले जा रहे हैं। देश में पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को बढ़ाने के लिए वे यह एजेंडा सामने ला रहे हैं। ये आधा काम पार्लियामेंट से करते हैं और आधा काम एक और संस्था है जो बाहर करती है। गांव-गांव में कहा जाता है कि इनका जमीन खाली होगा तो तुमको मिलेगा। क्या मंत्री जी पार्लियामेंट में घोषणा करने वाले हैं कि भूमि सुधार पूरे देश में लागू किया जाएगा। सारे गरीबों को जमीन दी जाएगी। क्या आप यहां ऐलान करेंगे? ऐसा कुछ नहीं करना है। अडानी को ही सारी प्रॉपर्टीज देनी है, लेकिन इस बिल के जरिए सोसायटी में एक डिवीजन पैदा करना है। मुसलमानों को और कार्नर में धकेलना है। ललन जी कह रहे थे कि यह सेकुलरिज्म के लिए है, यह सेकुलर बिल है। आज वक्फ बिल और मुसलमान वक्फ बिल का निरसन दोनों एक साथ पेश किया गया

है, ऐसा न हो कि देश में मैसेज न जाए, मैसेज क्लियर करने के लिए मुसलमान वक्फ बिल को भी बहस के लिए लाया गया है । मैसेज साफ जाए कि बीजेपी क्या कहना चाहती है, सरकार क्या कहना चाह रही है, देश में पोलराइजेशन करना चाह रही है ।

हम इस बिल के खिलाफ हैं, इसे बंद कीजिए । अभी एक बात आई कि ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ लॉज हो रहा है । हम कहना चाहते हैं कि दो रंग का कानून मत चलाइए । महाबोधि टेंपल में बौद्धिस्टों का पूरा मैनेजमेंट रहे, इसके लिए लंबे समय से महाबोधि के बौद्ध लोग लड़ रहे हैं, लेकिन आप उसमें दूसरा नीति लिए हुए हैं और यहां दूसरा नीति है । देश में दो कानून मत चलाइए । इसी सेशन में इसके पहले आपने भाषा के सवाल पर यहां लंबा विवाद खड़ा किया, हिन्दी-तमिल । उस समय अनसिविलाइज्ड और अनडेमोक्रेटिक तरीका अपनाया गया । कभी भाषा, कभी धर्म के आधार पर, कभी हिन्दू, कभी भाषा के आधार पर ये काम मत कीजिए । हिन्दी, हिन्दू और हिन्दुस्तान की राजनीति से बाज आइए । मैं इस बिल का अपोज करता हूं । धन्यवाद ।

SHRI M. MALLESH BABU (KOLAR): Sir, I rise to express my support to the Waqf (Amendment) Bill, 2025, a significant legislative reform that aims to bring greater transparency, accountability, and fairness in the administration of waqf properties across our great nation. This Bill is a testament to the unwavering commitment of our Government, under the leadership of our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, and our Home Minister Shri Amith Shah ji, to ensure justice and equitable governance.

Waqf is a permanent dedication of property by a person for a purpose that is recognized as pious, religious or charitable by Muslim law. Legislation in this regard has been made in order to afford better management of these religious and charitable properties. The existing waqf laws, despite their noble intentions, have faced multiple challenges over the years, for instance, lack of transparency in the management of waqf properties, disputes arising from unverified claims, and allegations of encroachments that have led to unnecessary litigation. This amendment is a positive step towards rectifying these issues, fostering better governance, and ensuring that the true beneficiaries of waqf properties are not deprived of their rightful entitlements.

Reports of committees like Report No. 3 of the Joint Parliamentary Committee on Amendments to the Waqf Act, 1995, in the Rajya Sabha, dated March 4, 2008, and the Report of the Select Committee on the Waqf (Amendment) Bill, 2010, in the Rajya Sabha, dated December 16, 2011, examined the state of waqf in India and have cited issues in their management such as lack of transparency and efficiency in conducting surveys, encroachments and poor maintenance of waqfs.

The Waqf (Amendment) Bill, 2025 is crucial. The Bill has given powers to officers higher in rank to District Collector to conduct preliminary survey of waqf properties. The surveys will be conducted as per the State revenue laws. The Bill proposes a comprehensive digitization of waqf properties. By redefining the jurisdiction and powers of the Waqf Boards, the Bill ensures that disputes and claims are resolved in a fair and timely manner. It introduces stringent measures to prevent arbitrary land acquisitions and fraudulent transactions. The Bill mandates that the composition of the Waqf Board must include two Muslim women. This inclusion is much more appreciated as it brings in more representation of the view of Muslim women and their needs and issues. The Bill takes representation and inclusivity further by mandating also that the Waqf Board ought to have at least one member each from Shias, Sunnis, and backward classes of Muslim community.

Sir, I understand that some concerns have been raised regarding the Bill, particularly regarding its alleged interference with religious freedom. However, let me assure this House that this amendment does not encroach upon any religious practice or fundamental rights. Instead, it aims to protect the sacred purpose of waqf properties. The provision for judicial oversight ensures that no undue interference takes place in matters of faith and religious endowments.

Sir, the hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi has always been emphasising the well-being of all people. 'Sabka sath Sabka vikas' is his mantra. Our Janata Dal (Secular) party leader Shri H.D. Kumaraswamy has imbibed an inspiring message given by famous Kannada poet Laureate Shri Kuvempu - Sarva Janangada Shantiya Thota. It means Karnataka

State is like peaceful garden, where we can find the people of all Communities living harmoniously. Our leader Shri H.D. Kumaraswamy has set an ideal example for the contemporary politics. However, the Congress party is indulging in vote bank politics. Hon'ble Shri Narendra Modi ji emphasized the importance of 'sabka sath, sabka vikas' whereas the Congress party follows 'sabka nash, sabka vinash' attitude. The land of Karnataka is famous for peaceful existence. The Congress party is following destructive politics. So, it divides the people by creating groupism. It is not good for the State as well as the nation.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

SHRI M. MALLESH BABU : Sir, I will just conclude.

I urge my esteemed colleagues in this House to rise above political differences and support this much-needed amendment. Let us move forward with a vision of equity, efficiency, and empowerment, ensuring that the benefits of waqf properties reach those who need them the most. This is the moment India will see ?Sabka Saath, Sabka Vikas?, and you are holding them back.

With these words, I would like to convey that on behalf of Janata Dal (Secular), JD(S) supremo Shri H.D. Deve Gowda Appaji and Party President Mr. Kumaranna, I fully extend my support to the Waqf (Amendment) Bill, 2024 and I appeal to all the Members of this august House to endorse it.

श्री अफ़ज़ाल अंसारी (गाजीपुर) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर हो रही बहस में भाग लेने का अवसर दिया है। मैं इस बिल का पुरजोर विरोध करते हुए, जो इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, उन पर चर्चा करना चाहता हूं।

माननीय मंत्री जी, जब यह बिल प्रस्तुत कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ विशेष बिंदुओं पर बल दिया था। मेरा सवाल उन्हीं बिन्दुओं पर केन्द्रित है। इन्होंने कहा है कि इस बिल के माध्यम से सरकार वक्फ की संपत्तियों को संरक्षित करना चाहती है। सवाल इस बात का है कि वक्फ की संपत्तियों को संरक्षित करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस संशोधन विधेयक की क्या जरूरत है? आप वैसे भी वक्फ संपत्तियों को संरक्षित करने की दिशा में सहयोग कर सकते थे। आपने अलग बिल बनाकर यह प्रयास किया है और आपके मंत्री जी ने कहा है कि हम इसके माध्यम से देश

में जो अल्पसंख्यक बैकवर्ड और पसमांदा तबके के मुसलमान हैं, उनको अधिकार देना चाहते हैं। उनको इस संपत्ति का लाभ देना चाहते है।

यह सरकार देश के बहुसंख्यक तबके का आरक्षण खा गई है। उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष के अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़ों का जो दर्द है, यह बात समझ में नहीं आती है। इन्होंने यह भी कहा है कि इस बिल के माध्यम से अल्पसंख्यक महिलाओं के कल्याण की योजनाएं लाएंगे, उनका कल्याण करेंगे और इसमें उनकी सहभागिता होगी। अजीब सवाल है, जिस सरकार ने इस सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास कर दिया, लेकिन उस अधिनियम को लागू करने के सवाल पर वह अपने कान में तेल डालकर बैठी हुई है।

? इसी तरह से आगे इन्होंने यह भी कहा कि इस बिल के माध्यम से जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का हम अच्छा प्रबंध करेंगे। अब बाहर बहस हो रही है। ? (व्यवधान) ?* एक मिनट ही तो हुआ है। ?* बाहर यह बहस चल रही है और हम से लोगों ने पूछा कि ये राष्ट्रीय स्मारकों का तो संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। देश का लाल किला शाहजहां ने बनवाया और उसका संरक्षण करने के लिए किसी प्राइवेट को दे दिया।

महोदय, जो सरकार वक्फ की प्रॉपर्टीज़ की चिंता कर रही है, उसकी कई वजहों में एक वजह यह भी नजर आ रही है कि महाराष्ट्र के मुंबई में जो सबसे ऊंची रिहायशी इमारत है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह इमारत एक ऐसी भूमि पर बनाई गई, जो यतीमखाने की जमीन है। इस सवाल को लेकर सरकार की चिंता बढ़ गई। अभी जब माननीय गृह मंत्री जी जवाब दे रहे थे तो उनके मुंह से निकल गया ? (व्यवधान) मैं यही एक बात कहकर खत्म कर दूंगा। उन्होंने कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पर जहां मस्जिद, इदगाह और कब्रिस्तान हैं, उनको नहीं छूएंगे, लेकिन जो रिक्त जमीनें हैं, उनको विवादरहित करके उन प्रॉपर्टीज को बेचेंगे और उससे गरीब महिलाओं तथा पिछड़े मुसलमानों को लाभ पहुंचाएंगे। इनको कौन बेचेगा और कौन खरीदेगा? यह तो वही रीति आ गई, जिसको लोग कहते आए हैं कि बेचने और खरीदने का ही कोई नया धंधा होने वाला है।

श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग (लुधियाना) : सर, धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं ज्यादा रिपीटेशन न करते हुए सीधा बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने आज देश के गृह मंत्री का अच्छे तरीके से भाषण सुना और उन्होंने बार-बार दो-तीन बातों पर ज्यादा जोर दिया। एक तो उन्होंने कहा कि विरोधी दल मुसलमानों के बीच भ्रम और डर फैला रहे हैं। यह हमारे द्वारा फैलाया हुआ डर नहीं है। जब देश के मुसलमान को लगा कि देश में बीजेपी के 240 सांसदों में से एक भी मुसलमान सांसद नहीं है और हमारे लिए जगह नहीं है तो वह डरने लगा। जब आपने कब्रिस्तान की बात की, आपने शमशानघाट की बात की तो वह डरने लगा। जब गोधरा कांड हुआ, मुजफ्फरनगर कांड हुआ, दिल्ली में हुआ, हरियाणा के मेवात में दंगे हुए तो देश का मुसलमान डरने लगा।

सर, गृह मंत्री साहब ने क्या कहा? आज गृह मंत्री साहब ने कहा कि वर्ष 2013 का बिल नहीं आता और यूपीए सरकार इस बिल को लेकर नहीं आती तो आज इस बिल की जरूरत नहीं थी। बिल क्यों लाए, क्योंकि आपको पता चल गया कि देश का मुसलमान हमारा साथ नहीं दे रहा है। हमने हथकंडे अपना लिए, हमने आरएसएस की नीति अपना ली, हमने डंडा अपना लिया, दंगे हो गए, लेकिन मुसलमान हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद आपको पता चला तथा आपने एक और आंकड़ा दिया। आपने कहा कि वर्ष 1913 से 2013 तक केवल 18 लाख मुसलमानों की जमीन थी और वर्ष 2013 से अब तक 21 लाख जमीनें और हो गई हैं, यानी टोटल 39 लाख जमीनें हो गई हैं तो आपको किसी ने समझाया कि आपको मुसलमान को बस में करना है। जब तक आप इनकी सांस प्रणाली बंद नहीं करेंगे, यह आरएसएस की नीति नहीं अपनाएगा। जब तक वक्फ बोर्ड नहीं छीनोगे, जमीनें नहीं छीनोगे, तब तक मुसलमान आपके सामने झुकने वाला नहीं है।

जैसा आपने पंजाब में करने की कोशिश की, किसान झुका नहीं, पंजाब के लोग नहीं झुके, सिख नहीं झुके। आपने एमएसपी का झगड़ा आज तक डाला हुआ है। किसान की सांस प्रणाली बंद कर दो, तो पंजाब अपने-आप झुक जाएगा। जब पंजाब आर्थिक रूप से झुक जाएगा, तो हमारी डील मान लेगा और हमारे साथ आ जाएगा।

आदरणीय सर, आज गृह मंत्री साहब ने कहा कि सरकारी प्रॉपर्टी पर किसी का अधिकार नहीं है। पंचायत की जमीन कोई दान नहीं दे सकता है। इसके पीछे लोचा क्या है? इसके पीछे छिपा हुआ राज क्या है? वर्ष 1947 में जब बंटवारा हुआ था, तो वर्ष 1947 से लेकर वर्ष 1954 तक सारी प्रॉपर्टी सरकार के नाम हो गई थी। उसके बाद वर्ष 1954 में एक्ट बना, तो उस एक्ट में वर्ष 1961 से 1970 का सर्वे हुआ। सर्वे किसने किया, कलेक्टर ने। अगर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की बात करूं, तो डिवीजनल कमिश्नर अम्बाला बैठते थे, उन्होंने सर्वे किया, तहसीलदारों ने सर्वे किया तो वक्फ बोर्ड को जमीन देने का काम किया गया। अब क्या हो गया? जैसे राहुल गांधी जी कर्नाटक में भाषण देते हैं, गुजरात में मुकदमा दर्ज होता है, सजा हो गई। वर्ष 1947 और वर्ष 1954 में तो सारी प्रॉपर्टीज सरकार की थीं। एक बंदा खड़ा हो गया, तो वह कहेगा कि यहां पर सरकारी प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूट हो गया। तो आओ, वक्फ बाई यूजर का अधिकार खत्म कर देंगे। यह जमीन सरकार की थी, आप उसकी जमीन छीन लोगे। उसके बाद लिमिटेशन एक्ट की बात कर रहे हैं। किसी धार्मिक स्थल पर तो लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता। इनके ऊपर क्यों? आप जानबूझकर इनको अपनी ... ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : इन वर्ड्स को एक्सपंज कर दीजिए। ..., it should be expunged from the record.

श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग : यह पहला हमला मुसलमानों पर है, उसके बाद सिखों पर होगा, उसके बाद और लोगों पर होगा। आपने ?प्रैक्टिसिंग मुस्लिम? पर एक और कंडीशन लगा दी। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। वह दंड दे सकता है। मैं सरदार हूं और ऐसे कई उदाहरण पंजाब में है कि अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था, तो

सरदारों ने अपनी जमीन देकर कब्रिस्तान बनवाए। यह कौन-सा अधिकार है कि मैं किसी को कोई चीज देना चाहता हूं, लेकिन इसके बारे में रिजीजू साहब बताएंगे। क्या ये बताएंगे कि यह प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है? यह सरासर अन्याय है। कल आप शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1925, जो सिखों का एक्ट है, उसमें भी आप संशोधन करेंगे। ... * यह आपकी सोच है। मैं इस बिल का विरोध करता हूं। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: All these words should be deleted from the record.

श्रीमती स्मिता उदय वाघ (जलगांव) : धन्यवाद सभापति जी, मैं इस माननीय सदन में वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 का पूर्ण समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के साथ-साथ अन्याय को सुधारने का कार्य करेगा। यह विधेयक देश में न्याय, समानता और सुशासन में एक बड़ा कदम रखेगा। कुरान में स्पष्ट रूप से वक्फ का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन जकात और सदका के माध्यम से दान पर जोर दिया गया है। मूल रूप से एक सामाजिक संरक्षक के तौर पर भारत में वक्फ ने वक्फ बोर्डों के अंतर्गत लालच और अनैतिक प्रथाओं के कारण अपनी असली भावना खो दी है। वक्फ बोर्ड का कार्य धार्मिक नहीं, बल्कि विनियामक है। उसकी जिम्मेदारियों, जैसे जैसे संपत्ति पंजीकरण, वित्तीय लेखा परीक्षण, कानूनी अनुपालन और विवाद का समाधान, वैधानिक प्रकृति के हैं, ठीक वैसे ही जैसे सार्वजनिक न्यासों के लिए चैरिटी आयुक्तों की होती है।

महोदय, वक्फ बोर्ड को अत्यधिक अधिकार प्राप्त थे, जिसके कारण भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और अवैध कब्जे की घटनाएं बढ़ीं। कुछ प्रभावशाली लोगों का वक्फ संस्थानों पर नियंत्रण बना रहा, जिससे गरीब और जरूरतमंद मुस्लिम समुदाय इससे वंचित रह गया। धारा-40 के तहत हजारों सरकारी और निजी संपत्तियों को मनमाने तरीके से वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया, जिसके कानूनी विवाद पर काफी आर्थिक नुकसान हुआ है।

लाखों-करोड़ों की वक्फ संपत्ति होने के बावजूद भी भ्रष्टाचार और कमजोर नीतियों के कारण इनका सही उपयोग नहीं हुआ। इसके कारण कई मामलों में निजी और सरकारी भूमि को जबरन वक्फ घोषित कर दिया गया, जिससे लोगों को कानूनी लड़ाइयों में फंसना पड़ा। इसके बारे में मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ। भोपाल में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से एक वक्फ परिसर बनाया गया था और निजी व्यक्तियों के द्वारा जमीन पर कब्जा करने के कारण कुल 125 पंजीकृत कब्रिस्तानों में से 101 रहस्मय तरीके से गायब हो गए थे।

महाराष्ट्र के मुम्बई शहर में वक्फ की 60 परसेंट से अधिक भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। परेल में लाल शाह बाद दरगाह, जो मूल रूप से 42 एकड़ में फैली हुई थी, वह अब वक्फ भूमि पर बने आवासीय टावरों में छिपी हुई है। इसलिए इस बिल को लाने की हमें जरूरत पड़ी है।

अभी हमारे अखिलेश भाई ने पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी ने कितनी महिलाओं को यहां पर टिकट दी है? मैं अखिलेश भाई से बोलना चाहती हूँ कि आपके सामने जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, वे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़कर ही यहां पर बैठी हैं। अगर किसी ने महिलाओं को सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इतना ही नहीं, हम कितने सालों से यहां पर महिला आरक्षण के लिए लड़ रहे थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कभी महिलाओं की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मोदी सरकार के आने के बाद यहां पर पहली बार महिलाओं को आरक्षण दिया गया और महिलाओं का सम्मान भी किया गया। मैं यहां पर एक बात बोलना चाहती हूँ कि हमारी मुस्लिम महिलाओं की तलाक के बाद जिंदगी तहस-नहस हो जाती थी, उन महिलाओं को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो भारतीय जनता ने और हमारी सरकार ने दिया है।

कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश, बहरीन, ईरान और मालदीव में महिलाओं को शामिल करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन संशोधन विधेयक, 2025 के द्वारा भारत ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया है। ? (व्यवधान) इस बिल के द्वारा महिलाओं को वक्फ संपत्तियों में उनके वैध उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों को वक्फ आय से प्राथमिकता दी जाएगी। वक्फ बोर्डों में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। वक्फ संपत्तियों से मिलने वाले राजस्व का उपयोग मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में किया जाएगा। आगाखानी, बोहरा, पसमांदा और अन्य पिछड़े मुस्लिम समुदायों को वक्फ प्रशासन में भागीदारी दी जाएगी। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। वक्फ संपत्तियों से प्राप्त आय का एक बड़ा हिस्सा गरीब मुस्लिम परिवारों के कल्याण और रोजगार सृजन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, अब आप अपनी बात को समाप्त कीजिए।

श्रीमती स्मिता उदय वाघ : सभापति जी, आप मुझे एक मिनट और दे दीजिए। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में यह विधेयक लाया गया है, जिससे साधारण मुस्लिम नागरिकों, महिलाओं, अनाथों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाया जा सकेगा। इसमें धारा 40 को समाप्त किया गया है, जिससे अब वक्फ बोर्ड मनमाने ढंग से किसी भी निजी या सरकारी जमीन को वक्फ घोषित नहीं कर सकेगा। सरकारी भूमि को वक्फ घोषित करने से पहले वरिष्ठ सरकारी अधिकारी की स्वीकृति अनिवार्य होगी। न्यायिक सुधारों के तहत वक्फ मामलों में उच्च न्यायालय में अपील की सुविधा दी जाएगी।

यह ऐतिहासिक संशोधन आम मुस्लिम नागरिकों के लिए सच्चे सशक्तिकरण, समावेशिता और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ?सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? की भावना से प्रेरित यह विधेयक, भारत के

मुस्लिम समुदाय और पूरे देश के लिए समृद्धि और स्थिरता लाएगा।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिण्डा) : सभापति महोदय, मैं सुबह से इस बात के लिए बहुत कंफ्यूज चल रही हूँ और सोचने की कोशिश कर रही हूँ और पिछली तीन, 14वीं, 15वीं और 16वीं लोक सभा से देख रही हूँ कि इनका वहां से लेकर यहां तक एक भी मुस्लिम मैम्बर नहीं है। इनको जिन औरतों का इतना दर्द दिखा, उस समुदाय की एक औरत भी इनकी पार्टी में नहीं है। इनको आज कौन सा ईद का चांद चढ़ा है कि इतना प्यार आ रहा है? किरेन रिजिजू जी, जो कि एक फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं, एक माइनोरिटी कम्युनिटी को बिलॉन्ग करते हैं, आज उनको मुसलमान कहां से याद आ गए?

जिस पार्टी की सारी पॉलिटिक्स हिन्दू-मुस्लिम की पोलराइजेशन पर निर्भर है, जिसकी सारी राजनीति पाकिस्तान-मुसलमान-खालिस्तान पर है। आज इनको इतना दर्द कहां से आ गया कि हमारी मुसलमान बहनें, हमारे मुसलमानों का पैसा, वे सही लग जाएं। मैं सुबह से सोच रही हूं कि इनकी जबान में दुआ है, लेकिन इनका दिल काला ही है, यह सारा देश जानता है। यही कारण है कि संसद में 24 मुसलमान मैम्बर्स सभी इस तरफ हैं, उनमें से एक भी इस बिल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इनके लोगों के अलावा जेपीसी के मैम्बर्स इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, देश की कोई माइनॉरिटी सपोर्ट नहीं कर रही है। अगर इनका बिल इतना अच्छा होता तो तारीफें होतीं ?(व्यवधान) हां, आपके मंत्री माइनॉरिटी के हैं, इसलिए। ? (व्यवधान)

सर, यह सोचते-सोचते मैंने सोचा इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है?? (व्यवधान) मैंने वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट का यह पेपर निकाला है जिसमें पता लगा कि वक्फ की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज, 27 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में इलेक्शन डेढ़ साल बाद है। ये जो कहते हैं कि महिलाओं को सुविधा देनी है, मैनेज करना है, तो ये 27 प्रतिशत वक्फ की बॉडी सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, ये सब उसकी राजनीति है। अब हमें इनकी बात समझ में आई है।

मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि मंत्री जी हरियाणा के एक गुरुद्वारे के बारे में कह रहे थे। मंत्री जी उस यमुना नगर में जो गुरुद्वारा है, वह माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से हुआ था। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि बिल लेकर आना है, आपमें माइनॉरिटीज के लिए दर्द है, तो हम लोग सिख आर्टिकल 25बी में संशोधन कई सालों से मांग रहे हैं। हम सिख हैं। हम हिन्दू नहीं हैं। आप हमारी आइडेंटीटी नहीं दे रहे हैं। आप वह बिल लेकर आइए। हम सब उसे सपोर्ट करेंगे। इधर गुरुद्वारे पर कब्जा है। आपने हमारे हिस्टोरिक गुरुद्वारे डेमोलिश करते हैं, आपने डामर साहिब गुरुद्वार सिक्किम में डेमोलिश कर दिया, हरिद्वार में ज्ञान गोदड़ी साहिब गुरुद्वारा डेमोलिश कर दिया, ओडिशा में मंगू मठ को डेमोलिश कर दिया, आप माइनॉरिटीज के गुरुद्वारे डेमोलिश कर रहे हैं।

आपके अयोध्या में बहुत अच्छा मंदिर बन गया, लेकिन नीयत साफ है तो आप उसके बोर्ड में दो मुसलमान को डालिए। यह आपका सिर्फ मुसलमानों की जमीनों के ऊपर कब्जा करने का, उनके पैसों पर कब्जा करने का और जैसे

आपने सिखों के संस्थाओं के ऊपर, हमारे नांदेड़ साहिब, हजूर साहिब के बोर्ड से इलेक्टेड मैम्बर निकाल कर उधर अपने नॉमिनेटेड मैम्बर्स बैठा दिए ।?(व्यवधान) हरियाणा में हमारी एसजीपीसी तोड़कर अपने ? को वहां बैठा दिए । पटना साहिब में भी यही किया और अब हमारी एसजीपीसी में भी आप यही कर रहे हैं ।

आपकी ये काली बुल्डोजर वाली राजनीति, डिवाइड एंड रूल, आप मुसलमानों को शिया और सुन्नी, आगा-खाना, उसमें डिवाइड कर रहे हैं । ऐसे काबू नहीं कर पाते तो ऐसे टुकड़े-टुकड़े करेंगे । ?* आप इतना सोच लीजिए ।?(व्यवधान) आप मुझे बोलने के लिए दो मिनट समय दे दीजिए ।

हमारी गुरुबानी में कहा जाता है कि जो आप बोते हो, वही आप भोगते हो । आज इधर जितने लोग बैठे हैं, इन सब के कोई न कोई रिश्तेदार बाहर के देशों में भी हैं । आज यहां पर आप सिख, मुस्लिम, माइनॉरिटीज, ? मुसलमानों के साथ हमारे सिखों के साथ बाहर के देशों में क्रिश्चियंस डोमिनेटेड और मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में जो हिन्दू रहते हैं,? (व्यवधान) आज उनके साथ जो होता है ।

माननीय सभापति : मणिपुर बहुत संवेदनशील विषय है ।

? (व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : आज उनके साथ जो होता है, उससे बहुत दु:ख होता है ।

HON. CHAIRPERSON : ... words should be deleted.

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : मणिपुर हमारे लिए क्रिश्चियंस और हिन्दू का इश्यू नहीं है ।

? (व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : जो क्रिश्चयन भाइयों को सपोर्ट करना चाहते हैं ।? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Manipur issue is not related to the Christians? issue. I know better than you. I am from the Northeast.

....(Interruptions)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : हमारे संस्थानों पर कब्जा करने का काम किया है । ? (व्यवधान) मैं माइनोरिटीज़ में इंटरफेरेंस का विरोध करती हूं । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : धन्यवाद । आप कम्पलीट करें ।

? (व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : जो सपोर्ट कर रहे हैं, मैं क्रिश्चियन भाइयों को बोलना चाहती हूं कि कल आप होंगे । ?(व्यवधान) आज मुस्लिम हैं, कल सिख भी होंगे । ये सब माइनोरिटीज़ को डरा रहे हैं । हिंदुओं को डराकर राजनीति

करना चाहते हैं। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, आप बोलिए।

? (व्यवधान)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवनीत सिंह) : माननीय सभापति जी, सिखों के जितने गुरु हुए हैं, उन्होंने शहादतें क्यों दीं? दस गुरुओं ने सारे हिंदुओं के लिए शहादतें दीं।

दूसरी बात, आज कांग्रेस पार्टी मुगलों की बात कर रही है और ये भी मुगलों की बात कर रहे हैं। सारे गुरुओं को शहीद करने वाले, गुरुओं के बच्चों, साहिबजादों को शहीद करने वाले मुगल थे। ? (व्यवधान) ये मुगल थे, जिनकी आज कांग्रेस बात कर रही है। उनका प्रधान सपोर्ट करके गया है, अकाली दल सपोर्ट कर रहा है।? (व्यवधान) ये मुगल थे जिन्होंने हमारे गुरुओं और बच्चों को शहीद किया। ? (व्यवधान) ये उसकी बात करें। ? (व्यवधान) उनको जिंदा नींव में चुनवाया। ? (व्यवधान)

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

सभापति जी, यह विधेयक राष्ट्रहित एवं मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए लाया गया है। चंद लोगों ने पूरे वक्फ बोर्ड पर अपने निजी स्वार्थ के लिए कब्जा कर रखा है और वे जनता के बीच में भ्रम फैलाकर विधेयक का विरोध कर रहे हैं। यह विधेयक आम मुस्लिम लोगों, जिनको अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका है, के हित के लिए लाया गया है। विधेयक में जो भी प्रावधान हैं, उनमें किसी भी धार्मिक संस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। इस विधेयक में जो बदलाव किए गए हैं, किसी का हक छीनना तो छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक दिलाने के लिए तथा उनके विकास के लिए लाया गया है। इसमें मुस्लिम समुदाय के गरीबों, विधवाओं, अनाथ बच्चों तथा अति पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रावधान किया गया है।

महोदय, इस विधेयक में 44 संशोधन थे और 14 संशोधनों में परिवर्तन किया गया है। हमारी पार्टी की तरफ से ईदगाह, मजार, कब्रिस्तान, सारी धार्मिक संस्थाएं जो पहले से सरकारी जमीन पर थी, वक्फ की संपति बनी रहे, इसे निजी व व्यासायिक लाभ के लिए न दिया जाए एवं अन्य सुझाव भी मुस्लिम समुदाय के हित में दिए गए हैं। इसका कमेटी ने स्वागत किया है तथा सरकार ने मंत्रिमंडल की सहमति से सदन में लाने का काम किया है। मैं उसके लिए अपनी तथा अपनी पार्टी की ओर से आभार प्रकट करता हूं।

महोदय, इस विधेयक में सर्वेक्षण आयुक्त के स्थान पर कलक्टर, जो रेवेन्यू का कस्टोडियन होता है, नियुक्त किया गया है। यह बहुत अच्छी बात है। इसमें उन्हें वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

महोदय, वक्फ के रूप में पहचानी गई सरकारी संपत्ति के स्वामित्व का निर्धारण कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। न्यायाधिकरण के निर्णय की अंतिमता को निरस्त कर दिया गया है तथा विधेयक में उच्च न्यायालय में सीधे अपील का प्रावधान है, जो 1995 के एक्ट में नहीं था। इस विधेयक में केन्द्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड की संरचना में परिवर्तन करके गैर- मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया गया है। वक्फ बनाने की सीमा केवल उन लोगों तक सीमित कर दी गई है जो कम से कम पांच साल से इस्लाम का पालन कर रहे हैं। इस विधेयक का उद्देश्य मस्जिदों, कब्रिस्तानों, शैक्षणिक संस्थाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना, गरीबों, विक्लांगों, विधवाओं और अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

महोदय, विधेयक में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि वक्फ अलल औलाद महिला उत्तराधिकारियों सहित, उत्तराधिकारियों को वंचित नहीं करेगा। ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, इसमें ऐसा प्रावधान है। यह विधेयक राज्य सरकार के वक्फ बोर्ड में सदस्य नामित करने की राज्यों को अनुमति देता है। इस विधेयक में वक्फ की संपति को पारदर्शी बनाए रखने के लिए डिजिटल पोर्टल पर अंकित करने का प्रावधान किया गया है।

महोदय, यह विधेयक पारदर्शिता लाने का वादा करता है। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त करने का संकल्प लेता है और सबसे बढ़कर उन मुसलमानों को सशक्त बनाने का रास्ता खोलता है जिन्हें वर्षों से कमजोर रखा गया है। वक्फ संपत्ति मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए है, जबकि यह लंबे समय से भ्रष्टाचार, कुप्रबंध और अतिक्रमण की भेंट चढ़ती रही है। यह बिल मुसलमानों को मजबूत करने का आधार है न कि उनके अधिकार छीनने का।

मैं अपने दल की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, the Waqf (Amendment) Bill, 2025 will infringe the rights of the minorities of this country. The entire presentation of the Bill by the hon. Minister was presented in such a way that this is the one and only solution and remedy for the minorities of this country.

21.00 hrs

The Bill will destroy the secular fabric of our country; the Bill is anti-Constitutional; and the Bill is anti-minority. So, we strongly oppose this Bill. It violates the Article 25 shredding religious freedom by imposing non-Muslims on Waqf Boards and handling sacred properties to the District Collectors. This is not a reform. It is a blatant assault on the secular Constitution.

Sir, I would like to ask a very direct question to the hon. Minister. You have so much of love for Christians these days. You were mentioning about the Munambam issue in my constituency. There are around 610 families living in the coastal belt of Munambam in the Pallipuram Panchayat. Their revenue rights have been denied from 2022. The entire fishermen folk living there are living since 1952. So, for the last eight decades they have been living there.

For BJP, this might be a political issue, but for me this is a personal and emotional issue because I belong to that fishermen community. You have to very clearly mention in your speech. The hon. Home Minister and the Law Minister said that you do not have a retrospective effect in this law. Under what provision will the Munambam people get back their revenue rights?

In Section 2, after the principal Act, you have mentioned about a proviso that is inserted. Is it under that Section or are there any other Sections for it? Will they have to continue their legal battle for their entire life? The BJP has been dividing Kerala Muslims and Christians. You are clearly dividing the Christians and Muslims, and that is the agenda of splitting the minorities in the State. You have to clearly mention how the revenue rights of the Munambam people would be restored. आपको सीबीसीआई और केसीबीसी से इतना प्यार है। आपने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया है।

माननीय सभापति : आप रिप्लाई में जवाब दे दीजिएगा।

SHRI HIBI EDEN : In Manipur, 245 churches were burnt. You did not hear the CBCI. Many institutions were attacked not only in Manipur, but there were many other issues when the CBCI and KCBC raised their voice. It was against the FCRA, which was their right for the charitable institutions. You never heard them.

As regards Anglo-Indian reservation, we had two MPs in this august House and 10 MLAs in the respective Assemblies. You scrapped the law. Shri Ravi Shankar Prasad was the Law Minister when you scrapped the law. I am challenging the BJP Government. Can you bring that microscopic minority back into this august House? You have to answer this question. ? (*Interruptions*)

He is not an Anglo-Indian. आपको गलतफहमी है । वह एंग्लो इंडियन कम्युनिटी नहीं है । आपको गलतफहमी है । This is the problem of the BJP.

There are many issues in which the entire BJP has been showing the hypocritic stand to the Christian community. There have been many issues like the anti-conversion Bill in Karnataka, the recent incident in Raipur, Chhattisgarh in March, 2025 and yesterday in Jabalpur in a public incident, a Catholic priest and a relative were assaulted by a group of extreme Hindutva people. ? (*Interruptions*) According to the eye-witness, a group of Catholic pilgrims from Mandala Parishad were on a pilgrimage. If to perform a religious function also one has to get the sanction of the Sangh Parivar and RSS in this country. Do we have to get a letter from the RSS to exercise our Constitutional right to preach our religious freedom? This is not possible.

You are now attacking the Muslims, encroaching their property. Next you are coming after the Christians who own prime lands in many cities in India including colleges, hospitals, schools, institutions, churches. They would be encroached. Next is the Church Bill. The BJP is against the minorities. Day-after-tomorrow, it would be the Sikhs, the Buddhists, the Jains, the Adivasis, the OBCs, and the Dalits. This is an anti-Constitutional law. This is an anti-minority law. We are strongly opposing the Waqf (Amendment) Bill, 2025.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (SHRI GEORGE KURIAN): The hon. Member was talking about attacking the church. On 16th May, 2014, in Idukki, the bishop?s house was attacked by the Congressmen. ? (*Interruptions*) This FIR is with me. I will place it on record. On 16th May, 2014, the Congress Party?s candidate was defeated. He is sitting there now. I would not mention the name. ? (*Interruptions*) The person is sitting here. This FIR is here. On 10th September, 2021, the bishop?s house in Pala was attacked by PFI. The Congress leader, the Opposition Leader, told that he would file a case against the bishop. ? (*Interruptions*) Why did the PFI people attack the bishop?s house?

For that, they did not file a case against the PFI. But the Opposition Leader of Congress Party recommended for filing a case against the bishop of Pala. ? (*Interruptions*) How can you say that? We will save the Munambam people. Only Narendra Modi ji can save them. ? (*Interruptions*) What are you saying? You are attacking Bishop in Kerala and you are going to north India. ? (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL : Hon. Chairperson, under what provision did you allow the hon. Minister to speak? I do not know if the hon Minister was given time by the Party or not. But why is he speaking now?

HON. CHAIRPERSON : Venugopal ji, you are a senior Member. You know very well that a Minister can intervene in any matter at any time. You know that better than us.

? (*Interruptions*)

डॉ. संबित पात्रा (पुरी) : माननीय सभापति जी, आज एक ऐसा दिन है, जिसके बारे में मैं कहूँगा कि अजीब दास्ताँ है। एक तरफ मुझे बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है क्योंकि एक ऐतिहासिक बिल के पारित होने के समय में मैं लोक सभा में मौजूद हूँ। वहीं मुझे दुख की अनुभूति भी हो रही है क्योंकि हम सब भारत के बच्चे यहाँ बैठे हैं और यहाँ दो पक्षों के बीच इस बात को लेकर तकरार हो रहा है कि क्या भारत का एक पक्ष मुसलमानों के अधिकार को छीन लेगा, क्या भारत का एक पक्ष मुसलमानों को कहीं-न-कहीं डरा रहा है, क्या मुसलमान आज भारत में सिमटकर रह रहा है?

माननीय सभापति महोदय, आज मैं सीना ठोककर कहना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में यदि मुसलमान कहीं सर्वाधिक सुरक्षित है, तो उस देश का नाम भारतवर्ष है, हिन्दुस्तान है।

मैं गया प्रसाद शुक्ल ?स्नेही? जी की एक छोटी-सी कविता पढ़ना चाहता हूँ।

किसी को नहीं बनाया दास,

किसी का किया नहीं उपहास,

किसी का छीना नहीं निवास,

किसी को दिया नहीं त्रास,

वही हम हैं भारत-संतान,

वही हम हैं, भारत-संतान।

किसी का कुछ छीना नहीं है, हमेशा दिया है। जो भी शरणार्थी बनकर आया है, उसको गले से लगाया है।

यहाँ पर केरल की बात हो रही थी। मैं केरल की भूमि को धन्यवाद देता हूँ, केरल की भूमि को प्रणाम और वंदन करता हूँ। वहीं से आदि शंकराचार्य जी भी आए और केरल की भूमि में ही कोडंगलूर तालुक के मेथला गांव में भारतवर्ष की पहली मस्जिद- चेरामन ज़ुमा मस्जिद स्थित है। चेरा राजा चेरामन पेरूमल ने मस्जिद के लिए स्थान दिया था। यह है भारत का कल्चर, यह है भारत माता। ? (व्यवधान) इस भारत के ऊपर आप संदेह दिखा रहे हैं? ? (व्यवधान) आज वक्फ को लेकर इस्लामिक देशों में क्या स्थिति है? क्या वक्फ प्रॉपर्टीज़ इस्लामिक देशों में हैं? ? (व्यवधान) मैं इस्लामिक देशों के नाम पढ़ूंगा, जहां वक्फ की वजूद नहीं है। ? (व्यवधान) तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सुडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, ट्यूनेशिया में नहीं है, ईराक में नहीं है। ? (व्यवधान) भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड है, वक्फ प्रॉपर्टीज़ को कानूनन सुरक्षा, लीगल प्रोटेक्शन दी गई है, उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? यह मैं पूछना चाहता हूं। ? (व्यवधान)

क्या गुनाह है मोदी जी का, क्या गुनाह है हमारा? हमारा गुनाह सिर्फ इतना है कि हम सबका साथ चाहते हैं? हम आगाखानियों का साथ चाहते हैं। ? (व्यवधान) हां, हम बोहरा समाज का साथ चाहते हैं। ? (व्यवधान) मुस्लिम समुदाय में जो पिछड़ा वर्ग पसमांदा समाज है, हम उसका साथ चाहते हैं। ? (व्यवधान) हां, हम चाहते हैं कि महिलाओं का रीप्रेजेंटेशन और प्रतिनिधित्व हो। क्या यह गलती है? ? (व्यवधान) क्या मोदी जी गलती कर रहे हैं, आप बताइए? हम सबका विकास चाहते हैं। ? (व्यवधान)

हम चाहते हैं कि वक्फ-अल-औलाद के अंतर्गत जब आपकी फैमिली लाइन समाप्त होती हो, उस समय अगर एक बेवा हो, उस समय यदि एक तलाकशुदा महिला हो, उसको नजरंदाज करते हुए किसी भी कीमत पर प्रॉपर्टी वक्फ के पास नहीं जानी चाहिए। ? (व्यवधान) अगर मोदी जी महिला को यह सुरक्षा दे रहे हैं, उसे सुनिश्चित कर रहे हैं, तो किसी को क्या दिक्कत हो रही है? ? (व्यवधान)

मैं यहां कहना चाहता हूं कि वक्फ का मतलब दान होता है। हर धर्म में, मेरी बहन अभी सिख धर्म के विषय में बता रही थीं, मंत्री जी भी सिख धर्म के विषय बता रहे थे। सेवा और दान के आधार पर सिर्फ धर्म आज देश और विदेश में जाना जाता है। ? (व्यवधान) हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, सबमें दान का महत्व है। आदिशंकर ने आज से हजारों वर्ष, केरल के लोग भी सुन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि भज गोविन्दम् मेदांत ने क्या कहा था ?

गेयं गीता नाम सहस्त्रं,

ध्येयं श्रीपति रूपमजस्त्रम्।

नेयं सज्जन सङ्गे चित्तं,

देयं दीनजनाय च वित्तम्॥

दीन जनों को, गरीबों को वित्त दान करो, ईश्वर मिलेंगे। ? (व्यवधान) भगवान का नाम लो, गीता का ध्यान करो, ईश्वर मिलेंगे। ? (व्यवधान) यही इस्लाम में भी ज़कात, सदका, और सदक़ा-ए-जारिया के नाम से ज़िक्र किया गया है। ? (व्यवधान) दान की जमीन, पुण्य के लिए, परमार्थ के लिए, धर्माथ के लिए वक्फ बनाया गया है। वक्फ के बोर्ड के बारे में आज जो लोग यह कह रहे हैं कि वक्फ एक्ट में यह जो अमेंडमेंट है, यह अनकांस्टिट्यूशनल है, ऐसा वे किस आधार पर कह सकते हैं? ? (व्यवधान) वर्ष 1995 में वक्फ एक्ट आया, मतलब उससे पहले से चल रहा था। वर्ष 1995 एक्ट के अंतर्गत अभी हम चल रहे हैं। वर्ष 1995 के बाद अब याद कीजिए कि वर्ष 2013 में भी अमेंडमेंट हुआ था। उससे पहले वर्ष 1954, 1959, 1964, 1969 और 1984 में अमेंडमेंट्स या संशोधन हुए थे। ? (व्यवधान) अगर वे सारे संशोधन ठीक थे, तो आज ये संशोधन अनकांस्टिट्यूशनल कैसे हो सकते हैं? ? (व्यवधान)

मैं एक छोटा सा विषय रखना चाहता हूं। ? (व्यवधान) आप देखिए कि सच्चर कमेटी ने वर्ष 2006 की अपनी रिपोर्ट में कहा था। सच्चर कमेटी ने उस समय, वर्ष 2006 में कहा था कि वक्फ के पास 4.9 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ थी। इन 4.9 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ से वक्फ की जो कमाई हो रही थी, वह उस समय मात्र 163 करोड़ रुपए की थी। लेकिन, सच्चर कमेटी ने यह कहा कि यदि सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया होता, सही तरीके से लीज़ दी गई होती, फेयर मार्केट प्राइस के आधार पर इसे किया गया होता, तो 12,000 करोड़ रुपए की आमदनी होती, दस प्रतिशत का रिटर्न मिलता। ? (व्यवधान)

आपको जानकर आश्चर्य होगा ये 4.9 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ बढ़कर हमारे समय में 8.72 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ बनीं। ? (व्यवधान) मतलब, 20,000 करोड़ रुपए से 25,000 करोड़ रुपए तक की आमदनी होनी चाहिए थी। लेकिन, आमदनी हुई कितनी? ? (व्यवधान) वर्ष 2019 से वर्ष 2021 के बीच में 166 करोड़ रुपए और वर्ष 2025 में, आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी माननीय गृह मंत्री जी ने बताया लीज़ रिकॉर्ड जीरो और आमदनी मात्र 9.92 करोड़ रुपए। ? (व्यवधान)

उस समय वर्ष 2006 में 162 करोड़ और जब यह डिबेट हो रही है, तो 9.92 करोड़ रुपये। प्रॉपर्टी डबल हो गई मगर पैसे घट गए। कहाँ गए वे पैसे, किसकी जेब में गए वे पैसे? यदि यह पारदर्शिता होती, वैसे महोदय, मुझे एक बात में संशय है, मुझे लगता है कि इसका उत्तर प्रतिपक्ष वाले ही दे पाएंगे। आज बड़ी चर्चा हुई है। आज चर्चा में कहा गया कि सबसे ज्यादा जमीन, तीन ऐसी शख्सियत हैं, उनके पास है। रेलवे के पास, आर्मी के पास, वह देश की जमीन है और उसके बाद वक्फ बोर्ड की जमीन है। मुझे इसमें संशय है। मुझे यह लगता है कि तीसरे नंबर की जमीन तो किसी परिवार के बोर्ड के पास है। अगर सही से देखा जाए, आप ध्यान से देखिए, एक परिवार का बोर्ड है, अरे, है एक परिवार का बोर्ड, उसके पास हो सकता है कि इससे अधिक जमीन निकले।? (व्यवधान)

महोदय, घंटी तो उनकी बजनी चाहिए, आप हमारी मत बजाइए ।? (व्यवधान) अरे, मैं किस परिवार के बारे में बोल रहा हूँ, आप क्यों विचलित हो रहे हैं?? (व्यवधान) वे उधर हैं, उधर हैं ।? (व्यवधान) आप चिंता मत करें, वे उधर हैं ।? (व्यवधान) आपको नहीं, उधर ।? (व्यवधान) उधर-उधर, आप भी जानते हैं कि किधर हैं, उधर हैं। चलिए, अब वक्फ पर आइए। देखिए, जो ये संशोधन हुए हैं, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है कि लंबे पेंडिंग लिटिगेशंस नहीं होने चाहिए। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। लंबे समय तक चल रहे कानूनी मुकदमे, जो पेंडिंग लिटिगेशंस हैं, वर्ष 2013 में 10,380 केसेज थे। जो वर्ष 2025 में बढ़कर 21,618 केसेज हो गए। अनाधिकृत घुसपैठ, एन्क्रोचमेंट, सभापति महोदय, इसे सुनिएगा और मैं सभी सदस्यों से कहूँगा कि वे इसे ध्यान से सुनें, वामसी पोर्टल में टोटल एन्क्रोचमेंट के केस 58,890 हैं, इनमें से लगभग 31,990 पेंडिंग एन्क्रोचमेंट है, जिसमें 9 हजार मुस्लिम पार्टीज हैं अर्थात मुसलमानों की जमीन पर भी अधिग्रहण का काम वक्फ बोर्ड ने किया है। इसलिए जो यह बिल के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, मुसलमान भी पीड़ित है, इसलिए इस बिल से संरक्षण मुसलमान को भी मिलेगा और पूरे हिन्दुस्तान की सभी कौम को मिलेगा।

मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि सैक्शन 40 को लेकर आज जो कहा गया, मैं बस 30 सेकेंड में समाप्त करूँगा। सैक्शन 40 को लेकर आज यहाँ बहुत चर्चा हुई है। यह जो तर्कहीन शक्ति, इररैशनल पावर वक्फ बोर्ड को दी गई थी, खुद ही इंक्वायरी करते थे और खुद ही जमीन को वक्फ में डिक्लेयर करते थे। आज देश में 515 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, उसी का शहर, उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीं था हमारा कसूर निकलेगा। उसी का शहर मतलब एरिया खुद ढूँढ लेंगे, वही मुद्दई, वही जाकर इंक्वायरी कर लेंगे, वही मुंसिफ, वही जजमेंट भी दे देंगे, हमें यकीं था, जिसकी जमीन थी, हमें यकीं था हमारा कसूर जरूर निकलेगा।

महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री जी का, किरेन रिजिजू जी का कि इन्होंने इस प्रकार के एक प्रावधान को यहाँ प्रस्तुत किया है, जिससे देश में हम सब सुरक्षित रह सकें। धन्यवाद।

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि पहले बुद्ध की परिकल्पना ?अप्पो दीपो भव? समझ लीजिए। मंत्री महोदय, इस्लाम के पहले बौद्ध धर्म आया था और इस दुनिया में बौद्ध धर्म क्यों आया था, इसको भी जान लीजिए। इस देश के 90 प्रतिशत गरीब, दलित, ईबीसी, मूलवासी, आदिवासी पर जब जुल्म हुआ था, जब उसकी संस्कृति पर, उसके जीने के तरीके पर हमला हुआ था तब बौद्ध धर्म आया था और उस बौद्ध धर्म ने इस दुनिया को ?वसुधैव कुटुम्बकम्? दिया, ?सर्व धर्म समभाव? दिया, सार्वभौमिकता दी। इस्लाम बाद में आया।

दूसरी बात, मंत्री जी, इस्लाम ने कब जमीन कब्जा किया, यह छोड़ दीजिए। आदिवासी, गरीब, मूलवासी, आदिवासी की जमीन जमींदारों की कैसे हुई? यह जमीन राजा-महाराजाओं की कैसे हुई? क्या ये लोग दुनिया में बाप के

घर से लिखाकर आये थे ।? (व्यवधान) ये कहाँ से लेकर आये थे?? (व्यवधान) यह जमीन कहाँ से आयी थी?? (व्यवधान) गरीब लोगों की जमीन किसने दी?? (व्यवधान) यह जमीन अंग्रेजों ने दी ।? (व्यवधान)

अंग्रेजों की दलाली की जमींदारों ने, अंग्रेजों की दलाली की राजशाहियों ने, अंग्रेजों की दलाली की, ?, तब जाकर जमीन बने ।? (व्यवधान) उस समय जमीन गरीब के लिए थी ।? (व्यवधान)

मैं दूसरी बात पर आना चाहता हूं। ये मुगल के खिलाफ की बात कहते हैं। गुरु गोविन्द सिंह साहब, गुरु नानक देव जी ने मानवता को बचाया। गुरु गोविन्द सिंह जी ने हिन्दुओं को बचाने के लिए नहीं, मानवता और इंसानियत को बचाने के लिए कुर्बानी दी थी ।? (व्यवधान) सनातन को समझिए, सनातन के बारे में जानिए ।? (व्यवधान)

सभापति महोदय, ये लोग मंडल कमीशन के खिलाफ ?कमंडल? लाए थे और लगभग 13,000 ओबीसी का कत्ले-आम हुआ था ।? (व्यवधान) मंडल का विरोध किसने किया था? आरक्षण का विरोध कौन करता है? जाति जनगणना का विरोध कौन करता है? ? (व्यवधान) एस.सी., एस.टी. का विरोध कौन करता है? ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बिल पर बोलिए।

श्री राजेश रंजन : सर, मैं बिल के ऊपर ही आ रहा हूं ।? (व्यवधान) मैं किसी दल का विरोध करने नहीं आया हूं, न ही मैं किसी के पक्ष में हूं ।? (व्यवधान)

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से एक आग्रह करना चाहता हूं। आप माइनॉरिटीज़, वक्फ बोर्ड के खिलाफ बिल लाए हैं और आप कह रहे हैं कि उनको सुरक्षित करने के लिए आप बिल लाए हैं। आप कहते हैं कि महिलाओं के लिए यह लाए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप महिला आरक्षण बिल को इसलिए नहीं लाते हैं क्योंकि आप अत्यंत पिछड़ी जाति, पिछड़ी जाति और दलित महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते हैं? आप इसे ले आइए ।? (व्यवधान) क्या आप शाहनवाज को बचा पाए? क्या आप बिहार में एक भी मुसलमान को टिकट देते हैं? ? (व्यवधान) आप यह बताइए ।? (व्यवधान)

सभापति जी, मुझे बस दो मिनट का समय दीजिए ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप समाप्त कीजिए, बस 30 सेकण्ड्स में समाप्त कीजिए।

श्री राजेश रंजन : सभापति जी, एक उम्मीद थी कि ?मोदी है तो मुमकिन है ।?? (व्यवधान) काला धन का क्या हुआ? जाली नोट का क्या हुआ? ? (व्यवधान) आपने नोटबंदी क्यों लायी? ? (व्यवधान) आप नोटबंदी इसलिए लाए क्योंकि आपको लग रहा था कि मुसलमान बैंक में पैसा जमा नहीं करते हैं और ये सूद नहीं खाते हैं, इसलिए नोटबंदी लाओ और मुसलमान का पैसा खत्म करो ।? (व्यवधान) आप इसे क्यों लाए? ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : जगदम्बिका पाल जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : इन्होंने गाली दी है, बेहूदगी की बात की है। मैं चाहता हूं कि इनकी निन्दा की जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई हो।? (व्यवधान)

श्री राजेश रंजन : सभापति महोदय।? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please be seated.

? (*Interruptions*)

श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे (रामटेक) : सभापति महोदय, आज जो वक्फ (संशोधन) बिल लाया गया है।? (व्यवधान) देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी हमारे मुस्लिम भाइयों की है।? (व्यवधान)

सभापति महोदय, जिस तरीके से यह बिल लाया गया है, मैं पूछना चाहता हूं कि आज देश को किस चीज की जरूरत है? ? (व्यवधान) आज किस पर चर्चा होनी चाहिए? ? (व्यवधान) आज देश की जरूरत क्या है? ? (व्यवधान) देश के प्रधान मंत्री ने 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी। चाहे वह हिन्दू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, वह सबको मिलने वाली थी। क्या वे 2 करोड़ नौकरियां मिल गयीं? देश के प्रधान मंत्री इलेक्शन के दौरान भाषण देते हैं। वे भाषण में कहते हैं कि अगर कांग्रेस चुन कर आएगी तो यह अल्पसंख्यकों के लिए आपका मंगलसूत्र छीन लेगी, आपकी गाय छीन लेगी, आपकी भैंस छीन लेगी, आपकी भैंस छीन कर जो बढ़ी आबादी है, उनको दे देगी। यह देश के पन्त प्रधान अपने भाषण में बोलते हैं और वे आज बता रहे हैं कि हम मुस्लिमों के हितैषी हैं। आप किस तरीके से हितैषी हैं? एक तरफ आप मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप यह कहते हैं कि हमें वक्फ में गरीब मुस्लिमों को न्याय देना है। वक्फ से आप क्या न्याय देने वाले हैं? वर्ष 1995 में जो चीज़ें थी, वही चीज़ें आप ले कर आ रहे हैं। क्या इससे पहले कांग्रेस वर्ष 1995 में जो बिल ले कर आई थी, क्या उसमें महिलाओं को सदस्य नहीं लिया जा सकता है? कहां लिखा है कि महिलाओं को नहीं ले सकते हैं? कहां लिखा है कि मुस्लिम ही होना चाहिए? उसके बाद भी आप सिर्फ ढोंग करने के लिए यह बिल ले कर आए हैं। आज यह बिल कौन मान रहा है? आज मंत्री भी बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। आज पूरे देश में बोधगया में आंदोलन हो रहा है, पूरे देश से बौद्ध धर्म के अनुयायी वहां जा रहे हैं, वहां पर महाबोधि महाविहार के लिए संशोधन मांग रहे हैं। आप लोग उस पर संशोधन क्यों नहीं ला रहे हैं? जिसकी मांग हो रही है, वह चीज़ आप पूरी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हिंदू-मुस्लिम कर के आप देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं जहां से चुन कर आता हूँ, उस कांस्टिट्यूएंसी का नाम रामटेक है। मैं प्रभु श्रीराम के रामटेक से चुन कर आया हूँ। वहां पर भी इनकी डबल इंजन की सरकार ने तीन सौ साल पुराने औरंगजेब को निकाल कर नागपुर में दंगे करने का काम किया है। जब दंगा होता है, आग लगती है, तो वह हिंदू-मुस्लिम नहीं देखती है कि उसमें कौन जल रहा है। आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं। आप मुस्लिमों को वक्फ पर क्या देने वाले हैं? कुछ नहीं देने वाले हैं। सिर्फ ढोंग और ढकोसला करने के लिए यह बिल लाया गया है।

अध्यक्ष महोदय, आज मुस्लिमों की हालत क्या है? उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? उनको नौकरी में कहां जगह है? सर, मैं सच्चाई बता रहा हूँ और आप हंस रहे हैं। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बताइए।

? (व्यवधान)

श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे : सभापति महोदय, यह सरकार राष्ट्रवाद की बात करती है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद में क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं आते हैं? राष्ट्रवाद में क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आती है? अरे, इस देश का नागरिक, जब तक कि खुद मज़बूत नहीं होगा, तब तक यह राष्ट्रवाद पूरा नहीं हो सकता है। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ष 1995 में वक्फ कानून में सर्वे कमिश्नर होते थे, जिसे राज्य सरकार नियुक्त करती है, जो वक्फ प्रॉपर्टी की इंक्वायरी करते हैं और सर्वे करते हैं। उसके बाद आप वक्फ को प्रॉपर्टी दान कर सकते हैं। वक्फ किसी भी तरह से कोई भी जमीन ले नहीं सकता है। उसके लिए राज्य सरकार है, सर्वे कमिश्नर है, सारे लोग सारी प्रक्रिया करने के बाद ही वे वक्फ को दान कर सकते हैं। किसी की भी प्रॉपर्टी हो, चाहे गवर्मेंट की हो या किसी अन्य व्यक्ति की हो, वह वक्फ को दे नहीं सकते हैं। यह वर्ष 1995 के कानून में लिखा हुआ है। क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ, वह गलत पढ़ रहा हूँ?

सभापति महोदय, वर्ष 1995 के कानून में यह कहीं नहीं लिखा था कि किसी महिला मेंबर को आप ले नहीं सकते हैं। आज बता रहे हैं कि हमको मुस्लिम महिलाओं को आगे लाना है। क्या वक्फ बोर्ड के माध्यम से ही आप मुस्लिमों का उद्धार करने वाले हैं? उनकी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के लिए क्या किया है? उनको रोज़गार देने के लिए आपने क्या किया है? आज जिस चीज़ की जरूरत है, वह चीज़ छोड़ कर आप धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। महोदय, यह बंद हाना चाहिए। मैं इस बिल का विरोध करता हूँ।

धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, वैसे तो माननीय गृह मंत्री जी और किरेन रिजीजू के बाद बोलने के लिए कोई विषय ही नहीं रह गया है। लेकिन सभापति महोदय, मैं दो-तीन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मुजफ्फर रिज़वी जी ने एक शायरी लिखी कि लमहों ने खता की है, सदियों ने सज़ा पाई। क्या सज़ा है? यह पूरी दुनिया को जानने का सवाल है कि बड़ी चर्चा चल रही है कि हिंदू वक्फ बोर्ड में क्यों आए? पैगंबर मुहम्मद साहब ने वक्फ करने के लिए कहा। मैंने सभी लोगों के भाषण सुने हैं। पहला वक्फ जिसने मुहम्मद साहब को किया, वह ज्यूस था, वह यहूदी था और उसका नाम मुख़ारिक था। उसने मदीना में अपने सात बगीचे मुहम्मद साहब को गिफ्ट किये। वह उहुद के मैदान में मारा गया। उसके बाद मुहम्मद साहब ने उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके पहला चैरिटेबल वक्फ स्टार्ट किया। यदि मुसलमानों ने पहला वक्फ नहीं किया? (व्यवधान)

इमरान मसूद जी, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। यदि मुसलमानों ने वक्फ स्टार्ट नहीं किया तो मुहम्मद साहब के सिद्धांत के खिलाफ जाकर आप हिन्दुओं को कैसे रोक सकते हैं?

दूसरा सवाल यह है,? (व्यवधान) मैं कोर्ट का आदेश लेकर आया हूं। यह एमपी वक्फ बोर्ड वर्सेज शुभम शाह वर्ष 2007 का ऑर्डर है। भोपाल का जो मॉस्क है, जिसे शाहंशाह ए मालवा कहते हैं। शाहंशाए ए मालवा को राजा होल्कर ने दान दिया। हिन्दू दान दे, बहुत अच्छा। यहूदी दान दे, बहुत अच्छा, लेकिन वक्फ बोर्ड में मुसलमान को छोड़ कर कोई दूसरा कैसे होगा। इसे हिन्दू ने दिया।? (व्यवधान) मैं उस विषय पर आ रहा हूं। मेरा यह कहना है कि यहां जितने लोगों ने कहा है, उन्होंने पूरी दुनिया को झूठ बोला है। यदि वक्फ ज्यूस ने स्टार्ट किया, यदि वक्फ की संपत्ति हिन्दुस्तान में राजा-महाराजाओं ने दी तो किसी कीमत पर आप हिन्दुओं को मेम्बर क्यों नहीं बनाएंगे?

सर, आज इस देश में फैसला हो जाना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी ने जिस चीज को स्टार्ट किया और जो लाकर छोड़ दिया, यहां गोरी आए, गजनवी आए और बाबर आए। ये तीनों लूटेरे के तौर पर आए। ये लोग आए न? आप मानते हैं कि नहीं, आप गोरी और गजवनी को आक्रांता मानते हैं कि नहीं मानते हैं? यदि आप उनको आक्रांता मानते हैं तो हिन्दुस्तान में पहले वक्फ की शुरुआत गोरी ने की। गोरी ने हिन्दुओं की संपत्ति को लूटा।? (व्यवधान) यह कहां लिखा है? यह इतिहास है। इतिहास के पन्ने से आप नहीं लड़ सकते हैं। यहां हिन्दुस्तान में गोरी ने वक्फ स्टार्ट की। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

डॉ. निशिकान्त दुबे : सभापति महोदय, मैं आपसे एक दूसरी चीज कह रहा हूं। इस देश में यह वक्फ एक्ट कैसे आया। ये लोग जिन्ना को पाकिस्तान बनाने का जिम्मेवार मानते हैं या नहीं मानते हैं? पहले यह इन लोगों से पूछ लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। यदि ये लोग जिन्ना को मानते हैं? (व्यवधान) मैं यह पेपर लेकर आया हूं। वर्ष 1910 में कांग्रेस पार्टी ने मुम्बई में मुस्लिम के लिए एक सीट रिजर्व की। इस सीट से जिन्ना को मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। उन्होंने वर्ष 1911 में मुसलमान वक्फ बोर्ड बनाया। इसे प्राइवेट आदमी ने बनाया। इसे जिन्ना ने बनाया, जिसने पाकिस्तान बनाया। आज फिर वक्फ के नाम पर ये लोग इस देश का बंटवारा करना चाहते हैं।? (व्यवधान)

सभापति महोदय, यहां सभी मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं। एक मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट बताए कि किसी का प्राइवेट मेम्बर बिल पास हुआ है। वर्ष 1977 से यहां सौगत बाबू बैठे हुए हैं। वह एक मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बताए कि वर्ष 1977 के बाद एक भी प्राइवेट मेम्बर बिल पास हुआ है। मेरा पास हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि मेरा रेज्यूलेशन पास हुआ है। क्या रेल्यूलेशन पास हुआ है, धारा 370 खत्म होना चाहिए, 35ए खत्म होना चाहिए, कश्मीरी पंडितों को अधिकार होना चाहिए। वह इसलिए पास हुआ, क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी थी। मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद था। सरकार उसको पास करना चाहती थी, इसलिए वह पास

हो गया। यह जो 1954 का वक्फ एक्ट है, उसे वर्ष 1952 में काजमी साहब लेकर आए। एक प्राइवेट आदमी, प्राइवेट बिल लेकर आया। जब यह बिल पास हो गया, तो सिलेक्ट कमेटी बनी। उस सिलेक्ट कमेटी के मेंबर अमजद अली थे, आप मुसलमानों की बात करते हैं, दो लोगों ने डिसेंट नोट दिया, एक का नाम था मोहन लाल सक्सेना और दूसरे का नाम था अमजद अली। उन दोनों ने कहा, सब कागज लेकर आए हैं, यह अगेंस्ट दी कांस्टीट्यूशन है, अगेंस्ट दी आर्टिकल 14, 15 है, कास्टीट्यूशन का जो आर्टिकल 25 है, उसका वॉयलेशन है, लेकिन कांग्रेस मुसलमानों की अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के कारण इस बिल को पास कराना चाहती थी और यह प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर आया। क्या आप गैर-सरकारी बिल को सरकारी बिल बनाकर इतने दिनों तक मुसलमानों के लिए अधिकार की बात करेंगे? आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं?

तीसरा, जो सबसे इंपोर्टेंट है, जो अनुराग जी ने कहा कि पूरी दुनिया में हमसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में हैं, टर्की में हैं, सीरिया में हैं, लेबनान में हैं, सऊदी अरब में हैं। इस देश में संविधान की बात बहुत करते हैं और हम लोग संविधान की शपथ लेते हैं। मैं भी संविधान लेकर यहां बैठा हूं, यह संविधान है। इस संविधान में अमेरिका सेक्युलर है या नहीं, अंग्रेज सेक्युलर थे या नहीं? आप नार्थ ब्लॉक चले जाइए, साउथ ब्लॉक चले जाइए, प्रधान मंत्री के ऑफिस चले जाइए, राष्ट्रपति भवन चले जाइए, पुराने संसद भवन चले जाइए, आपको सब जगह गीता का श्लोक दिखाई देगा। एक चीज उर्दू में नहीं लिखी हुई है, एक चीज संस्कृत में नहीं लिखी हुई है। अमेरिका का राष्ट्रपति यदि शपथ लेगा तो वह बाइबिल पर लेगा, सारे मुस्लिम देशों के हेड ऑफ दी स्टेट यदि शपथ लेंगे, तो वे कुरान पर लेंगे। आपने किस तरह का नियम बना दिया कि हम संविधान की शपथ ले सकते है, गीता पर हाथ रखकर नहीं ले सकते हैं। आपने मुसलमानों को एक अलग कानून दे दिया।? (व्यवधान) पूरी दुनिया में कोई मुस्लिम कंट्री ऐसी नहीं है, जिसने वक्फ को इस तरह का अधिकार दिया हुआ है।? (व्यवधान) क्या आप भारत को एक मुस्लिम कंट्री बनाना चाहते हैं?? (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं इस सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वर्ष 1947 में जब जवाहर लाल नेहरू ने प्रधान मंत्री पद की शपथ ली, तो यह संविधान नहीं था, उन्होंने गीता पर हाथ रखकर प्रधान मंत्री पद की शपथ ली थी। आप उनको सेक्युलर मानते हैं या नहीं? मैं पूरा पढ़कर आया हूं कि उन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। नेहरू ने संविधान की शपथ नहीं ली थी, उन्होंने गीता की शपथ ली थी। क्या आप उनको सेक्युलर मानते हैं? ? (व्यवधान)

महोदय, अभी बहुत चर्चा चली कि वक्फ अलग है, रिलीजन अलग है।?(व्यवधान) सुखदेव जी, बैठिए। ?(व्यवधान) मेरे यहां 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। विधान सभा ने कानून बनाया है और उसका सचिव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते मैं उसका ट्रस्टी हूं। मेरे पहले जो सांसद फुरकान अंसारी थे, वे उसके ट्रस्टी थे। छः महीने पहले तक हाफीज़-उल-हसन, एक मुसलमान हमारे वैद्यनाथ ट्रस्ट के सेक्रेटरी थे। आप कहते हैं कि एक उदाहरण दे दो। मैंने उदाहरण दे दिया, मेरा ही उदाहरण है। ? (व्यवधान)

चेयरमैन सर, दो चीजें और भी बहुत इंपोर्टेंट हैं, मैं उन्हें लेकर आया हूं। एक इवैक्यूई प्रापर्टी एक्ट बना। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, वक्फ की जो सम्पत्ति है, 39 लाख एकड़ कैसे हो गई और कहां डिसप्यूट है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जब भारत के लोग पाकिस्तान गए या पाकिस्तान के लोग यहां आएं, उसमें जमीन का भी आदान-प्रदान हुआ। यह तय हुआ, यह सदन को जानने वाली बात है। जो लोग यहां से पाकिस्तान गए, उनकी प्रॉपर्टी इवैक्यूई प्रॉपर्टी के तहत भारत सरकार की हो गई। राजा साहब अभी इवैक्यूई प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे थे। जो लोग यहां से भागकर पाकिस्तान चले गए जो इवैक्यूई प्रॉपर्टी एक्ट या एनेमीज प्रॉपर्टी हो सकती थी, उन सभी ने पाकिस्तान जाकर कहा कि यह वक्फ की सम्पत्ति है। मैं होम मिनिस्ट्री के पांच आदेश लेकर आया हूं कि ये इवैक्यूई प्रॉपर्टीज एक्ट है, जिसे वक्फ ने ले लिया है और यह इलीगल है।

आईटीसी विंडसर बेंगलुरू वक्फ की प्रॉपर्टी है। फाइव स्टार होटल को दे दिया, वहां लोग सुअर खाते हैं। आप किस वक्फ की बात करते हैं, केवल पचास हजार रुपये किराया देता है। यहां ताज मान सिंह है जो एनडीएमसी की प्रॉपर्टीज है, 150 करोड़ रुपये एक साल में ताज होटल भारत सरकार को देती है। बेंगलुरू में वक्फ की प्रॉपर्टी आईटीसी विंडसर केवल पचास हजार रुपये महीने में अपना व्यापार चलाती है और लोगों को सुअर खिलाती है। किस तरह की बात करते हैं, यही वक्फ कानून आप लागू करना चाहते हैं? इसी तरह की बात करना चाहते हैं?

म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आंध्र प्रदेश में बीस साल तक टेंडर फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि जो राजा की सम्पत्ति थी, जो भारत सरकार या तेलंगाना सरकार की सम्पत्ति होती, उसको वक्फ ने ले लिया, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पचास हजार करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी कम से कम पन्द्रह सौ एकड़ जमीन हैदराबाद शहर में जबर्दस्ती वक्फ ने ले ली है। क्या इसी तरह का कानून आप लागू करना चाहते हैं?

अंत में, मैं यही कहना चाहूंगा, चाहे एनेमीज प्रॉपर्टी हो या इवैक्यूई प्रॉपर्टीज हो, वह भारत सरकार की प्रॉपर्टी है। आप वक्फ के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। आपने इस देश को वोट बैंक की पॉलीटिक्स में, मुसलमान की पॉलीटिक्स बना दिया है। हिन्दुओं से आपका कोई लेना-देना नहीं है। अंत में, मैं केवल यही कहूंगा:

मैंने समंदर से सीखा है जीने का तरीका,
चुपचाप से कहना, बहना और अपनी मौज में रहना।

अपनी मौज में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी और वक्फ को पास करेगी। हिन्दू-मुस्लिम का बंटवारा नहीं होने देंगे। एक अलग देश नहीं बनने देंगे और इस कानून को पास कराएंगे। संविधान का आर्टिकल 49 कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी भारत सरकार की है, एएसआई की है, उसका रख रखाव भारत सरकार करेगी। हम एएसआई की सम्पत्ति आपको नहीं लेने देंगे। हम इस संविधान की रक्षा करेंगे, भारत की रक्षा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के रहते सबका साथ, सबका विकास के मापदंडों पर खरा उतरेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।

SHRI ABU TAHER KHAN (MURSHIDABAD): Thank you, Chairperson sir. Today, I am speaking in this August house on behalf of the All India Trinamool Congress, opposing the Waqf Amendment Bill 2025. Hon'ble Nishikant Dubey has spoken a lot. He articulated remarkably grand pronouncements today. He should have at least considered that just as the railways own most land in India today, the minority community is donating land in the name of Allah. Muslim brothers are donating their own land for good purposes and for the development of the minority community.

On one hand, graveyards and khankahs; on the one hand, mosques and madrasas are being built for the upliftment of the poor people - the brothers of the Muslim minority community donate this Waqf property for this noble cause. And when they donate, many people raise questions about whether they have legal rights. Waqf board has a CEO-ranked person- he is the chief executive officer.

He is an SGO-ranked officer. He investigates and checks, then hearings are held, and then these are recorded. Yet, it is being repeatedly said here that there is no clarity on how these properties are being registered, and in what manner they are being registered. It is equally unfortunate and shocking that the party, which is claiming to care a lot about Muslims and is shedding crocodile tears for them, has no Muslim representation among their Lok Sabha and Assembly members. They don't have the will to make a minority representative contest the elections. Their ideology is to divide the country in the name of religion. They want to create division between Hindus and Muslims. To get their benefit, they have brought this Waqf Amendment Act into India and are creating conflict between one community and another. This is very unfortunate and abominable for us.

I would like to humbly appeal that since this donation is for the development of the Muslim community, people of other communities shouldn?t be part of the board. What about the divine properties of various Hindu communities today? How many people of any Muslim community have been made members of that trust? Where is their representation? Were they

given those opportunities? We want to know where is that opportunity being given? Nowhere. Only the Muslim community is being attacked repeatedly in various ways, is being tortured, and is being treated unfairly. We cannot support the BJP party's agenda of crushing the hopes of the minority community throughout India by hook or by crook.

I want to state one thing very clearly, we are totally opposed to this bill. Once the Bharatiya Janata Party brought a bill for the benefit of the farmers. There was a mass movement for a year, then they were forced to withdraw from that bill. Here I am proclaiming today that no matter how hard they try, they will definitely have to withdraw from this bill even after it is passed. We will not accept it in any way, and we are not going to accept it today. We will protest against it wholeheartedly.

THIRU DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. I want to oppose this Waqf Amendment Bill on behalf of Dravida Munnetra Kazhagam. What is the main reason for bringing this Waqf Amendment Bill. Reason is the number 71, 62 and 36. Do you know what it means? During 2014, BJP won 71 MP seats in Uttar Pradesh. During the year 2019, it got reduced to 62 seats and in the year 2024 that has further come down to just 36. Even way back in 1990, they wanted to demolish Babri Masjid. BJP wanted to construct Ram temple in Ayodhya. By raising slogans of Jai Sriram, BJP won 71 MP seats. When this number declined to 36 seats, they opened Ram temple. They constructed Ram temple in a large scale. But they snatched away Babri Masjid from the Muslim.

21.49 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

They even took away 4500 acres of land from Hindus for construction of this temple. Poor Hindu farmers have lost their land. Government took away land for construction of an airport, for laying roads and to build 5 Star Hotels for the rich to have a comfortable stay. What is the result of this? In the recently concluded Elections, who won from Ayodhya? The Samajwadi Party candidate won with a margin of 56, 811 votes. BJP could not tolerate this.

They want Hindus and Muslims to live in hatred. Their victory is decided by hatred, hatred and hatred. Hatred feeling, politics of hatred, divisive politics are the ways of living for them.

I want to ask them why the wolf is crying while seeing the goat getting wet on rain. Why are you worried about the problems faced by Muslims? Who brought anti-Muslim Bills time and again? It was Mr. Amit Shah. Who brought Bill on Kashmir? It was Mr. Amit Shah. We asked him. Sir, you are bringing Bill for North India. We requested him to please bring a bill for Sri Lankan Tamils also. But it has fallen on your deaf ears. Today you have brought this Bill. They say they want to protect. They say the Waqf properties are sold for less amount. They are worried. They are giving Waqf properties for lesser price. Sir I ask you If you are affected it is blood oozing out of you. But when someone else is affected, is it the tomato sauce? You sold out Air India. You sold Air India officially for Rs 16, 000 Crore. But you repaid debts to the tune of Rs. 63, 000 Crore. Not only that. You are waiving off the loans of your corporate friends like Adani and Ambani. You waived off loans to the tune of Rs 4.5 lakh Crore. Should we bring anything in this regard?

माननीय अध्यक्ष : मारन जी, एयर इंडिया को बेचने से वक्फ बिल का क्या संबंध है? आप वक्फ पर बोलिए।

SHRI DAYANIDHI MARAN : This is only about Waqf Sir. We have had women Chairperson for Waqf Board in Tamil Nadu during earlier times. Even now there are two women serving as Members of Waqf Board of Tamil Nadu. Daughter of the former MP Abdul Samad leader of Tamil Nadu Muslim League is currently a Member of Waqf Board in Tamil Nadu. You are talking about giving more importance to women in this Bill. Already women have served Waqf Boards in the past. You are doing as if it was not there before. Actually what do you want? In the forthcoming elections, you want to win in Uttar Pradesh. Only when you win, you can come to power in Uttar Pradesh. What will you do then? You thought of Waqf lands. Sir, please give me 10 minutes Sir. If you see the Waqf properties, number of such assets stand at 8,70, 000. Out of which, 9, 40, 000 acres of land is in India. Its worth is approximately Rs. 1.25 lakh Crore. Twenty-five percent of all these properties are in Uttar Pradesh. Will you leave them as it is? What will you gain by doing so? Why are you having this separatist attitude? Why this Union

Government is working against the interests of minorities? You are opposing Muslims now. Who will be the next in the lot? When Atal Bihari Vajpayee was our Prime Minister, there was a Muslim minority person who was a Minister in the Vajpayee Ji?s cabinet. Now not even a Muslim is there with you at least as a Member of Parliament. We have Muslims as our allies. In Rajya Sabha, DMK has a Muslim MP. Sir, I am finishing. Sir I am completing. Not only that. Here we have Minister of Minorities. First you will destroy Muslims. Then you will target destroying Christians. The Dalits will be affected. Nobody will remain ultimately in the list. What we asked from you Sir? You are not doing anything with right and good intentions. You are a tiger under the veil of a cow. You are trying to deceive people. You are engaged in vote-bank politics. Do not do this. Do not do this. Thank you.)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Mr. Speaker, Sir, for giving me this opportunity to take part in the discussion.

Sir, I rise to oppose the Waqf (Amendment) Bill, 2025 as it is totally anti-constitutional, anti-federal, and anti-secular. Articles 25 to 28 of the Constitution, in particular Article 26 and Article 13(2) of the Constitution are very clear that this Bill violates the fundamental right of freedom of religion. That is why, I am saying that this law will not sustain judicial scrutiny if it goes for judicial scrutiny. Definitely, it is violating Article 13(2) of the Constitution; so, it will not survive in law. The hon. Home Minister in his intervention today has made an illogical distinction between waqf and the Waqf Board.

I would like to know this from the hon. Home Minister, Amit Shah ji. Waqf means it is a dedication on the part of a believer to the God, Allah. It is a dedication and it is a gift. What is a Waqf Board? Waqf Board is meant to administer that deed or administer the gift or the dedication. What is the distinction between waqf and the Waqf Board? If waqf is religious, a body is constituted to administer that Waqf, then definitely that will also come within the purview of the religious function. So, the distinction between the religious function and the administrative function by the hon. Home Minister is not logical. It is not sustainable in law.

Absolutely, this is a religious function and that is why I am saying that it is a violation of the fundamental rights of the Constitution, that is freedom of religion under Articles 25 to 28.

Coming to the Central Waqf Council, it may kindly be seen that in the existing law out of the 22 members, 21 members belong to the Muslim community except the Union Minister who may be a non-Muslim. In the new Amendment Bill it has been reduced to a minimum of 10 number of persons out of 22. It means that the Muslim community is losing their majority. Further, it is making mandatory that two non-Muslim members shall be there in the Waqf Council and further the Chief Executive Officer can also be a non-Muslim.

I have a simple question to the hon. Home Minister. He has made a distinction. I would like to know this. What about the Devaswom and the Devaswom Board? There was the Tirumala Tirupati Devasthanam Board and the Tirupati Devaswom Board is there. Will the Devaswom Board come into the purview of the religious function or will only the Devaswom come within the purview of the religious function? I am asking this because as far as Waqf is concerned, the Waqf is administering the mosque also. Suppose, a dispute comes, then definitely it is referred to the tribunal or to the Waqf Board. The Waqf Board is administering the entire activities of the mosque also. It means that if the Devaswom and the Devaswom Board are both religious functions, then definitely the Waqf and the Waqf Board are also religious functions and inclusion of non-Muslims into this Waqf Board is an insult to that community. Will the Government allow a non-Hindu to be in the Guruvayoor Devaswom Board, in the Kochin Devaswom Board or in the Tirumala Tirupati Devasthanam Board? Definitely, it will be an insult to the aspirations and emotions of the people belonging to that community.

If that be the case, why are you making such a provision so as to insult the sentiments of a community in India? Hence, we are saying that it is targeting a particular community to deviate from the mainstream and to divide the people on the basis of religion and thereby getting political advantage out of it. So, politically also we are strongly opposing this Bill.

I am not going to the other provisions of the Bill. I have given so many amendments. I may be given time so as to explain them. As regards principles of natural justice, you are

always talking about Section 32 of the original Act, details of powers and functions, and in Section 32(2)(e) the Waqf Board, before giving any direction regarding the Waqf, the Board should give the affected parties an opportunity of being heard. This is the present Bill, but unfortunately in the Amendment Bill, which is being reported by the Joint Parliamentary Committee, the opportunity of being heard is taken away and that is being omitted. It means that it is directly affecting the principles of natural justice.

Coming to Clause 18, the Waqf Board is totally disempowered. Also, the rule-making power is with the Central Government, and the State has no provision. Hence, it is against the federal principles.

Finally, I will mention one point regarding Munambam in the State of Kerala. I am very happy to hear from both Ministers that they are very much concerned about the Munambam issue. We are all supporting the issue of Munambam, particularly where more than 600 people are residing. I would like to seek a clarification from the hon. Minister when he responds whether the newly amended provision in the Bill of 2A will help the Munambam people? Definitely, we will welcome it and there is no doubt about it. Hence, I would like to seek a clarification. We are not for any religion. All religions should be in a harmonious and friendly way so as to maintain the secular fabric and progress of the country. So, this Bill is not good for the country and that is why we are strongly opposing the Bill.

With these observations, thank you very much, Sir.

22.00 hrs

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, क्या सभा की कार्यवाही आज साढ़े ग्यारह बजे तक बढ़ा दी जाए?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या सभा की कार्यवाही इस बिल के पारित होने तक बढ़ा दी जाए?

अनेक माननीय सदस्य : जी हाँ, सर।

माननीय अध्यक्ष : जिया उर रहमान जी।

श्री जिया उर रहमान (सम्भल) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मुझे आपका संरक्षण मिलेगा, जिससे मैं अपनी बात को

मुकम्मल कर सकूंगा। मैं अपनी बात एक शेर के साथ शुरू करना चाहता हूँ।

?बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है

बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है

बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है।?

माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं इस सदन में वक्फ तरमीमी बिल, 2025 के खिलाफ अपनी बात रखना चाहता हूँ। वक्फ अमेंडमेंट बिल, 2025 के जरिए सरकार वक्फ और ट्रिब्यूनल के अधिकार को कम कर रही है। वक्फ बोर्ड के अधिकार भी काफी कम किए जा रहे हैं। यह सब इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को सरकार आसानी से अपने कंट्रोल में कर सके, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं और हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इस बिल का सिर्फ इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं कि इसे एनडीए सरकार लेकर आई है। हम इस बिल का इस वजह से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यह हमारे मुस्लिम समाज को तोड़ने का काम है। हमारे मुस्लिम समाज को कमजोर करने का काम है और इस देश के अंदर विकास में अवरोध उत्पन्न करने का काम है।

अभी माननीय अल्पसंख्यक मंत्री जी कह रहे थे कि विपक्ष गुमराह कर रहा है, बल्कि हकीकत यह है कि विपक्ष इस बिल के ऊपर गुमराह नहीं कर रहा है। आप लोग गुमराह कर रहे हैं। आप लोग इस सदन को गुमराह कर रहे हैं। आप लोग इस समाज को गुमराह कर रहे हैं। इस देश को गुमराह कर रहे हैं। आपकी सरकार का नारा था, ?सबका साथ, सबका विकास?, मैं पूछना चाहता हूँ कि यह आपका नारा खोखला क्यों है? मुस्लिम समाज को टारगेट करके नुकसान पहुंचाने की आपकी मंशा साफ हो गई है। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब भी यहां पर बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय अल्पसंख्यक मंत्री जी कह रहे थे कि जब वे चुनाव में गए थे तो उनसे कहा गया कि वक्फ बिल को लेकर आया जाए, इसलिए वे इसे लेकर आए हैं तो फिर चुनाव के समय तो उनसे यह भी कहा गया था कि दो करोड़ रोजगार दिया जाए, महंगाई कम की जाए, भ्रष्टाचार कम किया जाए। हमारे लोगों को जिस चीज की जरूरत है, उसे आप क्यों नहीं देते हैं?

मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश का मुसलमान दुश्मन नहीं है। इस देश का मुसलमान वफादार है। वह इस देश की तरक्की चाहता है। इस देश का विकास चाहता है और हमारे बुजुर्गों ने लाखों की तादाद में इस देश को आजाद कराने के समय अपनी जान-माल की कुर्बानियां देकर उसे साबित किया था। जब देश का बंटवारा किया गया था तो उस वक्त जिन मुसलमानों को पाकिस्तान से प्यार था, वे वहां चले गए, लेकिन जिनको इस हिंदुस्तान से प्यार था, वे आज इस हिंदुस्तान में है। हम इस देश के दुश्मन नहीं हैं। हम इस देश में नौकर भी नहीं हैं। हम इस देश के मालिक हैं और हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर, सारे धर्मों के लोग मिलकर इस देश की तरक्की की बात करें।

मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मुस्लिम पांच साल मुसलमान होने के बाद अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है? यह कैसा मजाक है? यह किस प्रकार की बात है? आप महिला सम्मान की बात करते हैं। महिला सम्मान की बात करें तो पहले ही बोर्ड में दो महिलाएं रहती थीं। आपने कौन सा नया तीर मार दिया। आप कौन सी ज्यादा महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं?

मंत्री जी तमिलनाडु और केरल के लोगों को काफी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि याद रखना, यह बिल इतना खतरनाक है, जो सारे समाज को तोड़ने का काम कर रहा है और बिहार तथा आंध्र प्रदेश की जनता, आपके सहयोगी दलों को कभी माफ नहीं करेगी। अगर वे इस बिल पर आपका साथ देते हैं तो वहां की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज को हक देने की बात वे लोग कर रहे हैं, जिनके पास 240 सांसद होने के बावजूद एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। मुझे अफसोस है कि आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग मुसलमानों की तरक्की की बात कर रहे हैं। आपके मुंह से यह बात अच्छी इसलिए नहीं लगती, क्योंकि मुसलमानों को उत्तर प्रदेश हो या हिन्दुस्तान का कोई सा भी हिस्सा हो, इन्हें नमाज पढ़ने से दिक्कत है। अजान से दिक्कत है, मदरसों से दिक्कत है। मुसलमानों के कारोबार से दिक्कत है। आप मुसलमानों की स्कॉलरशिप को बंद कर रहे हैं और उसके बाद वक्फ के माध्यम से मुसलमानों को आप हक दिलाने की बात करते हैं। मेरा कहना है कि क्या देश में न्यायालयों के अंदर पहले से मुकदमों की कमी है, जो इस नए बिल को लाकर नए विवादों को जन्म दिया जा रहा है? आप जैसे तो संवैधानिक प्रक्रिया पर यकीन रखते हैं। आप कहते हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हर बोर्ड में व्यक्ति को चुनना चाहिए तो फिर आप क्यों वक्फ बोर्ड के अंदर सदस्यों और अध्यक्ष को नॉमिनेट करके सरकार के कंट्रोल में सब कुछ करना चाहते हैं।

मैं अपनी बात खत्म करते हुए सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि इस बिल को वापस लेना चाहिए।

इस बात की वाजिब चिंता है कि यह विधेयक नौकरशाही की ज्यादती को बढ़ावा दे सकता है, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी में विश्वास कम हो सकता है। संस्कृति और मजहबी विरासत की हिफाजत कभी भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष जी, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं। मैं पूछना चाह रहा हूं कि दूसरे समुदाय के लोगों को वक्फ बोर्ड के अंदर रखने का क्या मतलब बनता है? क्या आप दूसरे मजहबी संस्थाओं के अंदर मुस्लिम समाज को भी रखने का काम करेंगे? इसलिए इस प्रकार का भेद-भाव और नफरत की दीवार खड़ी मत करिए। इस देश की तरक्की के लिए सब लोगों को मिलकर के साथ चलना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात इस शेर के साथ खत्म कर रहा हूं कि

नूं इंसान के बनाए हुए काले कानून,
ऐसे कानून से नफरत है अदावत है
मुझे इनसे हर सांस में
तहरीक-ए-बगावत है।

बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री राजकुमार रोत (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वक्फ (संशोधन) बिल पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं और मेरी पार्टी इस बिल का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। आज 2 अप्रैल है और 2 अप्रैल का इतिहास आने वाले समय में उस हिसाब से पढ़ा जाएगा। मैं वर्ष 2018 की बात कहूंगा। 2 अप्रैल के दिन इस देश के अंदर एससी-एसटी एक्ट को छेड़छाड़ और उसे कमजोर करने का काम किया गया था और 2 अप्रैल के दिन पूरे देश के अंदर एसटी-एससी ने आंदोलन किया था। उस समय जो शहीद हुए थे, मैं उन लोगों को भी याद करना चाहूंगा। आज का 2 अप्रैल के दिन को आने वाले समय में एसटी-एससी, मुस्लिम अल्पसंख्यक के लिए काला दिवस के रूप में जाना जाएगा। हमारा देश में अनेक विविधताओं के बावजूद विश्व में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज इस भारत देश में वक्फ बिल, औरंगजेब, हिजाब, मंदिर-मुस्लिम, हिंदू-मुस्लिम, मंदिर-मस्जिद करके नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, जिससे देश को कमजोर करने का काम किया जा रहा है।

हमारे देश के अंदर एक वक्त हुआ करता था, जब देश में मुस्लिम धर्म के त्यौहार आते थे, तो हिन्दू धर्म सहित अन्य धर्म के सब लोग मिल कर खुशियां मनाते थे। एक तरफ जब हिंदू धर्म के त्यौहार आते थे, तो मुस्लिम खुशियां मनाते थे और मुस्लिम धर्म के त्यौहार आते थे तो हिंदू धर्म के लोग खुशियां मनाते थे, लेकिन आज वह दौर आ गया है कि घर के अंदर आइसोलेट करने की बात होती है। एक धर्म से एक दूसरे धर्म की रक्षा करने के लिए पुलिस जाप्ता लगाना पड़ता है। ऐसा माहौल बनाया गया है। इस तरह का माहौल हमारे देश के लिए घातक रहेगा। भारत देश का गौरवशाली इतिहास रहा है। जब मुस्लिम की बात आती है तो हम लोगों को धर्म में क्यों बांटते हैं। इस इतिहास के अंदर मुस्लिम धर्म का भी बहुत सारा योगदान रहा है। मैं दो उदाहरण बताना चाहूंगा। खानवा का युद्ध हुआ। राणा सांगा के साथ हसन खां मेवाती लड़े थे और उस खानवा के युद्ध में 12000 मुस्लिम मारे गए थे। मैं उसे धरती से चुन कर आया हूं। महाराणा प्रताप की जो धरती है, उसके सेनापति हकीम खां सूरी थे और दूसरे सेनापति राणा पूंजा भील, जो आदिवासी समुदाय से आते थे। उस दौरान देखा गया है कि हकीम खां सूरी और राणा पूंजा महाराणा प्रताप के साथ जब खड़े थे, तो महाराणा प्रताप के सगे भाई शक्ति सिंह और जगमाल अकबर के साथ खड़े थे। वह दौर हुआ करता था। आज मैं बताना चाहूंगा कि देश के इतिहास के किसी भी पन्ने को उठाकर देख लो, बाहरी आक्रमणकारी से हर वह युद्ध हम लड़े हैं और जीते हैं, जब हम धर्म में बंटकर नहीं बल्कि एक साथ मिलकर लड़े हैं। हम हर वह युद्ध हारे

हैं, जिस वक्त हम धर्म में बंट गए हैं, उस दौरान हम वह युद्ध हारे हैं। इतिहास के हर पन्ने में देखा जाए कि जब हम धर्म में नहीं बंटे हैं, हम एकजुट हो कर के लड़े हैं, तो बाहरी आक्रमणकारी को हमने भगाया है, लेकिन धर्म में बंटने पर हम बाहरी आक्रमणकारी को नहीं भगा पाए हैं। यही भविष्य में होगा। हमें भविष्य में विदेशी ताकतों से खतरा नहीं है। हमारे ही देश के अंदर हम लोगों के आपस में टकराव और नफरत पैदा हो जाएगी, जो दिक्कत करेगी।

अंत में, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। वक्फ बिल किसी व्यक्ति द्वारा जिसका कोई वारिश नहीं हुआ करता था, वह समुदाय की भलाई के लिए दान दिया करता था। जो संपत्ति मुस्लिम समुदाय के साथ धार्मिक-सामाजिक कल्याण के लिए होती थी। आज उसका व्यावसायीकरण किया जा रहा है। आज मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, कल आदिवासी, दलित, ईसाई और गरीब हिन्दू के भी धार्मिक संपत्ति को हड़पने का काम किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, जब झारखंड में भाजपा की सरकार थी तो आपने वक्फ की तर्ज पर ही आदिवासी दलितों के जो पूजा स्थल थे, उनकी जमीन को लैंड बैंक के रूप में उपयोग करने का काम किया था तो आदिवासी समुदाय ने उसका विरोध किया था। आप वक्फ बिल में आप गैर-मुस्लिम समुदाय और दो महिला, अध्यक्ष कलेक्टर को बनाया जा रहा है। यह अच्छी बात है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि देश के अंदर ऐसे कई घटनाएं हुई हैं कि जहां हिन्दुओं के मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को भी वंचित किया जा रहा है।? (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि वक्फ संशोधन, 2025 पर बोलने का मौका दिया।

मैंने गृह मंत्री और पूरे देश के विद्वानों की बातें सुनी हैं। इधर और उधर से सदस्य बोले और जमकर बहस हुई। आज आवश्यकता बेरोजगारी पर चर्चा करने की है। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठिए। क्या आप वक्फ बिल के बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं?

? (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल : महोदय, जब आप और गृह मंत्री जी बैठते हैं तो हम आधी बात बोल ही नहीं पाते हैं।? (व्यवधान) आप छोटी पार्टियों को कहते हैं कि बाहर जाओ तो हम बाहर चले जाते हैं। आप कम से कम पांच मिनट बोलने का समय दें। हम सुबह से बैठे हैं और सिंगल पार्टी के लोग ही कोरम पूरा करते हैं। ? (व्यवधान)

महोदय, यहां सारी चर्चा हुई। निश्चित रूप से मुसलमानों को मैसेज जा रहा है कि जो बिल आ रहा है, वह मुसलमानों के खिलाफ है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मुस्लिम क्रांतिकारियों ने आजादी के आंदोलन में अपना योगदान दिया था। इनमें मौलाना अबुल कलाम आजाद, अशफाक उल्ला खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और

मौलाना हसरत मोहानी जैसे नाम शामिल हैं। जब सरकार इस प्रकार का विधेयक लेकर आई है तो इनका योगदान नहीं भूलना चाहिए और इस तरह का मैसेज देश में नहीं जाना चाहिए।

अध्यक्ष जी, जब यह बिल आया था तो यहां बड़ी चर्चा हुई, गरमागरमी में सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि बिल को जेपीसी में भेजा जाए और यह बिल जेपीसी में चला गया। जेपीसी की खबर हम रोज पढ़ते थे कि विपक्ष के सांसद जब अपने सुझाव रखना चाहते थे तो उनको बोलने नहीं दिया जाता था। जेपीसी में जब अन्य सुझाव आए तो खाली फार्मेलिटी की गई, जो सुझाव और संशोधन इसमें आने चाहिए थे, नहीं लिए गए। मेरी मंत्री जी से मांग है कि आप इस पर बड़ा मन रखकर विचार करें। अभी बिल से परमानेंट कुछ नहीं होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई सरकार परमानेंट रहेगी। आप विशेष रूप से और चीजों पर भी ध्यान दें।

महोदय, आपने इसमें एक संशोधन किया है। पिछले कुछ वर्षों में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए गए हैं, क्या यह समाधान उन्हीं आरोपों के खिलाफ है या कोई राजनीतिक एजेंडा है? मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह बिल धार्मिक स्वतंत्रता में दखल तो नहीं देगा? देश का आम मुस्लिम इसका विरोध क्यों कर रहा है? आम मुस्लिम विरोध कर रहा है।

मैं आपको अपने इलाके की बात बताता हूं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मकराना, लाडनूं, नागौर और डीडवाना के लोग कह रहे हैं कि इतना हल्ला हो रहा है, आप वहां संसद में क्या कर रहे हैं? यह तो अच्छा हुआ कि आपने आज मुझे बोलने का मौका दे दिया, अगर नहीं देते तो मुझे बाहर जाकर सुनना पड़ता कि क्या आप अंदर क्या कर रहे थे? क्या आप अंदर सो रहे थे? हम तो अपनी बात आप तक ही रख सकते हैं। आप छोटी पार्टियों को संरक्षण देते हैं। मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूं कि आज आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।? (व्यवधान) आप मुझे बोलने दें, आप अपना काम करें, मैं अपना काम कर रहा हूं। अब की बात हम चुनकर कैसे आए हैं, आप तो सारी बात जानते हैं। ? (व्यवधान)

महोदय, मुस्लिम समाज की बात चली है, मैं अवगत कराना चाहता हूं कि इनको आर्थिक, सामाजिक और सामाजिक असमानताओं का सामना करना पड़ रहा है। वक्फ विधेयक से सरकार की नीतियों में बदलाव आएगा। मुसलमानों की शिक्षा और रोजगार की स्थिति में कोई व्यापक सुधार 70 सालों में नहीं हुआ। ये लोग भाषण दे रहे थे, लेकिन मुसलमानों का सुधार आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से नहीं हुआ है और इसमें कहीं न कहीं दोष इन लोगों का भी है। हम इस विधेयक के खिलाफ हैं। कांग्रेस पार्टी यह विचार करती तो निश्चित रूप से नौकरियों और अन्य बातों में बहुत बड़ा फायदा हो सकता था।

महोदय, क्या यह विधेयक वक्फ की संपत्तियों को सरकारी संपत्ति घोषित करने की कोई साजिश है? मैं पूछना चाहता हूं कि इस बिल में लोगों को नॉमिनेट करके और कलेक्टर को पावर देकर सारी संपत्तियों को सरकारी संपत्तियां घोषित तो नहीं कर देंगे? यह बहुत बड़ा मुद्दा है जो देश के प्रत्येक व्यक्ति के मन में है।

अब मैं सामाजिक ताने-बाने की बात करना चाहता हूं। इस बिल को लाने के पीछे सरकार की मंशा पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं क्योंकि आपकी नीतियां उद्योगपतियों के हितों को देखकर बनती हैं, जैसे जमीन को धार्मिक और सामाजिक कल्याण के लिए संरक्षित करना, उसे हड़पकर बड़े उद्योगपतियों में बांटना और मुस्लिम समुदायों के अधिकारों के खिलाफ जाना। यह कैसे सुनिश्चित होगा कि मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन नहीं होगा?

यह सरकार द्वारा जमींदारों और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। यह अन्यायपूर्ण नीति न केवल संविधान के मूल्यों के खिलाफ है, बल्कि सामाजिक ताने-बाने को भी कमजोर करने का बड़ा षड्यंत्र है। मैं इन पन्नों में ज्यादा नहीं जाऊंगा। फिर आप कह दोगे कि पन्ने पढ़ रहा है।

मैं राजस्थान की बात करूंगा। राजस्थान में जो वक्फ की संपत्तियां हैं, मेरे प्रदेश के अंदर वक्फ की कौन सी संपत्तियां हैं? उनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। राजस्थान प्रदेश में वक्फ की कौन-कौन सी संपत्तियां सरकार की तरफ जा सकती हैं। राजस्थान का मुसलमान भी देख रहा है कि हमारे हितों पर कुठाराघात हो रहा है। देखिये, राजस्थान से 11 एमपीज़ चुनकर आए। कांग्रेस पार्टी 11 में से कम से कम एक को तो बोलने का मौका देती। मैं ही बोल रहा हूं। यह सारा मेरे ही खाते में है। मैं ही यहां पर लड़ाई लड़ रहा हूं। मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं अपने समाज के लिए लड़ रहा हूं, अग्निवीर की लड़ रहा हूं, किसान की लड़ रहा हूं, बेरोजगारों की लड़ रहा हूं, बढ़ती महंगाई की, भ्रष्टाचार की और बढ़ते अपराधों की, सारी लड़ाई मुझे ही लड़नी पड़ रही है। मैं इस बिल का विरोध करता हूं। मैं चाहता हूं कि यह बिल वापस हो। ? (व्यवधान)

श्री अब्दुल रशीद शेख (बारामूला) : स्पीकर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

आपको मालूम है कि मैं किस तरह आग के दरिया से कूद कर यहां तक आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे पूरे 7 मिनट मेहरबानी करके दे देंगे। यह तो मालूम है कि बिल पास होना ही है, क्योंकि नंबर्स इनके पास हैं। नंबर्स उस साइड है। अल्लामा इकबाल ने इसलिए कहा है?

?जम्हूरियत इक तर्ज़-ए-हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तौला नहीं करते।?

मैं यह अर्ज करूंगा कि इस बिल की टूथ एंड नेल मुखालफत करता हूं। उसके अपोजिशन में खड़ा हूं। मुझे सिर्फ चार बातें कहनी हैं और वह मुझे कहने दीजिए। मुझे तीन बातें देश की दो बड़ी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस से कहनी है। मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से दोस्ती भी नहीं। मुझे दुश्मनों ने भी मारा और दोस्तों ने भी मारा। मैं यही कहूंगा और मुझे चौथी बात हिन्दुस्तान के मुसलमानों से कहनी है। अगर आप इजाजत दें तो मुझे देश के मुसलमानों से कहनी है। कांग्रेस विद ड्यू रेस्पेक्ट, दुनिया को पता है कि बीजेपी खुलकर मुसलमानों को अपनी औकात याद दिलाती है। यह सच्चाई है। इसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, यह सेकुलरिज्म

के मीठे रस में खंजर डाल कर मुसलमानों के पीठ के पीछे घोंपते हैं। यह भी सच्चाई है। आप प्लीज मेरे लिए ताली मत बजायें। मुझे लेबल लगेगा। अगर मैं कुछ और कहूंगा तो आप नाराज होंगे। Please wait for a minute. मेरी यह गुजारिश है। मैं तीन बातें याद दिला दूंगा। अक्सर बाबरी मस्जिद का जिक्र होता है, राम मंदिर का जिक्र होता है।

I am not on merits. I just want to remind the Congress and the BJP something, especially the Congress. क्योंकि मुसलमानों का ज्यादा ठेका तो इन्होंने ही लिया है। बाबरी मस्जिद का ताला तो राजीव गांधी जी ने खोला। आप इंकार ही नहीं कर सकते, बाकी इमारत उस पर उन लोगों ने बनाई। इसी तरह यूएपीए, जिसमें सैकड़ों लोग जेलों में मर रहे हैं। वह पौधा तो कांग्रेस ने लगाया, उसमें मुसलमान ही ज्यादा मर रहे हैं। इन्होंने उसमें थोड़ा शाख़ तराशी करके उसके आगे खाद डाली।

तीसरा, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने आर्टिकल 370 के बारे में बिल्कुल सही फरमाया। आपने सही कहा, आपके पास नंबर्स हैं। You can do anything. लेकिन आप यह भी याद रखिये कि आर्टिकल 370 को खोखला कांग्रेस ने ही किया। जब उमर साहब के साथ इलैक्शन लड़ा, तो इन्होंने आर्टिकल 370 के नाम पर वोट मांगे। आप कश्मीर में जाकर सोशल मीडिया के वीडियो निकाले। कांग्रेस के जो पांच एमएलएज़ बने हैं, सब ने आर्टिकल 370 के रेस्टोरेशन के लिए वोट मांगा। मैं पूछना चाहता हूं कि इनका स्टैंड क्या है? होम मिनिस्टर साहब ने सही कहा, कुछ नहीं हुआ। उमर साहब तो सरकार चला रहे हैं। जनाब, आपने उनके हाथ में, जैसे छोटा बच्चा जब रोता है, तो आप उसको जहाज का खिलौना देते हैं। वह जहाज मांगता है, आपने उनके हाथ में खिलौना दिया है, वह तो खुद कहते हैं कि मैं तो म्यूनिसिपैलिटी का सीएम हूं। उन्होंने खुद कहा। दूसरी बात है कि उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं कि वे आपसे यह कहें कि अगर आर्टिकल 370 नहीं, 35ए नहीं, कम से कम स्टेटहुड तो वापस दे दीजिए। उसके लिए भी हमें भीख मांगनी पड़ रही है। मैं आपसे गुज़ारिश करता हूँ, If all of you really believe in your principles, आप नॉर्थ-ईस्ट के लोगों से बात करते हैं, आप हर जगह के लोगों से बात करते हैं, We welcome that. आपको कश्मीर के लोगों से बात करने में कौन-सी चीज रोक रही है?

अंत में, मुझे हिन्दुस्तान के, पूरे देश के मुसलमानों से गुज़ारिश करनी है। मैं दामन फैलाकर कहूँगा। Why should we become vote bank? हम बीच में क्यों मारे जा रहे हैं? हिन्दुस्तान के मुसलमानों की अपनी आइडेंटिटी है। We are beyond vote bank. We belong to this soil. पूरे हिन्दुस्तान पर मुसलमानों का उतना ही अधिकार है, जितना हमारे हिन्दू भाइयों का है। Why do Indian Muslims need to prove their identity and their loyalty? बाकी चीजों को उनको क्यों बार-बार साबित करनी पड़ती है? मुसलमानों से मेरा एक ही आग्रह है, यह नम्बर गेम है और बीच में आप मारे जा रहे हो। यह 80 और 20 का मामला है। आप अपनी स्ट्रैट्जी चेंज करो। मेहरबानी करके आप अपना फोकस, यहाँ पर बाकी विद्वान लोग भी बैठे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी से मेरी अपील है कि आप

मेहरबानी करके इस नम्बर गेम में मत पड़ो। ये लोग आपको जख्म देकर तलवार चलाकर जख्मी करते हैं, इनको वोट मिलता है और ये लोग उन जख्मों पर थोड़ा मरहम या नमक डालकर ये लोग वोट माँगते हैं। आप बीच में मारे क्यों जा रहे हो? यह आपका देश है। आप नम्बर गेम में नहीं जीत पाओगे। अगर कल आपका प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा, तो भी आपकी तकदीर बदलने वाली नहीं है, जब तक आप अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं करोगे।

अब मैं वक्फ के हवाले से कहना चाहता हूँ। मैंने पहले ही कहा कि मैं बिल के बिल्कुल खिलाफ हूँ। Let the Muslims of the country introspect. वक्फ की प्रॉपर्टीज का और हम भी कहीं गलत तो नहीं हैं। हमने वक्फ से कितने अस्पताल बनाये, हमने कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई, हमने वक्फ से कितने काम किये हैं, हमने कितने स्कूल्स और कॉलेजेज बनाए, यह सोचने की बात है।

मेरी सिर्फ इतनी गुज़ारिश है कि क्या वक्फ की प्रॉपर्टीज का मिसयूज, उनका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। कहीं पर 50 रुपए किराया है, जिसका किराया 10 हजार रुपए और 20 हजार रुपए होना चाहिए था। I am talking about Jammu and Kashmir. मुझे 6 साल पहले का पता है। इसलिए हमको भी इंटोस्पेक्शन करने की जरूरत है। अगर हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, तो जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, उसमें बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज, अस्पताल, कॉलेज खोलें। Let us do something for the community. Let us do something for the humanity.

मैं अपने उलमा-एकराम के नाम अल्लामा इकबाल का एक शेर कहना चाहूंगा, उसी से शुरू भी किया गया है।

?हुए किस दर्जा फ़कीहाने हरम बे तौफ़ीक़,
खुद बदलते नहीं, क़ुरआन बदल देते हैं।?

मैं एक आखिरी शेर कहना चाहूंगा।

हुकूमत है आनी-जानी, है मोहब्बत मगर जाबेदानी,
ये तख्तो-ताज तुमको मुबारक, हम दिलों पर हुकूमत करेंगे।

थैंक यू सर।

श्री मोहम्मद हनीफ़ा (लद्दाख) : ऑनरेबल स्पीकर सर, हुकूमत का कहना है कि पूरे मुल्क में वक्फ ज़ायदाद के इंतजाम और निगरानी को बेहतर बनाने के लिए लाया गया है। लेकिन इसमें तजाविज ऐसी हैं, जो गहरी फिक्र और परेशानी का सबस बनती हैं। ये तजाविज सिर्फ मुस्लिम बिरादरी की मजहबी और तहजीबी विरासत को मुत्तासीर नहीं करेंगी, बल्कि आइनी हुकूक और मजहबी आज़ादी पर भी सवाल उठाती है।

इस बिल के तहत मरकजी वक्फ काउंसिल और रियासती वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम अफरात की तकरूरी की तजवीज़ दी गई है। यह सिर्फ एक इंतजामी तब्दीली नहीं, बल्कि एक आइनी सवाल भी उठाता है। वक्फ जायदाद इस्लाम की मजहबी रवायात से जुड़ी हुई है। मस्जिद, दरगाह और वक्फ बोर्ड के तहत चलने वाले दूसरी मजहबी इदारे

हमेशा मुस्लिम बिरादरी के जेहरे-इंतजाम रहे हैं। इसलिए वक्फ बोर्ड मुस्लिम बिरादरी की मजहबी आज़ादी का एक अहम हिस्सा है। यह काम हमारे आइनी दायरे में आर्टिकल 26 के खिलाफ अर्जी करते हैं, जो हर मजहबी तबके को अपने मजहबी कामों के इंतजाम खुद करने का हक देता है। अगर गैर-मुस्लिम अफरात को वक्फ बोर्ड में शामिल किया गया, तो यह मुस्लिम बिरादरी के मजहबी हुकूक में सीधी मुदाखिलत होगी।

सर, आज यहाँ पर दो मेम्बर्स ने जिक्र किया और मैं भी जिक्र करना चाहता हूँ कि बोध गया में जो महाबोधि टेम्पल है, आज बुद्धिस्ट बिरादरी के उनके जो मॉन्क्स हैं, वे पिछले कई महीनों से हड़ताल पर हैं। वे एहतिजाज कर रहे हैं क्योंकि मसला यह है कि जो महाबोधि टेम्पल है, वह एक कमेटी के द्वारा चलता है। उस कमेटी में गैर-बुद्धिस्ट मेम्बर भी हैं। इस वजह से, वे लोग अपने मजहब के हिसाब से वहाँ काम नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले दिनों में वक्फ बोर्ड में अगर गैर-मुस्लिम लोगों को रखा जाएगा, तो यह मसला इसमें भी आने वाला है।

इस बिल में एक और अहम और परेशां कुन्तलवीज़ वक्फ-बाय-यूज़र के उसूल को खत्म करना है। पहले जो जायदाद लंबे अरसे से मज़हबी अफलाइन मुकासिद के लिए इस्तेमाल हो रही थी, उन्हें वक्फ का दर्जा दिया जाता था। आज मुल्क में 50 परसेंट से ज्यादा वक्फ जायदादों को बाय-यूजर के तहत फसलीम शुदा है, जिनमें से ज्यादातर अनरजिस्टर्ड हो सकती हैं। लेकिन, अब इसे खत्म करने का तज़बीर से, जिससे बहुत सी जायदादें, जो मुस्लिम बिरादरी के मज़हबी और सामाजिक कामों के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, मुतानिज़ा हो सकती हैं, डिस्प्यूटेड हो सकती हैं। जो जायदाद 100 साल, 200 साल या इससे भी ज्यादा अर्से से मज़हबी कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है, अब वे कहां से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे?

सर, इस बिल के तहत अपनी ही जायदाद को वक्फ करने के लिए जो पांच साल की मज़हबी इबादार लाज़मी करार दी गई है, क्या यह आईन के आर्टिकल-25 के खिलाफ अर्ज़ी नहीं है, जो कि हर शख्स को मज़हबी आजादी का बुनियादी हक देता है। आज जो काम वक्फ ट्रिब्यूनल का है, उसे हटाकर इस बिल के तहत सारे अख्तियारात डीएम या रियासत-ए-हुकूमत के किसी सीनियर ऑफिसर को दिए गए हैं।

सर, वक्फ में इस्तिलाहात करने के बजाए हुकूमत इसे मुकम्मल तौर पर खत्म करना चाहती है। वक्फ एक मज़हबी और फलाइन नारा है, जिसका इंतज़ाम सिर्फ मुस्लिम बिरादरी के हाथ में रहना चाहिए। वक्फ जायदाद के लिए बेहतरीन इंतज़ाम और हिफ़ाज़त जरूरी है, ताकि मज़हबी और तहज़ीबी विरासत महफूज़ रहे।

सर, इसलिए, मैं आज इस बिल के खिलाफ खड़ा हूं। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एडवोकेट फ्रांसिस जॉर्ज।

? (व्यवधान)

ADV. FRANCIS GEORGE (KOTTAYAM): Sir, we are at the fag end of the discussion on Waqf (Amendment) Bill.

The Home Minister while speaking said that the Kerala Catholic Bishops Conference and the Catholic Bishop Conference of India are supporting this Bill.

What exact they said? They said if there are any provisions in this Bill to help the hapless people of Munambam, then it has to be supported. That is all.

The Minister mentioned about the grievances of Munambam. The occupants of Munambam requires a permanent solution which necessarily shall not be interdicted by any court by any reason including the reason of unconstitutionality of the amended provision.

The occupants of Munambam purchased the property in Munambam when having valid title deeds which are registered as early as in the year 1989-1993.

During the said period, the said properties were not included in the Asset Register of Waqf Board. The above properties were registered in the Waqf Asset Register during the year 2019 on the basis of the recommendation of the Inquiry Commission named Nizar Commission. There is ambiguity in Section 51, Section 51(1)A and Section 52 of the Waqf Act as to whether the transfer become *void ab initio*, if that transfer is in regard to a property which is not included in the asset register or not. By making such clarification in the above Section, the entire issue can be sorted out simply by making ambiguous provisions unambiguous and it can be done without affecting any fundamental rights of the Muslim community.

Only because of the reason the Bill was circulated belatedly, we were not able to place the amendment within the time as stipulated in Rule 78 of the Rules of Procedure of Loka Sabha.

I request the Minister to make necessary amendment in the said provision without affecting any right of our brothers and sisters. ? (*Interruptions*)

Please Sir. What is this, Sir? I have been very patiently waiting since afternoon. You have given time to all the Members to speak. You are only cutting me out.

Sir, please give me 1-2 minutes.

The amendment carried out through this Waqf Bill 2025 is very much in conflict with fundamental right prescribed in Part III of the Constitution including violation of Articles 25, 26 and 29 and there is every probability of declaring the same as Unconstitutional by the Supreme Court on the test of Article 13 of the Constitution and also due to non-conformity with the Constitutional provisions.

The Home Minister said that the Government is trying to uplift the minorities. I have a whole list of attacks starting from 2014 to latest 31st March, 2025 on the Christians and Muslim minorities in this country. Due to paucity of time, I am not going into all the details.

In Clause 2A, the trusts are being taken out of the ambit of this law. And also, Clause 34 gives a clear provision for appeal. Well, we have no quarrel with those provisions. But there are issues which I would like to point out.

In Section 3F, the definition of Government organisation in Section 3FA is so wide that even an autonomous body under the Central or State Government can raise a claim against a waqf property.

The definition of a Government organisation under Section 3 (f) (a) is so wide that even an autonomous body under the Central or State Government can raise a claim against a worker's property. Under Clause r of Section 3, inclusion of words ?showing or demonstrating that he is practising Islam for at least five years? creates an opportunity for anyone to challenge a dedication by any person, and these words are highly ambiguous.

The term ?practising Muslim? carries far-reaching implications. Whether a Muslim is practicing or not is subjective. There is no provision for the registration of existing waqf by users that are not yet registered. There should be a provision for the registration of existing waqf by users, which are not yet registered, by fixing a time period for such registration.

Section 3 (c) grants unbridled power to the District Collectors or designated officers to conduct inquiries, even without hearing the mutawalli or interested persons to determine whether a property is a waqf property. No provision is provided against the report of the

designated officer, and even corrections to revenue records can be carried out without intervening in the waqf property.

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : महोदय, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले कहना चाहता हूँ, क्योंकि राजकुमार जी भी इस बात को कह रहे थे कि यह 2 अप्रैल का दिन विशेष है। मैं सहारनपुर जेल में था, 2 अप्रैल 2018 को आंदोलन हुआ, 13 नौजवानों ने शहीदगी दी। मैं उनको नमन करता हूँ। आज फिर 2 अप्रैल है, एक और शहीदगी की तैयारी लग रही है। मैं उन क्रान्तिकारियों को भी आज याद करता हूँ, मुस्लिम क्रान्तिकारी, जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया।

सर, अंदाज-ए-जमाना कहता है कि ?मौज-ए-हवा रूख बदलेंगी, अंगारों से गुलशन फूटेगा, शबनम से शरारें निकलेंगी?।

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संवैधानिक मूल्यों एवं साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए गंभीर खतरा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संवैधानिक अधिकारों, विधिक सिद्धांतों और धार्मिक स्वतंत्रता पर गंभीर आघात है। विधेयक वक्फ प्रबंधन को कुशल और प्रभावी बनाने का दावा करता है, लेकिन इसके 44 संशोधन इन वादों को पूरा करने में असफल हैं।

हमारा मानना है कि इस संशोधन से स्पष्टता, साक्ष्य और मूल कारण विश्लेषण का अभाव होगा। पूर्व संशोधनों का मूल्यांकन नहीं होगा। हित धारकों से परामर्श की पारदर्शिता नहीं होगी। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 50, आर्टिकल 300 और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों, स्थापित कानूनों, इस्लामी सिद्धांतों और संविधान की भावना का उल्लंघन होगा।

असत्य वादे बनाम वास्तविक प्रभाव :

विधेयक सुधार और सशक्तिकरण का दावा करता है, लेकिन वास्तव में धार्मिक संपत्तियों के पुन:वर्गीकरण/जब्ती का प्रावधान (संशोधन 39ए)। ऐतिहासिक मस्जिदों, कब्रिस्तानों को सरकारी संपत्ति घोषित करना, जिससे साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। जिलाधिकारियों को अत्यधिक अधिकार प्रदान करना (संशोधन 5बी)।

सर, जिलाधिकारी सरकार के होते हैं, सरकार के हिसाब से काम होते हैं। यहाँ जितने भी विपक्ष के एमपी बैठे हैं, इनसे पूछकर देखो कि इनके जिले में क्या हाल है, जिलाधिकारी इनकी सुनता है या नहीं सुनता है। यहाँ विपक्ष के एमपी बैठे हैं, इनसे पूछकर देखिए, आपको पता लग जायेगा।

सर, धार्मिक विशेषज्ञता या समुदाय की सलाह के बिना निर्णयों से संपत्ति विवाद और विश्वास की कमी उत्पन्न होगी। ट्रिब्यूनल की शक्ति कमजोर करना और मुस्लिम प्रतिनिधित्व हटाना (संशोधन 10बी)। धार्मिक कानून की त्रुटिपूर्ण व्याख्या और पक्षपाती निर्णय। दानकर्ता की इच्छा की उपेक्षा व धार्मिक स्वतंत्रता का हनन (संशोधन 5(ए))।

दानकर्ताओं द्वारा समर्थन वापस लेना, जिससे सामुदायिक संस्थाएं कमजोर होंगी। गैर-मुस्लिमों द्वारा स्थापित वक्फ सुरक्षा समाप्त करना (संशोधन 104 की समाप्ति)। इससे अंतर-धार्मिक सौहार्द प्रभावित होगा। सदियों पुरानी धार्मिक संपत्तियों पर सीमा अधिनियम लागू करना (संशोधन 27(बी))। कब्जा की गई संपत्तियों की स्थायी हानि। धार्मिक विशेषज्ञों को दरकिनार कर वक्फ निर्धारण करना (संशोधन 6(सी))। धार्मिक ज्ञान के अभाव में संपत्तियों का गलत वर्गीकरण। अपंजीकृत वक्फ घोषणाओं को अपराध घोषित करना (संशोधन 3/12)। भय के माहौल में धार्मिक दान में गिरावट। मनमाने सर्वेक्षण और वर्गीकरण की अनुमति देना (संशोधन 8ए)।

माननीय अध्यक्ष : वकील साहब, धन्यवाद।

एडवोकेट चन्द्र शेखर : सर, पूरा हो जाने दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : आप तो सारी धाराएँ पढ़ दोगे।

एडवोकेट चन्द्र शेखर : सर, मैं दो मिनट में खत्म करूँगा। सर, यह महत्वपूर्ण है, मौका दीजिए।

बिना जवाबदेही के बड़े पैमाने पर वक्फ संपत्तियों का पुन: वर्गीकरण। प्रशासनिक भ्रम और प्रभावशीलता को नुकसान पहुँचाना (संशोधन 12(डी))। कानूनी विवाद और कुप्रबंधन से वक्फ बोर्डों की विश्वसनीयता को नुकसान। अस्पष्ट आधारों पर राज्य द्वारा वक्फ बोर्डों को भंग करने का अधिकार (संशोधन 3(सी))। राज्यों में व्यापक विरोध, प्रदर्शन और धार्मिक लक्ष्यीकरण के आरोप। सार्वजनिक हित के नाम पर वक्फ प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण (संशोधन 3सी2)। व्यापक स्तर पर अशांति, विरोध प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति।

सर, सरकार का उद्देश्य यह नजर आता है कि मुस्लिम समुदाय के योगदानों पर नियंत्रण स्थापित करना, मुसलमानों को उनकी वक्फ संपत्तियों से वंचित करना, वक्फ स्थापित करने के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना, वक्फ, वाकिफ और मुतवल्ली की इस्लामी परिभाषाओं में परिवर्तन करना। इस विधेयक को वर्तमान रूप में अस्वीकार करें और समावेशी परामर्श, कानूनी स्पष्टता, संवैधानिक और धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

सर, यह तो बिल के ऊपर था, क्योंकि आप कहते हैं कि बिल के ऊपर बोलना चाहिए, इधर-उधर नहीं बोलना चाहिए। लेकिन, मैं सुबह से सुन रहा हूं।

सर, दो-तीन चीजें हैं, जिनके बारे में मैं बोलूंगा।

माननीय अध्यक्ष : जो विद्वान होते हैं, वे बिल के ऊपर ही बोलते हैं।

एडवोकेट चन्द्र शेखर : सर, मैं बस अपनी बात खत्म कर रहा हूं।

सर, सरकार कितनी हितैषी है? केन्द्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। सच तो यह है कि अभी ईद पर नमाज़ पढ़ने के लिए भी नए नियम बनाए गए। जो नमाज़ पढ़ रहे थे, उनके पीछे पुलिस कर्मचारी लाठी लेकर खड़े

थे, यह मैंने खुद देखा है। अगर सरकार इतनी हितैषी है तो क्या सरकार सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा कराएगी? बिलकिस बानो के आरोपियों का जेल से आने के बाद स्वागत किया गया।

सर, मुसलमानों की जमीन की बात है। एस.सी., एस.टी. की जो जमीन है, वे छीनी जा रही हैं। कानून से ऊपर उठकर मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाए गए, यह सबने देखा। ये सुरक्षा की बात करते हैं। लिंचिंग की गयी, मुसलमान मारे गए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि कांवड़ यात्रा में गरीबों के ठेलों पर नाम मत लिखवाओ, देश को मत तोड़ो।

सर, अन्त में, ?बात निकली है तो दूर तक जाएगी।? पार्टी, सरकार के नेता यात्रा निकाल कर कहते हैं कि मुसलमानों को भगाओ। पिछली बार एक मुस्लिम एम.पी. के बारे में क्या-क्या शब्द नहीं कहे गए, उसकी कोई निंदा नहीं हुई और उसका प्रोमोशन हुआ। कभी आपके नेता कहते हैं कि ?गोली मारो? और आप हिन्दू राष्ट्र की बात करते हैं।

सर, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और अपनी एक शायरी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मैंने आज दोनों तरफ से बहुत सुना हूं।

?जब तक न बदले, ज़ालिम हुकूमत का मिज़ाज.,
एहतेज़ाज़, एहतेज़ाज़, एहतेज़ाज़।?

सर, यह तब तक रहेगा जब तक सरकार अपनी सोच नहीं बदलती।

SHRI ABHIJIT GANGOPADHYAY (TAMLUK): Sir, I am grateful to the Prime Minister, the Home Minister, and other leaders of our party who have given me a chance to speak on this important Bill.

My speech might be the shortest. For the first time, when the bill was introduced, a very obnoxious campaign was going on all over India, including my State, West Bengal. I want to know from the persons, the political leaders, who were campaigning in a very obnoxious way, kindly show to this House any one provision, one line or one word where it has been stated that the Muslims' property would be taken away. Where is it written in the Bill? Kindly tell them to show only one line. There is no such thing in the Bill, and the campaign is continuing. Such a false campaign will continue even after the passing of this Bill today. That is why this will always remain a question of whether there is any such word, including a punctuation mark, that indicates that the properties of the Muslim will be taken away or that the Muslim community would be taken away.

My next point is about ?waqf by user?. While doing so, I will go to the definition of ?waqf? as was given in the 1995 Act which says:

> ??waqf? means the permanent dedication by any person, of any movable or immovable property for any purpose recognised by the Muslim law as pious, religious or charitable and includes?
>
> a waqf by user but such waqf shall not cease to be a waqf by reason only of the user having ceased irrespective of the period of such cesser;?

Where is the dedication of a property, and by the person, ?waqif?, as to certain land or property for use by the Muslims as users, and that would be treated as waqf property? The definition of waqf shows permanent dedication. But in the inclusion under sub-rule 1, there is no whisper as to the dedication, let alone permanent dedication. No such thing is there. So, how can a property which is being used by some community be a waqf property? At the maximum, that can be a property which is being used. In the land record, the user is mentioned. *.... (Interruptions)*

HON. SPEAKER: Hon. Member, please address the Chair.

SHRI ABHIJIT GANGOPADHYAY : So, when the definition of waqf does specifically mention about permanent dedication, and the next sub-section says nothing about permanent dedication, we should keep in our mind that as a river cannot rise above its source, the next Section cannot go above the definition as has been given as permanent dedication. There is no such thing.

I know that this mala fide campaign will go on and will continue against BJP, and against the Union of India that is passing the Bill today. That is why I am again asking this question, through you, Sir, to the Opposition leaders. How can a user property be marked as waqf when there is no dedication, I again repeat, let alone permanent dedication?

Then, I will come to one very important provision of this Act. I will request all the respected persons and all the erudite scholars on the Waqf Act to go through Sections 109 and 110 of the 1995 Act. Kindly show me a single sentence where it is written that the amount to be

collected from waqf would be spent for the Muslim widows, Muslim children and orphans. Could they show that? They will shout for 12 hours. But it is not possible for them to show that in Sections 109 and 110 of the 1995 Act. But kindly see Section 42, sub-section 2, clause A. Here, it is categorically written by the Narendra Modi Government that the amount will be used for the widows, for the poor and for the orphans. That is all.

Thank you.

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : स्पीकर सर, मैं इस वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत में खड़ा हुआ हूँ। किसी एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा था कि जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। सर, यह वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयुर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस देश की सबसे बड़ी अकलियत के खिलाफ एक एलाने ज़ंग कर दिया। यह जंग न सिर्फ मेरे जिस्म पर है, बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइज़ेशन पर है। मेरी शहरियत पर है। मेरे मदरसे, मस्ज़िदों, ख़ानक़ाही और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। यह हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि इस तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहाफुज़, तरक्की और गुरबत का खत्मा होगा। यह सरासर झूठ है।

सर, अगर आप आईन के आर्टिकल 14 को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ? ईक्वल प्रोटेक्शन। अब आप देख लीजिए कि हिन्दू, सिख, जैन और बौद्ध को उनके एन्डोमेन्ट में तहफ्फूज मिलेगा, क्योंकि उनका एन्डोमेन्ट बाई यूजर बरकरार है और उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में होगा। गैर हिन्दू या उनके महजब का आदमी उनके लिए दान भी दे सकता है और एन्डोमेन्ट बोर्ड का तहफ्फूज भी मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर ओवरहेडिंग क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। उस पर लिमिटेशन का कानून अप्लाई नहीं होगा। उसके अपोजिट आप देख लीजिए कि मुस्लिम वक्फ को वक्फ बाई यूजर निकाल दिया गया। एक मुस्लिम वक्फ की जायदाद पर कब्जा होगा। लिमिटेशन लगेगा तो जो एनक्रोचर है, जो काबिज है, वह रातों रात मालिक बन जाएगा। इसे गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड एडमिनिस्टर करेगा। यह आर्टिकल 14 के ईक्वल प्रोटेक्शन का वाइलेशन है।

सर, अब आर्टिकल 14 में इक्वेलिटी बिफोर लॉ भी है। उसका कैसे वाइलेशन हो रहा कि कोई आर्बिट्रेशन स्टेप नहीं ले सकता है। कोई भी ऑफिशियल किसी भी तरीके से गलत आर्बिट्रेरी फैसला नहीं लेगा। यहां पर आप एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को रख रहे हैं। वह फैसला लेगा कि यह जायदाद वक्फ की है या गवर्नमेंट की है। क्या यह प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ नहीं है, जिसकी तकरीर एक्जीक्यूटिव करती है? यह हमारे थ्योरी ऑफ सेपरेशन एंड पावर और भारत की आईन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। क्या इसका वाइलेशन नहीं है?

सर, आर्टिकल 25 का वाइलेशन कैसे हैं, आप मुसलमानों से वक्फ बाई यूजर छीन रहे हैं और फिर आप वक्फ-अल- औलाद को कर्व कर रहे हैं। वहीं पर दूसरे धर्म के मानने वाले को उनके मजहब पर चलने की पूरी इजाजत है। आर्टिकल 25 में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वह इक्वली एन्टाइटल के बारे में है। यहां पर मुसलमानों का ईक्वल एन्टाइटल नहीं हो रहा है।

सर, अभी हमने यहां पर गृह मंत्री, वजीरे ए दाखिला की तकरीरे सुनी। वजीरे ए दाखिला यह कहते हैं, शायद वह कठमुल्ला की जुबान न कह दें, वजीरे ए दाखिला ने अपने बयान में कहा कि जो बोर्ड और काउंसिल होगा, वह इस्लाम से अलग है।

सर, अगर आपकी बात सच है तो फिर आपको यह कानून बनाने की जरुरत ही नहीं है। आप एक नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी बना दीजिए। यह जो कानून बन रहा है, आर्टिकल 26 इसका सोर्स है। जब आर्टिकल 26 इसका सोर्स है तो आर्टिकल 26 का ए, बी, सी, डी क्या कहता है कि रिलिजियस डिनॉमिनेशन अपने मजहब के अफेयर्स खुद चला लें। मूवएबल एंड इम्मूवएबल प्रॉपर्टीज को लेना और एडमिनिस्ट्रेशन करना, जब हिन्दू धर्म को, बौद्ध धर्म को, सिख धर्म को यह राइट दिया गया तो आप कैसे मुसलमानों से छीन रहे हैं? यह आर्टिकल 26 का ग्रेव वाइलेशन है।

सर, अब आप वक्फ बाई यूजर का मामला देखिए। मिनिस्टर साहब ने कहा कि एन्क्रोचमेंट हो रहा है। 17 हजार एनक्रोचमेंट्स हुए हैं। यही नरेन्द्र मोदी की हुकूमत ने, वर्ष 2014 में उस वक्त के मंत्री ने वक्फ प्रॉपर्टीज एविक्शन ऑफ अन-ऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स बिल को एंट्रोड्यूस किया। लेकिन आपने वर्ष 2024 में उसको विद्ड्रॉ कर लिया। आपने इसे क्यों विड्रॉ किया? जब आप मान रहे थे कि एन्क्रोचमेंट हो रहा है, तो आपने बिल को विद्ड्रॉ कर लिया।

सर, आपने वक्फ बाई यूजर को निकाल दिया। इसमें कंडीशन क्या लगाया है? अगर उसमें डिस्प्यूट होगा और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी, इसमें डिस्प्यूट तो है। मिसाल के तौर पर मोहिब्बुल्लाह साहब जिस मस्जिद के इमाम है, पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है। 123 प्रॉपर्टीज में मस्जिद है। वहां डिस्प्यूट चल रहा है। कल कलेक्टर या ऑफिसर बोलेगा कि यह गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। वहां स्टीकर लगा दिया जाएगा। मस्जिद बंद हो जाएगी और वह गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई। अब आप हमें बताइए, पूरे बीजेपी और रूलिंग पार्टी हमको ज्ञान दे रही हैं कि कुछ नहीं होगा। मैं आपको दलील के साथ बता रहा है। इस मस्जिद के बारे में दिल्ली गवर्नमेंट बोलती है कि यह हमारी है और दिल्ली वक्फ बोर्ड बोलता है कि यह हमारी है। अगर अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ वक्फ बोर्ड वक्फ बाई यूजर इस्तेमाल नहीं करेगा, तो क्या होगा? जब यह अमेंडमेंट हो जाएगा तो सिर्फ प्राचीन मंदिरों की हिफाजत होगी, मस्जिदों की नहीं होगी।

सर, अगर मेरा डिस्प्यूट एंशिएन्ट मॉन्यूमेंट्स से है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। दिल्ली में 172 वक्फ प्रॉपर्टीज एएसआई के कंट्रोल में हैं। मैं तो वहां हार ही गया, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स चढ़ाइए। अगर मेरा गवर्नमेंट से डिस्प्यूट चल रहा है, तो मैं क्लेम ही नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आप जज बनेंगे और

आप ही फैसला करेंगे। जब तक आप फैसला नहीं करते हैं, वह वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी। उसका प्रोविजन आपने डाल दिया।

अगर मेरा डिसप्यूट एनक्रोचर से होगा, आपने तो 107 को डिलीट कर दिया, आप रातों-रात काबिज को, एनक्रोचर को मालिक बना रहे हैं। मैं आपके जरिए हुकूमत से पूछना चाहता हूं। मुंबई में एक बहुत बड़े दौलतमंद हैं। खोजा बिरादरी का यतीमखाना था, उन्होंने वर्ष 2004 या 2005 में 22 करोड़ रुपये में उसे खरीद लिया। वह केस सुप्रीम कोर्ट में है। क्या लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके आप उनको मालिक बनाना चाहते हैं? आप हमें बताइए, हम इसे जानना चाह रहे हैं। सच्चर कमेटी ने वर्ष 2007 में कहा कि दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज़ की मार्केट वैल्यू 6 हजार करोड़ की है। आज हम वर्ष 2025 में आ गए हैं। आप क्यों उन प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ पड़े हुए हैं? वर्ष 1976 में उस वक्त की वजीरे आजम इंदिरा गांधी ने लेटर लिखा कि इसको आप दे दीजिए, मगर आप उसको मानने को तैयार नहीं हैं। एक झूठ फैलाया जा रहा है। Management, empowerment, and efficient development. This Bill takes any management from the hands of Muslims, disempowers the Waqf in comparison to any other stakeholder, takes away the efficiency of administration and hampers development. Waqf dis-empowerment, in the name of inefficiency, is being created. The progress of development from pre-Independence to today is sought to be destroyed.

अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब ने फज़ल पूकोया केस का जिक्र किया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि होम मिनिस्टर जरा अच्छे लोगों को रखकर उनसे इनफॉर्मेशन लें। फज़ल पूकोया का आर्बिटर क्या है? It is arbiter. वह rasion d?etre नहीं है, जो आपने कहा है। आपने शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में कहा। क्या शेड्यूल कास्ट में मुसलमान नहीं होते, शेड्यूल ट्राइब्स में मुसलमान नहीं होते? शेड्यूल ट्राइब में भी मुसलमान होता है। क्या मेरा आर्टिकल 25 चला गया, आर्टिकल 26 चला गया, आर्टिकल 14 चला गया, आर्टिकल 15 चला गया, आर्टिकल 29 चला गया? लक्षद्वीप का एक मुसलमान एमपी है, क्या उसको राइट नहीं है, क्योंकि वह ट्राइबल है? आप क्या कह रहे हैं? आप इस ऐवान को शेड्यूल ट्राइब के नाम पर क्यों गुमराह कर रहे हैं?

जब आर्टिकल 26ए मेरा सोर्स है, तो आप सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 में से 10-11 नॉन मुस्लिम्स को बना सकते हैं। रिलीजन न्यूट्रल आपने कह दिया और आप बनाएंगे। आप क्यों बनाएंगे? स्टेट वक्फ बोर्ड में 7 नॉन मुस्लिम्स होंगे और 4 मुस्लिम, क्यों होंगे, क्योंकि आप लॉ में 95 में, डॉयरेक्ट मैनेजमेंट में 5 सालों के लिए ले सकते हैं। वक्फ बाई यूजर को आफिसर बोलेगा कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, तो वह वक्फ बोर्ड खामोश बैठ जाएगा, कुछ एक्शन ही नहीं लेगा, क्योंकि वे आपके ? हैं। मैं मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ नो-कान्फिडेंस मोशन ला सकता हूं, लेकिन

वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो नॉमिनेट होगा, उसके खिलाफ नो-कान्फिडेंस नहीं ला सकते हैं। यह क्या मजाक है? यह डेमोक्रेसी है। नॉमिनेट भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, वह अगर ? * बन जाएगा, जैसा आज भारत में हो रहा है, तो वह भी नहीं हटेगा। कम से कम यहां पर तो इलेक्शन है। वहां पर तो आप पांच साल उसको झेलते रहो। क्लॉज 11 और क्लॉज 9, आप 16 एए से देखिए, where the qualification of the members of the Board has been limited only to three categories contained in 14(1)(c). The intention is very clear that the majority is to be packed with non-Muslims. So, who will defend my interest if I cannot depend on the State Waqf Board or the Central Waqf Council, which are going to comprise non-Muslims? This, in itself, is a clear violation of Articles 14, 15 and 26. सीओ, पहले 1995 एक्ट में था वर्ड मुस्लिम, आपने उसको गायब कर दिया। आखिर क्यों इतनी नफरत है आपको लब्ज ए मुसलमान से? यह आर्टिकल 26 का वॉयलेशन है। जितनी भी हिंदू धर्म की प्रॉपर्टीज़ हैं, सिख धर्म की हैं, बौद्ध धर्म की हैं, जैन धर्म की हैं, वहां पर उन्हीं के मजहब का आफिसर होगा और कहां पर नहीं होगा, वक्फ बोर्ड में। Waqf Board is a pure religious institution. इसको समझने की जरूरत है।

आप अब ट्रिब्यूनल पर आ जाइए। हमारे होम मिनिस्टर वजीरे दाखिला ने क्या कह दिया कि वर्ष 2013 का कानून नहीं बनता तो हम नहीं लेकर आते। मैं उनसे बड़े अदब के साथ पूछना चाह रहा हूं कि क्या उस वक्त राजनाथ सिंह साहब, आडवाणी साहब, लेट सुषमा स्वराज, ये बड़े-बड़े नेता यहां बैठे थे, आपने यूनैनिमस उस कानून को पास करवा दिया। कीर्ति आजाद उस वक्त थे, अब वे यहां टीएमसी में बैठे हैं। क्या आप गलत हैं या वे गलत थे? हमें आप यह बता दीजिए। आडवाणी जी आपके लिए बहुत बड़े नेता हैं। मेरे लिए नहीं हो सकते हैं, आपके लिए हैं, क्योंकि आपने उनको पद्मश्री दिया है। मोहतर्मा सुषमा स्वराज की जबरदस्त तकरीर का मैं कायल हूं। उन्होंने वर्ष 2013 में इसे यूनैनिमस पास कर दिया।

मुझे कनफ्यूजन है कि क्या अमित शाह और नरेन्द्र मोदी के लिए आडवाणी बड़े हैं या आप बड़े हैं, यह तय कर लीजिए। रेलवे क्लेमेंट ट्रिब्यूनल्स, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल्स, ऐसे 14-15 ट्रिब्यूनल्स हैं, सभी में रिव्यू होता है। सरकार के गृह मंत्री कह रहे हैं कि रोग लगा दिए, कैसे रोक लगाते हैं, रिव्यू और अपील में फर्क होता है। आप ही कह रहे हैं कि कोर्ट में बैकलॉग है और आप अपील कर रहे हैं। आप रिटायर डिस्ट्रिक्ट जज वर्ष 1995 में सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज था, सीजीआई का एडिमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था, आपने उसको निकाल दिया। मंत्री साहब ने ट्रस्ट के बारे में कहा। श्री साईं बाबा ट्रस्ट, 2004 कहता है कि ऑफिसर जो उसमें काम करता है, उसको साईं बाबा का डिवोटी होना चाहिए और उसको डिक्लरेशन लिख कर देना पड़ेगा। यहां पर हो रहा है तो यहां क्यों नहीं हो रहा है?

अमित शाह साहब ने सेक्शन 2ए के बारे में कहा, उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया कि दाउदी बोहरा के लिए बनाया गया है। मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं, आपने प्रोवाइजो में दाउदी बोहरा का नाम ही नहीं लिखा, आपने उनको भी थैंक्यू कर दिया, आपने उनका नाम क्यों नहीं लिखा? मुस्लिम समाज में जो बेकार किस्म के लोग हैं, उनके लिए एक रास्ता बना रहे हैं, एग्जिट दिखा रहे हैं। वक्फ से बचना है तो ट्रस्ट बना लो, ये क्या कर रहे हैं? कम से कम दाउदी बोहरा को दे देते। क्लॉज 3वी सेक्शन 36, क्लॉज 18 देख लीजिए, Oral appointment is sought to be discontinued even though it is a recognised practice in Islam. Muslim Personal Law recognises oral waqf under Shariyat Application Act.

आप क्लॉज 39 पर आ जाइए, पांच साल के लिए मुसलमान, मैं किरेन रिजीजू से पूछना चाहता हूं दाढ़ी रखे तो मुसलमान प्रैक्टिसिंग है या क्लीन शेव आपकी तरह है, आप बताइए प्रैक्टिसिंग क्या होगी? किसी को पकड़ मॉब लिंच कर दिया कि जीएसआर का नारा लगाया, जीएसआर का नारा लगाया तो मुसलमान है या देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि कपड़े देखकर पहचानो, कपड़े देखकर आप कह देंगे। अगर क्रिश्चियन हिन्दू धर्म कबूल करता है तो क्या वह मंदिर को प्रॉपर्टी नहीं दे सकता है, भारत के संविधान आर्टिकल 300 क्यों है? राइट टू इक्विलिटी क्यों है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्यों है? पांच साल कहां से लाएंगे?

इस बिल में ?The creation of waqf-alal-aulad shall not result in denial of inheritance rights of heirs, including women heirs, of the waqif?.

ये आर्टिकल 25 का वायलेशन है, शरियत एप्लीकेशन एक्ट, 1937 का वायलेशन है, आर्टिकल 300ए का वायलेशन है। हिन्दू धर्म में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को अगर उसके दो बच्चे हैं तो वह एक को अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे सकता है, कोई रोकटोक नहीं है। वह कहेगा कि मैं घर के बच्चों को नहीं दूंगा, मोहल्ले के बच्चे को दूंगा, गरीब को दे दूंगा, उस पर भी कोई रोक टोक नहीं है। वहां पर आपको बच्चों की फिक्र नहीं है, जब मैं अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह को मालिक बनाकर दे रहा हूं तो बच्चियों की फिक्र नहीं है, इतनी मोहब्बत आप बिलकिस बानो से दिखा देते तो आपके लिए दुआएं देतीं।

आखिरी बात कहकर अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूं। अमित शाह साहब ने बोला कि इतनी प्रॉपर्टीज का कब्जा हुआ, चोरी हुई। क्लॉज 20 सी सेक्शन 652 ए ,अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता है, दो साल की सजा थी, आपने क्या कर दिया, आपने छह महीने कर दिया, नॉन-बेलेबल था, आपने बेलेवल कर दिया। सेक्शन 40 की बात करते हैं। ज्वाइंट वर्किंग कमेटी का जो नोट दिया, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ मोइनरिटीज अफेयर्स ने कहा कि 30 साल में 515 केसेज सेक्शन 40 के आए, सिर्फ 8 लोग कोर्ट गए। वक्फ बाई यूजर्स का कानून तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। सेक्शन 40 का कानून तमिलनाडु 63ए है, आंध्र प्रदेश में 43 है, आप डायरेक्शन दे रहे हैं, क्लॉज 42 (18) बी देखिए।

आप रूल बना रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरेलिज्म के खिलाफ है। इस बिल का मकसद मुसलमानों को ज़लील और रूसवा करना है।

23.00 hrs

इनका मकसद मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाना है। अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे, तो उस वक्त महात्मा गांधी जी ने व्हाइट अफ्रीका के कानून के लिए कहा था कि मेरा कंसेंसस इसको नहीं मानता है। मैं इस कानून को कुबूल नहीं करता हूं। महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया था। गांधी जी की तरह मैं इस कानून को फाड़ता हूं। यह असंवैधानिक है। बीजेपी इस देश में मस्जिद और मंदिर के नाम पर झगड़े पैदा करने का काम करना चाहती है। इसीलिए मैं इसको कन्डेम करता हूं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने 10 संशोधन दिए हैं, आप उनको कुबूल करिए। मुझे बोलने का मौका दीजिए और मैं उन पर संशोधनों पर डिविजन की भी मांग करूंगा।

श्री पी. पी. चौधरी (पाली) : अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत से सदस्यों की बात सुनने का मौका मिला है। ओवैसी जी ने अपनी बात बताई है कि भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का वाइलेशन हो रहा है। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर जो जजमेंट्स दिए हैं, उसमें जो वक्फ एक्ट है, उसको इंस्टीट्यूटरी बॉडीज़ माना है, चाहे वह वक्फ बोर्ड हो या चाहे काउंसिल हो। इनको यह माना गया है कि ये रिलीजियस एन्टीटिज़ नहीं हैं। मुतवल्ली की जो ड्यूटीज़ हैं, वे भी प्योरली सेकुलर हैं, क्योंकि उनका कैरेक्टर और वक्फ एक्ट का जो सेक्शन 96 है, उसमें केन्द्र सरकार को पावर है कि वह सेकुलर एक्टिविटीज़ रेगुलेट कर सके।

इससे साफ होता है कि जो मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, चाहे अनुच्छेद 14 या 15 हो, चाहे फ्रीडम ऑफ रिलीजियन हो, चाहे कल्चरल और एजुकेशनल राइट हो, चाहे फ्रीडम टू रिलीजियस अफेयर्स हो, ये इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। जहां तक वक्फ संपत्तियों की बात है, कुल 8,72,000 संपत्तियों में से सिर्फ एक हजार संपत्तियों की डीड बनी है। जो वक्फ बाई यूजर हैं, वे करीब 4,00,000 संपत्तियां हैं। वक्फ बाई यूजर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। अगर आप देखेंगे, तो इसको खत्म करना बहुत जरूरी था।

23.02 hrs (Shri Dilip Saikia *in the Chair*)

जो वक्फ बाई यूजर है, यह सन् 1954, 1995 और 2013 के एक्ट्स में जो संपत्तियां हैं, उसको वक्फ के बिना, किसी दस्तावेज के बिना, म्यूटेसन के बिना, सर्वे के बिना और किसी प्रोसेस के बिना उसको वक्फ की संपत्ति मान लिया जाता था। आप उसके बाद देखिए कि वर्ष 2013 के सेक्शन 40 में जो संशोधन आया था, मैं आपको सेक्शन 40 का हवाला दूंगा, क्योंकि कई लोगों ने सेक्शन 40 के बारे में बताया है। अगर सेक्शन 40 को पढ़ लिया जाए, तो उसके

तहत इतनी पावर है कि कोई भी प्रॉपर्टी को वक्फ के तहत ट्रीट की जा सकती है, क्योंकि किसी भी तरह की डीड या डाक्यूमेंटेशन सर्वे या अन्य किसी प्रोसेस की जरूरत नहीं हैं।

सेक्शन 40 में लिखा है कि if a property is a waqf property, the Board may itself collect information regarding any property, which it has reason to believe to be a waqf property क्या क्राइटेरिया है या क्या ऑब्जेक्टिव कंसीडरेशन है। If any question arises whether a particular property is a waqf property or not or whether a waqf is Sunni or Shia, it may, after making such inquiry as may deem fit, decide the question. यह जो फाइनल पावर है, इन्होंने बिना किसी आधार के तहत सेक्शन 40 में दिया है।

The decision of the Board on a question under sub-section (1), unless revoked or modified by the Tribunal, shall be final. जो डिसिजन है, अगर सिर्फ और सिर्फ ट्रिब्यूनल को पावर है, ट्रिब्यूनल के बाद किसी अपील का भी प्रावधान नहीं है। अभी इस संशोधन अधिनियम में जो प्रावधान किया है, धारा 40 ओमिट करने का काम किया है। यह बिल्कुल जस्टिफाइड है।

अगर उसके अलावा ट्रस्ट और को-ऑपरेटिव सोसायटी की प्रॉपर्टी भी है तथा ट्रस्ट एक्ट के तहत है, को-ऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत में है, तो वह प्रॉपर्टी भी नोटिस देकर वक्फ के सेक्शन 40 के तहत ली जा सकती है। उसमें नल्लीफाई करने की पावर ट्रिब्यूनल की है। अब जो अमेंडमेंट एक्ट में मेंडेटरी प्रावधान किया गया है, उसमें अब ओरल वक्फ बाईयूजर न होकर डीड के द्वारा ही होगा। जैसे मैंने बताया कि 8 लाख से ऊपर जो वक्फ प्रॉपर्टी है, उसमें डीड केवल 1 हजार 88 बनी हुई है। अब अगर धारा 40 को विलोपित करने का प्रावधान किया गया है तो इस बात के लिए तकलीफ क्यों हो रही है? एक ड्रेकॉनियन लॉ वर्ष 2013 में आया। उसके साथ अगर आप देखेंगे कि यह कानून जो एक्ट 1995 है, वर्ष 2013 में कांग्रेस की सरकार चुनाव से पहले कानून लेकर आई थी अब उसमें सेक्शन 108ए को ओमिट किया जा रहा है। इसे विलोपित किया जा रहा है, क्योंकि यह ड्रेकोनियन पावर है - ?The provisions of this Act shall have overriding effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law.? भारत में यदि किसी तरह का कानून है और यह कानून वर्ष 2013 में कांग्रेस ने बनाया था, उसका ओवरराइडिंग इफैक्ट होगा। उसका मतलब यह होगा कि सेक्शन 40 को प्रोटेक्शन है। अगर किसी तरह का कानून होगा, चाहे इवैक्युई प्रॉपर्टी हो, अगर वह प्रॉपर्टी एक्ट के तहत भारत सरकार की मानी गई है, तो इस सेक्शन 108ए के तहत ओवरराइडिंग इफेक्ट होने की वजह से प्रॉपर्टी वक्फ की मानी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि भारत के जितने भी कानून हैं, उनसे ऊपर सेक्शन 108ए जो वर्ष 2013 में लाया गया। माननीय मंत्री

जी ने विलोपित किया है और इस सेक्शन 108ए ओमिट किया है, यह बिल्कुल जस्टिफाइड है और भारत के संविधान सम्मत है।

सर, मैं इसके साथ यह भी बताना चाहता हूं कि इस हिसाब से सरकारी प्रॉपर्टी, एएसआई की प्रॉपर्टी को हम देखें, तो जो सरकारी प्रॉपर्टीज़ थीं, उनमें लगभग 5 हजार 973 सरकारी प्रॉपर्टीज़ धारा 90 के तहत वक्फ प्रॉपर्टीज ट्रीट कर ली गईं। वक्फ की प्रॉपर्टी वही हो सकती है, जिसके लिए कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर हो, खुद मालिकाना हक हो। जिसका मालिकाना हक नहीं है व वक्फ में नहीं दे सकते। वक्फ ने जिस पर उंगली रखी, उसे भी कह दिया गया कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है। अगर सरकार जांच करके सक्षम अधिकारी अपॉइंट करके इस तरह की प्रापर्टी पर कार्रवाई करती है तो इसमें क्या गलत है? `इस बात के लिए इनको तकलीफ होती है। काफी लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को वक्फ ने कह दिया कि यह वक्फ की है और उसका लंबे सयम से वक्फ के लिए यूज हो रहा है। चाहे उसके लिए एविडेंस और आधार कोई भी नहीं हों, लेकिन वह प्रॉपर्टी वक्फ की मान ली जाती है। इसके साथ ही सूरत के म्युनिसिपेलिटी कॉरपोरेशन ऑफिस हेड ऑफिस का उदाहरण लेंवे तो उसको वक्फ प्रॉपर्टी मान लिया गया। ऐसे हजारों केसेज हैं, जिनमें वक्फ प्रापर्टी मान लिया गया है। अभी जो रेफरेंस दिया गया था कि भारत सरकार की प्रॉपर्टीज़ में डीडीए की 108 प्रॉपर्टीज को वक्फ प्रॉपर्टी में ले लिया गया।

सर, मैं बताना चाहूंगा कि सेक्शन 104बी, जो वर्ष 2013 में कांग्रेस चुनाव से पहले लेकर आई थी, उसमें लिखा है कि Restoration of Waqf property in occupation of Government agency to Waqf Boards. अगर सरकार के पास वक्फ प्रॉपर्टी है, वक्फ ने जो ले ली, वह ठीक है, लेकिन अगर सरकार के पास धारा 40 के तहत है, तो वर्ष 2013 में वक्फ बोर्ड को इतनी पावर दी गई है कि वह प्रॉपर्टी भी इस प्रावधान के तहत वापिस ली जा सकती है। इसके साथ लिमिटेशन एक्ट है। यह एक वक्फ एक्ट ऐसा है, जिसमें लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता। भारत के सभी कानूनों में लिमिटेशन एक्ट लागू होता है। इसमें अपील का प्रावधान ट्रिब्यूनल का हैं और इस अमेंडमेंट बिल में यह प्रावधान किया गया है कि ट्रिब्यूनल ऑर्डर हाईकोर्ट में अपीलेबल होगा। पहले यह प्रावधान नहीं था। इस प्रावधान के होने से और भी राहत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI DURAI VAIKO (TIRUCHIRAPPALLI): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. On behalf of MDMK, I oppose this Waqf Amendment Bill which is against the interests of the Muslim people and the principles of the Constitution of India. ?Innal mussaddiqeena wal mussaddiqaati wa aqradul laaha qardan hassanany yudaa?afu lahum wa lahum ajrun kareem?. This is a quote in Arabic from the verse of Holy Quran 57-18 says that men and women helping the poor and

downtrodden people by giving alms is like giving loan to Allah the powerful God. These Waqf properties are created by Muslims so as to engage in implementation of the words of Allah the merciful and to engage in religious activities. With the Waqf properties, Madrasas, Dargahs and Khabristans were created. Not only Muslims are benefitted by these Waqf properties. In Tamil Nadu people from all religions such as Christians, Hindus are also benefitted by these Waqf properties. Not only the Kings and rich people, even the philanthropists from different communities have contributed to Waqf properties. This is the pride of Tamil land. I can cite so many examples throughout the country. This shows the importance of unity and pluralism of our country. I oppose this Bill which snatches away the rights from the Waqf Board from the management of Waqf properties. I want to mention the shortcomings of this Waqf Amendment Bill. When a property is identified as Waqf property in the control of Waqf Board, the right to give clarification about that said property lies with Waqf Board. But through this amendment you are trying to snatch away this right from them. How justifiable is this? If there is any wrong done by the Waqf Board Tribunal, there is a procedure to go to Court against the Tribunal. If that is the case, why are you intending to give the power of issuing a ?No Objection Certificate? to the District Collector by taking away this right from the Waqf Board? It is stated that the donor should be practising Islam as a religion for at least 5 years. It is awkward to separate philanthropists and donors on the basis of religion. This completely destructs the very basis of creation of Waqf Board. An amendment is being made to include two non-Muslims as members in the Waqf Board. How can I agree to nomination of an outsider who is not related with my family in any way to look into the affairs of my family? Religious properties or the Waqf properties should only be managed by Muslims. That is true justice. They only know the real intentions behind the creation of such properties. A Christian being appointed to look after the affairs of TTD Tirupati temple or a Muslim being appointed to look into the affairs of Golden temple of Sikhs in Amritsar can be seen as wrong doings. Similarly, the nomination of non-Muslims to the Waqf Board is highly unacceptable. Hon Chairman Sir, lakhs and lakhs of Muslim friends have sacrificed their lives in our country?s freedom struggle. I want to remind

this august House at this juncture that they have contributed so much besides their properties in many struggles of our country. Let there be six time pujas held in every temple. Let there be prayer meeting in every Church. Let there be prayers in every Mosque of our country. Let there be awareness campaign by rationalists. Our Leader *Vaiko* remains a strong unifying force through his 60 years of tireless campaigning in every village of Tamil Nadu for religious harmony. The religious harmony as stressed by our Leader *Vaiko* should be spread to all parts of our country. I urge that this Bill threatening Muslims and the very fabric of religious harmony should be withdrawn by this government. I want you to protect the rights of Muslims. I make these demands on behalf of Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam, brothers and sisters of Muslim community and Hon. Chief Minister of Tamil Nadu *Annan* Thiru M.K. Stalin. Thank you. Vanakkam.

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी (गिरिडीह) : सभापति महोदय, आपने मुझे भारत के ऐतिहासिक वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं आज इस ऐतिहासिक वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं अपनी ओर से विपक्ष के सभी साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि आज एक झूठ और भ्रामक बात को फैलाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल निराधार है। मैं अपनी ओर से यही कहूंगा कि वक्फ विधेयक में संशोधन का जो प्रस्ताव लाया गया है, इसमें दलित और पसमांदा मुसलमानों को न्याय मिलेगा और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड में सबसे ज्यादा जो विवादित केस हैं, उनसे संबंधित लोगों को न्याय मिलेगा और उन्हें हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट जाने का भी मौका मिलेगा।

मैं अपनी ओर से यही कहूंगा कि जो भ्रष्टाचार हुआ, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी उनकी जो इनकम है, उसका हिसाब-किताब लेने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि इसमें सुधार होना चाहिए। मैं इस बिल के पक्ष में अपना समर्थन देता हूँ।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण वक्फ अमेंडमेंट बिल, 2025 एज रिपोर्टेड बाय दी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सपोर्ट में बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

यह मेरा सौभाग्य है कि इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मैं चेयरमैन बना। उसके लिए निश्चित तौर से मैं अपनी पार्टी, प्रधान मंत्री मोदी जी और गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा। उन्होंने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी लगातार चर्चा करते हुए 11 घंटे हो गए हैं और जिस तरह से सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष के सदस्य बैठे हैं, आखिर इस बिल के बारे में इस सरकार ने, जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बिल को

इंट्रोड्यूस किया था और अगर इस सरकार की मंशा होती कि हम जो 44 अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं, उसी बिल को एज इट इज पास करवाना है तो निश्चित तौर से लोक सभा में भी हमारा बहुमत है और राज्य सभा में भी हमारा बहुमत है, हम सीधे उस बिल को पास करवा सकते थे। इसके बावजूद संसदीय कार्य मंत्री जी, जब बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, उन्होंने पूरे देश के सामने खड़े होकर कहा कि हम इस बिल को पास करवा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बिल को स्पीकर साहब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दें, जिसमें देश के सभी स्टेकहॉल्डर्स के साथ, राज्य के सभी ऑफिशियल्स के साथ या चाहे शिया-सुन्नी वक्फ बोर्ड हों, इस्लामिक स्कॉलर्स हों, बार एसोसिएशन्स हों या फॉर्मर जजेस हों, सभी के साथ चर्चा हो सके। मैं समझता हूँ कि इसे सही मायनों में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया गया। हमारे सभी सदस्य स्टैंडिंग कमेटीज़ के सदस्य होते हैं। एक महीने में ज्यादा से ज्यादा दो बैठकें होती हैं। पूरे साल में 25-26 बैठकें होती हैं, लेकिन इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने पांच महीने में 38 बैठकें करने का काम किया है, इसके बावजूद भी यह सब कहना उचित नहीं है।

मैं कहता हूँ कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जितने भी मैम्बर थे, आज उनमें से चाहे जावेद साहब हों, चाहे कोई और सदस्य हों, वे बोल रहे थे कि जेपीसी के चेयरमैन बोलने नहीं दे रहे थे। जेपीसी के चेयरमैन हफ्ते में पांच दिन बैठक करना चाहते थे। चार दिन करना चाहते थे। जेपीसी के विपक्ष के मैम्बर स्पीकर साहब से जाकर कहते थे कि साहब 15 दिनों में दो बैठक होनी चाहिए। वे बोलने के लिए अपने दिल पर हाथ रखकर कह दें कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला? उन्हें शायद स्टैंडिंग कमेटी में उतना बोलने का अवसर नहीं मिला होगा, जितना जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में अवसर मिला है।

आज मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि यह पहली जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, आप स्वीकार करें या न करें, चाहे आप इसका विरोध करें, लेकिन उस कमेटी में आप जो बहुत से कन्सर्न उठा रहे थे, आप बहुत सी बातों को उठा रहे थे, आज उस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने उसके आधार पर अपनी रिकमेंडेशन्स दी हैं। अभी एन. के. प्रेमचन्द्रन जी ने कहा कि जेपीसी को रिकमेंडेशन का और अमेंडमेंट करने का अधिकार ही नही है। गृह मंत्री जी ने उनका उत्तर दे दिया। उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आज जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मैं अपने सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यह आपका सौभाग्य होगा, इतिहास बताएगा कि जिस जेपीसी के आप मैम्बर थे, उसकी सारी रिकमेंडेशन्स को सरकार ने स्वीकार करने का काम किया है।

यह कोई साधारण बात है। हमने जिस तरह से डिटेल्ड चर्चा की है और डेलिब्रेशंस किया, इसके बावजूद किसी भी माननीय सदस्य से यह नहीं कहा होगा, अगर उन्होंने आधे घंटे बात रखनी चाही होगी, एक घंटे बात रखनी चाही होगी, मैंने सभी को पूरा अवसर दिया है। हम 11 बजे से बैठक शुरू करते थे और सात-आठ बजे शाम तक बैठक करते थे। इसके बावजूद मैं यह कहता हूं कि आज अगर गृह मंत्री जी ने यह कह दिया अब इसमें सरकार कोई दखल

नहीं होगा, न वाकिफ के इंटेंशन पर और न वक्फ पर कोई दखल होगा। जब वक्फ में कोई दखल नहीं है, न वाकिफ पर कोई दखल है, इसके बावजूद अभी भी आपने ओवैसी साहब को देखा है, उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है। ये जो बात कह रहे हैं कि यह बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम उन्होंने किया है कि उन्होंने बिल फाड़ने का काम किया है।

आज मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने किसलिए बिल फाड़ दिया है। वे यहां से चले गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी 123 प्रॉपर्टीज हैं और हमारे पास डीड नहीं है। हम वे डीड्स कैसे देंगे? हमारी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। मैं कहना चाहता हूं कि 123 प्रॉपर्टीज हैं, बिल्कुल है, यह 123 प्रॉपर्टीज किसकी है। यह हमारे जमाने की नहीं है। जब अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली बनाने का फैसला किया और 1911 में जब उन्होंने यहां की लुटियंस जोन की लैंड को एक्वायर किया, उसका ड्यूली कम्पनसेशन दिया और अधिग्रहण कर लिया और वर्ष 1911 में ब्रिटिश सरकार ने जो अधिग्रहण किया है, अखिलेश जी आप भी माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर कोई सरकार किसी जमीन का अधिकग्रहण कर ले, फिर उस जमीन को डिनोटिफाई करके किसी को नहीं दे सकती है। पहली बार कांग्रेस सरकार ने डिनोटिफाई करके यह देने का काम किया है।

मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपके पास डॉक्युमेंट्स नहीं है, हमारे जेपीसी के माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं, यह तुष्टिकरण नहीं तो और क्या था। वर्ष 1911 में अंग्रेजों ने जो जमीन लिया? (व्यवधान) लाल जी, आप बैठ जाइए, आप पूरी बात सुन लीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। वर्ष 1911 में अंग्रेजों ने राजधानी के लिए जो जमीन एक्वायर की, उसके बाद वर्ष 1970 में दिल्ली के वक्फ बोर्ड ने कहा कि यह वक्फ बोर्ड की है। जो सेक्शन 40 की बात हो रही है, शायद यह देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में किसी को अधिकार नहीं होगा कि अंग्रेज जमीन एक्वायर करके कम्पनसेशन दे गए हों, उसको 57 सालों के बाद वक्फ बोर्ड कह दे कि यह वक्फ की जमीन है। उसके बाद ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हमें यह नहीं मिल रही है। वह मिल जाती, वर्ष 1984 में कांग्रेस की सरकार, यूपीए सरकार ने देने की कोशिश की थी, वर्ष 2014 में भी देने की कोशिश की। आप अपनी सरकार देख लें। 5 मार्च, 2014 को चुनाव का मॉडल, कोड ऑफ कंडक्ट जारी हुआ था। आप सभी को याद होगा, आप सभी में से बहुत से माननीय सांसद चुनाव लड़े थे। इसके ठीक दो दिन पहले 2 मार्च को यूपीए सरकार ने एक कैबिनेट बैठक किया और उस 123 प्रॉपर्टीज का डीनोटिफिकेशन करके कहा कि इसको वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए। माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद है, आज वह माननीय हाई कोर्ट के स्टे से रुका हुआ है, नहीं तो तात्कालीन सरकार ने यह देने का काम कर दिया था, जो असंवैधानिक था।? (व्यवधान) धर्मेन्द्र जी, सुन लीजिए।

माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई अधिग्रहित और मुआवजाधारी दी गई जमीन किसी दूसरी इकाई को नहीं दी जा सकती। अगर सरकार किसी संपत्ति का अधिग्रहण कर ले, मुआवजा दिया

जा चुका है तो डिनोटिफाई नहीं कर सकती है। अगर यह काम कोई कर सकता है कि इस तरह से संविधान और कानूनी प्रावधानों का कोई उल्लंघन कर सकता है और इस तरह की सरकारी संपत्तियों को गैर-कानूनी तरीके से ट्रांसफर करने की कोशिश, केवल तुष्टिकरण करने की कोशिश के लिए कांग्रेस, यूपीए की सरकार ने किया था।

मैं कहना चाहता हूं कि आप इसको असंवैधानिक कह रहे हैं। आखिर यह कैसे है? आप बताइए कि यह असंवैधानिक है। आप यह बताइए कि यह असंवैधानिक है। आप वर्ष 1995 के प्रिंसिपल एक्ट की बात कर रहे हैं, वर्ष 2013 के प्रिंसिपल एक्ट के उस अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। वर्ष 1995, वर्ष् 2013 में बहुत से साथियों ने सेक्शन 40 की बात कही है। कई सेंक्शंस हैं। देश को जानना यह चाहिए।

वर्ष 1995 और वर्ष 2013 में अमेंडमेंट करके इस तरीके से वक्फ बोर्ड को इतनी अनलिमिटेड पावर्स दी गईं और वक्फ बोर्ड की अनलिमिटेड पावर्स संविधान से ऊपर हो गईं। कल्याण जी, सैक्शन 40 को हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। हमारे पास किताब भी रखी है। ? (व्यवधान) आप किताब खोलकर पढ़ लीजिए। ? (व्यवधान) सैक्शन 43 में कहा कि वक्फ बोर्ड की किसी जमीन को, चाहे वह किसी के पास वर्षों से हो, उस जमीन को वक्फ घोषित कर सकते हैं। यह किसका वाएलेशन है? यह आर्टिकल 300ए का वाएलेशन है, राइट टू प्रॉपर्टी का वाएलेशन है। इन्होंने वाएलेशन किया है। ? (व्यवधान) संविधान का उल्लंघन किया है। ? (व्यवधान) आर्टिकल 300ए राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लंघन किया है। वक्फ बोर्ड बिना किसी सुनवाई के संपत्ति नहीं ले सकता। ? (व्यवधान) आप सुन लीजिए, मैं सैक्शन 32 की बात कर रहा हूं। 1995 में सैक्शन 32 में किसी भी प्रॉपर्टी को बिना कम्पेनसेशन के टेकओवर करने की शक्ति वक्फ बोर्ड को दे दी गई। यह आर्टिकल 300ए राइट टू प्रॉपर्टी का सीधा उल्लंघन है। वक्फ बोर्ड पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कंट्रोल नहीं रहेगा, यह सैक्शन 28 और 29, 1995 में है। इसका मतलब है कि वक्फ की संपत्तियों पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट और किसी सरकारी संस्था का नियंत्रण नहीं रहेगा। इस तरह की असीमित पावर्स दी गईं? सैक्शन 51 और 52 में कहा कि जब चाहे सरकार वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई कर सकती है। ? (व्यवधान)

महोदय, मैं इस कमेटी का चेयरमैन था। सैक्शन 6 और 7 में कहा गया। ? (व्यवधान) किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। 1995 के सैक्शन 6 और 7 में वक्फ बोर्ड को इतनी पावर दे दी गई कि किसी सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। आज का दिन ऐतिहासिक होगा क्योंकि जब भी वक्फ की चर्चा होगी तो याद किया जाएगा कि राइट टू अपील का अधिकार अगर किसी ने दिया था तो माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने दिया था। ? (व्यवधान) यह अधिकार है। ये रिवीजन की बात करते हैं, रिव्यू की बात करते हैं। जैसे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि रिट की बात करते हैं, लेकिन अपील का अधिकार जो मौलिक अधिकार है, उसे इस सरकार ने पहली बार देने का काम किया है जिसमें व्यक्ति हाई कोर्ट तक जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। ? (व्यवधान)

महोदय, यह गुड गवर्नेंस की बात है। ? (व्यवधान) पसमांदा की बात नहीं कर हैं। ये कह रहे हैं कि आप डिवाइड कर रहे हैं, पसमांदा की बात कर रहे हैं, ख्वातीन की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, ऑर्फन की बात कर रहे हैं। हम क्यों बात नहीं करेंगे? सच्चर कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था? सच्चर कमेटी ने कहा था कि आम मुस्लिम महिलाओं में 51 परसेंट इलिट्रेट हैं, 6 परसेंट हायर एजुकेशन में नहीं हैं और मुस्लिम्स की स्थिति एससीज और एसटीज से भी खराब है। सब लोग सच्चर कमेटी की बात करते हैं। सच्चर कमेटी ने कहा था कि इसे इम्प्रूव करने की जरूरत है। जैसे आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसे लागू करने का काम मोदी सरकार ने किया। ? (व्यवधान) स्वामीनाथन कमेटी कांग्रेस यूपीए ने बनाई थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट को लागू करके किसान की आय को दोगुना करने का काम हम कर रहे हैं। ? (व्यवधान) इन्होंने सच्चर कमेटी बनाई और इसकी क्या रिपोर्ट है? हम क्या लाए हैं? हमारी सरकार यह अमेंडमेंट क्यों लाई है?

मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं कि वर्ष 2006 से 2014 तक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद भी इस कांग्रेस को चिंता नहीं हुई कि पसमांदा, ओबीसी, ख्वातीन, ऑर्फन, मुस्लिम, गरीब लोगों का क्या होगा? अगर उसकी चिंता हुई तो आज मोदी सरकार को चिंता हुई। केवल चिंता ही नहीं हुई, आज इस बिल को लाने का उद्देश्य क्या है? ? (व्यवधान) आप चिल्लाइये मत। इस बिल को लाने का उद्देश्य क्या है? इस बिल को लाने का उद्देश्य, सच्चर कमेटी की जो वर्ष 2006 की रिपोर्ट थी, हमने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ली, फिर नेशनल सेम्पल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) की रिपोर्ट है, फिर ऑल इंडिया हायर एजुकेशन सर्वे की रिपोर्ट है, फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है।? (व्यवधान) आप अपना कुछ ज्ञान बढ़ा लो। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है।? (व्यवधान) इन सारी रिपोर्ट्स के आधार पर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का? (व्यवधान) अरे, आप दो मिनट सुन लीजिए। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक है, जिससे लाभ पसमांदा को होगा। ? (व्यवधान) मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चाहे वर्ष 1995 हो, वर्ष 2013 हो, उस समय उन्होंने अनकॉन्स्टीट्यूशनल पास किया था। मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1995 और 2013 में इन्होंने आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया, आर्टिकल 15 का उल्लंघन किया, आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया, आर्टिकल 21 का उल्लंघन किया, आर्टिकल 300ए का उल्लंघन किया। उस समय संविधान का उल्लंघन करके वर्ष 1995 और 2013 में चुनाव के लिए उसमें अमेंडमेंट किया। मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि आज वक्फ संपत्तियों को क्यों? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं आज कहना चाहता हूं कि हमेशा याद किया जाएगा कि अगर वक्फ बोर्ड में पसमांदा आए, ओबीसी आए, महिलाएं पहले से थीं, आप कैलकुलेट कर लीजिए कि जब से वर्ष 1995 में अमेंडमेंट हुआ है, आज तक केवल 8 महिलाएं आई हैं। अब मेनडेट हो गया कि वक्फ बोर्ड में दो महिलाएं होंगी और हर काउंसिल में दो महिलाएं

होंगी। यह मेनडेट है। आर्टिकल 14 का उल्लंघन कैसे है? मैं आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड को विशेषाधिकार दे दिया गया। अन्य धार्मिक संस्थाएं, जैसे हमारे तेजस्वी जी कह रहे थे कि हम मंदिर को नहीं दे सकते, चर्च को नहीं दे सकते, गुरुद्वारे को नहीं दे सकते, जैन मंदिर को नहीं दे सकते? केवल वक्फ बोर्ड को क्यों दिया? यह वर्ष 1995 और 2013 के वक्फ के अमेंडमेंट के बारे में था कि सरकारी भूमि पर वक्फ बोर्ड स्वत: दावा कर सकता था, अन्य धर्म को सुरक्षा नहीं थी। आर्टिकल 15 धर्म के आधार पर भेदभाव? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप 30 सैकेंड में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल : अभी स्पीकर साहब आ गए हैं। वे मुझे पांच मिनट देंगे। स्पीकर साहब मुझे पांच मिनट देंगे।

<u>23.33 hrs</u> (Hon. Speaker *in The Chair*)

स्पीकर साहब बहुत मेहरबान रहते हैं। आपके आने से पहले मैं कह रहा था कि वर्ष 1995 और वर्ष 2013 का अमेंडमेंट अनकॉन्स्टीट्यूशनल था। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज यह सरकार आर्टिकल 14, 15, 19 और राइट टू प्रॉपर्टी का उस समय उल्लंघन करके, कांग्रेस यूपीए सरकार में उस तरह का वक्फ का लॉ बनाकर, किसी सम्पत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाए, आज उसको ठीक करके संविधान संशोधनपरक कानून बनाने का काम मोदी सरकार कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल : अभी ओवैसी साहब कह रहे थे कि यह प्योरली एक रिलीजियस बॉडी है।? (व्यवधान) मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। उन्होंने कई केसेस का उदाहरण दिया। मैं कहना चाहता हूं कि सच्चर कमेटी की क्या सिफारिश है? क्या सच्चर कमेटी, जिसकी दुहाई ? (व्यवधान) मैं एक बात कहना चाहता हूं। सच्चर कमेटी ने कहा था, सच्चर कमेटी की संस्तुति है कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम रखे जाएं। हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम कर रहे हैं। यह सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। चाहे पसमांदा हो, गरीब हो, आपको क्या मालूम है? आज हम सच्चर कमेटी की उस रिपोर्ट को लागू कर रहे हैं। उसकी आय को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए यूज करेंगे। वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार के बारे में गृह मंत्री जी कह चुके हैं। मैं आज कहना चाहता हूं कि आखिर वक्फ बोर्ड का फायदा क्या है? वर्ष 2019-20 में, मैं वामसी पोर्टल से कह रहा हूं, उस समय 166 करोड़ था और आज घटकर 1409.92 करोड़ है। आज वक्फ बोर्ड तनख्वाह नहीं दे सकती है। अगर सीएजी के द्वारा नियुक्त किए हुए ऑडिटर से ऑडिट होगा तो उसका फायदा किसको मिलेगा? गरीब मुसलमानों को मिलेगा, आम मुसलमानों को मिलेगा, पसमांदा को मिलेगा। इसलिए मैं यह बात कहना चाहता हूं। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी बात समाप्त कीजिए। माननीय मंत्री जी बोलेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल : आज जिस तरीके से यह बिल आया है, मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारी सरकार ने, कमेटी की मेहनत से 6 महीने में हमने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को लागू करके देश के पसमांदा, आम गरीबों को फायदा होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री किरेन रिजिजू : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि आज दिन भर की चर्चा होने के बाद मेरे जवाब से पहले, आपने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सभापति को बोलने का मौका दिया, मैं समझता हूँ कि यह एक अच्छी डिबेट के सम्पन्न होने का प्रतीक भी है।

पूरे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेम्बर्स के साथ-साथ आज जितने भी मेम्बर्स ने पार्टिसिपेट किया है, सभी लोगों ने अपने-अपने तर्क रखे हैं। इस बिल के पक्ष में, विपक्ष में सबने अपने तर्क रखे हैं। मैं सबको अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ।

मैंने गौर से सबकी बातों को सुना है। जैसा कि मैंने शुरुआत में, बिल प्रस्तुत करते समय अनुरोध किया था कि इस सदन में भरपूर चर्चा की जाए। हम सबकी बातें सुनेंगे और जवाब भी देंगे। मेरे ख्याल से, कई मुद्दे ऐसे आए, इस बिल के पक्ष में बोलने वालों ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दिया है। इसलिए कई ऐसे पॉइंट्स हैं, जिनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ क्योंकि देर रात तक यह चर्चा चल रही है। इसलिए समय को देखते हुए विस्तृत रूप से अपने जवाब को न रखते हुए, मैं संक्षेप में जवाब देने की कोशिश करूँगा कि आपके पॉइंट्स उसमें शामिल हो जाएं।

कुछ लोगों ने जो पॉइंट्स उठाए हैं, वे तर्क हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं, जो तर्कहीन हैं। मैंने शुरू में बताया कि राजनीतिकरण भी हुआ है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग समझते हुए भी नहीं समझने का प्रयास करते हैं, उनको मैं नहीं समझा सकता हूँ। मैंने कुछ लोगों से शुरू में ही कहा कि अगर आप कहते हैं कि यह बिल गैर-संवैधानिक है, तो आप बताइए कि यह गैर-संवैधानिक कैसे है? ज़बरदस्ती कहना कि यह अनकांस्टिट्यूशनल है, जब मैंने शुरू में ही, कोर्ट के प्रोनाउंसमेंट, कोर्ट के ऑर्डर और ऑब्ज़र्वेशन को भी पढ़कर सुनाया कि वक्फ प्रोपर्टीज का मैनेजमेंट और वक्फ बोर्ड का कांस्टिट्यूशन लीगल है, कांस्टिट्यूशनल है। मैंने कोर्ट के ऑब्ज़र्वेशन को भी लाइन-बाई-लाइन पढ़कर सुनाया। उसके बाद भी बोल रहे हैं कि यह अनकांस्टिट्यूशनल है।

वर्ष 1954 में, आज़ादी के बाद, यह बिल लाया गया है, फिर भी कहते हैं कि यह अनकांस्टिट्यूशनल है। अगर यह अनकांस्टिट्यूशनल था, तो फिर इसे किसी कोर्ट ने क्यों स्ट्राइक डाउन नहीं किया? इसलिए मैं इस सदन में कहना चाहता हूँ कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे ?कांस्टिट्यूशनल और अनकांस्टिट्यूशनल? को हल्के में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए।

कुछ लोग कह रहे थे कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई। जब हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो खुद भी सोचना चाहिए। हम लोग संसद सदस्य हैं, इस सदन का सदस्य होने के नाते हम लोग जो शब्द प्रयोग करते हैं, उसके

पीछे जो भाव है, उसको समझना होगा। अगर हम शब्दों का हल्के में इस्तेमाल करते हैं, तो सुनने वाले लोग क्या सोचेंगे?? (व्यवधान)

अपनी बात कहने के बाद भी, जब उनको समझाते हैं, तो वे तो समझने वाले हैं नहीं, इसलिए मैंने उम्मीद भी छोड़ दी है कि ये समझेंगे।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, यहाँ पर सब विद्वान सदस्य हैं।

श्री किरेन रिजिजू : सर, मैंने शुरू से कहा है कि सबको अपनी बात कहने का हक है, अधिकार है। लेकिन हल्के-फुल्के तरीके से यहाँ पर टोका-टोकी नहीं होनी चाहिए। अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, तो आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर की संख्या बताइए। आप सदन में उसे रखिए। यहाँ पर बैठे-बैठे कमेंट्स पास करते रहेंगे, तो यह कोई तरीका तो है नहीं।

जैसा कि मैंने कहा कि कई सदस्यों ने अच्छे मुद्दे उठाये हैं। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि गौरव गोगोई जी हमारे छोटे भाई के समान हैं, जो अभी कांग्रेस के डेप्युटी लीडर हैं, राजा जी हैं, ऐसे कई लोग हैं, जिन्होंने जो मुद्दे उठाये, मैं उनके बारे में पहले संक्षेप में जवाब देना चाहता हूँ।

आपने बोला कि वक्फ-बाई-यूज़र को कैसे ओमिट कर दिया? इसका फायदा क्या है? इसको हटाने से क्या फायदा होगा? यह मैंने शुरू में भी कहा, अब मैं फिर से उसमें थोड़ा एड करके बोलना चाहता हूं। मैं वक्फ-बाई-यूज़र के बारे में कह रहा हूं। यदि चलते-फिरते कोई कहता है कि एक ज़माने में मेरे बाप-दादा इस जमीन को ऐसे इस्तेमाल करते थे, अगर कोई बोल देता है और वक्फ बोर्ड उस जमीन को, उस जगह को वक्फ डिक्लेयर कर देता है, तो हम इसको कैसे मान सकते हैं? ? (व्यवधान) यदि कोई प्रमाणित रूप से कहे कि यह उस समय वक्फ के लिए इस्तेमाल किया गया था, यदि वह सर्टिफिकेट दिखाए, कोई डॉक्यूमेंट दिखाए, तो फिर उसको वक्फ डिक्लेयर किया जा सकता है। ? (व्यवधान) सिर्फ कहने पर, क्लेम करने पर उसे वक्फ डिक्लेयर करेंगे, तो उसको कैसे मान्यता दी जा सकती है? ? (व्यवधान) इसमें धर्म की कोई बात ही नहीं है। ? (व्यवधान)

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि यह एंटी-मुस्लिम है। आप बताइए कि यह एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? चाहे मुसलमान की हो, हिंदू की हो, सिख की हो, जैन की हो, ईसाई की हो, हर जमीन देश की ही जमीन है। उसमें कानूनी तौर पर अगर कोई जमीन का अधिग्रहण करता है, डिक्लेरेशन करता है, रजिस्ट्रेशन करता है, तो सबका वैलकम करना चाहिए। इसके लिए कहा जा रहा है कि इस्लाम धर्म के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ कदम उठाया जा रहा है, कई लोगों ने बार-बार इस बात को दोहराया है। मैं मानता हूं कि हम लोग जब इतने विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, तो जब इल्ज़ाम लगाते हैं, तो बिना तर्क के इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए।

राजा जी, आपने इस बात को दो बार दोहराया है। I want to be very clear in informing my hon. colleagues that removal of waqf-by-user proposed in the Bill is due to inadequate documentation data supporting ownership of the waqf properties leading to disputes. There are huge number of disputes pending in the tribunals. We have to ensure that speedy justice is delivered. Whatever possible efforts we have to make, we must make. Otherwise, justice delayed is justice denied. We know thousands of cases are pending in the tribunals and the courts. How can we be just ignorant about things happening before us? We have the records at hand. We have to take some proactive steps. When we take certain provisions into consideration, there is a considered opinion applied in taking a particular step. There are numerous examples I can cite but I do not want to take much time because much has already been deliberated upon.

सर, वक्फ-अल-औलाद के बारे में कई लोगों ने जिक्र किया। ? (व्यवधान) हमारे ओवैसी साहब बहुत विद्वान हैं, उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं। ? (व्यवधान) उन्होंने एक आरोप भी लगाया कि मुसलमानों के लिए वक्फ-अल-औलाद का आप प्रावधान कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं उनको बताना चाहता हूं कि हिंदुओं में तो प्रावधान पहले से ही है। ? (व्यवधान) अलग से कानून बनाने की क्या आवश्यकता है? ? (व्यवधान) इस्लाम की प्रैक्टिस में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जहां कमियां हैं, उनको पूरा करने के लिए हम इस बिल में प्रावधान लेकर आए हैं। ? (व्यवधान) हमारे देश में एक यूनिफॉर्मिटी हो। हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं, सब देश के नागरिक हैं। ? (व्यवधान) हम उन्हें कैसे छोड़ देंगे? इसका मतलब आप खुद ही हम पर आरोप लगाएंगे कि आप सरकार में क्या कर रहे हैं? आप मूक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं। ? (व्यवधान) इसलिए, मैं कहना चाहता हूं कि चाहे विडो हो, डिवोर्स्ड-वूमेन हो, चाहे ऑरफन्स (अनाथ) हों, उनके लिए प्रावधान हमने किया है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले भी दिया है।

गौरव जी ने जो एक चीज थोड़ी उल्टी समझाई है, मैं उसको थोड़ा सीधा करके समझाना चाहता हूं। ? (व्यवधान) उन्होंने कहा कि सात परसेंट कॉन्ट्रिब्यूशन, जो मुतवल्ली की ओर से बोर्ड को दिया जाता है, उसको सात परसेंट से 11 परसेंट बढ़ाना चाहिए। मैं इस बात को सही करके बताना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि बोर्ड को सपोर्ट करने की जगह उस पैसे को गरीबों के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। जो औकाफ है, उसको डेवलप करने के लिए और भी रिसोर्सेज़ उसके पास रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि वैलफेयर के लिए काम हो, इसलिए, उसे बढ़ाने का प्रावधान किया है। अत: मैं यह करेक्शन के तौर पर आपसे कहना चाहता हूं।

कलेक्टर के बारे में यह कहा गया कि कलेक्टर एक बहुत बड़ी ऐसी पोजीशन है, ऐसी एक कुर्सी है, जो सिर्फ हम लोगों के नुकसान के लिए बैठा है और कलेक्टर की पोजीशन का विश्वास नहीं करना चाहिए।

इतने सालों से कलेक्टर का जो बेसिक जॉब होती है, रेवेन्यू, प्रशासन और जिले में बाकी व्यवस्थाओं के लिए कलेक्टर होता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, कहीं-कहीं उसे डिप्टी कमिश्नर कहा जाता है, वह बेसिकली जिले में वेलफेयर ऑफिसर होता है। अगर हम कह दें कि हम कलेक्टर पर विश्वास ही नहीं करेंगे, आप सोचकर देखिए कि फिर हम विश्वास किस पर करें। कलेक्टर किसी पार्टी का नहीं होता है। कलेक्टर एक ड्यूटी बाउंड ऑफिसर होता है और वह जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाता है। इसलिए कलेक्टर के ऊपर प्रहार करने की जगह हम सब अगर यह सुझाव देते कि वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट में और क्या सुदृढ़ और अच्छे कदम उठाये जा सकते हैं, अगर ये सुझाव आते तो मैं उनका वेलकम करता। मैं उन सुझावों का स्वागत करता, लेकिन कलेक्टर के बारे में आप लोगों ने एकदम इतना अविश्वास व्यक्त किया है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा अविश्वास किसी अधिकारी के ऊपर नहीं करना चाहिए। कोई भी अधिकारी गलत काम करता है तो उसका डिसिप्लिनरी एक्ट, प्रावधान अलग होता है।

सर, जो अपील का प्रावधान किया है, उसे थोड़ा डीपली आपको समझना होगा। उन्होंने कहा कि पहले भी प्रावधान था। कई माननीय सदस्यों ने ऐसा कहा है। रिट और सूट के अंतर को आपको समझना होगा। जो रिट पिटिशन होती है, वह बहुत रीस्ट्रिक्टिव होती है। वह डिस्क्रेशनेरी होता है। उसमें आपको कोई अपना हक है, अपना अधिकार है, इस तरह से आप जा नहीं सकते हैं। उसका बहुत सीमित है और उसमें विंडो खुला होता है, लेकिन जब सूट होता है, वह आपका अधिकार होता है। आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी का मैटर होता है, वह सिविल कोर्ट में जाता है। उसका आप अधिकार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ लिमिटेशन के बारे में कहा गया है। लिमिटेशन के बारे में जितने भी हमारे साथियों ने कहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने इसमें लॉ ऑफ लिमिटेशन क्यों एप्लाई किया है? किसी ने कहा कि लिमिटेशन बाकी जगह में भी है और यहाँ कंपेयर करने की कोशिश की है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ। आपने जो उदाहरण दिया कि लॉ ऑफ लिमिटेशन यहाँ क्यों लगाया और हिन्दुओं में क्यों नहीं लगाया, रामलला का उदाहरण देकर मैं बताना चाहता हूँ, आप समझ जाएंगे, रामलला के वहाँ लॉ ऑफ लिमिटेशन लगाया, क्योंकि रामलला माइनर है और उसी हिसाब से उसमें लॉ ऑफ लिमिटेशन का एप्लीकेशन हुआ है। हम आपको कहना चाहते हैं कि अगर हम लॉ ऑफ लिमिटेशन लगाकर किसी भी चीज का संरक्षण कर सकते हैं या उसके डिस्पोजल में हम ज्यादा स्पीड से मदद कर सकते हैं तो उसे एप्लाई करना चाहिए। जहाँ जरूरत है, अगर हम वहाँ से लॉ ऑफ लिमिटेशन हटा देंगे और वर्षों तक किसी भी चीज का मर्जी से क्लेम कर सकता है, तो आप सोचकर देखिए कि ऑलरेडी इतने केसेज पेंडिंग हैं, उसमें कितनी और बढ़ोतरी होगी। क्या आप नहीं चाहते हैं कि केस का

डिस्पोजल जल्दी हो? इन सारी चीजों का आप कई लोगों ने अलग-अलग समर्थन किया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है।

सर, गृह मंत्री जी के स्पष्टीकरण देने के बाद भी फिर से दो-तीन मेंबर्स ने इस चीज को उठाया। मैंने सोचा कि इतनी खूबसूरती से माननीय गृह मंत्री जी ने एक्सप्लेन किया है तो यह मैटर सैटल हो गया है, लेकिन फिर से इसे उठाया गया है।

सर, वक्फ और वक्फ बोर्ड के जिस अंतर को माननीय गृह मंत्री जी ने बताया, मैं उसे फिर से दोहराता हूँ। आप कहते हैं कि यह मुसलमानों का मामला है और धार्मिक मामले में गैर मुसलमान कैसे आ सकते हैं? कोर्ट का ऑर्डर भी आपको पढ़कर सुनाया, एक्सप्लेनेशन भी किया, इलास्ट्रेशन भी दिया, फिर भी आप समझने के लिए तैयार नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी, जो वाकिफ होता है, वह मुसलमान ही होता है, वही क्रिएट करता है।

औक़ाफ़ कौन चलाता है? उसको मुतवल्ली चलाता है। वह मुस्लिम ही होता है। यहां वक्फ प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने के लिए गैर मुसलमान के आने की संभावना कहां है, यह बताइए। आप जबर्दस्ती बोलते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ में नॉन-मुस्लिम्स आएंगे और वे मुस्लिम के रिलिजियस अफेयर्स में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। हम बार-बार बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है। फिर भी, आप ऐसा बोल रहे हैं।? (व्यवधान)

सर, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता हूं। सच्चाई को मानने के लिए वे तैयार नहीं हैं। मैं किस भाषा में समझाऊं? ? (व्यवधान) मैं तो परेशान हो गया कि गृह मंत्री जी के इतने समझाने के बाद भी यह मैटर क्यों उठ रहा है।? (व्यवधान) मैंने बहुत ध्यान से सबकी बातें सुनी हैं। मैं एक-एक प्वायंट का जवाब दूंगा तो वह बहुत लम्बा हो जाएगा, लेकिन आपको एक डिटेल जरूर बताना चाहता हूं।

सर, हमारे पोर्टल में जो टोटल वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, उसका जिक्र मैं सदन के साथ शेयर करना चाहता हूं। चैरिटेबल पर्पस के लिए इसका कैसे इस्तेमाल हुआ है, कितना इस्तेमाल हुआ है, आप खुद सुन लीजिए। हमारे देश में हमारे ?वामसी? पोर्टल के हिसाब से टोटल स्कूल्स 1,389 एकड़ में है। उसमें 0.037 प्रतिशत वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया गया। हमारे देश में 1,85,756 एकड़ में मदरसे हैं, इसमें से वेलफेयर के लिए 4.9 प्रतिशत का इस्तेमाल हुआ है। हमारे देश में 4,710 एकड़ में मुसाफिरखाना है, इसमें से वेलफेयर के लिए 0.2 प्रतिशत का इस्तेमाल हुआ है। यह सब मैंने चैरिटेबल के बारे में बताया।

सर, अब मैं बताऊंगा कि कॉमर्शियल में कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं और उनमें से कितना प्रतिशत वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया गया है। एग्रीकल्चर लैंड 6,27,692 एकड़ हैं, जिनमें से सिर्फ 16.7 प्रतिशत ही वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टोटल बिल्डिंग 5,994 एकड़ में हैं और उनमें से सिर्फ 0.1 प्रतिशत इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से, घर है, ऑर्चार्ड है, प्लॉट है, फिशिंग पॉण्ड्स हैं, दुकाने हैं, कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनका 1 प्रतिशत से

भी कम हिस्सा वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिलिजियस जगहें, जैसे ईदगाह हैं, वे 2,85,256 एकड़ में हैं, उसमें से 7.6 प्रतिशत ही वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही इमामबाड़ा, चौकी, करबला, मॉस्क़, तक़िया, जो मज़ार या दरगाह होते हैं, कब्रिस्तान, सबको हमने देखा है। इसमें से वेलफेयर के लिए इस्तेमाल का परसेंटेज 1 प्रतिशत से भी कम है और अगर किसी का 1 प्रतिशत से ज्यादा है तो वह बहुत ही कम है। इसलिए मैं डेटा में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इतनी ज्यादा डेटा है कि आप लोग इसे सुन-सुन कर ?बोर? हो जाएंगे। लेकिन, आपने जो पॉलिटिकल इश्यूज़ उठाए हैं, उनकी ओर ले जाते हुए मैं अपने भाषण का समापन करना चाहता हूं।

आप लोग बार-बार यह कहते हैं कि हमारी सरकार में मुसलमानों के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं। आप बार-बार यह कह रहे हैं कि हमारे देश में स्पेसिफिकली मुस्लिमों को डिवाइड किया जा रहा है। आप थोड़ा सोच कर देखिए। पुराने प्रावधानों के मुताबिक़ सुन्नी बोर्ड अलग, शिया बोर्ड अलग और बाकी मुसलमानों के बोर्ड्स अलग-अलग होने चाहिए, यह आपने किया। हमने यह किया कि हर बोर्ड में जितने भी मुस्लिम सेक्ट्स हैं, सब मिल-जुलकर उसमें एक साथ बैठें, तो मुस्लिमों को डिवाइड आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं?? (व्यवधान) हम तो सारे मुसलमानों को यूनिफाई कर रहे हैं, इन्हें अलग-अलग करके इन्हें डिवाइड तो आप कर रहे हैं और बिना किसी तर्क के, हम पर आप मुसलमानों को डिवाइड करने का इल्ज़ाम लगाते हैं?? (व्यवधान)

हमने पहले भी आपको थोड़ा सा आगह किया था, विशेष कर केरल के एमपीज़ को मैंने कहा था, वैसे तो सबके लिए है, लेकिन केरल के हमारे एमपी साथियों को बार-बार कहा कि मेरे पास केरल से क्रिश्चियन डेलिगेशन भी आए और लगभग छह सौ फैमिली के प्रतिनिधि भी मेरे पास आए। हमारे एक साथी एमपी ने भी कहा कि उनके कांस्टिट्यूएंसी का है। अगर यह केस केरल में सेटल हो जाता, केरल की सरकार या केरल के जो हमारे माननीय सदस्य हैं, आप अगर वहां मैटर को सैटल करते, वहां विक्टिम फार्मर्स वहां सैटिसफाइड होते तो हमारे पास क्यों आते? आपने उनके दुख को समझने की कोशिश नहीं की, आप समाधान नहीं कर पाए, तभी तो वे हमारे पास आए। यह बिल पास होने के बाद उनके दुख का, उनकी तकलीफ का समाधान भी हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि हमारे बिल को माइनोटी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आज पूरे देश की क्रिश्चिन कम्युनिटी की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ और मेमोरेंडम आ रहा है, आप क्या यह कहना चाहते हैं कि यह जो चर्च की काउंसिल है, बिशप काउंसिल वगैरह क्या पढ़ी-लिखी नहीं है? वह जानकारी नही रखते हैं? आपके कहने का क्या मतलब है कि उन्होंने ऐसे ही मेमोरेंडम, ऐसे ही प्रेस रिलीज़ दिया है। वे दुखी हैं, इसीलिए तो आपसे अपील कर रहे हैं कि इस वक्फ अमेंडमेंट बिल पर सभी एमपीज़ को समर्थन करना चाहिए। यह पूरे क्रिश्चियन ऑर्गनाइज़ेशन की ओर से अपील की गई है। यह जानते हुए भी सदन में आप बिना मतलब की बात रख रहे हैं। अपीज़मेंट कौन कर रहा है? आप बार-बार अपीज़मेंट-अपीज़मेंट की बात करते रहते हैं। आज भी दो-तीन लोगों ने संविधान की किताब को पकड़ा और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि संविधान को हाथ में पकडना, भारत के तिरंगे को हाथ

में पकड़ना अच्छी बात है, लेकिन संविधान पकड़ेंगे, तिरंगा पकड़ेंगे, फिर आप बोलते हैं कि देश से आजाद होना चाहिए, देश के टुकड़े होने चाहिए। ऐसे नारे लगाने वाले का समर्थन करना कहां तक जस्टीफाई करता है? जो लोग इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे, ऐसा बोलने वालों के साथ आप लोग खड़े रहते हैं। हाथ में संविधान पकड़ने से कुछ नहीं होता है। संविधान की स्प्रिट के साथ जीना पड़ता है। आप लोगों की कई ऐसी तस्वीरें भी है, जिसमें भारत के टुकड़े करने के लिए नारा लगाने वालों के साथ आप लोग खड़े रहते हैं। आप लोग ऐसा मत समझो कि लोग नहीं देख रहे हैं। लोग देख रहे हैं। आपके जितने कारनामे हैं, वह पहचान चुके हैं।

बहुत आसानी से आप लोग कहते हैं कि इस देश में माइनोरिटी सेफ नहीं हैं। मैं भी एक माइनोरिटी हूँ और माइनोरिटी कम्युनिटी डेफिनेशन के हिसाब से इस देश में छह माइनोरिटी कम्युनिटीज़ हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, और पारसी हैं। माइनोरिटी में सबसे छोटा माइनोरिटी कौन है? पारसी है, जिसकी पॉप्युलेशन लगभग 52 हज़ार है। हमारे देश में सिर्फ 52 हज़ार पारसी बचे हैं। आप लोगों ने इनती छोटी माइनोरिटी के बारे में सोचा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इतनी छोटी, खत्म होने वाली कम्युनिटी के लिए जीयो पारसी स्कीम चलायी ताकि हमारी पारसी कम्युनिटी लुप्त न हो जाए। सबसे छोटी कम्युनिटी की चिंता की। वोटों की दृष्टि से वह एक एमपी भी नहीं जिता सकते हैं, लेकिन कहीं लुप्त न हो जाए, हमारे देश के लिए पारसी कम्युनिटी ने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। अभी जब मैं अपने कमरे में खाना खाने के लिए गया तो पारसी के बड़े धर्म गुरू ने आ कर, हाथ जोड़ कर अभिनंदन किया है, नरेंद्र मोदी जी को और हमारी सरकार को कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल ले कर आए हैं। क्या वह छोटी कम्युनिटी है, यह कह कर हम उसको भूल जाएंगे, उसको वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि वह एमपी नहीं जिता सकता है? छोटी से छोटी कम्युनिटी का ध्यान रखने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है।

अध्यक्ष महोदय, जब वेणुगोपाल जी को सच्चाई बता रहे हैं तो वे सुन नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है, मैं देख रहा हूँ। लेकिन थोड़ा पेशेंस से सुनिए, मैं बहुत जल्दी अपनी बात को समाप्त करूंगा।

<u>24.00 hrs</u>

माइनॉरिटी कम्युनिटी सेफ नहीं है, यह किसने कहा? आज भी कई सदस्यों ने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। हमारी सरकार के खिलाफ आप नारेबाजी कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, यह सब डेमोक्रेसी में चलता है। जब आप हिन्दुस्तान में रह कर कहते हैं कि यहां माइनॉरिटी सेफ नहीं है। आप समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं खुद एक माइनॉरिटी हूं। हिन्दुस्तान से ज्यादा कहीं भी माइनॉरिटी की सेफ्टी नहीं है। इस देश में हरेक माइनॉरिटी शान से जीने का अधिकार रखता है।? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इसका कोई मतलब नहीं है ।? (व्यवधान) मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं ।? (व्यवधान) आप सब जानते हैं कि हमारे बॉर्डर वाले कंट्रीज से कितने लोग आए हैं। वर्ष 1959 में चीन और तिब्बत में समस्या हुई। उस समय तिब्बत के लोगों को परम पूज्य दलाई लामा जी के साथ भारत में आना पड़ा। वे लोग हमारे देश में आए। वे लोग यहां शरण लेकर बैठे हुए हैं। जब म्यांनमार में डेमोक्रेसी को लेकर समस्या खड़ी हुई तो वहां के सारे रिफ्यूजी हिन्दुस्तान में आकर शरण लिये। बांग्लादेश में माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ रिलिजियस पर्सिक्यूशन हुआ। वे रिफ्यूजी बन कर भारत में आए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में माइनॉरिटी, चाहे वह सिख हो, क्रिश्चयन हो, हिन्दू हो, बौद्ध हो, जब वहां उनके खिलाफ रिलिजियस पर्सिक्यूशन हुआ तो वे हमारे देश में आए ।? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, श्रीलंका में तमिल के साथ जब समस्या हुई तो वहां के तमिल भारत में आए। आप कैसे कह सकते हैं कि भारत में माइनॉरिटीज सेफ नहीं है। आप बहुत ही गलत बात कह रहे हैं। आपको आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी ।? (व्यवधान) अपने देश को गाली देना, अपने देश को बदनाम करना, यह ठीक नहीं है। इसे आपने सदन के रिकॉर्ड में कहा है। आने वाली पीढ़ी आपके बारे में क्या सोचेगी? इसे आप सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय, कई लोगों ने सेकुलर के बारे में कहा है। जब हमारे देश भारत का विभाजन हुआ, तो हमारा देश सेकुलर रह गया। हमारे देश से जो अलग हुए, वे सेकुलर नहीं हुए। यह जानना जरूरी है। इसे मुझे इस सदन में कहना चाहिए। भारत देश इसीलिए सेकुलर है कि यहां मेजोरेटी लोग सेकुलर सोचते हैं ।? (व्यवधान) तभी यह देश सेकुलर है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में लोग सेकुलर क्यों नहीं हैं? यहां किसकी वजह से सेकुलर है, कम से कम इसे एक्नॉलेज तो करना चाहिए। सेकुलरिज्म को लेकर ये लोग बार-बार सेकुलर के बारे में बोलते हैं। अगर ये लोग पाकिस्तान में होते, बांग्लादेश में होते तो अपने आप को सेकुलर नहीं कहते। यहां हम सब फ्रीअली अपने आप को सेकुलर कह सकते हैं। इसके बावजूद भी आप इस देश को गाली देने का काम करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज को लेकर हमें बदनाम करने की कोशिश की हैं। मैं आपके पुराने रिकॉर्ड के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के समय में, मैं नेहरू जी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, उन्होंने क्या कहा और क्या पॉलिसी अपनाई, इस बारे में मैं बोलना चाहता हूं। वर्ष 1950 में पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास करके कहा है कि नॉर्थ-ईस्ट में क्रिश्चियन को मेजोरेटी में नहीं करना है। वहां ट्राइबल लोगों अपने तरीके से जीने देना चाहिए। आज हम क्रिश्चियन के खिलाफ नहीं हैं। उस समय नेहरू जी ने ही कहा कि tribals should be allowed to live according to their customs and traditions. यह नेहरू जी की पॉलिसी है। बाद में श्री इंदिरा गांधी के समय मदर टेरेसा को हमारे यहां नहीं आने देने का प्रतिबंध किसने लगाया? इंदिरा गांधी जी ने मदर टेरेसा की एंट्री बैन की और हमें आप कहते हैं कि हम क्रिश्चियन्स पर

अटैक करते हैं। आपका इतिहास है और आप इससे भाग नहीं सकते हैं। नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी पूर्व प्रधान मंत्री रहे हैं। उस हिसाब से सब उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य से आप भाग नहीं सकते हैं।

अध्यक्ष जी, 12 बजने वाले हैं । ? (व्यवधान) 12 बज चुके हैं । ? (व्यवधान) हमारे लिए 12 नहीं बजे, अपोजिशन पार्टी के 12 बज गए हैं । ? (व्यवधान) मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आज जितनी चर्चा करने का समय दिया, उस समय में सभी ने चर्चा की और अपनी-अपनी बात को रखा । जिसको समझना था, वह समझ गया है । जिसको नहीं समझना था, उसको समझाकर फायदा नहीं हुआ, वह भी मैंने देख लिया है । यह बिल पास होने पर करोड़ों गरीब, महिलाएं, बच्चे और गरीब मुसलमान प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देंगे । मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं । मैं सबको कहना चाहता हूं कि हृदय परिवर्तन करने का अभी भी समय है, आप इस बिल का समर्थन करके इसे पारित होने में मदद करें । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब हम आइटम नंबर 12 सभा के निर्णय के लिए ले रहे हैं।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय जी द्वारा अमेंडमेंट टू मोशन फॉर कंसीडरेशन में प्रस्तुत संशोधन संख्या 108 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

?कि वक्फ अधिनियम, 1995 का और संशोधन करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित, पर विचार किया जाए ।?

अनेक माननीय सदस्य: हां।

कुछ माननीय सदस्य: नहीं। ? (व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : महोदय, हम डिवीजन चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष : डिवीजन देते हैं।

प्रवेश-कक्ष खाली कर दिए जाएं ?

अब प्रवेश-कक्ष खाली हो गए हैं।

महासचिव ।

SECRETARY-GENERAL: Kind attention of the hon?ble Members is invited to the (method of operation) points in the operation of the Automatic Vote Recording System:-

1. Before a Division starts, every Hon?ble Member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only.

2. When the Hon?ble Speaker says ?Now Division?, the Secretary-General will activate the voting button and a GONG sound will be heard simultaneously.

3. For voting, ?ONLY? after the sound of the GONG; repeat only after the sound of the GONG, Hon?ble Members may simultaneously press the ?VOTE SECURE? button towards the left side of the multimedia device on the Headphone plate

and

any one of the following buttons fixed on the right side of the Headphone plate:

Yes : Below Green Colour Sticker

No : Below Red Colour Sticker

Abstain : Below Yellow Colour Sticker

4. It is essential to keep both the buttons pressed till another GONG is heard.

5. Hon. Members may please note that their votes will not be registered:

(i) If buttons are kept pressed before the first GONG; or

(ii) Both buttons are not kept simultaneously pressed till the second GONG.

6. Hon. Members will be able to see the final result after a gap of a few seconds after the second GONG.

7. Hon. Members will be able to check their vote on display boards installed on either side of Hon. Speaker?s Chair, multimedia device and also on the Yes/No/Abstain button.

8. In case, vote is not registered or if any member wishes to change their vote, they may call for voting through slips.

माननीय अध्यक्ष : अब मतदान होगा ।

प्रश्न यह है :

?कि वक्फ अधिनियम, 1995 का और संशोधन करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित, पर विचार किया जाए ।?

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

DIVISION No. 1 **00:16 (03-04-2025)**

AYES

Adhikari, Shri Soumendu

Agrawal, Shri Brijmohan

Agrawal, Shri Damodar

Anand, Shrimati Lovely

Aruna, Shrimati D. K.

Awasthi, Shri Ramesh

Babu, Shri M. Mallesh

Baghel, Prof. S. P. Singh

Baghel, Shri Vijay

Balayogi, Shri G. M. Harish

Baluni, Shri Anil

Bambhaniya, Shrimati Nimuben Jayantibhai

Baraiya, Shrimati Shobhanaben Mahendrasinh

Barne, Shri Shrirang Appa Chandu

Baruah, Shri Pradan

Basumatary, Shri Joyanta

Behera, Dr. Rabindra Narayan

Bhabhor, Shri Jaswantsinh Sumanbhai

Bharadwaj, Dr. Rajeev

Bharti, Shri Arun

Bhatt, Shri Ajay

Bhonsle, Chh. Udayanraje Pratapsinha Maharaj

Bhumare, Shri Sandipanrao Asaram

Bidhuri, Shri Ramvir Singh

Bind, Dr. Vinod Kumar

Bista, Shri Raju

Bommai, Shri Basavaraj

Chahar, Shri Rajkumar

Chandolia, Shri Yogender

Chaudhary, Shri P. P.

Chauhan, Shri Chandan

Chauhan, Shri Devusinh

Chavda, Shri Vinod Lakhamshi

Choudhary, Dr. Raj Bhushan

Choudhary, Shri Bhagirath

Choudhary, Shri Chandra Prakash

Choudhary, Shri Darshan Singh

Choudhary, Shri Lumbaram

Choudhary, Shri Pankaj

Choudhary, Shrimati Roopkumari

Choudhury, Shri Phani Bhusan

Chouhan, Shri Shivraj Singh

Chouhan, Shrimati Anita Nagarsingh

Chowta, Captain Brijesh

Chudasama, Shri Rajeshbhai Naranbhai

Dabhi, Shri Bharatsinhji Shankarji

Dalal, Shri Mukeshkumar Chandrakaant

Deb, Shri Biplab Kumar

Debbarman, Shrimati Kriti Devi

Delkar, Shrimati Kalaben Mohanbhai

Devarayalu, Shri Lavu Srikrishna

Devi, Shrimati Annpurna

Devi, Shrimati Malvika

Devi, Shrimati Veena

Devi, Shrimati Vijaylakshmi

Dharmapuri, Shri Arvind

Dhotre, Shri Anup Sanjay

Dubey, Dr. Nishikant

Dubey, Shri Ashish

Dubey, Shri Vijay Kumar

Dutta, Shri Ranjit

Firojiya, Shri Anil

Gaddigoudar, Shri Parvatagouda Chandanagouda

Gadkari, Shri Nitin Jairam

Gangopadhyay, Shri Abhijit

Gangwar, Shri Chhatrapal Singh

Gao, Shri Tapir

Garg, Shri Atul

Gautam, Shri Satish Kumar

Gond, Dr. Anand Kumar

Gopi, Shri Suresh

Govil, Shri Arun

Goyal, Shri Piyush

Gupta, Shri Sudheer

Hema Malini, Shrimati

Jadav, Shri Rajpalsinh Mahendrasinh

Jadhav, Shri Prataprao Ganpatrao

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jaiswal, Shri Manish

Jangde, Shrimati Kamlesh

Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa

Jindal, Shri Naveen

Joshi, Dr. Hemang

Joshi, Shri Chandra Prakash

Joshi, Shri Pralhad

Kageri, Shri Vishweshwar Hegde

*Kalisetti, Shri Appalanaidu

Kamait, Shri Dileshwar

Karandlaje, Kumari Shobha

Karjol, Shri Govind Makthappa

Kashyap, Shri Mahesh

Kashyap, Shri Suresh Kumar

Khadse, Shrimati Raksha Nikhil

Khan, Shri Saumitra

Khandelwal, Shri Praveen

Kishan, Shri Ravindra Shukla Alias Ravi

Kishore, Shri Jugal

Kulaste, Dr. Faggan Singh

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Shri Bandi Sanjay

Kumar, Shri Kaushalendra

Kumar, Shri Putta Mahesh

Kumar, Shri Sunil

Kumaraswamy, Shri H. D.

Kushwah, Shri Bharat Singh

Lakshminarayana, Shri G.

Lal, Shri Manohar

Lalwani, Shri Shankar

Lodhi, Shri Rahul Singh

Maadam, Shrimati Poonamben

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Maharaj, Shri Chintamani

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahato, Shri Dulu

Mahato, Shri Jyotirmay Singh

Mahtab, Shri Bhartruhari

Majhi, Shri Balabhadra

Majhi, Shri Naba Charan

Majumdar, Dr. Sukanta

Makwana, Shri Dineshbhai

Malhotra, Shri Harsh

Mallah, Shri Kripanath

Mandal, Shri Ajay Kumar

Mandal, Shri Ramprit

Mandaviya, Dr. Mansukh

Mane, Shri Dhairyasheel Sambhajirao

Mani, Shri Shashank

Manjhi, Shri Jitan Ram

Manjunath, Dr. C. N.

Mathukumilli, Shri Sribharat

Medhi, Shrimati Bijuli Kalita

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mewar, Shrimati Mahima Kumari

Mhaske, Shri Naresh Ganpat

Mishra, Dr. Rajesh

Mishra, Shri Janardan

Mohan, Shri P. C.

Mohol, Shri Murlidhar

Murmu, Shri Khagen

Nag, Shri Bhojraj

Nagar, Shri Rodmal

Nagaraju, Shri Bastipati

Nagesh, Shri Godam

Naidu, Shri Kinjarapu Rammohan

Naik, Shri Shripad Yesso

Nayak, Shri Ananta

Pal, Shri Jagdambika

Pal, Shri Krishan

Panda, Shri Baijayant

Pandey, Shri Santosh

Panigrahi, Shri Sukanta Kumar

Panigrahy, Dr. Pradeep Kumar

Pany, Shri Rudra Narayan

Pardhi, Shrimati Bharti

Parthasarathi, Shri B. K.

Paswan, Shri Chirag

Paswan, Shri Kamlesh

Patel (Bakabhai), Shri Mitesh

Patel, Shri Dhaval Laxmanbhai

Patel, Shri Gajendra Singh

Patel, Shri Haribhai

Patel, Shri Hasmukhbhai Somabhai

Patel, Shri Praveen

Patel, Shrimati Anupriya

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Gyaneshwar

Patra, Dr. Sambit

Paul, Shri Kartick Chandra

Pemmasani, Dr. Chandra Sekhar

Poojary, Shri Kota Srinivasa

Pradhan, Shri Dharmendra

Prakash, Shri Jai

Prasad, Shri Ravi Shankar

Prasada, Shri Jitin

Purandeswari, Shrimati Daggubati

Purohit, Shri Pradeep

Raghavendra, Shri B. Y.

Rai, Shri Nityanand

Rajender, Shri Eatala

Rajput, Shri Mukesh

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramesh, Dr. C. M.

Ranaut, Sushri Kangna

Rane, Shri Narayan Tatu

Rao, Shri Daggumalla Prasada

Rao, Shri Madhavaneni Raghunandan

Rathiya, Shri Radheshyam

Rathva, Shri Jashubhai Bhilubhai

Rawat, Dr. Manna Lal

Rawat, Shri Ashok Kumar

Rawat, Shri Trivendra Singh

Ray, Shri Bishnu Pada

Ray, Shrimati Sandhya

Reddy, Shri G. Kishan

Reddy, Shri Konda Vishweshwar

Reddy, Shri Magunta Sreenivasulu

Rijiju, Shri Kiren

Roy, Dr. Jayanta Kumar

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Rupala, Shri Parshottambhai

Sagar, Shri Arun Kumar

Sahu, Shri Bunty Vivek

Sahu, Shri Tokhan

Saikia, Shri Dilip

Sangwan, Dr. Rajkumar

Sarangi, Shri Pratap Chandra

Sarkar, Shri Jagannath

Savara, Dr. Hemant Vishnu

Scindia, Shri Jyotiraditya M.

Sehrawat, Shrimati Kamaljeet

Seth, Shri Sanjay

Sethi, Shri Avimanyu

Shabari, Dr. Byreddy

Shah, Shri Amit

Shah, Shrimati Mala Rajyalaxmi

Shambhavi, Shrimati

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Alok

Sharma, Shri Anurag

Sharma, Shri Vishnu Datt

Sharma, Shrimati Manju

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shettar, Shri Jagadish

Shihora, Shri Chandubhai Chhaganbhai

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Singh, Dr. Bhola

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Devendra Singh Alias Bhole

Singh, Shri Dharambir

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Kali Charan

Singh, Shri Karan Bhushan

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Pradeep Kumar

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Raj Nath

Singh, Shri Rajiv Ranjan Singh alias Lalan

Singh, Shri Rao Rajendra

Singh, Shrimati Himadri

Sivanath, Shri Kesineni

Solanky, Shri Mahendra Singh

Somanna, Shri V.

Sonowal, Shri Sarbananda

Srinivas, Shri Tangella Uday

Subba, Dr. Indra Hang

Subhadarshini, Shrimati Anita

Sudhakar, Dr. K.

Suklabaidya, Shri Parimal

Suman, Dr. Alok Kumar

Surya, Shri Tejasvi

Sutariya, Shri Bharatbhai Manubhai

Swaraj, Ms. Bansuri

Tamta, Shri Ajay

Tanwar, Shri Kanwar Singh

Tarai, Shri Bibhu Prasad

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Tatkare, Shri Sunil Dattatrey

Thakur, Shri Anurag Singh

Thakur, Shri Devesh Chandra

Thakur, Shri Gopal Jee

Thakur, Shri Shantanu

Thakur, Shri Vivek

Thakur, Shrimati Savitri

Tigga, Shri Manoj

Tisso, Shri Amarsing

Tiwari, Shri Manoj

Tomar, Shri Shivmangal Singh

Uikey, Shri Durga Das

Vallabhaneni, Shri Balashowry

Valmiki, Shri Anoop Pradhan

Vanlalhmangaiha, Shri Richard

Varma, Shri Bhupathi Raju Srinivasa

Vasava, Shri Mansukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Vemireddy, Shri Prabhakar Reddy

Verma, Shri Rajesh

Wadiyar, Shri Yaduveer

Wagh, Shrimati Smita Uday

Waikar, Shri Ravindra Dattaram

Wankhede, Dr. Lata

Yadav, Shri Ashok Kumar

Yadav, Shri Bhupender

Yadav, Shri Dinesh Chandra

Yadav, Shri Giridhari

NOES

Ahirwar, Shri Narayandas

Ahmad, Shri Mian Altaf

Ahmed, Shrimati Sajda

Akoijam, Dr. Angomcha Bimol

Anand, Shri D. M. Kathir

Annadurai, Shri C. N.

Ansari, Shri Afzal

Antony, Shri Anto

Anwar, Shri Tariq

Arthur, Shri Alfred Kanngam S.

Aujla, Shri Gurjeet Singh

Azad, Shri Kirti

Baalu, Shri T. R.

Bandyopadhyay, Shri Sudip

Banerjee, Shri Abhishek

Banerjee, Shri Kalyan

Banerjee, Shri Prasun

Banerjee, Shrimati Rachna

Barve, Shri Shyamkumar Daulat

Basheer, Shri E. T. Mohammed

Behanan, Shri Benny

Beniwal, Shri Hanuman

Beniwal, Shri Ummeda Ram

Bhadauria, Shri Anand

Bhagare, Shri Bhaskar Murlidhar

Bhagat, Shri Sukhdeo

Bharti, Shrimati Misha

Bhowmick, Shri Partha

Bordoloi, Shri Pradyut

Brahamchari, Shri Satpal

C., Shri Robert Bruce

Chabbewal, Dr. Raj Kumar

Chakraborty, Shri Arup

Channi, Shri Charanjit Singh

Chaudhary, Shri R. K.

Chaudhary, Shri Ram Prasad

Chaudhry, Shri Varun

Chavan, Shri Ravindra Vasantrao

Chhotelal, Shri

Chidambaram, Shri Karti P.

Choudhary, Sushri Iqra

Choudhury, Shri Isha Khan

D., Shri Malaiyarasan

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

Desai, Shri Anil Yeshwant

Deshmukh, Shri Sanjay Uttamrao

Dhanorkar, Shrimati Pratibha Suresh

Dinesh, Dr. Bachhav Shobha

Dohare, Shri Jitendra Kumar

Eden, Shri Hibi

Fernandes, Captain Viriato

Gaddam, Shri Vamsi Krishna

Gaikwad, Prof. Varsha Eknath

Gandhi, Dr. Dharamvira

Gandhi, Shri Rahul

George, Adv. Francis

Ghosh, Sushri Sayani

Ghubaya, Shri Sher Singh

Gogoi, Shri Gaurav

Gopinath, Shri K.

Gurumoorthy, Shri Maddila

Haldar, Shri Bapi

Haneefa, Shri Mohmad

Hansdak, Shri Vijay Kumar

Hitnal, Shri K. Rajashekar Basavaraj

Hooda, Shri Deepender Singh

Hussain, Md. Rakibul

Indora, Shri Kuldeep

Jadhav, Shri Sanjay Haribhau

Jagathratchakan, Shri S.

Jamir, Shri S. Supongmeren

Jarkiholi, Kumari Priyanka Satish

Jatav, Shri Bhajan Lal

Jatav, Shrimati Sanjna

Jawed, Dr. Mohammad

Jothimani, Sushri S.

K., Shri Eswarasamy

K., Shri Navaskani

K., Shri Subbarayan

Kale, Dr. Kalyan Vaijinathrao

Kale, Shri Amar Sharadrao

Kalge, Dr. Shivaji Bandappa

Kang, Shri Malvinder Singh

Karunanidhi, Shrimati Kanimozhi

Kaswan, Shri Rahul

Kavya, Dr. Kadiyam

Khan, Shri Abu Taher

Khandre, Shri Sagar Eshwar

Kherwal, Shri Kalipada Saren

Kirsan, Dr. Namdeo

Kumar, Dr. D. Ravi

Kumar, Shri Manoj

Kuriakose, Adv. Dean

Kushwaha, Shri Babu Singh

Lal, Shri Kishori

Lanke, Shri Nilesh Dnyandev

Lodhi, Shri Ajendra Singh

M. S., Shri Tharaniventhan

Madhur, Shri Utkarsh Verma

Mahant, Shrimati Jyotsna Charandas

Majhi, Shrimati Joba

Mal, Shri Asit Kumar

Maliah, Shrimati June

Malik, Shri Harendra Singh

Mallikarjun, Dr. Prabha

Mani, Shri A.

Manickam Tagore, Shri B.

Maran, Shri Dayanidhi

Masood, Shri Imran

Maurya, Shri Neeraj

Meena, Shri Harish Chandra

Meena, Shri Murari Lal

Meet Hayer, Shri Gurmeet Singh

Mehdi, Shri Aga Syed Ruhullah

Mitali, Shrimati Bag

Mohibbullah, Shri

Mohite-Patil, Shri Dhairyasheel Rajsinh

Moitra, Sushri Mahua

Mondal, Shrimati Pratima

Munda, Shri Kali Charan

Naik, Shri G. Kumar

Nehru, Shri Arun

Nishad, Shri Laxmikant Pappu

Nishad, Shri Rambhual

Ola, Shri Brijendra Singh

Owaisi, Shri Asaduddin

P., Dr. Ganapathy Rajkumar

Padavi, Adv. Gowaal Kagada

Padole, Dr. Prashant Yadaorao

Pandey, Shri Sanatan

Parambil, Shri Shafi

Parkash, Shri Jai

Patel, Dr. Shiv Pal Singh

Patel, Shri Naresh Chandra Uttam

Patel, Shri Shreyas M.

Patel, Shrimati Krishna Devi Shivshankar

Pathan, Shri Yusuf

Patil, Shri Sanjay Dina

Patil, Shri Vishaldada Prakashbapu

Porika, Shri Balram Naik

Prakash, Adv. Adoor

Prakash, Shri K. E.

Prasad, Dr. M. K. Vishnu

Prasad, Shri Awadhesh

Prasad, Shri Sudama

Premachandran, Shri N. K.

Punia, Shri Tanuj

R., Kumari Sudha

R., Shri Sachithanantham

Radhakrishna, Shri

Radhakrishnan, Shri K.

Raghavan, Shri M. K.

Raghuveer, Shri Kunduru

Rahaman, Shri Khalilur

Rai, Shri Rajeev

Raja, Shri A.

Rajbhar, Shri Ramashankar

Rajenimbalkar, Shri Omprakash Bhupalsinh *Alias* Pavan

Ram, Shri Amra

Randhawa, Shri Sukhjinder Singh

Rani, Dr. Gumma Thanuja

Ranjan, Shri Rajesh

Rathor, Shri Rakesh

Ravi, Dr. Mallu

Ray, Prof. Sougata

Reddy, Shri Chamala Kiran Kumar

Reddy, Shri P. V. Midhun

Reddy, Shri Ramasahayam Raghuram

Reddy, Shri Y. S. Avinash

Rehman, Shri Zia Ur

Roat, Shri Rajkumar

Roy, Shrimati Mala

S., Shri Murasoli

Samadani, Dr. M. P. Abdussamad

Sangma, Shri Saleng A.

Sarkar, Dr. Sharmila

Saroj, Adv. Priya

Saroj, Shri Daroga Prasad

Saroj, Shri Pushpendra

Sawant, Shri Arvind Ganpat

Sayeed, Shri Hamdullah

Selja, Kumari

Selvaganapathi, Shri T. M.

Selvam, Shri G.

Senthil, Shri Sasikanth

Shakya, Shri Devesh

Sheikh, Shri Abdul Rashid

Shekhar, Adv. Chandra

Shetkar, Shri Suresh Kumar

Shinde, Sushri Praniti Sushilkumar

Singh, Dr. Amar

Singh, Shri Raja Ram

Singh, Shri Sudhakar

Singh, Shri Ujjwal Raman

Singh, Shri Virendra

Sinha, Shri Abhay Kumar

Sinha, Shri Shatrughan

Sonwane, Shri Bajrang Manohar

Sreekandan, Shri V. K.

Srikumar, Dr. Rani

Sudhakaran, Shri K.

Sule, Shrimati Supriya

Suresh, Shri Kodikunnil

Tewari, Shri Manish

Thakor, Shrimati Geniben Nagaji

Thanga, Shri Tamilselvan

Thangapandian, Dr. T. Sumathy *alias* Thamizhachi

Tharoor, Dr. Shashi

Thirumaavalavan, Dr. Thol

Tukaram, Shri E.

Ulaka, Shri Saptagiri Sankar

Unnithan, Shri Rajmohan

V., Shri Selvaraj

Vaiko, Shri Durai

Vaithilingam, Shri Ve.

Vasanth, Shri Vijayakumar *Alias* Vijay

Veeraswamy, Dr. Kalanidhi

Venkatesan, Shri S.

Venugopal, Shri K. C.

Verma, Shri Lalji

Verma, Shri Ram Shiromani

Vira, Shrimati Ruchi

Waje, Shri Rajabhau Parag Prakash

Wakchaure, Shri Bhausaheb Rajaram

Wankhade, Shri Balwant Baswant

Warring, Shri Amrinder Singh Raja

Yadav, Shri Aditya

Yadav, Shri Akhilesh

Yadav, Shri Akshay

Yadav, Shri Dharmendra

Yadav, Shri Surendra Prasad

Yadav, Shrimati Dimple

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं फिर व्यवस्था देता हूं क्योंकि अंतर्विरोध नहीं होना चाहिए और स्पष्टता होनी चाहिए । जब नया संसद भवन बना था, उस समय हमने लॉबी की डेफिनेशन दी थी और फिर मैं आपको लॉबी की डेफिनेशन दे देता हूं।

लॉबी का तात्पर्य इस बरामदे से है जो सभा भवन के बिल्कुल सनिकट है और सभा भवन के साथ ही समाप्त होती है। लॉबी के किसी भी दरवाजे को खोला नहीं गया है, सभी सदस्य लॉबी के अंदर हैं। यह एक व्यवस्था बता रहा हूं, यह कोई नई सूचना नहीं है । जब नया संसद भवन बना था तब यह व्यवस्था थी कि लॉबी के अंदर ही बाथरूम हो और इस व्यवस्था के तहत बनाते समय विचार किया गया था क्योंकि पुराने भवन में यह व्यवस्था नहीं थी, इसलिए नए भवन में यह व्यवस्था दी गई है।

आपके मन में इस व्यवस्था को लेकर अंतर्विरोध नहीं होना चाहिए कि कोई लॉबी नहीं खोली गई है।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब बहस नहीं करें। व्यवस्था ठीक से दी है और बनाते समय व्यवस्था ठीक से बनाई थी क्योंकि कई बजुर्ग होते हैं, कई नौजवान हैं। इस व्यवस्था को इस दृष्टि से बनाते समय निर्माण किया था।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम यह है:

हां : 288

नहीं : 232

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

CLAUSE 2 Amendment of Section 1

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 75 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I rise to move:

Omit ?Management, Empowerment, Efficiency & Development?. (75)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 75 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

?कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 2 ए विधेयक में जोड़ दिया गया।

CLAUSE 3 Amendment of Section 2

माननीय अध्यक्ष: श्री अरविंद गणपत सावंत जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 से 4 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ARVIND GANPAT SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, I am not moving my amendments.

माननीय अध्यक्ष: श्री गौरव गोगोई जी, क्या आप संशोधन संख्या 12 और 13 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI GAURAV GOGOI (JORHAT): Sir, I beg to move:

Page 2, *omit* line 33. (12)

Page 2, *omit* lines 35 to 40. (13)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री गौरव गोगोई जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 और 13 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: श्री इमरान मसूद जी, क्या आप संशोधन संख्या 23 से 25 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री इमरान मसूद (सहारनपुर) : अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 2, पंक्ति 26 से 35 का *लोप करें।* (23)

पृष्ठ 3, पंक्ति 5 से 25 का *लोप करें।* (24)

पृष्ठ 3, पंक्ति 26 से 32 का *लोप करें।* (25)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री इमरान मसूद जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 23 से 25 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: श्री के. सी. वेणुगोपाल जी, क्या आप संशोधन संख्या 39 से 42 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, I beg to move:

Page 2, *omit* lines 2 to 7. (39)

Page 2, line 21,-

after ?or any part thereof?

insert ?title of which vests in a Government Organisation;?. (40)

Page 2, *omit* lines 33 to 46. (41)

Page 3, *omit* lines 1 to 7. (42)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री के. सी. वेणुगोपाल जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 39 से 42 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. मोहम्मद जावेद जी, क्या आप संशोधन संख्या 50 से 53 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): Sir, I beg to move:

Page 2, *omit* lines 2 to 7. (50)

Page 2, *omit* lines 34 to 47. (51)

Page 3, *omit* lines 1 to 7. (52)

Page 3, *after* line 11,-

Insert ?Provided that nothing in the above section shall require proof of ownership to transfer in case of a Waqf by User?. (53)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं डॉ. मोहम्मद जावेद जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 50 से 53 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: श्री असादुद्दीन ओवैसी जी, क्या आप संशोधन संख्या 60 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I beg to move:

Page 2, *omit* lines 33. (60)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री असादुद्दीन ओवैसी जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 60 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी जी, क्या आप संशोधन संख्या 70 से 72 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI AGA SYED RUHULLAH MEHDI (SRINAGAR): Sir, I beg to move:

Page 2, *omit* lines 2 to 22. (70)

Page 2, *omit* lines 29 to 32. (71)

Page 2, *omit* lines 35 to 41. (72)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 70 से 72 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 76 से 79 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 2, line 11,-

after ?the Collector?

insert ?or Government?. (76)

Page 2, lines 36 and 37,-

omit ?showing or demonstrating that he is practising islam for at least five years?. (77)

Page 2, line 38,-

for ?having ownership?

substitute ?having absolute ownership?. (78)

Page 2 lines 39 and 40,-

omit ?and that there is no contrivance involved in the dedication of such property?. (79)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 76 से 79 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 96 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

Page 3, line 6 and 7,-

omit ?except that the property, wholly or in part, is in dispute or is a government property;?. (96)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 96 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: श्री के. सुधाकरन जी, क्या आप संशोधन संख्या 116 और 117 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI K. SUDHAKARAN (KANNUR): Sir, I beg to move:

Page 2, *omit* lines 2 to 7. (116)

Page 2, line 21,-

after ?or any part thereof?

insert ?title of which vests in a Government Organisation or?. (117)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री के. सुधाकरन जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 116 और 117 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर जी, क्या आप संशोधन संख्या 118 और 120 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): Sir, I beg to move:

Page 2, *omit* line 33. (118)

Page 3, *omit* lines 1 to 7. (120)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 118 और 120 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : श्री के. राधाकृष्णन जी, क्या आप संशोधन संख्या 119 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR): Sir, I beg to move:

Page 2, lines 36 and 37,-

omit ?showing or demonstrating that he is practicing Islam for at least five years?.

(119)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री के. राधाकृष्णन जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 119 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

?कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

CLAUSE 4 Amendment of Section 3

माननीय अध्यक्ष : श्री अरविंद गणपत सावंत जी, क्या आप संशोधन संख्या 5, 6 और 7 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ARVIND GANPAT SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, I beg to move:

Page 3, *after* line 11, *insert*-

"Provided that nothing in the above clause shall be deemed to require proof of ownership or competency to transfer in case of a Waqf by User".

(5)

Page 3, *omit* lines 12 to 48. (6)

Page 4, *omit* lines 1 to 14. (7)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री अरविंद गणपत सावंत जी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 5, 6 और 7 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : श्री गौरव गोगोई जी, क्या आप संशोधन संख्या 14 और 15 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI GAURAV GOGOI (JORHAT): I beg to move:

Page 3, line 18,-

for "within a period of six months from such commencement,"

substitute "within a prescribed period from such commencement, which shall not be less than five years;". (14)

Page 3, *for* lines 46 to 48,-

substitute ?3C. (*1*) Any Government property identified or declared as waqf property shall not be deemed as waqf property without being determined by the tribunal or a court.?. (15)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री गौरव गोगोई जी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 14 और 15 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : श्री इमरान मसूद जी, क्या आप संशोधन संख्या 26, 27 और 28 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री इमरान मसूद (सहारनपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

पृष्ठ 4, पंक्ति 1 से 4 का *लोप करें।* (26)

पृष्ठ 4, पंक्ति 6 और 7,-

?छह महीने की अवधि के भीतर? *के स्थान पर*

?उचित अवधि के भीतर? *प्रतिस्थापित करें।* (27)

पृष्ठ 4, पंक्ति 36 से 38 का *लोप करें।* (28)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री इमरान मसूद जी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 26, 27 और 28 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : श्री के.सी. वेणुगोपाल जी, क्या आप संशोधन संख्या 43, 44, 45 और 46 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): I beg to move:

Page 3, *after* line 11,-

insert *?*Provided that nothing in the clause shall be deemed to require proof of ownership or competency to transfer in case of a Waqf by User;*?* (43)

Page 3, *omit* lines 12 to 14. (44)

Page 3, omit lines 15 to 48. (45)

Page 4, omit lines 1 to 14. (46)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री के.सी. वेणुगोपाल जी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 43, 44, 45 और 46 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. मोहम्मद जावेद जी, क्या आप संशोधन संख्या 54 और 55 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): Sir, I beg to move:

Page 3, omit lines 15 to 48. (54)

Page 4, omit lines 1 to 14. (55)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं डॉ. मोहम्मद जावेद जी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 54 और 55 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : श्री असादुद्दीन ओवैसी जी, क्या आप संशोधन संख्या 61, 62, 63, 64 और 65 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I beg to move:

Page 2, *omit* lines 35 to 41. (61)

Page 3, *omit* lines 10 to 14. (62)

Page 3, line 18,-

for ?within a period of six months from such commencement?

substitute "within a prescribed period from such commencement which shall not be less than five years". (63)

Page 3, *omit* lines 46 to 48. (64)

Page 4, *omit* lines 1 to 14. (65)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 61, 62, 63, 64 और 65 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 80, 81, 82, 83 और 84 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 3 line 18,-

for "six"

substitute "twenty four". (80)

Page 3 line 20,-

for "six "

substitute "twenty four". (81)

Page 3 line 47,-

omit ?not?. (82)

Page 4 line 7,-

omit "not". (83)

Page 4 line 7,-

after ?waqf property?

insert ?as per the existing provisions of law?. (84)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 80, 81, 82, 83 और 84 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 97 और 98 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

Page 3, line 18,-

for ?six months?

substitute ?one year?. (97)

Page 3, *omit* lines 46 to 48. (98)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगत राय जी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 97 और 98 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 109 प्रस्तुत करें।

Amendment made:

Page 3, lines 20 and 21,-

for ?the period of six months under this section for such period?

substitute ?such period of six months under this section for a further period not exceeding six months?. (109)

(Shri Kiren Rijiju)

माननीय अध्यक्ष : श्री के. सुधाकरन जी, क्या आप संशोधन संख्या 121 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI K. SUDHAKARAN (KANNUR): Sir, I beg to move:

Page 3, after line 11,-

Insert "Provided that nothing in the clause shall be deemed to require proof of ownership or competency to transfer in case of a Waqf by User?. (121)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं के. सुधाकरन जी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 121 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री राजेश रंजन जी, क्या आप संशोधन संख्या 130 और 131 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI RAJESH RANJAN (PURNIA): Sir, I beg to move:

Page 3, line 18,-

for ?within a period of six months from such commencement?

substitute "within such period which shall not be less than five years as may be prescribed from such commencement ".(130)

Page 3, for lines 46 to 48,-

substitute "3C.(1) Any Government property identified or declared as waqf property, before or after the commencement of this Act, shall not be deemed to be a waqf property unless settled by any tribunal or court ". (131)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री राजेश रंजन जी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 130 और 131 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

?कि खंड 4, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

***m100 THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU):** I beg to move:

?That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.110 to the Waqf (Amendment) Bill, 2025 and that this amendment may be allowed to be moved.?

***m101 माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है :

?कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 की सरकारी संशोधन संख्या 110* को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 110 प्रस्तुत कीजिए।

New Clause 4A

Amendment made:	Page 4, after line 14,- insert	
Declaration of protected monument or protected area as waqf to be void.		"**3D**. Any declaration or notification issued under this Act or under any previous Act in respect of waqf properties shall be void, if such property was a protected monument or protected area under the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 or the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, at the time of such declaration or notification.
Bar of declaration of any land in Scheduled or Tribal area as waqf.		**3E.** Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, no land belonging to members of Scheduled Tribes under the provisions of the Fifth Schedule or the Sixth Schedule to the Constitution shall be declared or deemed to be waqf property.". (110)

(Shri Kiren Rijiju)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

?कि नया खंड 4क विधेयक में जोड़ दिया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नया खंड 4क विधेयक में जोड़ दिया गया ।

CLAUSE 5 Insertions of new Sections 3A,3B,3C,3D, and 3E.

माननीय अध्यक्ष : श्री गौरव गोगोई जी, क्या आप संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI GAURAV GOGOI (JORHAT): Sir, I am moving amendment No.16 to Clause 5.

I beg to move:

?Page 4, *omit* line 31.? (16)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री गौरव गोगोई जी द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 16 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी जी, क्या आप संशोधन संख्या 73 और 74 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI AGA SYED RUHULLAH MEHDI (SRINAGAR): Sir, I am moving amendment Nos. 73 and 74 to Clause 5.

I beg to move:

?Page 4, *omit* lines 16 to 29.? (73)

?Page 4, *omit* line 32.? (74)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी जी द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 73 और 74 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

?कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

CLAUSE 6 Amendment of Section 4

माननीय अध्यक्ष : श्री गौरव गोगोई जी, क्या आप संशोधन संख्या 17 और 18 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI GAURAV GOGOI (JORHAT): Sir, I am moving amendment Nos.17 and 18 to Clause 6.

I beg to move:

?Page 4, *omit* line 47.? (17)

?Page 5, *omit* lines 1 to 7.? (18)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री गौरव गोगोई जी द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 17 और 18 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 85 और 86 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am moving amendment Nos. 85 and 86 to Clause 6

I beg to move:

Page 4 line 41,-

for ?ninety days?

substitue ?one year?. (85)

Page 5 line 4,-

for ?ninety days?

substitue ?six months?. (86)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 85 और 86 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : श्री के. राधाकृष्णन जी, क्या आप संशोधन संख्या 122 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR): Sir, I am moving amendment No.122 to Clause 6.

I beg to move:

Page 4, line 41,-

for ?ninety days?

substitute ?one year ?. (122)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री के. राधाकृष्णन जी द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 122 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

?कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

CLAUSE 7 Amendment of Section 5

माननीय अध्यक्ष : श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर जी, क्या आप संशोधन संख्या 123 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): Sir, I am moving amendment No.123 to Clause 7.

I beg to move:

?Page 5, *omit* lines 18 to 24.? (123)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर जी द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 123 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

?कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

-

-

01.00 hrs (03.04.2025)

CLAUSE 9 Amendment of Section 7

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 87 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, this is one of the major amendments by which the non-Muslims are being inducted in the Waqf Council. So, this amendment may be allowed. It is because non-Muslims ? (*Interruptions*)

Sir, I am moving the amendment.

I beg to move:

?Page 6, *omit* lines 20 and 21.? (87)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 9 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 87 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

?पृष्ठ 7, पंक्ति 36 और पृष्ठ 8, पंक्ति 1 *का लोप करें।?*

अनेक माननीय सदस्य: नहीं।

कुछ माननीय सदस्य: हां।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I want a division. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : लॉबी ऑलरेडी क्लियर है।

अब मतदान होगा।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक सेकेंड रूकिए। अब इसी को दोबारा मतदान के लिए मैं महासचिव को बोलूँगा।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप मेरी बात सुनिए।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप शांत हो जाइए। कृपया, गौंग की साउंड को सुनिए। कृपया, आप शांत रहिए।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने पहले ही डायरेक्शन दे रखा है। आप बैठ जाइए।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

?पृष्ठ 7, पंक्ति 36 और पृष्ठ 8, पंक्ति 1 *का लोप करें।?*

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

Division No. 2 **01.02 hrs (03.04.2025)**

AYES

Ahirwar, Shri Narayandas

Ahmad, Shri Mian Altaf

Ahmed, Shrimati Sajda

Akoijam, Dr. Angomcha Bimol

Anand, Shri D. M. Kathir

Annadurai, Shri C. N.

Ansari, Shri Afzal

*Anwar, Shri Tariq

Antony, Shri Anto

Arthur, Shri Alfred Kanngam S.

Aujla, Shri Gurjeet Singh

*Azad, Shri Kirti

*Baalu, Shri T. R.

Bandyopadhyay, Shri Sudip

Banerjee, Shri Abhishek

Banerjee, Shri Kalyan

Shri Prasun Banerjee,

Banerjee Shrimati Rachna

Barve, Shri Shyamkumar Daulat

Basheer, Shri E. T. Mohammed

Behanan, Shri Benny

Beniwal, Shri Hanuman

Beniwal, Shri Ummeda Ram

Bhagare, Shri Bhaskar Murlidhar

Bhagat, Shri Sukhdeo

*Bhadauria, Shri Anand

Bhowmick, Shri Partha

*Bharti, Shrimati Misha

Bordoloi, Shri Pradyut

Brahamchari, Shri Satpal

*C., Shri Robert Bruce

Chabbewal, Dr. Raj Kumar

Chakraborty, Shri Arup

Channi, Shri Charanjit Singh

Chaudhary, Shri R. K.

Chaudhary, Shri Ram Prasad

Chaudhry, Shri Varun

Chavan, Shri Ravindra Vasantrao

Chhotelal, Shri

Chidambaram, Shri Karti P.

Choudhary, Sushri Iqra

Choudhury, Shri Isha Khan

D., Shri Malaiyarasan

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

Desai, Shri Anil Yeshwant

Deshmukh, Shri Sanjay Uttamrao

*Dhanorkar, Shrimati Pratibha Suresh

Dinesh, Dr. Bachhav Shobha

*Dohare, Shri Jitendra Kumar

Eden, Shri Hibi

Fernandes, Captain Viriato

Gaddam, Shri Vamsi Krishna

Gaikwad, Prof. Varsha Eknath

Gandhi, Dr. Dharamvira

Gandhi, Shri Rahul

George, Adv. Francis

Ghosh, Sushri Sayani

Ghubaya, Shri Sher Singh

Gogoi, Shri Gaurav

Gopinath, Shri K.

*Gurumoorthy, Shri Maddila

Haldar, Shri Bapi

Haneefa, Shri Mohmad

Hansdak, Shri Vijay Kumar

Hitnal, Shri K. Rajashekar Basavaraj

Hooda, Shri Deepender Singh

Hussain, Md. Rakibul

Indora, Shri Kuldeep

Jadhav, Shri Sanjay Haribhau

Jagathratchakan, Shri S.

Jamir, Shri S. Supongmeren

Jarkiholi, Kumari Priyanka Satish

*Jatav, Shri Bhajan Lal

Jatav, Shrimati Sanjna

Jawed, Dr. Mohammad

Jothimani, Sushri S.

K., Shri Eswarasamy

K., Shri Navaskani

*K., Shri Subbarayan

Kale, Dr. Kalyan Vaijinathrao

Kale, Shri Amar Sharadrao

Kalge, Dr. Shivaji Bandappa

Kang, Shri Malvinder Singh

Karunanidhi, Shrimati Kanimozhi

Kaswan, Shri Rahul

Kavya, Dr. Kadiyam

Khan, Shri Abu Taher

Khandre, Shri Sagar Eshwar

Kherwal, Shri Kalipada Saren

Kirsan, Dr. Namdeo

Kumar, Dr. D. Ravi

Kumar, Shri Manoj

Kuriakose, Adv. Dean

Kushwaha, Shri Babu Singh

Lal, Shri Kishori

Lanke, Shri Nilesh Dnyandev

Lodhi, Shri Ajendra Singh

Madhur, Shri Utkarsh Verma

Mahant, Shrimati Jyotsna Charandas

Majhi, Shrimati Joba

Maliah, Shrimati June

Malik, Shri Harendra Singh

Mallikarjun, Dr. Prabha

Mani, Shri A.

Manickam Tagore, Shri B.

Maran, Thiru Dayanidhi

Masood, Shri Imran

Maurya, Shri Neeraj

Meena, Shri Harish Chandra

Meena, Shri Murari Lal

Meet Hayer, Shri Gurmeet Singh

Mehdi, Shri Aga Syed Ruhullah

Mitali, Shrimati Bag

Mohibbullah, Shri

Mohite-Patil, Shri Dhairyasheel Rajsinh

Moitra, Sushri Mahua

Mondal, Shrimati Pratima

Munda, Shri Kali Charan

*M. S., Shri Tharaniventhan

Naik, Shri G. Kumar

Nehru, Shri Arun

Nishad, Shri Laxmikant Pappu

Nishad, Shri Rambhual

Ola, Shri Brijendra Singh

Owaisi, Shri Asaduddin

P., Dr. Ganapathy Rajkumar

Padavi, Adv. Gowaal Kagada

Padole, Dr. Prashant Yadaorao

Pandey, Shri Sanatan

Parambil, Shri Shafi

Parkash, Shri Jai

Patel, Dr. Shiv Pal Singh

Patel, Shri Naresh Chandra Uttam

Patel, Shri Shreyas M.

Patel, Shrimati Krishna Devi Shivshankar

Pathan, Shri Yusuf

Patil, Shri Sanjay Dina

Patil, Shri Vishaldada Prakashbapu

*Porika, Shri Balram Naik

*Prakash, Adv. Adoor

Prakash, Shri K. E.

Prasad, Dr. M. K. Vishnu

Prasad, Shri Awadhesh

Prasad, Shri Sudama

*Premachandran, Shri N. K.

Punia, Shri Tanuj

R., Shri Sachithanantham

R., Kumari Sudha

*Rai, Shri Rajeev

Radhakrishna, Shri

Radhakrishnan, Shri K.

Raghavan, Shri M. K.

Raghuveer, Shri Kunduru

Rahaman, Shri Khalilur

Raja, Shri A.

Rajbhar, Shri Ramashankar Vidyarthi

Rajenimbalkar, Shri Omprakash Bhupalsinh *Alias* Pavan

Ram, Shri Amra

*Randhawa, Shri Sukhjinder Singh

Rani, Dr. Gumma Thanuja

*Ranjan, Shri Rajesh

*Rathor, Shri Rakesh

Ravi, Dr. Mallu

*Ray, Prof. Sougata

Reddy, Shri Chamala Kiran Kumar

Reddy, Shri P. V. Midhun

Reddy, Shri Ramasahayam Raghuram

Reddy, Shri Y. S. Avinash

Rehman, Shri Zia Ur

Roat, Shri Rajkumar

Roy, Shrimati Mala

S., Shri Murasoli

Samadani, Dr. M. P. Abdussamad

Sangma, Shri Saleng A.

Sarkar, Dr. Sharmila

Saroj, Adv. Priya

Saroj, Shri Daroga Prasad

Saroj, Shri Pushpendra

Sawant, Shri Arvind Ganpat

Sayeed, Shri Hamdullah

Selja, Kumari

Selvaganapathi, Shri T. M.

Selvam, Shri G.

Senthil, Shri Sasikanth

Shakya, Shri Devesh

Sheikh, Shri Abdul Rashid

Shekhar, Adv. Chandra

Shetkar, Shri Suresh Kumar

Shinde, Sushri Praniti Sushilkumar

Singh, Dr. Amar

Singh, Shri Raja Ram

Singh, Shri Sudhakar

Singh, Shri Ujjwal Raman

Singh, Shri Virendra

Sinha, Shri Abhay Kumar

Sinha, Shri Shatrughan

Sonwane, Shri Bajrang Manohar

Sreekandan, Shri V. K.

Srikumar, Dr. Rani

Sudhakaran, Shri K.

*Sule, Shrimati Supriya

Suresh, Shri Kodikunnil

Tewari, Shri Manish

*Thakor, Shrimati Geniben Nagaji

Thanga, Shri Tamilselvan

Thangapandian, Dr. T. Sumathy *alias* Thamizhachi

Tharoor, Dr. Shashi

Thirumaavalavan, Dr. Thol

Tukaram, Shri E.

Ulaka, Shri Saptagiri Sankar

Unnithan, Shri Rajmohan

V., Shri Selvaraj

Vaiko, Shri Durai

Vaithilingam, Shri Ve.

Vasanth, Shri Vijayakumar *Alias* Vijay

Veeraswamy, Dr. Kalanidhi

*Venkatesan, Shri S.

Venugopal, Shri K. C.

Verma, Shri Lalji

Verma, Shri Ram Shiromani

Vira, Shrimati Ruchi

Waje, Shri Rajabhau Parag Prakash

Wakchaure, Shri Bhausaheb Rajaram

Wankhade, Shri Balwant Baswant

Warring, Shri Amrinder Singh Raja

Yadav, Shri Aditya

Yadav, Shri Akhilesh

Yadav, Shri Akshay

Yadav, Shri Dharmendra

*Yadav, Shrimati Dimple

Yadav, Shri Surendra Prasad

Division No 2

NOES

Adhikari, Shri Soumendu

Agrawal, Shri Brijmohan

Agrawal, Shri Damodar

Anand, Shrimati Lovely

Aruna, Shrimati D. K.

Awasthi, Shri Ramesh

Babu, Shri M. Mallesh

Baghel, Prof. S. P. Singh

Baghel, Shri Vijay

*Balayogi, Shri G. M. Harish

Baluni, Shri Anil

Bambhaniya, Shrimati Nimuben Jayantibhai

Baraiya, Shrimati Shobhanaben Mahendrasinh

Barne, Shri Shrirang Appa Chandu

Baruah, Shri Pradan

Basumatary, Shri Joyanta

Behera, Dr. Rabindra Narayan

Bhabhor, Shri Jaswantsinh Sumanbhai

*Bharadwaj, Dr. Rajeev

Bharti, Shri Arun

Bhatt, Shri Ajay

Bhonsle, Chh. Udayanraje Pratapsinha Maharaj

Bhumare, Shri Sandipanrao Asaram

Bidhuri, Shri Ramvir Singh

Bind, Dr. Vinod Kumar

Bista, Shri Raju

Bommai, Shri Basavaraj

Chahar, Shri Rajkumar

Chandolia, Shri Yogender

Chaudhary, Shri P. P.

Chauhan, Shri Chandan

Chauhan, Shri Devusinh

Chavda, Shri Vinod Lakhamshi

Choudhary, Dr. Raj Bhushan

Choudhary, Shri Bhagirath

*Choudhary, Shri Chandra Prakash

Choudhary, Shri Darshan Singh

Choudhary, Shri Lumbaram

Choudhary, Shri Pankaj

Choudhary, Shrimati Roopkumari

Choudhury, Shri Phani Bhusan

Chouhan, Shri Shivraj Singh

Chouhan, Shrimati Anita Nagarsingh

Chowta, Captain Brijesh

Chudasama, Shri Rajeshbhai Naranbhai

Dabhi, Shri Bharatsinhji Shankarji

Dalal, Shri Mukeshkumar Chandrakaant

Deb, Shri Biplab Kumar

Debbarman, Shrimati Kriti Devi

Delkar, Shrimati Kalaben Mohanbhai

Devarayalu, Shri Lavu Srikrishna

Devi, Shrimati Annpurna

*Devi, Shrimati Malvika

Devi, Shrimati Veena

*Devi, Shrimati Vijaylakshmi

Dharmapuri, Shri Arvind

Dhotre, Shri Anup Sanjay

*Dubey, Dr. Nishikant

Dubey, Shri Ashish

Dubey, Shri Vijay Kumar

*Dutta, Shri Ranjit

Firojiya, Shri Anil

Gaddigoudar, Shri Parvatagouda Chandanagouda

Gadkari, Shri Nitin Jairam

Gangopadhyay, Shri Abhijit

Gangwar, Shri Chhatrapal Singh

Gao, Shri Tapir

Garg, Shri Atul

Gautam, Shri Satish Kumar

Gond, Dr. Anand Kumar

Gopi, Shri Suresh

Govil, Shri Arun

Goyal, Shri Piyush

Gupta, Shri Sudheer

*Hema Malini, Shrimati

Jadav, Shri Rajpalsinh Mahendrasinh

Jadhav, Shri Prataprao Ganpatrao

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jaiswal, Shri Manish

Jangde, Shrimati Kamlesh

*Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa

Jindal, Shri Naveen

Joshi, Dr. Hemang

Joshi, Shri Chandra Prakash

Joshi, Shri Pralhad

Kageri, Shri Vishweshwar Hegde

Kalisetti, Shri Appalanaidu

Kamait, Shri Dileshwar

Karandlaje, Kumari Shobha

Karjol, Shri Govind Makthappa

Kashyap, Shri Mahesh

Kashyap, Shri Suresh Kumar

Khadse, Shrimati Raksha Nikhil

Khan, Shri Saumitra

Khandelwal, Shri Praveen

Kishan, Shri Ravindra Shukla Alias Ravi

Kishore, Shri Jugal

Kulaste, Dr. Faggan Singh

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Shri Bandi Sanjay

Kumar, Shri Kaushalendra

Kumar, Shri Putta Mahesh

Kumar, Shri Sunil

Kumaraswamy, Shri H. D.

Kushwah, Shri Bharat Singh

Lakshminarayana, Shri G.

Lal, Shri Manohar

Lalwani, Shri Shankar

Lodhi, Shri Rahul Singh

Maadam, Shrimati Poonamben

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Maharaj, Shri Chintamani

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahato, Shri Dulu

Mahato, Shri Jyotirmay Singh

Mahtab, Shri Bhartruhari

Majhi, Shri Balabhadra

Majhi, Shri Naba Charan

Majumdar, Dr. Sukanta

Makwana, Shri Dineshbhai

Mal, Shri Asit Kumar

Malhotra, Shri Harsh

Mallah, Shri Kripanath

Mandal, Shri Ajay Kumar

Mandal, Shri Ramprit

*Mandaviya, Dr. Mansukh

Mane, Shri Dhairyasheel Sambhajirao

Mani, Shri Shashank

Manjhi, Shri Jitan Ram

Manjunath, Dr. C. N.

Mathukumilli, Shri Sribharat

Medhi, Shrimati Bijuli Kalita

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mewar, Shrimati Mahima Kumari

Mhaske, Shri Naresh Ganpat

Mishra, Dr. Rajesh

Mishra, Shri Janardan

*Mohan, Shri P. C.

Mohol, Shri Murlidhar

Murmu, Shri Khagen

Nag, Shri Bhojraj

*Nagar, Shri Rodmal

Nagaraju, Shri Bastipati

Nagesh, Shri Godam

Naidu, Shri Kinjarapu Rammohan

Naik, Shri Shripad Yesso

*Nayak, Shri Ananta

Pal, Shri Jagdambika

*Pal, Shri Krishan

Panda, Shri Baijayant

Pandey, Shri Santosh

Panigrahi, Shri Sukanta Kumar

Panigrahy, Dr. Pradeep Kumar

Pany, Shri Rudra Narayan

Pardhi, Shrimati Bharti

Parthasarathi, Shri B. K.

Paswan, Shri Chirag

Paswan, Shri Kamlesh

Patel (Bakabhai), Shri Mitesh

Patel, Shri Dhaval Laxmanbhai

Patel, Shri Gajendra Singh

Patel, Shri Haribhai

Patel, Shri Hasmukhbhai Somabhai

Patel, Shri Praveen

Patel, Shrimati Anupriya

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Gyaneshwar

Patra, Dr. Sambit

Paul, Shri Kartick Chandra

Pemmasani, Dr. Chandra Sekhar

Poojary, Shri Kota Srinivasa

Pradhan, Shri Dharmendra

Prakash, Shri Jai

Prasad, Shri Ravi Shankar

Prasada, Shri Jitin

Purandeswari, Shrimati Daggubati

Purohit, Shri Pradeep

Raghavendra, Shri B. Y.

Rai, Shri Nityanand

*Rajender, Shri Eatala

Rajput, Shri Mukesh

*Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramesh, Dr. C. M.

Ranaut, Sushri Kangna

Rane, Shri Narayan Tatu

Rao, Shri Daggumalla Prasada

Rao, Shri Madhavaneni Raghunandan

Rathiya, Shri Radheshyam

*Rathva, Shri Jashubhai Bhilubhai

Rawat, Dr. Manna Lal

Rawat, Shri Ashok Kumar

Rawat, Shri Trivendra Singh

Ray, Shri Bishnu Pada

Ray, Shrimati Sandhya

Reddy, Shri G. Kishan

Reddy, Shri Konda Vishweshwar

Reddy, Shri Magunta Sreenivasulu

Rijiju, Shri Kiren

Roy, Dr. Jayanta Kumar

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Rupala, Shri Parshottambhai

Sagar, Shri Arun Kumar

Sahu, Shri Bunty Vivek

Sahu, Shri Tokhan

Saikia, Shri Dilip

Sangwan, Dr. Rajkumar

Sarangi, Shri Pratap Chandra

Sarkar, Shri Jagannath

Savara, Dr. Hemant Vishnu

*Scindia, Shri Jyotiraditya M.

Sehrawat, Shrimati Kamaljeet

Seth, Shri Sanjay

*Sethi, Shri Avimanyu

Shabari, Dr. Byreddy

Shah, Shri Amit

Shah, Shrimati Mala Rajyalaxmi

Shambhavi, Shrimati

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Alok

Sharma, Shri Anurag

Sharma, Shri Vishnu Datt

Sharma, Shrimati Manju

*Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shettar, Shri Jagadish

Shihora, Shri Chandubhai Chhaganbhai

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Singh, Dr. Bhola

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Devendra Singh Alias Bhole

*Singh, Shri Dharambir

*Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Kali Charan

Singh, Shri Karan Bhushan

*Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Pradeep Kumar

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Raj Nath

Singh, Shri Rajiv Ranjan Singh alias Lalan

Singh, Shri Rao Rajendra

Singh, Shrimati Himadri

Sivanath, Shri Kesineni

Solanky, Shri Mahendra Singh

*Somanna, Shri V.

Sonowal, Shri Sarbananda

Srinivas, Shri Tangella Uday

Subba, Dr. Indra Hang

Subhadarshini, Shrimati Anita

*Sudhakar, Dr. K.

*Suklabaidya, Shri Parimal

Suman, Dr. Alok Kumar

Surya, Shri Tejasvi

Sutariya, Shri Bharatbhai Manubhai

Swaraj, Ms. Bansuri

Tamta, Shri Ajay

Tanwar, Shri Kanwar Singh

Tarai, Shri Bibhu Prasad

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Tatkare, Shri Sunil Dattatrey

Thakur, Shri Anurag Singh

*Thakur, Shri Devesh Chandra

*Thakur, Shri Gopal Jee

Thakur, Shri Shantanu

Thakur, Shri Vivek

*Thakur, Shrimati Savitri

Tigga, Shri Manoj

Tisso, Shri Amarsing

Tiwari, Shri Manoj

Tomar, Shri Shivmangal Singh

Uikey, Shri Durga Das

Vallabhaneni, Shri Balashowry

Valmiki, Shri Anoop Pradhan

*Vanlalhmangaiha, Shri Richard

*Varma, Shri Bhupathi Raju Srinivasa

Vasava, Shri Mansukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Vemireddy, Shri Prabhakar Reddy

Verma, Shri Rajesh

Wadiyar, Shri Yaduveer

*Wagh, Shrimati Smita Uday

Waikar, Shri Ravindra Dattaram

Wankhede, Dr. Lata

Yadav, Shri Ashok Kumar

Yadav, Shri Bhupender

Yadav, Shri Dinesh Chandra

Yadav, Shri Giridhari

माननीय अध्यक्ष: शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम यह है :

हाँ : 231

नहीं: 289

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 99 से 103 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

?Page 5, line 47,-

after ?Council of States?

insert ?, all belonging to Muslim community?.? (99)

?Page 6, *for* line 4,-

substitute ?(ii) Chairpersons of four Boards of the States of West Bengal, Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu?.?

(100)

?Page 6, *for* lines 9 and10,-

substitute ?(d) ?two persons who have been Judges of Supreme Court belonging to Muslim Community?.? (101)

?Page 6, *for* lines 18 and 19,-

substitute ?Provided that two of the members appointed under clause (c) shall be Muslim women?.? (102)

?Page 6, *omit* lines 20 and 21.? (103)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगत राय जी द्वारा खंड 9 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 99 से 103 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

माननीय अध्यक्ष: श्री के. राधाकृष्णन जी, क्या आप संशोधन संख्या 124 से 126 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR): Sir, I beg to move:

?Page 5, line 47,-

after "the Council of States"

insert ", all belonging to Muslim community".? (124)

?Page 6, *for* lines 9 and 10,-

substitute *"(d)* two persons who have been Judges of Supreme Court belonging to Muslim Community".? (125)

?Page 6, *for* lines 18 and 19,-

substitute "Provided that two of the members appointed under clause *(c)* shall be Muslim women".? (126)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री के. राधाकृष्णन जी द्वारा खंड 9 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 124 से 126 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

माननीय अध्यक्ष : श्री राजेश रंजन जी, क्या आप संशोधन संख्या 132 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI RAJESH RANJAN (PURNIA): Sir, I beg to move:

?Page 6 *omit* lines 12 to 21.? (132)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री राजेश रंजन जी द्वारा खंड 9 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 132 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

?कि खंड 9 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया

CLAUSE 11 Amendment of Section 13

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 88 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

?Page 7, *omit* lines 9 to 11.? (88)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 11 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 88 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ **।**

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 104 और 105 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

?Page 6, line 34,-

after ?Member of Parliament?

insert ?of House of the People?. ? (104)

?Page 6, for line 36,-

substitute ?one Member of the State Legislative
Assembly belongs to Muslim
Community?.? (105)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगत राय जी द्वारा खंड 11 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 104 और 105 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : श्री के. राधाकृष्णन जी, क्या आप संशोधन संख्या 127 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR): Sir, beg to move:

?Page 6, for line 36,-

substitute "(ii) one Member of the State
Legislative Assembly belonging
to Muslim community".? (127)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री के.राधाकृष्णन जी द्वारा खंड 11 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 127 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

?कि खंड 11 विधेयक का अंग बने।??

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

CLAUSE 12 Amendment of Section 14

माननीय अध्यक्ष : श्री अरविंद गणपत सावंत जी, क्या आप संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ARVIND GANPAT SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, I beg to move:

?Page 7, *omit* lines 44 to 46.? (8)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री अरविंद गणपत सावंत जी द्वारा खंड 12 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 8 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 89 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

?Page 7, line 41,-

after ?age?

insert ?or he is not a Muslim?.? (89)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 12 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 89 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

?कि खंड 12 विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

CLAUSE 13 Amendment of Section 16

माननीय अध्यक्ष : श्री अरविंद गणपत सावंत जी, क्या आप संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ARVIND GANPAT SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, I beg to move:

?Page 7, line 48,-

for ?once in every month?

substitute "once every three months as far as
may be practicable".? (9)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री अरविंद गणपत सावंत जी द्वारा खंड 13 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 9 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री इमरान मसूद जी, क्या आप संशोधन संख्या 29 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री इमरान मसूद (सहारनपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 9, पंक्ति 32,

?प्रत्येक मास में कम से कम एक बार? के स्थान पर

?प्रत्येक चार मास में कम से कम दो बार? प्रतिस्थापित करें। (29)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री इमरान मसूद जी द्वारा खंड 13 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 29 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री के. सी. वेणुगोपाल जी, क्या आप संशोधन संख्या 47 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, I beg to move:

?Page 7, line 48,-

for "at least once in every month"

substitute ?once every three months as far as may be practicable?.? (47)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री के. सी. वेणुगोपाल जी द्वारा खंड 13 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 47 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. मोहम्मद जावेद जी, क्या आप संशोधन संख्या 56 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): Sir, I beg to move:

?Page 7, line 48,-

for ?at least once in every month?

substitute "at least once in three months".? (56)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं डॉ. मोहम्मद जावेद जी द्वारा खंड 13 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 56 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

?कि खंड 13 विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

CLAUSE 15 Omission of Section 20A

माननीय अध्यक्ष: श्री इमरान मसूद जी, क्या आप संशोधन संख्या 30 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री इमरान मसूद (सहारनपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 10, पंक्ति 1 और 2 *के स्थान पर*,-

?(1) बोर्ड का एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, जो मुस्लिम होगा और राज्य सरकार द्वारा, बोर्ड द्वारा सुझाए गए दो नामों के पैनल में से, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया जाएगा और

जो राज्य सरकार के उप सचिव के पद से नीचे का नहीं होगा, और उस पद के मुस्लिम अधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में, समकक्ष पद के मुस्लिम अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोर्ड का *पदेन* सचिव होगा और बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा।? *प्रतिस्थापित करें।* (30)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री इमरान मसूद जी द्वारा खंड 15 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 30 सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. मोहम्मद जावेद जी, क्या आप संशोधन संख्या 57 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): Sir, I beg to move:

?Page 8, line 1,-

after ?Chief Executive Officer of the Board?

insert ?from the Muslim community?.? (57)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं डॉ. मोहम्मद जावेद जी द्वारा खंड 15 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 57 सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

?कि खंड 15 विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्रस्ताव प्रस्तुत करिए।

***m102 SHRI KIREN RIJIJU:** I beg to move:

?That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its

application to the Government amendment No. 111 to the Waqf (Amendment) Bill, 2025 and that this amendment may be allowed to be moved.?

***m103 माननीय अध्यक्ष**: प्रश्न यह है:

? कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका उपबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 की सरकारी संशोधन संख्या 111* को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

New Clause 15A

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 111 प्रस्तुत करिए ।

Amendment made:

Page 8, *after* line 3,-

insert

?15A. In section 28 of the principal Act, for the words ?be responsible for implementation of the decisions of the Board which may be?, the words ?implement the decision of the Board within forty-five days from the date it is? shall be substituted.?. (111)

(Shri Kiren Rijiju)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

?कि नया खंड 15क विधेयक में जोड़ दिया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नया खंड 15क विधेयक में जोड़ दिया गया ।

CLAUSE 15A

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 112 प्रस्तुत करिए ।

Amendment made:

Page 8, *for* line 4,-

substitute

?15B. In section 30 of the principal Act, in sub-section (2), for the?.

(112)

(Shri Kiren Rijiju)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

?कि खंड 15क, यथा संशोधित, *विधेयक का अंग बने।?*

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 15क, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 16 और 17 विधेयक में जोड़ दिए गए।

CLAUSE 18 Amendment of Section 30

माननीय अध्यक्ष: श्री गौरव गगोई जी, क्या आप संशोधन संख्या 19 से 21 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI GAURAV GOGOI (JORHAT): Sir, I beg to move:

?Page 8, line 27,-

after ?portal and database,?

insert ?and in addition, in such manner and form as provided by regulations of the Board?. ? (19)

?Page 8, *omit* lines 29 to 49.? (20)

?Page 9, *omit* lines 1 to 3.? (21)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री गौरव गगोई जी द्वारा खंड 18 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 19 से 21 सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: श्री इमरान मसूद जी, क्या आप संशोधन संख्या 31 और 32 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री इमरान मसूद (सहारनपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 10, पंक्ति 27 से 32 और पृष्ठ 11, पंक्ति 1 से 9 का *लोप करें।* (31)

पृष्ठ 11, पंक्ति 13 से 15 का *लोप करें।* (32)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री इमरान मसूद जी द्वारा खंड 18 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 31 और 32 सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: श्री असादुद्दीन ओवैसी जी, क्या आप संशोधन संख्या 66 से 68 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I beg to move:

?Page 8, line 27,-

after ?portal and database?

insert ?and in addition, in such manner and form as provided by regulations of the Board?. ? (66)

?Page 8, *omit* lines 29 to 49.? (67)

?Page 9, *omit* lines 1 to 3.? (68)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री असादुद्दीन ओवैसी जी द्वारा खंड 18 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 66 से 68 सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 106 और 107 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

?Page 8, *omit* lines 48 and 49.? (106)

?Page 9, *omit* lines 1 and 2.? (107)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय जी द्वारा खंड 18 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 106 और 107 सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: श्री राजेश रंजन जी, क्या आप संशोधन संख्या 133 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI RAJESH RANJAN (PURNIA): Sir, I beg to move:

?Page 8, line 27,-

after ?portal and database,?

insert ?and in addition, in such manner and form as provided by regulations of the Board?. ? (133)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री राजेश रंजन जी द्वारा खंड 18 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 133 सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

?कि खंड 18 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

CLAUSE 19 Amendment of Section 32

माननीय अध्यक्ष : श्री अरविंद गणपत सावंत जी, क्या आप संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ARVIND GANPAT SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, I rise to move:

Page 9, *for* lines 26 to 30,-

Substitute ?the words ?before deciding mutation in the land records, in accordance with revenue laws in force, either make necessary entries in the land record or communicate, within a period of six months from the date of registration of waqf property under section 36, its objections to the Board? shall be substituted?. (10)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री अरविंद गणपत सावंत जी द्वारा खंड 19 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 10 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : श्री के. सी. वेणुगोपाल जी, क्या आप संशोधन संख्या 48 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, I rise to move:

Page 9, *for* lines 26 to 30,-

substitute ?the words ?on receipt of the details as mentioned in sub-section (2), the land record office shall before deciding mutation in the land records, in accordance with revenue laws in force, either make necessary entries in the land record or communicate, within a period of six months from the date of registration of waqf property under section 36, its objections to the Board? shall be substituted?. (48)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री के. सी. वेणुगोपाल जी द्वारा खंड 19 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 48 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. मोहम्मद जावेद जी, क्या आप संशोधन संख्या 58 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): Sir, I rise to move:

Page 9, *omit* lines 25 to 30. (58)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं डॉ. मोहम्मद जावेद जी द्वारा खंड 19 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 58 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

?कि खंड 19 विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।

CLAUSE 21 Amendment of Section 36

माननीय अध्यक्ष : श्री अरविंद गणपत सावंत जी, क्या आप संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ARVIND GANPAT SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, it is a small and technical one. I rise to move:

Page 9, line 34,-

for ?October?

substitute ?30th of June?. (11)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री अरविंद गणपत सावंत जी द्वारा खंड 21 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री गौरव गोगोई जी, क्या आप संशोधन संख्या 22 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI GAURAV GOGOI (JORHAT): Sir, I rise to move:

Page 9, *omit* lines 35 to 39. (22)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री गौरव गोगोई जी द्वारा खंड 21 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 22 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री इमरान मसूद जी, क्या आप संशोधन संख्या 33 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री इमरान मसूद (सहारनपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 12, पंक्ति 7 से 11 का *लोप करें।* (33)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री इमरान मसूद जी द्वारा खंड 21 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 33 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री के. सी. वेणुगोपाल जी, क्या आप संशोधन संख्या 49 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, I rise to move:

Page 9, line 34,-

for ?October?

substitute ?30th of June?. (49)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री के. सी. वेणुगोपाल जी द्वारा खंड 21 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 49 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. मोहम्मद जावेद जी, क्या आप संशोधन संख्या 59 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): Sir, I rise to move:

Page 9, line 34,-

for ?October?

substitute ?June?. (59)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं डॉ. मोहम्मद जावेद जी द्वारा खंड 21 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 59 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

?कि खंड 21 विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

CLAUSE 22 Amendment of Section 37

माननीय अध्यक्ष : श्री इमरान मसूद जी, क्या आप संशोधन संख्या 34 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री इमरान मसूद (सहारनपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 12, पंक्ति 12 से 36 और पृष्ठ 13, पंक्ति 1 से 5 का *लोप करें ।* (34)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री इमरान मसूद जी द्वारा खंड 22 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 34 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 90 से 92 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I rise to move:

Page 9, line 43,-

for ?one?

substitute ?three?. (90)

Page 10, line 5,-

for ?one?

substitute ?three?. (91)

Page 10, *omit* lines 8 to 14. (92)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 22 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 90 से 92 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

?कि खंड 22 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 23 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

CLAUSE 24 Incertion of New Section 46

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 93 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am not moving it because it has become infructuous. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

?कि खंड 24 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 24 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 24ए विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 25 से 27 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

CLAUSE 28 Amendment of Section 51

माननीय अध्यक्ष: श्री इमरान मसूद जी, क्या आप संशोधन संख्या 35 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री इमरान मसूद (सहारनपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 14, पंक्ति 22 से 35 का *लोप करें ।* (35)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री इमरान मसूद जी द्वारा खंड 28 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 35 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

?कि खंड 28 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 28 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

CLAUSE 29 Amendment of Section 52

माननीय अध्यक्ष: श्री असादुद्दीन ओवैसी जी, क्या आप संशोधन संख्या 69 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I beg to move:

Page 12, *omit* lines 8 and 9. (69)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री असादुद्दीन ओवैसी जी द्वारा खंड 29 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 69 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 94 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 12, line 5,-

for ?is a member of?

substitute ?the competent court found guilty that he is a member of?. (94)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 29 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 94 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

?कि खंड 29 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 29 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 30 से 34 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

CLAUSE 35 Amendment of Section 67

माननीय अध्यक्ष: श्री इमरान मसूद जी, क्या आप संशोधन संख्या 36 से 38 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री इमरान मसूद (सहारनपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 16, पंक्ति 5 से 27 का *लोप करें ।* (36)

पृष्ठ 16, पंक्ति 33 से 35 का *लोप करें ।* (37)

पृष्ठ 17, पंक्ति 1 से 3 का *लोप करें ।* (38)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री इमरान मसूद जी द्वारा खंड 35 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 36 से 38 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 95 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 13, line 7,-

for ?person?

substitute ?advocate having not less than seven years of

practice and?. (95)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 35 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 95 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

?कि खंड 35 विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 35 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 37 से 40 विधेयक में जोड़ दिए गए।

CLAUSE 40A Amendment of Section 91

माननीय अध्यक्ष: श्री ई**.** टी**.** मोहम्मद बशीर जी, क्या आप संशोधन संख्या 128 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): Sir, I beg to move:

Page 14, *for* lines 13 to 18,-

substitute ?**40A**. Nothing contained in the Limitation Act, 1963 shall apply to any suit for possession of immovable property comprised in any waqf for possession of any interest in such property.?.

(128)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री ई**.** टी**.** मोहम्मद बशीर जी द्वारा खंड 40ए में प्रस्तुत संशोधन संख्या 128 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

?कि खंड 40 ए विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 40 ए विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 41 विधेयक में जोड़ दिया गया।

CLAUSE 42 Amendment of Section 101

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 129 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 14 line 22,-

after ?Central Government may,?

insert ?in consultation with the State Government,?. (129)

माननीय अध्यक्ष: अब श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 42 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 129 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

?कि खंड 42 विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 42 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 43 और 44 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, I beg to move:

?That the Bill, as amended, be passed.?

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

?कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।?

? (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: हां।

कुछ माननीय सदस्य: नहीं। ? (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, हम डिवीजन चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष: लॉबी क्लियर है। आप आराम से समझा लीजिए।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

?कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए ।?

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

? (व्यवधान)

DIVISION No. 3 **01:41 (03-04-2025)**

AYES

Adhikari, Shri Soumendu

Agrawal, Shri Brijmohan

Agrawal, Shri Damodar

Anand, Shrimati Lovely

Aruna, Shrimati D. K.

Awasthi, Shri Ramesh

Babu, Shri M. Mallesh

Baghel, Prof. S. P. Singh

Baghel, Shri Vijay

Balayogi, Shri G. M. Harish

Baluni, Shri Anil

Bambhaniya, Shrimati Nimuben Jayantibhai

Baraiya, Shrimati Shobhanaben Mahendrasinh

Barne, Shri Shrirang Appa Chandu

Baruah, Shri Pradan

Basumatary, Shri Joyanta

Behera, Dr. Rabindra Narayan

Bhabhor, Shri Jaswantsinh Sumanbhai

Bharadwaj, Dr. Rajeev

Bharti, Shri Arun

Bhatt, Shri Ajay

Bhonsle, Chh. Udayanraje Pratapsinha Maharaj

Bhumare, Shri Sandipanrao Asaram

Bidhuri, Shri Ramvir Singh

Bind, Dr. Vinod Kumar

Bista, Shri Raju

Bommai, Shri Basavaraj

Chahar, Shri Rajkumar

Chandolia, Shri Yogender

Chaudhary, Shri P. P.

Chauhan, Shri Chandan

Chauhan, Shri Devusinh

Chavda, Shri Vinod Lakhamshi

Choudhary, Dr. Raj Bhushan

Choudhary, Shri Bhagirath

Choudhary, Shri Chandra Prakash

Choudhary, Shri Darshan Singh

Choudhary, Shri Lumbaram

Choudhary, Shri Pankaj

Choudhary, Shrimati Roopkumari

Choudhury, Shri Phani Bhusan

Chouhan, Shri Shivraj Singh

Chouhan, Shrimati Anita Nagarsingh

Chowta, Captain Brijesh

Chudasama, Shri Rajeshbhai Naranbhai

Dabhi, Shri Bharatsinhji Shankarji

Dalal, Shri Mukeshkumar Chandrakaant

Deb, Shri Biplab Kumar

Debbarman, Shrimati Kriti Devi

Delkar, Shrimati Kalaben Mohanbhai

Devarayalu, Shri Lavu Srikrishna

Devi, Shrimati Annpurna

Devi, Shrimati Malvika

Devi, Shrimati Veena

Devi, Shrimati Vijaylakshmi

Dharmapuri, Shri Arvind

Dhotre, Shri Anup Sanjay

Dubey, Dr. Nishikant

Dubey, Shri Ashish

Dubey, Shri Vijay Kumar

Dutta, Shri Ranjit

Firojiya, Shri Anil

Gaddigoudar, Shri Parvatagouda Chandanagouda

Gadkari, Shri Nitin Jairam

Gangopadhyay, Shri Abhijit

Gangwar, Shri Chhatrapal Singh

Gao, Shri Tapir

Garg, Shri Atul

Gautam, Shri Satish Kumar

Gond, Dr. Anand Kumar

Gopi, Shri Suresh

Govil, Shri Arun

Goyal, Shri Piyush

Gupta, Shri Sudheer

Hema Malini, Shrimati

Jadav, Shri Rajpalsinh Mahendrasinh

Jadhav, Shri Prataprao Ganpatrao

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jaiswal, Shri Manish

Jangde, Shrimati Kamlesh

Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa

Jindal, Shri Naveen

Joshi, Dr. Hemang

Joshi, Shri Chandra Prakash

Joshi, Shri Pralhad

Kageri, Shri Vishweshwar Hegde

Kalisetti, Shri Appalanaidu

Kamait, Shri Dileshwar

Karandlaje, Kumari Shobha

Karjol, Shri Govind Makthappa

Kashyap, Shri Mahesh

Kashyap, Shri Suresh Kumar

Khadse, Shrimati Raksha Nikhil

Khan, Shri Saumitra

Khandelwal, Shri Praveen

Kishan, Shri Ravindra Shukla Alias Ravi

Kishore, Shri Jugal

Kulaste, Dr. Faggan Singh

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Shri Bandi Sanjay

Kumar, Shri Kaushalendra

Kumar, Shri Putta Mahesh

Kumar, Shri Sunil

Kumaraswamy, Shri H. D.

Kushwah, Shri Bharat Singh

Lakshminarayana, Shri G.

Lal, Shri Manohar

Lalwani, Shri Shankar

Lodhi, Shri Rahul Singh

Maadam, Shrimati Poonamben

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Maharaj, Shri Chintamani

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahato, Shri Dulu

Mahato, Shri Jyotirmay Singh

Mahtab, Shri Bhartruhari

Majhi, Shri Balabhadra

Majhi, Shri Naba Charan

Majumdar, Dr. Sukanta

Makwana, Shri Dineshbhai

Malhotra, Shri Harsh

Mallah, Shri Kripanath

Mandal, Shri Ajay Kumar

Mandal, Shri Ramprit

Mandaviya, Dr. Mansukh

Mane, Shri Dhairyasheel Sambhajirao

Mani, Shri Shashank

Manjhi, Shri Jitan Ram

Manjunath, Dr. C. N.

Mathukumilli, Shri Sribharat

Medhi, Shrimati Bijuli Kalita

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mewar, Shrimati Mahima Kumari

Mhaske, Shri Naresh Ganpat

Mishra, Dr. Rajesh

Mishra, Shri Janardan

Mohan, Shri P. C.

Mohol, Shri Murlidhar

Murmu, Shri Khagen

Nag, Shri Bhojraj

Nagar, Shri Rodmal

Nagaraju, Shri Bastipati

Nagesh, Shri Godam

Naidu, Shri Kinjarapu Rammohan

Naik, Shri Shripad Yesso

Nayak, Shri Ananta

Pal, Shri Jagdambika

Pal, Shri Krishan

Panda, Shri Baijayant

Pandey, Shri Santosh

Panigrahi, Shri Sukanta Kumar

Panigrahy, Dr. Pradeep Kumar

Pany, Shri Rudra Narayan

Pardhi, Shrimati Bharti

Parthasarathi, Shri B. K.

Paswan, Shri Chirag

Paswan, Shri Kamlesh

Patel (Bakabhai), Shri Mitesh

Patel, Shri Dhaval Laxmanbhai

Patel, Shri Gajendra Singh

Patel, Shri Haribhai

Patel, Shri Hasmukhbhai Somabhai

Patel, Shri Praveen

Patel, Shrimati Anupriya

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Gyaneshwar

Patra, Dr. Sambit

Paul, Shri Kartick Chandra

Pemmasani, Dr. Chandra Sekhar

Poojary, Shri Kota Srinivasa

Pradhan, Shri Dharmendra

Prakash, Shri Jai

Prasad, Shri Ravi Shankar

Prasada, Shri Jitin

Purandeswari, Shrimati Daggubati

Purohit, Shri Pradeep

Raghavendra, Shri B. Y.

Rai, Shri Nityanand

Rajender, Shri Eatala

Rajput, Shri Mukesh

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramesh, Dr. C. M.

Ranaut, Sushri Kangna

*Rane, Shri Narayan Tatu

Rao, Shri Daggumalla Prasada

Rao, Shri Madhavaneni Raghunandan

Rathiya, Shri Radheshyam

Rathva, Shri Jashubhai Bhilubhai

Rawat, Dr. Manna Lal

Rawat, Shri Ashok Kumar

Rawat, Shri Trivendra Singh

Ray, Shri Bishnu Pada

Ray, Shrimati Sandhya

Reddy, Shri G. Kishan

Reddy, Shri Konda Vishweshwar

Reddy, Shri Magunta Sreenivasulu

Rijiju, Shri Kiren

Roy, Dr. Jayanta Kumar

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Rupala, Shri Parshottambhai

Sagar, Shri Arun Kumar

Sahu, Shri Bunty Vivek

Sahu, Shri Tokhan

Saikia, Shri Dilip

Sangwan, Dr. Rajkumar

Sarangi, Shri Pratap Chandra

Sarkar, Shri Jagannath

Savara, Dr. Hemant Vishnu

*Scindia, Shri Jyotiraditya M.

Sehrawat, Shrimati Kamaljeet

Seth, Shri Sanjay

Sethi, Shri Avimanyu

Shabari, Dr. Byreddy

Shah, Shri Amit

Shah, Shrimati Mala Rajyalaxmi

Shambhavi, Shrimati

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Alok

Sharma, Shri Anurag

Sharma, Shri Vishnu Datt

Sharma, Shrimati Manju

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shettar, Shri Jagadish

Shihora, Shri Chandubhai Chhaganbhai

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Singh, Dr. Bhola

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Devendra Singh Alias Bhole

Singh, Shri Dharambir

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Kali Charan

Singh, Shri Karan Bhushan

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Pradeep Kumar

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Raj Nath

Singh, Shri Rajiv Ranjan Singh alias Lalan

Singh, Shri Rao Rajendra

Singh, Shrimati Himadri

Sivanath, Shri Kesineni

Solanky, Shri Mahendra Singh

Somanna, Shri V.

Sonowal, Shri Sarbananda

Srinivas, Shri Tangella Uday

Subba, Dr. Indra Hang

Subhadarshini, Shrimati Anita

Sudhakar, Dr. K.

*Suklabaidya, Shri Parimal

Suman, Dr. Alok Kumar

Surya, Shri Tejasvi

Sutariya, Shri Bharatbhai Manubhai

Swaraj, Ms. Bansuri

*Tamta, Shri Ajay

Tanwar, Shri Kanwar Singh

Tarai, Shri Bibhu Prasad

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Tatkare, Shri Sunil Dattatrey

Thakur, Shri Anurag Singh

Thakur, Shri Devesh Chandra

Thakur, Shri Gopal Jee

Thakur, Shri Shantanu

Thakur, Shri Vivek

Thakur, Shrimati Savitri

Tigga, Shri Manoj

Tisso, Shri Amarsing

Tiwari, Shri Manoj

Tomar, Shri Shivmangal Singh

Uikey, Shri Durga Das

*Vallabhaneni, Shri Balashowry

Valmiki, Shri Anoop Pradhan

Vanlalhmangaiha, Shri Richard

Varma, Shri Bhupathi Raju Srinivasa

Vasava, Shri Mansukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Vemireddy, Shri Prabhakar Reddy

Verma, Shri Rajesh

Wadiyar, Shri Yaduveer

Wagh, Shrimati Smita Uday

Waikar, Shri Ravindra Dattaram

Wankhede, Dr. Lata

Yadav, Shri Ashok Kumar

Yadav, Shri Bhupender

Yadav, Shri Dinesh Chandra

Yadav, Shri Giridhari

NOES

Ahirwar, Shri Narayandas

Ahmad, Shri Mian Altaf

Ahmed, Shrimati Sajda

Akoijam, Dr. Angomcha Bimol

Anand, Shri D. M. Kathir

Annadurai, Shri C. N.

Ansari, Shri Afzal

Antony, Shri Anto

Anwar, Shri Tariq

Arthur, Shri Alfred Kanngam S.

Aujla, Shri Gurjeet Singh

Azad, Shri Kirti

*Baalu, Shri T. R.

Bandyopadhyay, Shri Sudip

Banerjee, Shri Abhishek

Banerjee, Shri Kalyan

*Banerjee, Shri Prasun

Banerjee, Shrimati Rachna

*Barve, Shri Shyamkumar Daulat

Basheer, Shri E. T. Mohammed

Behanan, Shri Benny

Beniwal, Shri Hanuman

Beniwal, Shri Ummeda Ram

Bhadauria, Shri Anand

Bhagare, Shri Bhaskar Murlidhar

Bhagat, Shri Sukhdeo

Bharti, Shrimati Misha

Bhowmick, Shri Partha

Bordoloi, Shri Pradyut

Brahamchari, Shri Satpal

C., Shri Robert Bruce

Chabbewal, Dr. Raj Kumar

Chakraborty, Shri Arup

Channi, Shri Charanjit Singh

Chaudhary, Shri R. K.

Chaudhary, Shri Ram Prasad

Chaudhry, Shri Varun

Chavan, Shri Ravindra Vasantrao

Chhotelal, Shri

Chidambaram, Shri Karti P.

Choudhary, Sushri Iqra

Choudhury, Shri Isha Khan

D., Shri Malaiyarasan

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

*Desai, Shri Anil Yeshwant

Deshmukh, Shri Sanjay Uttamrao

Dhanorkar, Shrimati Pratibha Suresh

Dinesh, Dr. Bachhav Shobha

*Dohare, Shri Jitendra Kumar

Eden, Shri Hibi

Fernandes, Captain Viriato

Gaddam, Shri Vamsi Krishna

Gaikwad, Prof. Varsha Eknath

Gandhi, Dr. Dharamvira

Gandhi, Shri Rahul

George, Adv. Francis

Ghosh, Sushri Sayani

*Ghubaya, Shri Sher Singh

Gogoi, Shri Gaurav

Gopinath, Shri K.

*Gurumoorthy, Shri Maddila

Haldar, Shri Bapi

Haneefa, Shri Mohmad

Hansdak, Shri Vijay Kumar

Hitnal, Shri K. Rajashekar Basavaraj

Hooda, Shri Deepender Singh

Hussain, Md. Rakibul

Indora, Shri Kuldeep

Jadhav, Shri Sanjay Haribhau

Jagathratchakan, Shri S.

*Jamir, Shri S. Supongmeren

Jarkiholi, Kumari Priyanka Satish

Jatav, Shri Bhajan Lal

Jatav, Shrimati Sanjna

Jawed, Dr. Mohammad

Jothimani, Sushri S.

K., Shri Eswarasamy

K., Shri Navaskani

*K., Shri Subbarayan

*Kale, Dr. Kalyan Vaijinathrao

Kale, Shri Amar Sharadrao

*Kalge, Dr. Shivaji Bandappa

Kang, Shri Malvinder Singh

Karunanidhi, Shrimati Kanimozhi

Kaswan, Shri Rahul

Kavya, Dr. Kadiyam

Khan, Shri Abu Taher

Khandre, Shri Sagar Eshwar

Kherwal, Shri Kalipada Saren

Kirsan, Dr. Namdeo

*Kumar, Dr. D. Ravi

Kumar, Shri Manoj

Kuriakose, Adv. Dean

Kushwaha, Shri Babu Singh

*Lal, Shri Kishori

Lanke, Shri Nilesh Dnyandev

*Lodhi, Shri Ajendra Singh

*M. S., Shri Tharaniventhan

Madhur, Shri Utkarsh Verma

Mahant, Shrimati Jyotsna Charandas

Majhi, Shrimati Joba

Mal, Shri Asit Kumar

Maliah, Shrimati June

Malik, Shri Harendra Singh

Mallikarjun, Dr. Prabha

*Mani, Shri A.

*Manickam Tagore, Shri B.

Maran, Shri Dayanidhi

Masood, Shri Imran

Maurya, Shri Neeraj

Meena, Shri Harish Chandra

*Meena, Shri Murari Lal

Meet Hayer, Shri Gurmeet Singh

Mehdi, Shri Aga Syed Ruhullah

*Mitali, Shrimati Bag

Mohibbullah, Shri

Mohite-Patil, Shri Dhairyasheel Rajsinh

Moitra, Sushri Mahua

Mondal, Shrimati Pratima

Munda, Shri Kali Charan

Naik, Shri G. Kumar

Nehru, Shri Arun

Nishad, Shri Laxmikant Pappu

*Nishad, Shri Rambhual

Ola, Shri Brijendra Singh

Owaisi, Shri Asaduddin

P., Dr. Ganapathy Rajkumar

Padavi, Adv. Gowaal Kagada

Padole, Dr. Prashant Yadaorao

Pandey, Shri Sanatan

Parambil, Shri Shafi

Parkash, Shri Jai

Patel, Dr. Shiv Pal Singh

Patel, Shri Naresh Chandra Uttam

Patel, Shri Shreyas M.

Patel, Shrimati Krishna Devi Shivshankar

*Pathan, Shri Yusuf

Patil, Shri Sanjay Dina

*Patil, Shri Vishaldada Prakashbapu

*Porika, Shri Balram Naik

*Prakash, Adv. Adoor

Prakash, Shri K. E.

Prasad, Dr. M. K. Vishnu

Prasad, Shri Awadhesh

Prasad, Shri Sudama

Premachandran, Shri N. K.

Punia, Shri Tanuj

R., Kumari Sudha

R., Shri Sachithanantham

Radhakrishna, Shri

Radhakrishnan, Shri K.

Raghavan, Shri M. K.

Raghuveer, Shri Kunduru

*Rahaman, Shri Khalilur

Rai, Shri Rajeev

Raja, Shri A.

Rajbhar, Shri Ramashankar

Rajenimbalkar, Shri Omprakash Bhupalsinh *Alias* Pavan

Ram, Shri Amra

*Randhawa, Shri Sukhjinder Singh

Rani, Dr. Gumma Thanuja

Ranjan, Shri Rajesh

*Rathor, Shri Rakesh

Ravi, Dr. Mallu

Ray, Prof. Sougata

Reddy, Shri Chamala Kiran Kumar

Reddy, Shri P. V. Midhun

Reddy, Shri Ramasahayam Raghuram

Reddy, Shri Y. S. Avinash

Rehman, Shri Zia Ur

Roat, Shri Rajkumar

Roy, Shrimati Mala

S., Shri Murasoli

Samadani, Dr. M. P. Abdussamad

Sangma, Shri Saleng A.

Sarkar, Dr. Sharmila

Saroj, Adv. Priya

Saroj, Shri Daroga Prasad

Saroj, Shri Pushpendra

Sawant, Shri Arvind Ganpat

Sayeed, Shri Hamdullah

Selja, Kumari

Selvaganapathi, Shri T. M.

Selvam, Shri G.

Senthil, Shri Sasikanth

Shakya, Shri Devesh

Sheikh, Shri Abdul Rashid

Shekhar, Adv. Chandra

Shetkar, Shri Suresh Kumar

Shinde, Sushri Praniti Sushilkumar

Singh, Dr. Amar

Singh, Shri Raja Ram

Singh, Shri Sudhakar

Singh, Shri Ujjwal Raman

Singh, Shri Virendra

Sinha, Shri Abhay Kumar

Sinha, Shri Shatrughan

*Sonwane, Shri Bajrang Manohar

Sreekandan, Shri V. K.

Srikumar, Dr. Rani

*Sudhakaran, Shri K.

*Sule, Shrimati Supriya

Suresh, Shri Kodikunnil

Tewari, Shri Manish

Thakor, Shrimati Geniben Nagaji

Thanga, Shri Tamilselvan

Thangapandian, Dr. T. Sumathy *alias* Thamizhachi

Tharoor, Dr. Shashi

Thirumaavalavan, Dr. Thol

Tukaram, Shri E.

Ulaka, Shri Saptagiri Sankar

Unnithan, Shri Rajmohan

V., Shri Selvaraj

Vaiko, Shri Durai

Vaithilingam, Shri Ve.

Vasanth, Shri Vijayakumar *Alias* Vijay

Veeraswamy, Dr. Kalanidhi

Venkatesan, Shri S.

Venugopal, Shri K. C.

Verma, Shri Lalji

Verma, Shri Ram Shiromani

Vira, Shrimati Ruchi

Waje, Shri Rajabhau Parag Prakash

Wakchaure, Shri Bhausaheb Rajaram

Wankhade, Shri Balwant Baswant

Warring, Shri Amrinder Singh Raja

Yadav, Shri Aditya

Yadav, Shri Akhilesh

Yadav, Shri Akshay

Yadav, Shri Dharmendra

Yadav, Shri Surendra Prasad

Yadav, Shrimati Dimple

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम यह है:

हां : 288

नहीं : 232

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: लॉबी खोल दी गई है।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आइटम 13 सभा के निर्णय के लिए ले रहे हैं।

प्रश्न यह है:

?कि मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

?कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

CLAUSE 1 Short title and commencement

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत कीजिए?

Amendment made:

Page 1, line 3, -

for ?2024?

substitute ?2025? (2)

(Shri Kiren Rijiju)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

?कि खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

ENACTMENT FORMULA

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत कीजिए।

Amendment made:

Page 1, line 1, -

for ?Seventy-fifth?

substitute ?Seventy-sixth?. (1)

(Shri Kiren Rijiju)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

?कि अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए ।

SHRI KIREN RIJIJU : Sir, I beg to move:

?That the Bill, as amended, be passed.?

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

?कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

02.00 hrs (03.04.2025)